खण्ड-437, अंक-7
सोमवार, 10 वैशाख, शक संवत् 1923
(30 अप्रैल, 2001 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 437 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
प्रश्नोत्तर	1-97
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	97
जनपद हरदोई की मल्लावां नगर पालिका परिषद् में बिना पूर्व नोटिस के अतिक्रमण हटाये जाने से प्रभावित दुकानदारों को मुआवजा देने एवं समस्त प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301. के अन्तर्गत सूचना ...	97-98
मेरठ नगर के योजना सं०-10 सेक्टर एक माधवपुरम् में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए निःशुल्क भूमि का प्रस्ताव आवास विकास परिषद् मेरठ में लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	98-99
जनपद सन्त कबीर नगर के बिकरामोर आदि कतिपय धान क्रय केन्द्रों पर बड़े पैमाने पर की गयी कथित धांधलेबाजी की जांच कराने तथा किसानों को बकाया धान मूल्य का भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	99
रायल होटल चौराहे तथा विधान सभा मार्ग लखनऊ पर रात को हैवी ट्रैफिक के कारण प्रदूषण एवं दुर्घटनाओं से बचाव हेतु कारगर व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99-100
जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत वजीरगंज में जू० हाई स्कूल करदा की भूमि को विद्यालय के नाम आवंटन तथा उक्त भूमि को हड़पने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	100
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ द्वारा सत्र के दौरान मासिक बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	100-102
जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के गांव में अग्निकाण्ड के फलस्वरूप दी गई सहायता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	102
प्रदेश में बिजली की असाधारण कटौती तथा विद्युत की अनियमित आपूर्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	102-104
आज की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न सं०-158 को न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त किये जाने पर आपत्ति	104-105
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	105-106
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	106
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	106

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	106
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना)	106
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	107
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	107-151
सदन में दीर्घा का संज्ञान लिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	151
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	151-164
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	164-165
प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों की ज्वलन्त समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	165-166
प्रदेश के महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विनियमितीकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	166-167
प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा सरकार द्वारा श्री अतीक अहमद, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अब्दुल सलाम द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	167-168
जनपद रामपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री काशीराम, सदस्य, विधान सभा से दुर्व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	168-169
जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत पिपरी चन्दौली मार्ग का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	169-170
जनपद मथुरा में जयगुरूदेव और उनके समर्थकों द्वारा की जा रही अवैधानिक गतिविधियों तथा जमीनों पर अवैध कब्जेदारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	170-172

विषय	पृष्ठ-संख्या
थाना कोतवाली मेरठ क्षेत्र के मकानों में अज्ञात कारणों से पड़ रही दरारों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य	172-173
बुन्देलखण्ड में कम वर्षा व नहरों से फसलों को पानी न मिलने तथा ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्रीराम पाल द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	172-174
नत्थियां	175-180

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 30 अप्रैल, 2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
2–अजय राय, श्री	वाराणसी
3–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
4–अनिल कुमार, श्री	बलिया
5–अनिल कुमार यादव, श्री	मैनपुरी
6–अनीस खां, श्री	पीलीभीत
7–अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
8–अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर
9–अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
10–अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
11–अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
12–अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
13–अमरमणि, श्री	महराजगंज
14–अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
15–अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
16–अशफाक अहमद, श्री	बरेली
17–अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
18–आर०के० सिंह पटेल, श्री	बांदा
19–उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
20–उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
21–उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
22–ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
23–ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
24–कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
25–काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
26–कासिम हसन, श्री	फतेहपुर
27–कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
28–गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर
29–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
30–चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
31–छोटे लाल गंगवार, मास्टर	बरेली
32–छोटे लाल वर्मा, डा०	महोबा
33–जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
34–जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
35–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
36–तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
37–दिलीप कुमार, श्री	बहराइच
38–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात
39–धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
40–नन्दराम, श्री	बरेली
41–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
42–प्रदीप कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
43–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
44–फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
45–बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
46–बाबू खां, श्री	हरदोई
47–बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
48–बी० आर० वर्मा, श्री	जौनपुर
49–मंजू, श्रीमती	बलिया
50–मानिक चन्द यादव, श्री	मैनपुरी
51–मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
52–मूल चन्द, श्री	बिजनौर
53–मोहम्मद मुकीम, श्री	सिद्धार्थनगर
54–रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
55–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
56–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
57–राघव, श्री	सहारनपुर
58–राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
59–राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
60–राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
61–राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
62–राधेश्याम सिंह, श्री	पडरौना

63–राम अवतार मिश्र, श्री — शाहजहांपुर
64–राम आसरे सिंह कुशवाहा,डा० — कानपुर नगर
65–राम औतार शाक्य, श्री — मैनपुरी
66–राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
67–राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
68–राम नरेश रावत, श्री — गाजियाबाद
69–रामवीर उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
70–राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथुरा
71–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री — मैनपुरी
72–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
73–विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
74–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
75–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
76–विभूति प्रसाद निषाद, श्री — आजमगढ़
77–वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० — बिजनौर
78–शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
79–शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
80–शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
81–श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
82–श्रीराम पाल, श्री — जालौन
83–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
84–सतीश जतारिया, श्री — झांसी
85–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
86–सरवर अली खां, श्री — बाराबंकी
87–सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
88–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
89–सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री — देवरिया
90–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
91–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
92–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
93–हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
94–हीरा लाल गौतम, श्री — अजामगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 30 अप्रैल, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 1 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 1 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सहकारी गन्ना समितियों द्वारा किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु स्वीकृत ऋण

**1–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि विभिन्न वर्षों में सहकारी गन्ना समितियों द्वारा प्रदेश में गन्ना मूल्य भुगतान का धन उपयोग कर लिये जाने के कारण लगभग 24 करोड़ रुपया किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार के बकाये गन्ना मूल्य को दिलाने के लिये सरकार कोई नीति बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

गन्ना विकास एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

विगत वर्षों में प्रदेश की कुल 40 गन्ना समितियों द्वारा 19.14 करोड़ रुपया किसानों को देय गन्ना मूल्य का व्यावर्तन अन्य मदों में कर लिया गया एवं कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो सका ।

शासनादेश संख्या–117/एस०एस०आई०/2000, दिनांक 13-01-2000 द्वारा व्यावर्तित गन्ना मूल्य को प्रश्नगत समितियों को चीनी मिल के कमीशन से प्राप्त होने वाली धनराशि से कटौती कर भुगतान करने के आदेश जारी किये गये हैं । तद्नुरूप कमीशन कटौती कर भुगतान किया जा रहा है । इसके अलावा इस प्रकार के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु शासनादेश सं०–1169 सी०डी०/46-2001-3(श०वि०नि०)/2000, दिनांक 31-3-2001 द्वारा समितियों को ऋण के रूप में रु० 7.24 करोड़ स्वीकृत किया गया है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में विगत वर्षों का उल्लेख किया है, विगत वर्षों से मतलब दो-तीन वर्ष भी हो सकता है । समितियों ने धन का उपयोग किया है तो यह जानना चाहता हूं कि वह कितने वर्षों से किया है ? दूसरे कमीशन काटकर कितने बकाया मूल्य का भुगतान आज तक किया है ? मंत्री जी ने कमीशन काटकर भुगतान के आदेश जो किये हैं उसको डेढ़ वर्ष तक का समय हो गया है तो बकाया गन्ने मूल्य का कितना भुगतान किया गया है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

श्रीमन्, पिछले 15–20 वर्षों से जो गन्ना मूल्य का भुगतान पहले समितियों के माध्यम से होता था, कुछ समितियों ने गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया उन्होंने उसको डायवर्ट करके वेतन आदि में व्यय कर दिया । लेकिन गत दो वर्षों में इस तरह का डायवर्जन नहीं हुआ है । मान्यवर, जो शासनादेश हमने किया है उसके माध्यम से 29.08 लाख रुपये की कटौती की जा चुकी है जिसका भुगतान कराया जा चुका है ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, समितियों द्वारा 19.14 करोड़ रुपये किसानों को देय गन्ना मूल्य का व्यावर्तन अन्य मदों में वेतन में, स्टेशनरी में कर लिया, तो जिन लोगों ने यह खर्च किया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? गन्ना विभाग और शासन ने क्या निर्देश दिये थे कि किन्हीं परिस्थितियों में गन्ना मूल्य का भुगतान का पैसा समितियां किसी अन्य मद में खर्च नहीं कर सकती हैं जिन्होंने इसका उल्लंघन किया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ? मंत्री जी ने बताया है कि अब 2 वर्षों से धन का डायवर्जन नहीं हो रहा है तो क्या भविष्य में इन गन्ना समितियों को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं। अब कुछ मिलों से डायरेक्ट पैसा किसानों को दिया जा रहा है, कहीं बैंक के माध्यम से दिया जा रहा है, कुछ सीधे चीनी मिल दे रही हैं तो इसमें शासन की नीति क्या है ? तो क्या आप चीनी मिलों को सीधे निर्देशित करेंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं अवगत करा चुका हूं कि हमारी सरकार गन्ना किसानों के हित को सुरक्षित करने के लिये प्रयत्नशील है इसलिये कैबिनेट के द्वारा यह निर्णय लिया गया था। पिछला गन्ना मूल्य जिन गन्ना समितियों ने डाइवर्ट करके खर्च कर दिया था उसका भुगतान करने के लिए शासन स्तर पर ऋण जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, 7.24 करोड़ रुपया आलरेडी स्वीकृत किया जा चुका है। जहां तक पाल जी ने जो कहा कि ऐसी समितियां जिन्होंने इस पैसे का डाइवर्जन किया था, तो ऐसी समितियों के खिलाफ निश्चित रूप से हमें कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। चूंकि यह बहुत पुराना 15–20 साल पहले का प्रकरण है लेकिन इसमें निश्चित रूप से सरकार ने एक स्पष्ट नीति बनाई है। वर्ष 98-99 से अब गन्ना मिलों का भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है इसलिये पिछले दो वर्षों से डाइवर्जन नहीं किया जा रहा है, समितियों को बन्द करने की जहां तक बात है तो ऐसा कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं जानकारी दे रहा हूं कि चीनी मिलें सीधे कृषकों को नकद भुगतान कर रही हैं या तो मंत्री जी कह दें जानकारी नहीं है अगर इनकी जानकारी में है कि सीधे चीनी मिलें कृषकों को पैसा दे रही हैं तो इसे स्पष्ट कर दें। दूसरा मान्यवर, 19.14 करोड़ रुपया शासन एक मुश्त किश्त के रूप में, अनुदान के रूप में समायोजन करने पर विचार करेगी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, शासन की स्पष्ट नीति है कि गन्ना मूल्य का भुगतान बैंकों के माध्यम से हो लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इधर कई बैंकों ने कमीशन लेना प्रारम्भ कर दिया है, वह कमीशन न लें इसके लिए शासन स्तर पर हम लोग प्रयत्नशील हैं। वहां के गन्ना मूल्य का भुगतान समय से मिल जाय इसलिए हमने निर्णय लिया है कि गन्ना मूल्य का नकद भुगतान देना पड़े तो दें तो एक टैम्पोरेरी व्यवस्था है। मान्यवर, 15–20 सालों का भुगतान था, सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश की सरकार में थीं उन्होंने क्या किया। हमारी सरकार ने 7.24 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। हमने 39 समितियां जिनके ऊपर यह बकाया है उसमें विभाजन कर दिया कि किस समय का कितना आपके या हमारे पास है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, इन्होंने चर्चा कर दी कि जो 19 करोड़ रुपया बकाया था जिन समितियों ने गड़बड़ियां कीं उनको पूरा करने के लिए एक शासनादेश जारी कर दिया, उसकी ये व्यवस्था कर रहे हैं तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस पखवारे का भुगतान प्रदेश की मिलों का हमें हो रहा है खाली यही बता दें ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

इससे इसका कोई संबंध नहीं है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह सरकार गन्ना किसानों की बड़ी हमदर्द है और मंत्री जी को यह नहीं मालूम है कि किस पेराई सत्र का भुगतान कर रहे हैं तो गन्ना मंत्री का मतलब क्या है ? मैं कहता हूं कि गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है, आज किसान की बेटी की शादी नहीं हो पा रही है और यह मिलों से मिलकर धांधागर्दी कर रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस पखवारे का गन्ना भुगतान करवा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

पखवारा तो बहुत ब्योरे की बात है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा, जब से हमारी सरकार है, तब से 98-99 का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है और 979 करोड़ रुपये का जो भुगतान करना था, उसके लिये 29 दिसम्बर, 2000 अंतिम तिथि तय की गयी थी, उसमें भी अधिकांश भुगतान कर दिया गया है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में गन्ना किसानों का 5-5 साल का बकाया है, मंत्री जी पता नहीं कैसे कह रहे हैं, भुगतान कर दिया गया है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर के प्रथम भाग में मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि गन्ना समितियों द्वारा 19.14 करोड़ रुपया किसानों को देय गन्ना मूल्य का व्यावर्तन अन्य मदों में कर लिया गया । मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या गन्ना समितियों को इस प्रकार व्यावर्तन करने का अधिकार था या नहीं और क्या भविष्य में गन्ना समितियां इस धनराशि को व्यावर्तित न कर सकें, इसके लिये क्या कोई दण्ड का प्राविधान सरकार कर रही है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, इस तरह व्यावर्तन करने का गन्ना समितियों को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कई जगह मिसयूज करते हैं, इसलिये सरकार ने व्यवस्था की है, बैंकों के माध्यम से । पिछले 2 वर्ष में एक भी पैसे का डाइवर्जन नहीं हुआ है ।

* श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपनी सरकार को खुद बधाई दे दिया है, मैं बताना चाहता हूं कि इनकी सरकार के समय में प्रदेश में कई गन्ना मिलें बन्द हुई हैं । गन्ना के द्वारा किसान अपना जीविकोपार्जन करता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिससे किसानों के सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया जाये ? यदि 15 दिन में भुगतान नहीं होता तो क्या सरकार की उस पैसे पर ब्याज देने की कोई योजना है ? माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, वह एकदम सत्य से परे है । यह सरकार गन्ना किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, मैं और मेरी पार्टी गन्ना किसानों के समर्थन में सदन का बहिष्कार करती है ।

(उत्तर नहीं आया)

मान्यवर, सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, भुगतान न हो पाने के कारण बहुत से किसानों की लड़कियों की शादी रुकी पड़ी है । हम इसके लिये विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

(श्री अखिलेश कुमार सिंह ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय अखिलेश जी ने पूछा था, आपने उन्हें अनुमति दी, उसका उत्तर आ जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

दोनों बातें एक साथ नहीं चलतीं । जब माननीय सदस्य सदन से बहिगर्मन कर गये हैं तो उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । माननीय सदस्य ने ब्याज की बात पूछी और उसके बाद वह बहिगर्मन कर गये, इसलिये उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

(श्री जगदम्बिका पाल ने भी उक्त उत्तर से असन्तुष्ट होकर सदन का त्याग किया ।)

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान पेराई सत्र का कितना रुपया किसानों का बकाया है ? क्या जो बकाया है उसका भुगतान किसानों को ब्याज सहित करेंगे ? मान्यवर, एक और जो मूल प्रश्न से संबंधित है कि समितियों को जो कमीशन मिलता है, उससे धन काटकर गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किया जायेगा, जैसा मंत्री जी ने कहा ? मान्यवर, इससे तो बहुत छोटा धन प्राप्त होगा और इससे भुगतान में लगभग 20-25 साल लग जायेंगे । मंत्री जी ने कहा कि 15 साल से बकाया है, तो इस प्रकार सरकार को भुगतान में 30 साल लग जायेंगे । मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार खजाने से यह जो 19 करोड़ रुपया बकाया है, गन्ना किसानों का, उसके एक मुश्त भुगतान की वयवस्था करेंगे ?

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

7.24 करोड़ रुपये हमने इस वित्तीय वर्ष में दिया है और इसके बाद जो भुगतान शेष रह जायेगा उसके लिए विचार करेंगे । जहां तक पूरे उत्तर प्रदेश के भुगतान की बात है, 27 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के अन्दर 3879 करोड़ 11 लाख का भुगतान किया जाना था । 2961 करोड़, 50 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है जो 76.54 परसेन्ट है । हम मानीटरिंग कर रहे हैं और कड़ाई कर रहे हैं जिससे गन्ना किसानों का शीघ्र भुगतान हो सके ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, जो भुगतान बाकी रह गया है क्या उसका ब्याज सहित भुगतान करेंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, जो ब्याज की बात है, यह कोर्ट में पेन्डिंग है ।

* श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि जनपद गोण्डा के नवाबगंज शुगर मिल पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया पड़ा है । अगर सरकार ने भुगतान कर दिया है तो ठीक है, अगर भुगतान नहीं किया है तो क्यों नहीं किया और कब तक भुगतान करेंगे, यह माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए आप अलग से प्रश्न करिये । आप एक मिल विशेष के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, नवाबगंज शुगर मिल पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया पड़ा है । सरकार कह रही है कि हम भुगतान कर रहे हैं । अगर भुगतान कर दिया है तो बता दें ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, इसके लिए अलग से प्रश्न पूछ लें ।

*श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ग्रामीण बैंक के कमीशन का भुगतान नहीं हो रहा है । प्राइवेट फैक्ट्रियां नगद भुगतान कर रही हैं, वहीं पर सरकारी फैक्ट्रियां उसका भुगतान नहीं कर रही हैं उसके लिए कौन सा उपाय करेंगे ? दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन फैक्ट्रियों द्वारा भुगतान कर दिया है और समितियों पर बकाया है उन किसानों का भुगतान कैसे किया जायेगा ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ना मूल्य का 76 प्रतिशत भुगतान हो गया है । जिन-जिन मिलों पर भुगतान बाकी है, हम शासन स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसका भुगतान किया जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

मान्यवर, गौरी बाजार चीनी मिल का गन्ना मूल्य किसानों का बाकी है, अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ।

प्रदेश में आलू के मूल्य को नियंत्रित रखने हेतु 'बाजार हस्तक्षेप योजना'

**2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सरकार आलू के मूल्य को नियंत्रित रखने के लिए "बाजार हस्तक्षेप योजना" लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

उद्यान मंत्री (श्री धनराज यादव)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में गंगा नदी के जल प्रदूषण को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने की मांग

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में गंगा नदी के जल में प्रदूषण के कारण निरन्तर जलीय गुण में ह्रास हो रहा है ? यदि हां, तो इसके निवारण हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में क्या कोई ठोस एवं प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

गंगा कार्य योजना (प्रथम चरण) के कार्यान्वयन के उपरान्त प्रदेश में गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सामान्यतया ह्रास परिलक्षित नहीं हुआ है परन्तु कतिपय स्थानों पर नदी की जल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है ।

गंगा नदी में जल प्रदूषण के मुख्यतः दो श्रोत हैं :–

(1) औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण,

(2) शहरी मल-जल का निस्तारण ।

औद्योगिक उत्प्रवाह से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु गंगा कार्य योजना के (प्रथम चरण) में गंगा में सीधे उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले 34 उद्योगों को चिन्हित किया गया । इनमें से 28 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित हैं । शेष 06 उद्योग वर्तमान में बंद हैं । इसके अतिरिक्त उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा बेसिन में उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले 454 प्रदूषणकारी उद्योग चिन्हित किये गये हैं, इसमें से 335 में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं तथा 112 उद्योग बंद है एवं 07 उद्योगों में पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित नहीं हैं । इन 07 उद्योगों के विरुद्ध उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गयी है ।

गंगा नदी में शहरी मल-जल से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु गंगा कार्य योजना (प्रथम चरण) का कार्यान्वयन एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 6 नगरों में कराया गया है । गंगा कार्य योजना के

(द्वितीय चरण) में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों यमुना एवं गोमती के किनारे बसे 23 नगरों में प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी कार्य कराये जा रहे हैं। गंगा नदी में गिरने वाले गन्दे नालों को डाइवर्ट कर शोधन के उपरान्त निस्तारित किया जा रहा है तथा स्वच्छ शौचालयों और शवदाह गृहों का निर्माण कर नदियों के प्रदूषण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में गेहूं की खरीद का निर्धारित लक्ष्य

*2–श्री विजय पाल सिंह, श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्र सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2001-2002 हेतु घोषित समर्थन मूल्य के अन्तर्गत प्रदेश में गेहूं की खरीद का क्या कोई लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो प्रदेश में कुल कितने टन गेहूं खरीद करने का लक्ष्य रखा गया है ? लक्ष्य के अनुसार गेहूं खरीद के लिये सरकार ने क्या-क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

कृषकों को गेहूं का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से गेहूं उत्पादन के अनुमान को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2001-2002 में प्रदेश के लिए कुल 20.00 लाख मी० टन गेहूं खरीद का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के अन्तर्गत गेहूं का क्रय किये जाने की व्यवस्था रहती है लेकिन किसान द्वारा गेहूं विक्रय की कोई बाध्यता नहीं है। गेहूं क्रय की व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्रय एजेन्सियां यथा-खाद्य विभाग की हाट शाखा, पी० सी०एफ०, आवश्यक वस्तु निगम, उपभोक्ता सहकारी संघ, यू०पी० एग्रो, एस० डब्लू० सी० व सी० डब्लू० सी० के माध्यम से 4600 क्रय केन्द्र खोलकर जोतबही के आधार पर सीधे किसानों से गेहूं खरीद किये जाने की व्यवस्था की गयी है। क्रय केन्द्रों पर किसानों को सुख-सुविधा हेतु भी आवश्यक व्यवस्था की गयी है।

गेहूं खरीद हेतु समुचित धनराशि की भी व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

* श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सच्चाई क्या है और इनके आंकड़े क्या बतलाते हैं, क्या इन्होंने उन आंकड़ों को देख लिया है ? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र अड़ीग में खरीद केन्द्र है उस पर मात्र 14 हजार सी०सी० एल०एस०एस० जारी हुआ है। वहां किसान का गेहूं खरीदने वाला कोई नहीं है। अड़ीग, गोवर्धन, फरह आदि ब्लाक हैं किसी भी केन्द्र पर खरीद नहीं हो रही है। व्यापारियों से मिलकर खरीद की जा रही है। 510 रुपये प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं और 610 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसका पर्चा काटा जा रहा है और वह गेहूँ हरियाणा जा रहा है। मान्यवर, किसानों का शोषण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

पोइया जी, आप अनुपूरक प्रश्न करिये। आप सूचना दे रहे हैं या भूमिका बना रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो आँकड़े माननीय मंत्री जी ने दिये हैं कि हम गेहूं की खरीद कर रहे हैं, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि फरह, गोवर्धन, अड़ीग आदि खरीद केन्द्रों पर कितने गेहूँ की खरीद हुई है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का कहना है कि किसानों द्वारा खरीद नहीं की जा रही है और जो खरीद हो रही है वह कम कीमत पर हो रही है और ज्यादा दाम की रसीदें काटी जा रही हैं कुछ लोंगों के माध्यम से ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने एक बात स्पष्ट तौर पर बताया है कि यह खरीद एजेसिंयों के द्वारा की जाती है । उत्तर प्रदेश सरकार ने 4600 क्रय केन्द्र खोले हैं और खरीद भी भारी मात्रा में हो रही है और अब प्रदेश के सभी जनपदो में खरीद शुरू हो चुकी है और सिर्फ 9 जनपद ऐसे हैं जहां पर अभी खरीद नहीं शुरु हो पाई है वहां भी हम जल्दी ही खरीद शुरू करवा देंगे ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न बना लीजिए आखिर में पूछ लीजिएगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मंत्री जी ने बताया है कि प्रदेश में 4600 क्रय केन्द्र खोले गये हैं और पर्याप्त मात्रा में खरीद भी की जा रही है और सभी क्रय केन्द्रों पर खरीद जारी है सिर्फ 2, 4 केन्द्र ही ऐसे हैं जहां पर खरीद नहीं की गयी है । मेरे यहां किसी भी केन्द्र पर कोई खरीद नहीं की जा रही है और किसानों को क्रय केन्द्र से लौटना पड़ रहा है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

यदि आप ऐसी जानकारी देंगे कि कहीं पर खरीद नहीं की जा रही है तो मैं ऐसे क्रय केन्द्रों के कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही कराऊंगा ।

श्री अध्यक्ष–

दूसरा प्रश्न धन के आवंटन के बारे में है उसकी जानकारी दें ।

श्री लालजी वर्मा–

दूसरा प्रश्न मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि जो पर्याप्त मात्रा में जो धन की व्यवस्था कर दी गयी है, तो प्रत्येक केन्द्र पर कितना–कितना धन उपलब्ध कराया गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जो सूचना माननीय सदस्य दे रहे हैं मैं उसको दिखवा लूँगा । आगर कहीं पर भी खरीद नहीं की जा रही है तो मैं जल्द ही वहां पर भी खरीद शुरू करवा दूँगा और मैं निश्चित तौर पर यह व्यवस्था कर दूँगा कि जो क्रय केन्द्रों पर किसान गेहूँ लेकर जायें उसकी खरीद की जाय और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए 50 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्रय केन्द्रों को दिया है और 5 करोड़ रुपये का ऋण पी०सी०एफ० को दिया गया है और इसके अलावा 1520 करोड़ रुपये की सी०सी० लिमिट है और कहीं पर भी धन की कोई कमी नहीं है अगर कहीं किसी क्रय केन्द्र पर धन की जानकारी कमी की देंगे तो हम वहां धन की व्यवस्था करवा देंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जो पी०सी० एफ० की समितियों के बकायेदार हैं उन्हीं का गेहूँ लिया जा रहा है किसी किसान का गेहूँ नहीं लिया जा रहा है । जो सबसे ज्यादा धन दिया गया है वह डेढ़ लाख रुपये दिया गया है जिससे 250 क्विंटल से अधिक खरीद नहीं की जा सकती है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जोत बही के अनुसार प्रति हेक्टेयर कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? मेरी जानकारी है कि कुछ ही किसानों का गेहूँ इतने धन से खरीदा जा सकता है बाकी किसानों का गेहूं रह जायगा । मैंने इस संबंध में शिकायत की है । मैं केवल लफ्फाजी के आरोप नहीं लगा रहा हूं । मैंने अपने यहां कल और परसों इस बात को देखा कहीं पर केन्द्र प्रारम्भ नहीं हुये हैं । केवल उन्हीं किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है जो बकायेदार हैं । क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में कार्यवाही करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो कहा है उसकी हम जानकारी करा लेंगे और उस पर कार्यवाही करायेंगे ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, एक दिन इस पर चर्चा हुई है । आपने बताया कि 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । मैंने भी दो दिन अपने क्षेत्र में देखा है । फिरोजाबाद की हालत बहुत खराब है वहां पर 440–430 रुपये पर गेहूँ खरीदा जा रहा है और प्राइवेट लोग गेहूँ खरीद रहे हैं । किसानों का गेहूँ लौट रहा है । मेरी मांग है कि जहाँ पर यह स्थिति है वहां के जिलाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय कि अब तक खरीद की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सभी क्रय केन्द्रों पर धन की व्यवस्था है । माननीय वर्मा जी किसी विशिष्ट केन्द्र के बारे में जानकारी देंगे तो उसको दिखवा लूंगा । पैसा एजेन्सियों के माध्यम से दिया जाता है और वह नीचे तक पहुंचता है । सभी जगहों पर धन उपलब्ध है ।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में 4600 क्रय केन्द्र खोले गये हैं । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्रय केन्द्र खोलने के बारे में जनपद के अधिकारियों ने कोई मानक निर्धारित किया है कि वह ब्लाक में या तहसील में कहां पर खोले जायेंगे और उनके बीच में कितनी दूरी होगी ? कहां पर 50 कि०मी० और कहां पर 10 कि०मी० पर खोले जायेंगे ? आज क्रय केन्द्रों पर थोड़ी बहुत खरीद हो रही है और किसानों को जो चेक दिये गये हैं वह जनपद के किसी बैंक के दिये जा रहे हैं । मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे पास भी तमाम शिकायतें किसानों की तरफ से आती हैं कि जिला स्तर पर किसान 4–4, 6–6 बार जाता है और उससे कह दिया जाता है कि खाते में पैसा नहीं है इसलिए भुगतान नहीं हो सकता है । इससे जो छोटे–छोटे किसान हैं जिन्होंने 10–15 कुन्तल गेहूँ बेचा हो, उनको अगर 40–50 बार बैंक तक जाना पड़े तो उनका सारा पैसा किराए में ही चला जाएगा । तो क्या मंत्री जी यह व्यवस्था करेंगे कि जो क्रय केन्द्र के नजदीक बैंक होगा उसी बैंक से भुगतान करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

दो बातें बता दें कि क्रय केन्द्र का मानक क्या है तथा नजदीक के बैंकों के माध्यम से भुगतान करने की बात है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, 4600 क्रय केन्द्र खोला जाना निश्चित किया गया । अभी तक 4,232 क्रय केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं । जिलाधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है कि स्थानीय आवश्यकतानुसार वह अतिरिक्त क्रय केन्द्र खोल सकते हैं । इसका उन्हें पूरी तरह से अधिकार है । जहाँ तक भुगतान की बात है जो गेहूँ खरीदा जाएगा उसका भुगतान किया जाएगा ।

*श्री विनोद मणि–

मान्यवर, मंत्री जी ने अवगत कराया कि 4600 क्रय केन्द्र खोलें गए हैं । हम सभी अपने क्षेत्रों से घूमकर आ रहे हैं मंत्री जी ने कहा कि धन की कोई कमी नहीं है वह कर दी गई है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि यह जो सूचना दे दी गई है इसमें सच्चाई 10 प्रतिशत है 90 प्रतिशत सूचना गलत है । किसी जनपद में क्रय केन्द्रों पर धन की बात तो दूर वह तो उपलब्ध नहीं है बिचौलिए और बड़े व्यापारी किसानों से 450–500 रुपए प्रति कुन्तल में गेहूँ खरीद रहे हैं । किसान मजबूरी में बेच रहा है । मंत्री जी ने जवाब दिया कि क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुख सुविधा की व्यवस्था की गई है । तो क्रय केन्द्रों पर आपकी तरफ से गेहूँ किसानों को क्या–क्या सुख सुविधा की व्यवस्था की गई है । जिन किसानों के पास किसानजोत बही नहीं है जो गांव चकबन्दी में है उन गांवों के किसानों को क्या फार्म 23 या फार्म 5 पर गेहूँ खरीदने की व्यवस्था की गई है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कहीं पर खरीद बिचौलियों के माध्यम से नहीं हो रही है । जहाँ ऐसी शिकायतें मिली हैं वहाँ कार्यवाही की गई है । दूसरा प्रश्न व्यवस्था के बारे में है । क्रय केन्द्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था मण्डी समिति द्वारा की जाती है उसकी व्यवस्था है । जहाँ तक चकबन्दी में जो गांव चल रहे हैं उनका प्रश्न है वहाँ पर फार्म 23 है उसको दिखाकर उनके गेहूं की खरीद हो जाएगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों की चिन्ता इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों जो खरीददारी हुई है उसमें बड़ी व्यापक धांधली हुई है । मैं एक विशेष मामला आपको बता रहा हूँ तहसील सोरांव मण्डी लेड़ियारी जिला इलाहाबाद वहां 50–60 लाख का धान खरीदा गया । वहां पर हस्तक्षेप करने के बाद सचिव खाद्य के हस्तक्षेप के बाद आधा पैसा दे दिया गया । आधे पैसे की रसीद आज तक नहीं दी गई ? पांच महीने हो गये हैं किसान दर–दर भटक रहा है। क्या यही गड़बड़ी गेहूँ में तो नहीं होगी । क्या लेड़ियारी मण्डी का बकाया पेमेन्ट दिलाने का कष्ट करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

माननीय अध्यक्ष जी पिछले दिनों जब इस पर चर्चा हो रही थी तो सम्मानित सदन को मैंने यह अवगत कराया था कि जो बकाया है उसका शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कर दिया जायगा ।

*श्री नवाब सिंह नागर–

माननीय अध्यक्ष जी गेहूँ खरीद के बारे में जो भी सूचनायें दी गई है वह बहुत हद तक सही नहीं है। मैं एक स्पेसिफिक उदाहरण दादरी क्रय केन्द्र का देना चाहता हूँ । वहाँ 28 तारीख को श्री प्रताप सिंह गया तो उसको यह कहकर वापस कर दिया गया कि आपका गेहूं अच्छी क्वालिटी का नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने तो पहले ही कह दिया है कि जहाँ किसानों को वापस करने की सूचना मिलेगी वहाँ कार्यवाही की जायगी ।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 9 जिलों को छोड़कर सभी जगह गेहूँ की खरीद हो रही है तो क्या आजमगढ़ भी उसमें शामिल है ? वहाँ कब तक गेहूँ की खरीद प्रारम्भ कर दी जायगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

यह सही है कि आजमगढ़ में अभी गेहूँ नहीं खरीदा जा रहा है क्रय केन्द्र स्थापित हो चुके हैं जल्दी ही किसानों से गेहूँ खरीदा जायगा ।

* श्री रामकुमार एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो पी०सी०एफ० के क्रय केन्द्र खोलें गये हैं उनकी प्रत्येक की गेहूँ खरीदने की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित की गई हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, पीसीएफ की 6 लाख 50 हजार मीट्रिक टन गेहूँ खरीदने की सीमा निर्धारित की गई है । इनके क्रय केन्द्र की संख्या 2350 उसमें से 2161 क्रय केन्द्र स्थापित हो चुके हैं । गेहूँ की खरीद प्रगति में है । अभी तक प्रदेश में एक लाख दो हजार एक सौ अट्ठान्नवे मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा जा चुका है ।

श्री राम कुमार एडवोकेट–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि पीसीएफ के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर कितना लक्ष्य रखा गया है । देवरिया में पीसीएफ के एक केन्द्र पर 725 कुन्तल क्रय का लक्ष्य रखा गया है तो इस हिसाब से तो मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आंकड़े मिलान ही नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी केवल इतना बता दें कि क्रय केन्द्रों पर क्रय का कोई लक्ष्य निर्धारित हुआ है मात्रा के अनुसार ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अलग–अलग क्रय केन्द्रों का अलग–अलग लक्ष्य है । जनपदों का अलग है, पूरे प्रदेश का लक्ष्य अलग है ।

* श्री अम्बिका चौधरी –

माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में 25 तारीख को गेहूं क्रय किये जाने के संबंध में माननीय खाद्य मंत्री जी कुछ फिगर दे रहे थे ।

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा नहीं हो रही है सीधे प्रश्न करिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्बिका चौधरी –

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूँ। मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जहाँ कहीं गेहूँ क्रय करने में शिथिलता बरती गई है वहाँ पर कार्यवाही की जायेगी। पूर्वांचल में मिर्जापुर, आजमगढ़, वाराणसी मण्डल में गेहूँ की खरीद शून्य बताई। फैजाबाद में 13 मीट्रिक टन बताई। बाराबंकी, गोरखपुर और बस्ती मण्डल में नामिनल बताई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन जनपदों में 25 तारीख की शाम 5 बजे तक खरीददारी शून्य थी। उन जगहों पर तब से लेकर अब तक की खरीददारी की जो रिपोर्ट माननीय मंत्री जी के पास जनपदवार है कि किस जनपद में कितनी खरीद हो गई है, क्या यह सूचना सदन को देने की कृपा करेंगे और दूसरी बात यह कि जो इन्होंने आश्वासन दिया था सदन में कि उन लोगों को जो शिथिलता बरतेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? तो माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि कितने लोगों के विरुद्ध आपने कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष–

अभी तो पांचवाँ दिन हुआ है 25 तारीख के बाद। माननीय मंत्री जी यदि जानकारी हो तो आप दे दें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी प्रदेश के वाराणसी मिर्जापुर, गाजीपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, मऊ, बलिया जनपदों में गेहूँ की खरीद नहीं हुई है। इन जनपदों में गेहूं की खरीद शुरु हो इसके लिये क्रय केन्द्र खोल दिये गये हैं। अगर माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी जानकारी हो कि क्रय केन्द्र पर किसान अपना गेहूँ लेकर गया और वह क्रय नहीं किया गया, तो वे हमको इसकी जानकारी दे दें, हम इस पर कार्यवाही करवा लेंगे। जिन लोगों ने शिथिलता बरती होगी उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि प्रत्येक जनपद में खरीद हो रही है और खाद्य मंत्री जी कह रहे हैं कि पूर्वांचल के 8 जिलों में खरीद शून्य है। पूर्वांचल के जिलों के साथ इस तरह से दोगली बात यह सरकार कर रही है। 25 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि प्रत्येक जनपद में गेहूँ की खरीद हो रही है और खाद्य मंत्री जी ने उस दिन इन आठ जनपदों में खरीद शून्य बताई थी। यह सरकार की दोगली नीति ही नहीं, यह सरकार सदन में दो तरह की बातें कर रही है। इन दोनों बातों में क्या चीज सत्य है ?

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं हो रही है।

श्री अम्बिका चौधरी

[xxx]

[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

यह सब लिखा नहीं जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप खुद पूर्वांचल के हैं। संरक्षण नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। मान्यवर, यह सरकार पूर्वांचल के किसानों के साथ दोगला व्यवहार कर रही है। हम और हमारा दल सरकार की इस नीति के विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री अम्बिका चौधरी ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री रामललित चौधरी–

एक मिनट मान्यवर सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

25 तारीख को आधे घण्टे से ज्यादा चर्चा इसमें हो गई। एक प्रश्न में आधा घण्टा हो गया है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सरकार ने चर्चा में भी और इस प्रश्न के उत्तर में भी दो-तीन बातें स्पष्ट की हैं। सरकार की नीयत है कि किसानों का गेहूं खरीदा जाए। सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य तय किया है। सरकार की नीति और नीयत ठीक है नियोजन के बारे में जानकारी चाहता हूं। क्रय केन्द्रों पर जब तक आप यह सुनिश्चित नहीं करेंगे वहां का उत्पादन वहां का मण्डी भाव क्या चल रहा है ? जब तक यह तय नहीं करेंगे कि कितने क्षेत्र में कितना गेहूं उपलब्ध होने वाला है ? मैं जानना चाहता हूं नीयत भी ठीक है और नीति भी ठीक है फिर नियोजन ठीक कब तक करा देंगे ? ताकि सारे पैसे का सदुपयोग हो जाए, किसी क्रय केन्द्र से किसान वापस न जाए।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सरकार की नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है और नियोजन भी गड़बड़ नहीं है। 4600 क्रय केन्द्र का लक्ष्य रखा है। चार हजार 47 क्रय केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। आज यह क्रय केन्द्र चार हजार 232 हो गए हैं धीरे-धीरे क्रय केन्द्र खोले जा रहे हैं मैं डंग साहब को आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसान को निराश नहीं होना पड़ेगा। गत वर्ष 15.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, 20 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था।

श्री अजय कुमार पोइया–

मैं जानना चाहता हूं कि मथुरा प्रदेश में जिस प्रकार से आंकड़े पेश कर रहे हैं वह सही नहीं है मैं अपने जनपद क्षेत्र के बारे में जानना चाहता हूं मेरे क्षेत्र गोवर्धन मथुरा में एक धान की खरीद नहीं हुई है। लम्बी कतारें लगी हुई हैं। मैंने स्थानीय स्तर पर डी०एम० से शिकायत की लेकिन कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने कहा है कि जहां ऐसा है मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा मंत्री जी को आप लिखित सूचना दे दें।

श्री अजय कुमार पोइया–

एक बोरी, व्यापारी 510/–रुपये में ले रहे हैं और वही बोरी 610/–रुपये में हरियाणा को भेज रहे हैं इसमें क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसमें आवश्यक कार्यवाही करा लें ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट बैठ जाएं । सभी माननीय सदस्यों का मामला है एक आम राय बनी थी कि अल्पसूचित तारांकित में सामान्यतया पांच अनुपूरक और तारांकित प्रश्न में सामान्यतया तीन अनुपूरक प्रश्न होंगे । लेकिन प्रश्न की महत्ता को देखते हुए पांच–छः से अधिक अनुपूरक नहीं पूछे जायेंगे । तो एक प्रश्न में 35 मिनट लग गए और 25 मिनट बचे हैं, प्रश्न काफी हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि समय का ध्यान रखें ।

श्री रामललित चौधरी–

मान्यवर, धान की तरह गेहूं किसान भी मारा-मारा फिर रहा है । गेहूं के मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है । गेहूं किसान के भुगतान की सीमा बढ़ायी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने प्रश्न संख्या–3 पुकार लिया है अब आप बैठ जायें ।

श्री राम ललित चौधरी–

यह किसान विरोधी सरकार है । गेहूं के मूल्य का भुगतान नहीं करना चाहती है इसके विरोध में हम और हमारा दल इस सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री रामललित चौधरी अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल, पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति हेतु छोटे डीलरों को लाइसेन्स देने की रूपरेखा

*3–श्री गोरखनाथ पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल, पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये क्या छोटे डीलरों को लाइसेंस देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो प्रश्न संख्या–3 है इसमें प्रश्न पूछा गया है कि क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपया करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल, पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या छोटे डीलरों को लाइसेन्स देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा

क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और आपने उत्तर दिया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। प्रश्न भी है और उत्तर में सरकार ने प्रश्न पूछा है तो सरकार तो आप हैं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपका कथन सही है। मैं स्वयं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इस प्रश्न को स्थगित कर देते हैं।

तारांकित प्रश्न

नौकरशाही से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने हेतु कार्य योजना

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नौकरशाही से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

शासन स्वच्छ एवं प्रभावी प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यकतानुसार समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं। लोक सेवाओं से भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं भ्रष्ट लोक सेवकों को दण्डित किये जाने की व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं भारतीय दण्ड संहिता में पहले से ही विद्यमान है। शासकीय कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 एवं उत्तर प्रदेश अनुशासनिक जांच एवं अपील नियमावली, 1999 भी प्रवृत्त है।

लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होने पर उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जाती है। प्रशासन में भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं विभागीय सतर्कता को और सुदृढ़ किए जाने हेतु हाल ही में शासन के प्रत्येक विभाग, सार्वजनिक निगम आदि के शीर्षस्थ अधिकारी को मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया गया है। सतर्कता कार्य से जुड़ी संस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उन्हें अतिरिक्त धनराशि भी आवंटित की गई है।

जनता को स्वच्छ एवं प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराने हेतु एक समग्र रणनीति भी तैयार की गई है, ताकि सरकार की सोच के विषय में प्रसार किया जा सके।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा कम्प्यूटराइज्ड स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स जारी करने हेतु विश्वसनीय फार्मों की निविदाओं पर विचार

*2–श्री राम नरेश यादव (अनुपस्थित)

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि शासन की स्वीकृति नीति के अनुरूप परिवहन विभाग द्वारा कम्प्यूटराइज्ड स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स जारी करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा जनवरी, 2000 में आमंत्रित निविदाओं को शासन स्तर से निरस्त करने के बाद माह अक्टूबर, 2000 में पुनः निविदायें आमंत्रित की

गयी हैं ? क्या यह सही है कि प्राप्त निविदाओं में ऐसी निविदाओं को भी टेक्नीकल परीक्षण में सम्मिलित किया गया है जो निविदा अभिलेखों की गोपनीयता सुनिश्चित करते हेतु अपना साफ्टवेयर/सिस्टम होने एवं अविलम्ब स्मार्ट कार्ड जारी करने में सक्षम होने की शर्तों को पूरा नहीं करती है तथा मांगें गये सिस्टम की सिक्योरिटी फीचर्स की शर्तों को भी पूरा नहीं करती है ? क्या ऐसी फर्म्स निविदाओं को अस्वीकार कर केवल विश्वसनीय एवं सक्षम फर्मों की निविदाओं पर ही विभागीय स्तर पर विचार करने हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

जी हां ।

मामला परिवहन आयुक्त के विचाराधीन है और उनके द्वारा परीक्षण किया जा रहा है ।

विभागीय स्तर पर विचार का आधार ही यही है कि उन्हीं फर्मों की निविदाओं पर विचार किया जाये जो विश्वसनीय हो एवं कार्य करने में सक्षम हों ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

प्रदेश में किसानों को धान की उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु क्रय केन्द्रों की व्यवस्था

*3–श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष प्रदेश में धान का अभूतपूर्व उत्पादन हुआ है जिसके कारण बाजार और मंडियों में धान का क्रय मूल्य गिरता जा रहा है और सरकारी क्रय केन्द्रों पर खरीद की समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसान के सम्पूर्ण धान को खरीदने की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । वस्तु स्थिति वह नहीं है जो माननीय सदस्य ने इंगित की है ।

कृषि विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2000-2001 में धान का उत्पादन 168.34 लाख मी० टन हुआ है, जबकि विगत वर्ष 1999-2000 में 195.47 लाख मी० टन हुआ था । गत वर्ष की तुलना में धान का उत्पादन 13 प्रतिशत कम है । किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो, इस हेतु राज्य सरकार की ओर से 1605 धान क्रय केन्द्र खोले गये, जबकि विगत वर्ष 1726 धान क्रय केन्द्र खोले गये थे और धान क्रय के निर्धारित लक्ष्य 3 लाख मी० टन के सापेक्ष कुल 5,40,179 मी० टन धान की खरीद की गई । किसानों के हित में राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से भारत सरकार द्वारा धान की गुण-विनिर्दिष्टियों में छूट देते हुए क्षतिग्रस्त दानों का मानक 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया गया और रिकवरी सेल्हा चावल के लिए 68 प्रतिशत के स्थान पर 65 प्रतिशत तथा अरवा चावल के लिए 67 प्रतिशत से घटाकर 64 प्रतिशत की गई है । कृषकों के हित में राज्य सरकार द्वारा धान में अनुमन्य नमी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत की गई । कस्टम मिल्ड चावल में टूटन 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तथा क्षतिग्रस्त दानों का मानक 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया गया । पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अरवा चावल के लिए निर्धारित रिकवरी 64 प्रतिशत से घटाकर 62 प्रतिशत अनुमन्य की गई, जिसके कारण बाजार और मण्डियों में धान के भाव में वृद्धि हुई और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हुआ ।

निर्धारित गुण-विनिर्दिष्टियों के अनुरूप धान की आवक क्रय केन्द्रों पर होने पर क्रय की व्यवस्था रहती है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है इस वर्ष इसलिए धान का मूल्य गिरा है । मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि जो धान के क्रय केन्द्र थे और बाजार मूल्य थे उनमें क्या फर्क था ? सरकार ने पूरे क्रय केन्द्र पर धन की व्यवस्था नहीं की थी इसलिए खरीद प्रभावित हुई और किसानों को घाटा उठाना पड़ा । तो क्या खरीद केन्द्रों पर धन की व्यवस्था की थी और कितना धान खरीद केन्द्रों ने खरीदा ? धान वापस होने पर किसानों को किस तरह से छटनी के नाम पर बर्बाद किया गया क्या इसकी जानकारी उनको है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका है कि गत वर्ष धान की रिकार्ड खरीद हुई तो इसकी मंशा यह नहीं है । माननीय वर्मा जी ने प्रश्न पूछा कि इस वर्ष प्रदेश में धान का अभूतपूर्व उत्पादन हुआ है तो उसके सापेक्ष में मैंने बताया कि यह अभूतपूर्व नहीं है । धान का उत्पादन 168.34 लाख मीट्रिक टन हुआ । जहां तक क्रय केन्द्र पर धन की व्यवस्था की बात है तो सभी केन्द्रों में धन की व्यवस्था की गयी थी और धान की खरीद करने का पूरा प्रयास हुआ है । किसानों को लाभ मिले इसके लिए सुविधाएं दी गयी । जैसे धान की नमी में 18 प्रतिशत के स्थान पर 21 प्रतिशत किया गया । हमने कई रियायतें दीं । इस तरह से धान की खरीद हुई और उसका लाभ हुआ ।

मान्यवर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि धान की खरीद इतनी बड़ी मात्रा में नहीं की जाती तो किसानों को बाजार में बहुत कम कीमत मिलती । बाजार में 300 रुपये से अधिक कीमत न मिलती । हम लोगों ने किसानों की पूरी मदद करने का प्रयास किया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आपका मंत्री जी का एक बयान छपा कि धान की अभूतपूर्व पैदावार होने की वजह से यह कमी पैदा हुई । जो अपने नमी में छूट का प्राविधान किया है जब तक वह जी०ओ० खरीद केन्द्र पर पहुंचता किसान अपना धान लेकर वापस चला गया क्योंकि तब तक वह जी०ओ० नहीं पहुंचा तो जी०ओ० के जाने से जो देरी हुई उससे जो किसानों का नुकसान हुआ है क्या उसकी भरपाई कर पायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, क्रय केन्द्र पर मानक के आधार पर क्रय किया गया जो मानक में नहीं आता था नहीं क्रय किया गया । जो किसान मानक से कम का धान लाये हों वह न खरीदा गया हो ऐसा कुछ मामलों में हो सकता है हुआ हो ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जो नमी पर छूट दी उसका जी०ओ० खरीद केन्द्रों पर कितने दिनों बाद पहुंचा और जिस कारण किसानों का धान नहीं लिया गया आपने जो यह उत्तर पढ़ा इसके मुताबिक तो व्यवस्था नहीं हो पायी तो इस नुकसान की भरपाई की बाबत मैं जानना चाहता हूं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, विभिन्न अवसरों पर भारत सरकार से चर्चा हुई और अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग सुविधायें हम प्राप्त करने में सफल हुए । जब वह सफलता मिली किसानों के हित में हमने तुरन्त जिलाधिकारियों को और क्रय केन्द्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया । इस बीच कुछ किसानों को कठिनाई हुई होगी, वह रुक सकते थे बाद में बेच सकते थे । हमने पूरा प्रयास किया किसानों की मदद करने का और आगे भी मदद करेंगे ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, महाराजगंज जनपद में एक करोड़ से ज्यादा का धान बिका किसानों का मूल्य आज भी बकाया है । उनका धान तो क्रय कर लिया गया लेकिन भुगतान आज तक नहीं कराया गया ।

मान्यवर, क्या जो बकाया मूल्य किसानों का है उसका भुगतान कब तक यह सरकार सुनिश्चित करायेगी कोई निश्चित तिथि बताने का कष्ट करें ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्रीमन्, शीघ्रातिशीघ्र धान के मूल्य का जो बकाया है उसका भुगतान करा दिया जायेगा । वैसे मैंने प्रयास किया कि 15 दिन के अन्दर हो जाये लेकिन उसे अतिशीघ्र कराने का प्रयास है ।

श्री रामललित चौधरी–

मान्यवर, हमारे संत कबीर नगर में डीगरापीर और सिमराया में जो किसान का धान खरीदा गया उसमें फर्जी चेक दे दिये गये और ऐसे किसानों को धान जिन्होंने बेचा नहीं, उनको असली चेक दे दिया गया तो जिन किसानों को पैसा नहीं मिला है धान बेचने के बाद उनके भुगतान की व्यवस्था कब तक सुनिश्चित करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सम्मानित सदस्य को जानकारी दे चुका हूं कि मैं इसे दिखलवा रहा हूं ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, कोई निश्चित तिथि बता दें ।

प्रदेश में व्यापार कर बकायेदारों व व्यापरियों से कर वसूली हेतु कार्य योजना

*4–श्री राम औतार शाक्य–(अनुपस्थित)

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में व्यापार कर के बीस सबसे बड़े बकायेदार व्यापारी कौन हैं ? क्या सरकार इन बकायेदारों से कर की वसूली हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

सूची संलग्न है ।

इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के कारण किसी विशेष कार्य योजना की आवश्यकता नहीं है ।

(सूची हेतु देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 175 पर ।)

प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा सरकारी गाड़ियों पर लाल बत्ती का अनधिकृत प्रयोग करने के विरुद्ध कार्यवाही

*5–श्री फरीद महफूज किदवई–(अनुपस्थित)

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला पंचायत के अध्यक्ष अपनी सरकारी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने के लिये अधिकृत हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसका प्रयोग रोकने की कार्यवाही करने के लिये जिलाधिकारियों को निर्देशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

लाल बत्ती का प्रयोग करने हेतु अधिकृत शासनादेश की प्रतियां ही अन्य के अतिरिक्त समस्त जिलाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा चुकी है । इसके अतिरिक्त समय-समय पर लाल बत्ती का अनधिकृत रूप से प्रयोग करने के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया जाता रहा है ।

प्रदेश के कैदियों के भोजन वितरण में अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*6–डा० धर्मज्ञ मिश्र–(अनुपस्थित)

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के पूर्व कारागार निदेशक श्री श्रीकृष्ण की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार कैदियों के भोजन के वितरण में हो रही अनियमितता को रोकने हेतु प्रदेश के समस्त जेल अधीक्षकों को निदेशित किया गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

जी हां । तत्कालीन महानिरीक्षक कारागार द्वारा प्रदेश के समस्त वरिष्ठ कारागार अधीक्षकों/कारागार अधीक्षकों को अर्द्ध शा० परिपत्र संख्या–6551–6618/सामा–2, दिनांक 19 फरवरी, 2000 भेजकर निर्देश दिये गये कि वे यह सुनिश्चित करें कि पूरा राशन भोजनालयों में उपलब्ध कराया जाय और निर्धारित मात्रा में बन्दियों को खाना वितरित किया जाय ।

उक्त निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के उद्देश्य से समय-समय पर महानिरीक्षक कारागार, परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार तथा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी कारागारों में भोजन व्यवस्था का निरीक्षण किया गया तथा उनकी निरीक्षण आख्याओं के परिपेक्ष्य में भोजन व्यवस्था में पायी गयी अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में कैदियों को उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में करोड़ों रुपये की हेराफेरी विषयक पूर्व कारागार महानिरीक्षक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*7–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कैदियों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में सालाना करोड़ों रुपये की हेराफेरी के संबंध में पूर्व कारागार महानिरीक्षक का अर्द्ध शा० पत्र

संख्या 6551-6618/सामा–2 दिनांक 19 फरवरी, 2000 की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो क्या इसके संबंध में सरकार ने कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो उस पर प्रभावी रोक हेतु सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

कारागारों में भोजन व्यवस्था में अनियमिताओं की प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से पूर्व कारागार महानिरीक्षक द्वारा प्रदेश के समस्त वरिष्ठ कारागार अधीक्षकों/कारागार अधीक्षकों को अर्द्ध शा० परिपत्र संख्या–6551–6618/सामा–2, दिनांक 19 फरवरी, 2000 भेजकर निर्देश दिये गये कि वे यह सुनिश्चित करें कि पूरा राशन भोजनालयों में उपलब्ध कराया जाय और निर्धारित मात्रा में बन्दियों को खाना वितरित किया जाय ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कारागारों में समुचित भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-समय पर महानिरीक्षक कारागार, परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार तथा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी कारागारों में भोजन व्यवस्था का निरीक्षण किया गया तथा उनकी निरीक्षण आख्याओं के परिप्रेक्ष्य में भोजन व्यवस्था में पायी गयी अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

*श्री श्यामदेव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि जेलों में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियाँ और भ्रष्टाचार व्याप्त है हम लोगों को भी यदाकदा जेलों में जाने का अवसर मिला है , सभी माननीय सदस्यों जो जेल गये हैं उनको जानकारी होंगी, मान्यवर मैंने देखा है कि जेलों में विशेषकर जो भोजन दिया जाता है उसकी जो क्वालिटी है और मात्रा है उसमें जो अधिकारी वर्ग हैं वह हेराफेरी करते हैं और कैदियों का पेट काटकर अपना पेट भरने का कांम करते हैं । इस संदर्भ में कारागार महानिरीक्षक महोदय ने अपना सुझाव दिया था और कुछ गड़बड़ियों की तरफ इशारा किया था और सरकार से अपेक्षा की थी कि उनकी रोकथाम के लिए कोई कारगर व्यवस्था की जाये और इसी पर मैंने प्रश्न किया था लेकिन बहुत दुःख है कि जो प्रश्न का उत्तर दिया गया उसमें एक जगह पर ''जी नहीं '' और दूसरी जगह पर ''प्रश्न नहीं उठता '' हमारे प्रश्न को करने का औचित्य यह था कि सरकार इसका संज्ञान लेगी और जो कैदियों का पेट काटकर बड़े लोग पेट भर रहे हैं उस पर रोकथाम की व्यवस्था की जायेगी तो मंत्री जी ने कहीं पर यह नहीं बताया है कि कौन सी व्यवस्था अपनायी गयी है कि भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ियां नहीं की जायेगी और कैदियों को सही क्वालिटी का भोजन प्राप्त हो सकेगा । आपने अपने उत्तर में अन्त में कहा है कि निरीक्षण किया गया और निरीक्षण आख्याओं के परिप्रेक्ष्य में उचित कदम उठाये गये । मान्यवर, जो कैदी होते हैं उनकी यह हिम्मत होती है कि वह शिकायत करेंगे अगर स्वमोटो सरकार अपनी नेकनीयती से इस प्रकार की व्यवस्था नहीं अपनाती कि गड़बड़ियां आगे न हो । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि एक तो आपने अन्त में कहा कि आपने कोई व्यवस्था नहीं अपनाई है यह एक भयंकर गड़बड़ी है ।

श्री अध्यक्ष–

यह कहाँ कहा है ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने प्रदेश के कितने जेलों के अन्दर और कहाँ पर इस प्रकार की जाँच कराई और क्या जाँच की कोई समय सीमा निर्धारित है, कितने लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित की है और जाँच कराई है तो कितने लोगों के विरुद्ध किस स्तर के अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

* श्री हुकुम सिंह–

श्रीमन् उत्तर का जो अंतिम भाग है , उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि कौन–कौन अधिकारी जाँच करते हैं किन-किन अधिकारियों द्वारा समय–समय पर जाँच की जाती रही है . इसकी एक निर्धारित व्यवस्था है जिला स्तर पर टीम का गठन है, जिलाधिकारी जिला जज, पुलिस अधीक्षक उसके सदस्य हैं, वह हर 3 महीने में जेल में जाँच करेंगे । चीप जुडीशियल मजिस्ट्रेट जो हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह हर महीने जेल का निरीक्षण करेंगे । इसके अलावा जेल के उच्चाधिकारी जैसे महानिरीक्षक हैं, डी०आई०जी० अथवा उनसे नीचे के अधिकारी हों, या माननीय मंत्री जी हों, वह जाकर जाँच करते रहते हैं । मेरे पास सूची हैं, मैं उसे पढ़कर सुना देता हूँ कि किस–किस तारीख में कहाँ–कहाँ निरीक्षण किया गया । एक पत्र विशेष का उल्लेख किया गया, उस पत्र विशेष में कोई जाँच की माँग नहीं की गई, उन्होंने 3 जेलों का 4 बार निरीक्षण किया । दो बार लखनऊ जेल का, एक बार फतेहगढ़ जेल का और एक बार नैनी जेल का । अन्तिम बार जब लखनऊ जेल का निरीक्षण किया था, उसमें उन्होंने पाया कि जो व्यवस्था भोजन की होनी चाहिये, वह ठीक नहीं है । उस पर उन्होंने पत्र लिखा और यह अपेक्षा की कि व्यवस्था को ठीक करें, यह पत्र उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को लिखा था ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

आपने बताया कि आपके पास जानकारी है कि कब–कब कहाँ–कहाँ जाँच की गई, मैं यह जानना चाहता हूँ कि किन–किन अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई, उनकी संख्या कितनी है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी सूचना उपलब्ध है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरे पास उपलब्ध है, मैं 1998 से शुरु करता हूँ । ऐसे अधिकारियों की संख्या 7 है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, एक अंतिम प्रश्न करना चाहता हूँ । माननीय मंत्री जी ने 7 संख्या बताई । पूरे प्रदेश में जेलों की संख्या और उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुये अगर रेशिओं निकाला जाय तो यह बात समझ में नहीं आती । मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप कोई ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाइये ताकि प्रदेश की समस्त जेलों के अन्दर जो जेल मैनुअल के अनुसार व्यवस्था है, उसके अनुरूप वहां समुचित भोजन, उच्च क्वालिटी का मिले, ऐसी व्यवस्था आप सुनिश्चित करें । केवल 7 के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, यदि जेलों की संख्या 100 मान ली जाय तो बाकी 93 सब दूध के धोये हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कार्यवाही करने का एक प्रोसेस होता है । 7 तो ऐसे हैं, जिनको दंडित किया जा चुका है । बाकी ऐसे हैं जिनको नोटिस दी गई है, स्पष्टीकरण मांगे हुये हैं, जांच चल रही है । माननीय सदस्य की चिन्ता सही है, इसमें कोई प्रतिवाद करने की बात नहीं है कि जेलों में भोजन की व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं में सुधार की गुंजाइश है । आपका सुझाव आया है, वैसे जेल में रहने का सौभाग्य सभी को प्राप्त हुआ है और सब वहाँ से परिचित हैं ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने कहा कि जेल जाने का सौभाग्य सभी को प्राप्त हो चुका है, जेल यात्रा हुई है । मान्यवर, जब जेल में रहते हैं उस समय तो विचार होता है कि हर चीज की व्यवस्था होनी चाहिये सफाई रहनी चाहिये, खाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये, मिलाई की ठीक व्यवस्था होनी चाहिये लेकिन जब बाहर आते हैं तो यह भूल जाते हैं कि नम्बर फिर लगेगा । आज भी मिलाई में भ्रष्टाचार है । जेल का सामान बाहर बिकता है, क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

*श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मैं जानना चाहती हूं कि गोरखपुर में जो महिला बैरिक है, बरसात के मौसम में वहां जब कभी मौका मिलता है, कैदियों से मिलने जाना पड़ता है, वह बैरिक इतनी जर्जर हो गई है...

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न केवल जेल की भोजन व्यवस्था से संबंधित है ।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, हम भोजन पर भी आ रहे हैं । मान्यवर, जैसा हमारे विधायक जी ने अभी कहा है, खाना देखने को मिलता है जो खाना कैदियों को मिलता है उसे जानवर भी नहीं खा सकते । ऐसी छांट-छांट कर सब्जी, ऐसी रोटी, इतनी बड़ी-बड़ी काली-काली दाल तो देखने लायक नहीं होती । कैदियों का खाना हम लोगों ने निरीक्षण करके देखा है, उसे जानवर भी नहीं खा सकते । जो अधिकारी कैदियों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । जो महिला कैदी हैं जो जानवरों जैसा जीवनयापन कर रही हैं, उनका बैरिक तो ठीक होना चाहिये । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो खाना कैदियों को दिया जा रहा है जिसे जानवर भी नहीं खा सकते क्या कैदियों के लिये खाने की अच्छी व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह आ गया है । इसकी समय-समय पर जांच होती है ।

प्रदेश में दस्यु प्रभावित जनपदों में शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराने के निर्देश

*8–श्री श्रीराम पाल–(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के दस्यु प्रभावित जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेन्स उपलब्ध कराये जाने की सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या जनपद जालौन के विभिन्न थाना क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लम्बित पड़े शस्त्र लाइसेन्स आवेदन पर प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेन्स निर्गत किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

यह दस्यु प्रभावित सभी 12 जनपदों में जनपद स्तर पर सर्वेक्षणोपरान्त विशिष्ट रूप से प्रभावित क्षेत्रों को चिह्नित करके वहां के निवासियों को, उक्त क्षेत्र की आवश्यकतानुसार आंकलित संख्या में उनके द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अथवा उनके लम्बित शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार विचार करके उनका शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश समस्त संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को प्रसारित किये गये हैं।

इस संबंध में पर्याप्त निर्देश, जिनका विवरण ऊपर अंकित है प्रसारित किये जा चुके हैं, जिसके अतिरिक्त प्रश्नगत आवेदन-पत्रों के निस्तारण हेतु कोई सुनिश्चित समयावधि निर्धारित करना संभव नहीं है।

शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों पर अंतिम निर्णय लेने हेतु केन्द्रीय विधानों (आयुध अधिनिमय एवं नियमावली) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेटों को लाइसेंसिंग प्राधिकारी निर्दिष्ट किया गया है जिनके द्वारा की जाने वाली अर्ध न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नियमानुकूल न होगा।

*9–डा० ज्ञानवती सिंह–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों के राशन दुकानदारों का वितरण रजिस्टर के अनुसार मिलान कर भौतिक सत्यापन कराये जाने की मांग

*10–श्री संजय गर्ग–(अनुपस्थित)

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु लाइसेंस दिये जाने की नीति एवं नियम क्या हैं ? क्या यह सही है कि ग्रामीण अंचलों में राशन दुकानदारों द्वारा कई-कई महीनों तक मिट्टी के तेल, चीनी, आदि का वितरण नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार उपभोक्ताओं के राशन की दुकानदार के वितरण रजिस्टर का मिलान कराकर निर्धारित भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र की राशन की दुकानों का चयन गठित चयन समिति के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित अनिवार्य अर्हताओं एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुये निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार किये जाने का प्राविधान है तथा ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकानों का चयन उक्त अनिवार्य अर्हताओं एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुये निर्धारित पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में प्रस्ताव पास करके किये जाने का प्राविधान है।

ग्रामीण अंचलों में राशन की दुकानों के माध्यम से मिट्टी के तेल चीनी आदि का वितरण सुचारु रूप से किया जा रहा है।

संबंधित पूर्ति निरीक्षक द्वारा दुकान के रजिस्टर का सत्यापन किये जाने तथा ग्राम प्रधान एवं लेखपाल द्वारा वितरण प्रमाण-पत्र दिये जाने के उपरान्त ही दुकानदार को अगले माह की राशन सामग्री दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अवैध आग्नेय अस्त्रों के निर्माण एवं प्रचलन पर प्रभावी नियंत्रण की मांग

*11–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवैध आग्नेय अस्त्रों के निर्माण एवं प्रचलन को कारगर ढंग से रोकने हेतु कोई कदम उठाया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

अपराधियों पर अंकुश तथा अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ रखने हेतु अवैध अस्त्रों के निर्माण एवं उनके प्रचलन पर नियंत्रण एवं पता लगाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करना जिला पुलिस की दैनिक कार्यवाही का एक प्रमुख अंग है । इसके अतिरिक्त अवैध शस्त्रों के निर्माण एवं प्रचलन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु समय-समय पर पूरे प्रदेश में एक साथ अभियान भी चलाया जाता है ।

*श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका उत्तर देखने का कष्ट करें, कितने हल्के ढंग से इसका उत्तर दिया गया है । श्रीमन्, अवैध अस्त्रों और अपराध का सीधा-सीधा सम्बन्ध है । उत्तर में हुआ है कि पुलिस की दैनिक कार्यवाही का प्रमुख अंग है । अगर यह बात सभी के संज्ञान में है तो इतने बड़े जखीरे प्रदेश में अवैध अस्त्रों के बरामद हो रहे हैं यदि यह दैनिक कार्यवाही का अंग है तो इतने बड़े जखीरे बरामद नहीं होने चाहिये । मान्यवर, दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि जो समय-समय पर प्रदेश में एक साथ अभियान चलाया जाता है और इन अभियानों में पुलिस द्वारा जो नम्बर–8 में दर्ज अपराधी होते हैं उन्हीं का चालान कर दिया जाता है । मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि क्या कोई विशेष अभियान या कोई प्रभावी कदम उठायें ताकि जो अवैध अस्त्रों की बरामदगी हो रही है उनका निर्माण हो रहा है, उसको रोका जा सके ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें अपराधियों की धर-पकड़ हेतु 16 अक्टूबर, 2000 से 15 नवम्बर, 2000 तक तथा 1 दिसम्बर, 2000 से 31 दिसम्बर, 2000 तक अभियान चलाया गया जिसमें 7876 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये । 12 राइफल फैक्ट्री 225 बन्दूक फैक्ट्री में केवल निर्मित पकड़ी गई । 842 देशी पिस्टल और 9667 कारतूस पकड़े गये । गिरफ्तार करके उनके 5 ग्रेनेड, 145 देशी बम और 425 कुल बारूद के साथ गिरफ्तार करके 285 शस्त्र बनाने के सामान बरामद किये गये ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

एक तो सतत् प्रक्रिया चलती है । एक अत्याचार पर अंकुश स्पेशल अभियान द्वारा चलाया जाता है और अभी भी प्रदेश में 3524 अभियोजन पंजीकृत किये गये हैं ।

मा० अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है ।

नोट :–नत्थी "ग" के तारांकित प्रश्न संख्या–11 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में ईमानदार अधिकारियों/कर्मचारियों को संरक्षण देने की योजना

*12–श्री हरदेव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भ्रष्टाचार को रोकने एवं ईमानदार अधिकारियों/कर्मचारियों को संरक्षण देने तथा उनको उत्साहित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

भ्रष्टाचार को रोकने एवं भ्रष्ट लोक सेवकों को दण्डित किये जाने की व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं भारतीय दण्ड संहिता में पूर्व से ही विद्यमान है । सरकारी कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 एवं उ०प्र० अनुशासनिक जांच एवं अपील नियमावली, 1999 भी प्रवृत्त हैं ।

लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध यथा समय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है । अभी हाल में प्रशासन में भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने हेतु सतर्कता विभाग के शासनादेश सं०: 272/39-4-2001, दिनांक 02 फरवरी, 2001 द्वारा शासन के समस्त विभागों/उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रमुखों को मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया गया है ।

राज्य में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार को रोकना एवं प्रारम्भिक स्तर पर ही इनके उन्मूलन में सहयोग करना उनका कर्तव्य है । अधिकारियों/कर्मचारियों की योग्यता व ख्याति को ध्यान में रखा जाता है । अधिकारियों/कर्मचारियों को विशिष्ट योगदान देने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य पुरस्कार योजना भी बनाई गई है ।

*13–श्री बनवारी लाल दोहरे–

(3सरे मंगल में ता० प्र० सं०–15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ हेतु वित्तीय सुधार नीति बनाने तथा कथित भुगतान रोकने की जानकारी

*14–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है । यदि हां, तो वह क्या है ? क्या इस कार्य योजना से आर्थिक स्थित बेहतर हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 2000-2001 में प्रदेश कितने बार और कितने दिन ओवर ड्राफ्ट में रहा है ? कितनी बार और कितने दिन टेजरी से 10 लाख रु० से ऊपर तथा दस लाख से नीचे के भुगतान पर रोक लगी रही है ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी')–

जी हां । सरकार द्वारा वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु मध्यकालीन वित्तीय सुधार नीति बनाई गई है, जिसे वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक द्वारा विधायिका के समक्ष प्रस्तुत भी किया जा चुका है ।

जी हां । इस नीति के अन्तर्गत राजस्व वृद्धि हेतु कर एवं करेत्तर राजस्व के ढ़ांचे का अभिनवीकरण व्यय की प्राथमिकताओं का पुनर्निधारण, व्यय प्रबन्धन में सुधार तथा वित्तीय प्रबन्ध एवं उत्तरदायित्व व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण सम्मिलित है । इस सुधार नीति के क्रियान्वयन से वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2000–2001 में प्रदेश का खाता 24 बार तथा 228 दिन ओवरड्राफ्ट में रहा ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार रुपये 10 लाख के ऊपर के भुगतानों पर रोक नहीं रही । उदाहरण स्वरूप कतिपय मदें निम्नवत् उल्लिखित है :–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भुगतान, खाद्य एवं रसद विभाग के द्वारा गेहूं, धान, चावल तथा बोरों आदि के क्रय संबंधी भुगतान, केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं, आयोजनागत कार्यक्रमों/योजनाओं, वाह्य सहायतित योजनाओं, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगरीय निकायों तथा ग्राम्य पंचायतों को अन्तरित धनराशि का भुगतान, राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के बिलों का भुगतान, जेल एवं चिकित्सालयों में भोजन व्यय संबंधी भुगतान, कुम्भ मेले से संबंधित भुगतान, छात्रवृत्तियों का भुगतान, जनगणना संबंधी समस्त भुगतान, विधायक निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का भुगतान, राज्य की असन्तुलित वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य मदों के भुगतान को समय-समय पर नियंत्रित करना पड़ा ।

रुपये 10 लाख के नीचे के भुगतान सामान्यतया वर्ष भर खुले रहे । ओवरड्राफ्ट की स्थिति आने पर ही गैर प्राथमिकता क्षेत्र के आयोजनेत्तर पक्ष के भुगतानों पर रोक लगाई गई तथा ओवरड्राफ्ट की स्थिति समाप्त होने पर इन भुगतानों पर से आवश्यकतानुसार प्रतिबन्ध हटाये गये ।

वित्तीय वर्ष 2000–2001 में केवल दो बार, दिनांक 27 जून, से 30 जून, 2000 तथा 14 एवं 15 फरवरी, 2001 को सम्पूर्ण भुगतान पर रोक रही है ।

प्रदेश में पुरुष/महिला कान्सटेबिल पदों की संख्या

*15–श्री विजय पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने पुरुष/महिला कांस्टेबिल के पद सृजित हैं ? क्या सृजित सभी पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार महिला/पुरुष कांस्टेबिल की भर्ती करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रदेश में पुरुष कांस्टेबिल के 91,958 तथा महिला कांस्टेबिल के 1541 पद कुल 93499 पद सृजित हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में वाहन चलाने हेतु ड्राइविंग लाइसेंस के लिये न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा

*16–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वाहन चलाने हेतु ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किये जाने के मानक क्या हैं ? क्या यह सही है कि प्रदेश में छात्र, छात्राओं, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है उन्हें भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इस कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है ? यदि हां तो क्या सरकार ने 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं को दुपहिया वाहन न चलाने हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 3 एवं 4 में मोटर ड्राइविंग लाइसेंस हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है जिसके अनुसार बिना गियर की मोटर साइकिल चलाने के लिये कम से कम 16 वर्ष

तथा अन्य निजी वाहनों के लिये 18 वर्ष की एवं व्यवसायिक परिवहन वाहन के लिये 20 वर्ष आयुसीमा का होना आवश्यक है जिसके लिये आयु का निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है । सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस हेतु यातायात नियमों की सामान्य लिखित परीक्षा तत्पश्चात् निजी लाइसेंस हेतु कम से कम एक माह बाद स्थाई लाइसेंस हेतु व्यवहारिक परीक्षा उत्तीर्ण करके लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है जबकि परिवहन (व्यवसायिक) लाइसेंस हेतु किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिग प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ता है ।

जी हां । यह सही है कि उक्त व्यस्थानुसार जिन छात्र छात्राओं की आयु कम से कम 16 वर्ष की हो गई है उन्हें आयु प्रमाण-पत्र के आधार पर बिना गियर की मोटर साइकिल चलाने हेतु ड्राइविंग लाइसेंस उक्त नियम के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं । इस प्रकार 16 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं ।

दुर्घटनाओं के कारणों की सूचना आयु सहित परिवहन विभाग द्वारा एकत्र नहीं की जाती ।

परिवहन विभाग में प्रवर्तन कार्य हेतु 77 प्रवर्तन दलों द्वारा परिवहन कानूनों एवं नियमों के उल्लंघन की चेकिंग बराबर की जा रही है और चालक स्तर के उल्लंघनों के भी चालान किये जाते हैं ।

प्रत्येक वर्ष के प्रथम सप्ताह में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है जिसमें यातायात नियमों की जानकारी, सुरक्षित ड्राइविंग करने एवं दुर्घटना से बचने हेतु सचेत करने के नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार पोस्टर, पम्पलेट निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविरों का आयोजन सेमिनार परिवहन चित्रकला प्रदर्शनी, लाउड स्पीकर आदि के माध्यम से वाहन चालकों को विभिन्न जानकारियां प्रदान की जाती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में किसानों के धान की पैदावार को समर्थन मूल्य पर खरीदने की योजना

*17–श्री राम ललित चौधरी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार किसानों द्वारा उत्पादित सम्पूर्ण धान की पैदावार को समर्थन मूल्य पर खरीदने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत धान की खरीद की जाती है ।

रूपरेखा तैयार करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

किसानों के सम्पूर्ण धान की खरीद व्यवहारिक नहीं है ।

प्रदेश में चल रही विश्व बैंक तथा वाह्य सहायतित योजनाओं का आडिट कराने वाली संस्था तथा इसका प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखने की जानकारी

*18—डा० सरजीत सिंह डंग–

*18–क्या संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चल रही विश्व बैंक तथा वाह्य सहायतित योजनाओं का आडिट होता है ? यदि हां, तो यह आडिट किस संस्था द्वारा किया जाता है ? क्या यह आडिट रिपोर्ट सदन अथवा सदन की किसी समिति के समक्ष परीक्षण तथा प्रतिवेदन के लिये रखी जाती है ? यदि हां, तो इस प्रकार की कितनी रिपोर्ट सदन में पिछले तीन वर्षों में रखी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्या उक्त योजनाओं के धन

का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये किसी संस्था द्वारा आडिट कराने पर विचार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, उ० प्र० द्वारा लेखा परीक्षण किया जाता है ।

आडिट रिपोर्ट विधान सभा/विधान परिषद् के पटल पर रखी जाती है तथा लोक लेखा समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रतिवेदन पर विचार किया जाता है ।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष (1998-99) के प्रतिवेदन, वित्त लेखे, विनियोग लेखे विधान सभा/विधान परिषद् के पटल पर प्रकाशित घोषित किये जा चुके हैं । भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष (वर्ष 1999-2000) के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे विधान सभा/विधान परिषद् के पटल पर रखे गये थे तथा प्रकाशित घोषित किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पुलिस प्रशासन के उत्कृष्ट कर्मियों को छांटकर एक आधुनिक स्मार्ट पुलिस व्यवस्था/पुलिस ऐक्ट 1861 को समाप्त करने के प्रकरण की जानकारी

*19—श्री रमेश राही–

क्या सरकार पुलिस प्रशासन के उत्कृष्ट कर्मियों को छांटकर एक आधुनिक स्मार्ट पुलिस व्यवस्था बनाये जाने पर विचार कर रही है ? क्या सरकार पुलिस ऐक्ट 1861 को भी समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

इसका औचित्य प्रतीत नहीं होता ।

गोरखपुर/देवरिया रेन्ज के लगभग 300 पुलिस कर्मियों द्वारा बिहार प्रान्त के सिवान जनपद के ग्राम प्रतापपुर में पुलिस फायरिंग/गोष्ठी में जाने की अनुमति का प्रकरण

*20—श्री मुराद लारी तथा श्री मुख्तार अन्सारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रेन्ज एवं देवरिया के लगभग 300 पुलिस कर्मियों द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2001 को बिहार प्रान्त के सिवान जनपद के ग्राम प्रतापपुर में अन्धाधुन्ध फायरिंग की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारियों ने बिहार प्रान्त में जाने के लिये शासन से अनुमति प्राप्त की थी ? यदि नहीं, तो क्या इस घटना की न्यायिक जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-3-2001 को सिवान जनपद मुख्यालय पर बिहार पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निर्धारित गोष्ठी में भाग लेने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र, पुलिस अधीक्षक, देवरिया तथा प्रभारी पुलिस अधीक्षक कुशीनगर अन्य पुलिस अधिकारियों व पुलिस बल के साथ सिवान गये । पुलिस बल की कुल संख्या–50 से कम थी ।

बिहार राज्य के पुलिस उप महानिरीक्षक (सारण) (छपरा) एवं पुलिस अधीक्षक सिवान की सूचना व अनुरोध पर उपर्युक्त पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मी ग्राम प्रतापपुर गये जहां उ० प्र० के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों द्वारा रक्षार्थ आवश्यक फायरिंग की गयी ।

गोष्ठी में जाने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

[दिनांक 22-3-1999 को अता० प्र० सं०–67 द्वारा उत्तरित]

जिला आपूर्ति कार्यालय, लखनऊ में ज्येष्ठ लेखा लिपिक/ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर स्वीकृत पदों से ज्यादा कर्मचारी की तैनाती का प्रकरण

2—श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आपूर्ति कार्यालय, लखनऊ में ज्येष्ठ लेखा लिपिक/ज्येष्ठ निरीक्षक के कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनके विरुद्ध कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि स्वीकृत पदों से ज्यादा कर्मचारी वहां तैनात हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को वहां से हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जिला पूर्ति कार्यालय, लखनऊ में ज्येष्ठ लेखा लिपिक के 2 पद तथा ज्येष्ठ निरीक्षक के 6 पद स्वीकृत हैं । ज्येष्ठ लेखा लिपिक के स्वीकृत 2 पदों के विपरीत 9 ज्येष्ठ लिपिक कार्यरत हैं । इसी प्रकार ज्येष्ठ निरीक्षक के 6 स्वीकृत पदों के विपरीत 9 ज्येष्ठ निरीक्षक कार्यरत हैं ।

जी हां ।

मा० उच्चतम न्यायालय के वर्ष 1997 में दिये गये निर्णय के अनुपालन में पूर्ति निरीक्षक के पद से राज्य स्तरीय ज्येष्ठता सूची में से कनिष्ठ कर्मचारियों को पूर्ति निरीक्षक से उनके पूर्व निर्धारित पदों पर प्रत्यावर्तित कर दिये जाने के कारण कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत पदों से अधिक हो गयी है । जनपद में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों के 8 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष मात्र एक क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यरत है । कार्य की महत्ता एवं अधिकता के कारण शासकीय कार्यहित में इन रिक्त पदों के सापेक्ष ज्येष्ठ निरीक्षकों से कार्य लिया जा रहा है ।

शासनादेश संख्या–673/29-2-2001-पू–49/98, दिनांक 21-4-2001 द्वारा पदावनत कर्मचारियों को ही अन्य जनपदों में लोक हित में स्थानान्तरित करते हुए समायोजित किये जाने के संबंध में आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रायबरेली–फैजाबाद मार्ग का कस्बा जगदीशपुर से कुमारगंज तक उक्त मार्ग पर चलने वाली टैक्सियों/जीपों का किराया

3—श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि रायबरेली-फैजाबाद मार्ग पर कस्बा जगदीशपुर से कुमारगंज तक 25 कि०मी० की दूरी के लिये उक्त मार्ग पर चलने वाली टैक्सियों/जीपों द्वारा रु० 20.00 प्रति व्यक्ति की दर से किराया वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नियमानुसार किराया वसूल किये जाने हेतु प्रशासन को निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग रायबरेली–फैजाबाद का भाग जगदीशपुर से कुमारगंज तक 25 कि०मी० है । शासन की अधिसूचना संख्या : 3259/तीस–4-98-346/95, दिनांक 2-11-1998 के अनुसूची–2 भाग–1 का संशोधित अधिसूचना संख्या 711/30-4-2000-346/95, दिनांक 10-3-2000 के अनुसार जीप/टैक्सियों के लिए किराये की अधिकतम दरें प्रथम किमी० या उसके भाग के लिए रु० 6.35 और तत्पश्चात् प्रत्येक 500 मीटर या उसके भाग के लिए रु० 2.90 निर्धारित है । इस प्रकार जगदीशपुर से कुमारगंज तक जीप/टैक्सी का कुल किराया रु० 145.16 अधिकतम होता है । जीप/टैक्सी चालक सहित अधिकतम कुल 06 अथवा 07 व्यक्तियों को बैठने की क्षमता में पास होती है । ऐसी स्थिति में जीप/टैक्सी में 06 सवारी के अनुसार प्रति सवारी रु० 24.00 किराया होता है । अतः जगदीशपुर से कुमारगंज तक प्रति व्यक्ति लिया जा रहा किराया रु० 20.00 अधिक नहीं है । इस प्रकार किराया नियमानुसार ही लिया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई आदर्श टाउन एरिया हरिहरपुर से कानपुर, गोरखपुर पुनः संचालित बस सेवा

4—श्री अब्दुल कलाम–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 92 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि आदर्श टाउन एरिया हरिहरपुर से कानपुर, गोरखपुर के लिये शुरू की गयी बस सेवा पुनः बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त बस सेवा निरन्तर चालू रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

हरिहरपुर से गोरखपुर बस सेवा बन्द नहीं की गयी । हरिहरपुर से कानपुर की सेवा बस की अनुपलब्धता के कारण दिनांक 18-10-2000 से 22-3-2001 तक बन्द रही, जो दिनांक 23-3-2001 से पुनः संचालित है ।

अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर बस सेवा संचालित रहेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील टूण्डला में उप कोषागार का विचाराधीन प्रस्ताव

5—श्री शिव सिंह चक–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद जनपद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला की तहसील टूण्डला में उप कोषागार की व्यवस्था न होने से जनता को लगभग 30 किलो मीटर दूर फिरोजाबाद जाना

पड़ता है । यदि हां, तो क्या सरकार टूण्डला में उप कोषागार की व्यवस्था यथाशीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्रदेश में पुलिस निरीक्षकों/उप निरीक्षकों की भर्ती में सामान्य/पिछड़ी जाति के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा

6—श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस निरीक्षकों/उप निरीक्षकों के सामान्य जाति व पिछड़ी जाति के कितने पद सृजित हैं ? क्या यह सही है कि प्रदेश में पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूरा नहीं है ? यदि हां, तो आरक्षण पूरा करने हेतु क्या कोई कार्य योजना बनायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रदेश में पुलिस उप निरीक्षक के कुल 10829 पद तथा निरीक्षकों के 1394 पद सृजित हैं । सामान्य जाति एवं पिछड़ी जाति के लिए अलग-अलग पद सृजित नहीं किये जाते हैं ।

कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के तहत भर्ती के समय जातियों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे का पालन किया जाता है ।

जी हां ।

जी हां, भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

7—श्री अफजाल अहमद–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

8—श्री अरिमर्दन सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद फिरोजाबाद की तहसील टूण्डला में परिवहन डिपो की स्थापना

9—श्री शिव सिंह चक–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला में परिवहन डिपो है ? यदि नहीं,तो क्यों ? क्या सरकार वहां परिवहन डिपो की स्थापना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

टूण्डला से 27 कि०मी० दूर आगरा में चार डिपो, 38 कि०मी० दूर शिकोहाबाद में एक डिपो तथा 56 कि०मी० दूर एटा में एक डिपो स्थापित है, जहां से टूण्डला के लिए पर्याप्त संख्या में बसें संचालित हो रही हैं । इस कारण टूण्डला में परिवहन निगम का डिपो बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला ब्लाक अन्तर्गत ग्राम पंचायत चुल्हावली में स्थापित साधन सहकारी केन्द्र की जानकारी

10—श्री शिव सिंह चक–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला ब्लाक अन्तर्गत ग्राम पंचायत चुल्हावली जिसकी आबादी लगभग 20 हजार है में साधन सहकारी केन्द्र है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां पर उक्त केन्द्र की स्थापना करायेगी ?

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एन० आर० डी० एम० एस०, डाटाबेस सेन्टर, सुल्तानपुर के स्टाफ का मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

11—श्री तेजभान सिंह–

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० ए० एन० सिंह, निदेशक, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ० प्र० लखनऊ को सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उ० प्र० शासन के अर्द्ध पत्र सं०–2118/45 वि०/96-6(9)वि०/99, दि० 16-11-99 द्वारा एन० आर० डी० एम० एस० डाटावेस सेन्टर, सुल्तानपुर के स्टाफ के बारे में महत्वपूर्ण प्रकरण अविलम्ब निस्तारित करवा कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु निदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)–

जी हां ।

एन० आर० डी० एम० एस० डाटाबेस सेन्टर, सुल्तानपुर में कार्यरत चार स्टाफ में से तीन कार्मिकों के प्रकरण मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ बेंच, लखनऊ) में विचाराधीन हैं । चौथे कार्मिक के प्रकरण पर परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

जनपद जौनपुर थाना/पोस्ट/सुजानगंज, ग्राम सबेली, पण्डितान श्री हरिहरनाथ द्विवेदी आत्मज श्री चन्द्रदेव द्विवेदी की जानमाल की सुरक्षा हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

12—श्री उदय राज यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिहरनाथ द्विवेदी आत्मज श्री चन्द्रदेव द्विवेदी ग्राम–सबेली, पण्डितान, थाना/पोस्ट– सुजानगंज, जनपद–जौनपुर को जान से मारने की धमकी से उसकी जान माल की सुरक्षा से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–1 नं०–847277 दिनांक 14-9-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

पुलिस अधीक्षक जौनपुर से प्राप्त जांच आख्या से यह पाया गया है कि श्री हरिहरनाथ द्विवेदी को जान माल का कोई खतरा प्रतीत नहीं होता है । ग्राम सबेली में ही आबादी भूमि के संबंध में विवाद

इनके प्रतिपक्षी सर्वश्री मिठाई लाल पुत्र जगदेव व श्री बलिकरन पुत्र राम देव पटेल से है । लेकिन किसी राजस्व न्यायालय में इस प्रकरण के संबंध में कोई वाद योजित/लम्बित नहीं है ।

इस प्रकरण को आवेदक द्वारा थाना दिवस पर रखा गया था जिस पर राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा इन्हें यह बताया गया कि सक्षम राजस्व पदाधिकारी के न्यायालय में धारा–41 एल० आर० ऐक्ट का वाद लाकर उसके निर्णय के अनुसार पैमाइश व मेड़बन्दी कराकर सक्षम राजस्व पदाधिकारी की उपस्थिति में ही कब्जा हटवाया जा सकता है । दोनों पक्षों में शान्ति भंग की सम्भावना को देखते हुए धारा–107/116 सी० आर० पी० सी० की कार्यवाही की जा चुकी है ।

उ० प्र० राजकीय वैधशाला, नैनीताल उत्तरांचल राज्य को हस्तान्तरित करते हुए लखनऊ में नयी वैधशाला स्थापित करने का प्रकरण

13—श्री अम्बिका चौधरी–

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राजकीय वैधशाला, नैनीताल, उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद जनहित में उत्तरांचल राज्य को हस्तान्तरित करते हुये लखनऊ में नयी वैधशाला स्थापित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परीक्षणोपरान्त औचित्य नहीं पाया गया ।

श्रीमती नसीबुन निशा पत्नी श्री फकीर मोहम्द निवासी सरपोटगंज, सालेहनगर थाना आशियाना, लखनऊ के भूमि नं० 333 पर अवैध कब्जा करने तथा जान माल की सुरक्षा के सम्बन्ध में कार्यवाही

14–श्री उदय राज यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती नसीबुन निशा पत्नी श्री फकीर मोहम्मद निवासी सरपोटगंज सालेहनगर, थाना–आशियाना, लखनऊ के भूमि सं०–333 पुस्तैनी भूमि पर अवैध कब्जा करने व जान माल की सुरक्षा के संबंध में उनका पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिनांक 26-12-2000 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, लखनऊ के माध्यम से करायी गयी । जांच से पाया गया कि ग्राम सालेहनगर जनपद लखनऊ की भूमि सं०- 333 में 3 बिस्वा बंजर की व 2 बीघा 18 बिस्वा ऊसर की श्रेणी में राजस्व अभिलेखें में दर्ज है । इस भूखण्ड के 3 बिस्वा जमीन पर श्रीमती नसीबुन निशा का मकान व बाउण्ड्री है । प्रार्थिनी के मकान के पीछे 15 बिस्वांसी भूमि ग्राम सभा/नगर निगम की पड़ी है । प्रार्थिनी के घर के पीछे उसकी कोई भी खाली भूमि नहीं है । भूमि सं०–332 राजेन्द्र सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है । राजेन्द्र सिंह द्वारा किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं किया गया है । भूमि सं०–333 पर अनाधिकृत रूप से काबिज भवन निर्मित 27 व्यक्तियों के विरुद्ध 122बी की कार्यवाही कर दी गयी है । प्रार्थिनी की जान माल की सुरक्षा के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के ग्राम मुहाना थाना कोतवाली नगर बांदा निवासी मन्नू लाल पुत्र गजोधर आदि की गेहूं की फसल जबरन काट लेने सम्बन्धी प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

15–श्री राजपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ग्राम सुहाना थाना कोतवाली नगर बांदा निवासी सन्तूलाल पुत्र गजोधर आदि की कृषि भूमि के रकबा 25 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल अजीत सिंह व सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व० वीरेश्वर सिंह तथा जयसिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासीगण मुहल्ला सिविल लाइन्स शहर बांदा के द्वारा जबरदस्ती काट लेने के बाबत जिलाधिकारी जनपद बांदा को शिकायती-पत्र दिनांक 7-4-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बांदा द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट, बांदा को नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था । शिकायती-पत्र में आरोपित तथ्यों एवं श्री सन्तूलाल यादव की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर, बांदा में मु०अ०सं०–386/99 धारा 323/504/506/427 भा०दं०वि० बनाम अजीत सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व० वीरेश्वर सिंह, निवासी सिविल लाइन्स बांदा के विरुद्ध अपराध पंजीकृत हुआ था । अभियोग की विवेचना के दौरान दिनांक 5-5-2000 को उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । विवेचनोपरान्त उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर आरोप-पत्र दिनांक 6-5-2000 को चालान न्यायालय किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय जिला पुस्तकालय बांदा में आठ पंखों की चोरी की घटना

16–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जिला पुस्तकालय बांदा में अपने चौकीदार से आठ पंखों की चोरी करवाये जाने में जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा के शामिल होने विषयक सत्तीदीन निवासी मुहल्ला महेश्वरी देवी, शहर-बांदा, जनपद–बांदा, उ०प्र० का शिकायती-पत्र दिनांक 2-6-2000 पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी नगर, बांदा से करायी गयी । जांच से तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक श्री राम दास के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी । प्रश्नगत चोरी की घटना के सम्बन्ध में श्रीमती सुशीला देवी, पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय जिला पुस्तकालय, बांदा की लिखित सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर, बांदा में पंजीकृत मु०अ०सं०–233/2000 धारा 406/409/452/504/506 भा०दं०वि० बनाम कमलेश पुत्र मुकुन्दी लाल व राजन पुत्र गणेशी में विवेचनोपरान्त धारा–3(1) दस एससी/एसटी ऐक्ट की अभिवृद्धि की गयी एवं आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप-पत्र सं०–24 दिनांक 12-9-2000 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री भोलानाथ लोधी निवासी आनन्द नगर बरहा रोड थाना आलमबाग, लखनऊ की तहरीर पर दर्ज मु०अ०सं०–51/2000 प्रचलित की विवेचना

17–श्री उदय राज यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना–आलमबाग लखनऊ में पंजीकृत मु० अ० सं० 51/2000 धारा–448/380/312/303/ 506/420/120 बी दि० 9-3-2000 पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी, का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री भोलानाथ लोधी निवासी 567/99 आनन्दनगर बरहा रोड, आलमबाग, लखनऊ की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना आलमबाग पर मु०अ०सं०–51/2000 धारा 448/380/342/323/506/420/120बी भा०दं०वि० विरुद्ध उप निरीक्षक सरनाम सिंह श्रीमती कृष्णा देवी एवं मेवालाल तथा शारदा प्रसाद पंजीकृत होकर एस०आई०एस० से विवेचनाधीन है ।

उक्त अभियोग की विवेचना अभी प्रचलित है ।

18–श्री उदय राज यादव–

[2रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बरेली के ग्राम मियांपुर के निवासियों को सरकारी सस्ते गल्ले तथा गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को खाद्यान्न न मिलने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की मांग

19–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-11-2000 जो जिलाधिकारी बरेली को ग्राम ढंकिया बरकली साहब, ग्राम करुवा साहब गंज तथा ग्राम मियांपुर तहसील नबाबगंज जि० बरेली के निवासियों का सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से चीनी, मिट्टी का तेल तथा खाद्यान्न, विद्यालयों के छात्रों के पोषाहार न बंटने तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गेहूं तथा चावल न देने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? क्या इसी तरह की शिकायतों के प्रार्थना-पत्र क्षेत्रवासियों द्वारा उप जिला अधिकारी नबाबगंज को कई तहसील दिवसों में दिये गये हैं ? यदि हां, तों उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

ग्राम ढकिया बरकली माडल ग्राम बरूआ साहबगंज की शिकायत निराधार पायी गयी तथा ग्राम मियांपुर की दुकान अनियमितता पाये जाने के कारण, निलम्बित की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में बक्सर (जनपद उन्नाव) तक वाया बीघापुर-तकिया होते हुए राजकीय परिवहन निगम की संचालित बस सेवा

श्री रवीन्द्र प्रताप उर्फ पप्पू चौधरी–

20–क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विन्ध्यवासिनी कुमार सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 2000 जो लखनऊ से बक्सर (जनपद उन्नाव) तक वाया बीघापुर–तकिया होते हुये

एक राजकीय परिवहन निगम की बस चलाये जाने विषयक था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

लखनऊ से बक्सर वाया सुमेरपुर क्रासिंग-तकिया-बीघापुर बस सेवा दिनांक 23-4-2001 से संचालित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर, थाना हनुमानगंज के ग्राम रामपुर जंगल में अनशनकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के प्रकरण की जांच

21–श्री बादशाह सिंह तथा श्री जय प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर के थाना हनुमानगंज अन्तर्गत ग्राम रामपुर जंगल में श्री बाबू लाल चमार व श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा व अन्य द्वारा ग्राम प्रधान के लूट खसोट के खिलाफ नोटिस देकर दिनांक 28-12-2000 को अनशन किया था ? यदि हां, तो क्या उप जिलाधिकारी–पडरौना ने मौके पर पहुंच कर अनशनकारियों को बुरी तरह पिटाई करके जेल भेज दिया था ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी जनों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

सूचना पाकर मौके पर उपस्थित उप जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस कर्मचारी के समक्ष कहासुनी व झड़प होते देख उपस्थित मजिस्ट्रेट द्वारा शान्ति भंग व उपद्रव का अंदेश पाकर 1–श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, ग्राम गुलहावॉ थाना हनुमानगंज, 2–श्री खेदन पुत्र शारदा, 3–श्री सुग्रीव पुत्र श्री बासु देव कुर्मी, 4–श्री बाबू लाल पुत्र महन्थी को धारा 151 सी०आर०पी०सी० में गिरफ्तार किया गया था तथा एक व्यक्ति भागने में सफल रहा ।

प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर नगर पंचायत खड्डा की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नये राशन कार्ड बनाये जाने तथा पुराने राशन कार्डों को निरस्त करने की जांच सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

22–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को जानकारी है कि श्री दीप लाल भारती स० वि० स० का पत्र दिनांक 22/27-7-2000 जो नगर पंचायत खड्डा जनपद कुशीनगर में फर्जी बनवाये गये राशन कार्डों की जांच कमिश्नरी स्तर के अधिकारी से कराने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार नगर पंचायत खड्डा की जनसंख्या कुल 10,027 थी जबकि वर्ष 2000 में बगैर जनगणना के 23000 यूनिट के राशन कार्ड बनाये गये हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार नगर पंचायत खड्डा की आबादी 10,008 थी । प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2000 में अनुमानित जनसंख्या के आधापर 23,954 यूनिट के राशन कार्ड वितरित किये गये हैं ।

नगर पंचायत खड्डा में जांचोपरान्त ए०पी०एल० तथा बी०पी०एल० के कुल 1069 पर राशन कार्ड तथा 5987 यूनिट निरस्त किये गये ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई की रिपोर्टिंग चौकी टाउन कुरसठ में टेलीफोन लगाये जाने का विचाराधीन प्रकरण

23–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–हरदोई की रिपोर्टिंग चौकी टाऊन कुरसठ में टेलीफोन सेवा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो जनहित में टेलीफोन कब तक लगा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

जनपद पडरौना (कुशीनगर) में मै० पडरौना गैस सर्विस द्वारा रसोई गैस वितरण में अनियमितता सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

24–श्री दीप लाल भारती–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-7-2000 जो मै० पडरौना गैस सर्विस–पडरौना (कुशीनगर) द्वारा रसोई गैस वितरण में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय सदस्य का शिकायती-पत्र दिनांक 22-7-2000 प्राप्त हुआ ।

शिकायती-पत्र की जांच अपर परगनाधिकारी, पडरौना से करायी गयी । जांच में मैसर्स पडरौना गैस सर्विस पडरौना को गैस वितरण में अनियमितता बरतने तथा उपभोक्ताओं को परेशान करने का दोषी पाया गया । तद्नुसार जिलाधिकारी द्वारा मैसर्स पडरौना गैस सर्विस के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु एरिया मैनेजर (एल०पी०जी०) भारतीय तेल निगम, इलाहाबाद से अनुरोध कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कन्नौज थाना छिबरामऊ में मोटर साइकिल बरामद करने तथा अभियुक्तों के विरुद्ध शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

25–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु० अ०सं०–384/2000 थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज की जांच कर मोटर साइकिल बरामद करने तथा अभियुक्तों के विरुद्ध शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक– सी०एम०/वि०को०/एम–

40490/आगरा/2000, दिनांक 19-12-2000 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कन्नौज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, छिबरामऊ द्वारा करायी गयी । जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मुहम्मद आलम की लिखित तहरीर दिनांक 5-10-2000 के आधार पर उसी दिन अभियुक्तगण बदन सिंह पुत्र पातीराम, ललइया पुत्र सूबेदार तथा एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया । विवेचना में घटना निराधार पाये जाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट जुर्म खारिजा प्रेषित की गयी है । जांच के दौरान मोटर साइकिल नामित अभियुक्त ललइया के पास होने की पुष्टि नहीं हुई है । वादी को कोई चोट नहीं लगी थी और न ही उसने अपना मेडिकल कराने के लिए कहा था इस लिए अभियोग में धारा–394 भा०दं०वि० की वृद्धि नहीं की गयी थी । वर्तमान में अभियोग की पुनर्विवेचना विशेष जांच प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा थाना फरह में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी

26–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अ० सं०–366/2000, थाना फरह जनपद मथुरा में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध एन० एस० ए० लगाये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक 5 सी० एम० /वि०को०/एम–2/40426/ मथुरा/2000, दिनांक 18-12-2000 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से प्राप्त आख्यानुसार अभिलेखों में सन्दर्भगत पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया । साथ ही थाना फरह, मथुरा पर मु०अ०सं०–366/2000 का कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सिद्धार्थनगर थाना ढेबरुआ में लाइसेंसी रिवाल्वर चोरी के सम्बन्ध में लिखायी गयी नामजद रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

27–चौधरी रवीन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर, 1999 को थाना ढेबरूआ, जनपद सिद्धार्थनगर में स्वयं की लाइसेंसी रिवाल्वर के चोरी हो जाने की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी ? यदि हां, तो नामजद मुल्जिमान के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नकर्ता ने स्वयं की लाइसेंसी रिवाल्वर श्रीमती साधना चौधरी द्वारा उठाकर ले जाने का प्रार्थना-पत्र थानाध्यक्ष ढेबरुआ को दिनांक 9-10-99 को दिया था जिसके बारे में थाने में जी०डी० पर सायं

6.30 बजे रपट नं० 10 दिनांक 9-10-99 तथा रपट नं० 20 दिनांक 10-10-99 को अंकित की गयी। परन्तु स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य के अभाव में श्रीमती साधना चौधरी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी।

2–प्रश्नगत मामले में ही सम्बन्धित दिनांक 8-1-2000 को मु०अ०सं०–2/2000 धारा 380 भा०दं०वि० का अभियोग थाना ढेबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर में पंजीकृत हुआ। इस प्रार्थना-पत्र में मा० विधायक ने रिवाल्वर चोरी के सम्बन्ध में किसी को नामजद नहीं किया था। उक्त अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष ढेबरुआ द्वारा की गयी विवेचना से ज्ञात हुआ कि पारिवारिक विवाद चल रहा है और इसी में रिवाल्वर गायब हुई। रिवाल्वर किसने गायब की इसका सही पता नहीं चल सका इसलिए दिनांक 28-7-2000 को अन्तिम रिपोर्ट द्वारा विवेचना समाप्त की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा, बभनान शुगर मिल के मलवे (फ्रेशमेड) का खाद बनाने में उपयोग

28–श्री राम विशुन आजाद–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि बभनान शुगर मिल गोण्डा के निर्गत मलवे (फ्रेशमेड) से आसपास के आबादी के गांवों में कई संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो इसके निदान हेतु क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भविष्य में मिल द्वारा निर्गत मलवे को आबादी से बाहर फेंकने की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार बलरामपुर चीनी मिल लि० यूनिट बभनान जिला गोण्डा से निर्गत पानी अथवा फ्रेशमेड से आसपास के गांवों में संक्रामक बीमारी नहीं फैल रही है।

उद्योग का निरीक्षण दिनांक 15-1-2001 को उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया। उद्योग एक चीनी इकाई है जिसके गन्ने की पेराई क्षमता 8000 टन प्रतिदिन है। उद्योग से मलवे के रूप में मुख्य रूप से गन्ने की खोई व फ्रेशमेड जनित होता है जो कि उद्योग का सहउत्पाद होता है। गन्ने की खोई का उपयोग उद्योग द्वारा ईधन के रूप में किया जाता है। फ्रेशमेड का उपयोग उद्योग की सह इकाई में बायो कम्पोस्टिंग डिवीजन में खाद बनाने में उपयोग में लाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नागरिक सहकारी बैंक राजाजीपुरम की अंश पूंजी की जानकारी

29–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नागरिक सहकारी बैंक, राजाजीपुरम्, लखनऊ की अंश पूंजी इस समय कितनी है ? उक्त सहकारी बैंक के संचालन मण्डल के संचालकों को कितना-कितना ऋण दिया गया है और इनसे अब तक कितना वसूल किया गया है ? क्या यह सही है कि बैंक की अंशपूंजी का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी जनों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

मु० 32,13,272.00 रुपये बैंक में अंशपूंजी है।

संचालक मण्डल के सदस्यों को बैंक द्वारा ऋण नहीं दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किये जाने विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

30–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद मथुरा के जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किये जाने एवं व्यापारियों पर मु० अ० सं०–471/2000 के अन्तर्गत 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि० को०/एम/40776/मथुरा/2000 दिनांक 23 दिसम्बर, 2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । मा० सदस्य का संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है ।

मा० सदस्य विधान सभा श्री अजय कुमार पोइया ने अपने पत्र में वृन्दावन आटो सर्विस छठीकरा, मथुरा के विरुद्ध दिनांक 20-1-2000 को मुकदमा नं० 471/2000 नियम विरुद्ध दर्ज किये जाने का उल्लेख किया है । व्यापारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश शासनादेश दिनांक 19-12-2000 को निर्गत किया गया है, जो उसी तिथि से प्रभावी है । अतः प्रश्नगत प्रकरण उक्त शासनादेश से पूर्व का है । अतः यह प्रकरण उक्त शासनादेश से आच्छादित नहीं है । तद्नुसार वस्तु स्थिति से मा० सदस्य, विधान सभा को शासन के पत्र संख्या–वीआईपी–7/29-7-2001–एम–204/2000, दिनांक 28-2-2001 द्वारा अवगत करा दिया गया है ।

31–श्री अजय कुमार पोइया–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद मथुरा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

32–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पूर्ति अधिकारी, मथुरा द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि०को०/एम–2/ 40695/मथुरा/2000 दिनांक 22-12-2000 प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, खाद्य एवं रसद विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण पर शीघ्र निर्णय लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

मा० सदस्य विधान सभा ने अपने पत्र में वृन्दावन आटो सर्विस छठीकरा, मथुरा के विरुद्ध दिनांक 20-1-2000 को मुकदमा नं०–471/2000 दर्ज किये जाने का उल्लेख किया है, जबकि व्यापारियों के

विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश शासनादेश दिनांक 19-12-2000 को निर्गत किया गया है, जो उसी तिथि से प्रभावी है । अतः प्रश्नगत प्रकरण उक्त शासनादेश से आच्छादित नहीं होता है । तद्नुसार वस्तुस्थिति से मा० सदस्य विधान सभा को शासन के पत्र संख्या–वीआईपी–7/29-7-2001–एम–204/2000, दिनांक 28-2-2001 द्वारा अवगत करा दिया गया है ?

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा थाना छाता मु० अपराध सं०–41/1995 की वापसी सम्बन्धी विचाराधीन पत्र

33–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या–41/1995 धारा 147, 332, 353, 171 आई० पी० एस० ए० 136, 125, 129, 132, 134, 135 थाना छाता–जिला मथुरा की वापसी के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/ एम–40785/मथुरा/2000, दिनांक 23 दिसम्बर, 2000 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह एवं गोपन विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

जी हां ।

निर्णय विचाराधीन है ।

जनपद हाथरस तहसील, थाना सिकन्दराराऊ के ग्राम पोरा एवं पिपलगवां में पुलिस चौकी स्थापित करने विषयक प्रस्ताव की जानकारी

34–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस में पोरा, पिपलगवां में पुलिस चौकी स्थापित करने हेतु शासन का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक पुलिस चौकी स्थापित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जनपद हाथरस के तहसील/थाना सिकन्दराराऊ में ग्राम पोरा एवं पिपलगवां में पुलिस चौकी स्थापित किए जाने हेतु उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से आख्या/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । प्रस्ताव मानक के अनुसार न होने तथा नये पद सृजित न किये जाने के निर्णय के कारण अस्वीकृत कर दिये गये हैं ।

उ० प्र० को-आपरेटिव फेडरेशन लखनऊ में अल्प संख्यक समुदाय के कर्मचारियों को प्रताड़ित करने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

35–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–1–2 नं०–210281 दिनांक 31-10-2000 जो उ० प्र० को-आपरेटिव फेडरेशन, लखनऊ में सामान्य प्रबन्धक (प्रशासन) द्वारा अल्प संख्यक समुदाय के कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के संबंध में था, विधायक प्रकोष्ठ के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर ग्राम पचउथ, थाना ढेबरुआ में श्री साधूराम की हत्या सम्बन्धी न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

36–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम–पचउथ थाना–ढेबरुआ में दिनांक 23/24–6–99 को साधूराम की हत्या का मुकदमा अपराध सं०–147/99 धारा 302/506/114 दर्ज किया गया था जिसमें मौलाना अब्दुल शकूर को अभियुक्त बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अपराध की जांच अभिसूचना इकाई बस्ती द्वारा करने के पश्चात् उन्होंने अपनी रिपोर्ट दि० 15-7-99 को पुलिस उप महानिरीक्षक, बस्ती को दे दी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जांच पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर से करायी गयी । जांच से पाया गया कि वादी श्री त्रियुगी पाण्डेय पुत्र साधू शरण पाण्डेय के लिखित सूचना के आधार पर थाना ढेबरुआ पर मु०अ०सं० 147/99 धारा 302/506/114भा०दं०वि० विरुद्ध मौलाना अब्दुल शकूर आदि 4 नफर पंजीकृत किया गया । विवेचनोपरान्त राम सेवक चौधरी को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्त फरार होने के कारण उनके विरुद्ध धारा 82/83 जा०फौ० की कार्यवाही करके दिनांक 13-7-99 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया अभियुक्त देवी प्रसाद ओझा व अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । अभियुक्त मो० अब्दुल शकूर फरार चल रहा है ।

इसी बीच श्रीमती शकिरुनिशां पत्नी मो० अब्दुल शकूर ने प्रार्थना-पत्र दिया जिसकी जांच पुलिस उप महानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र बस्ती ने निरीक्षक एल०आई०यू० बस्ती से कराई । जांच से अभियुक्त मो० अब्दुल शकूर का घटना में शामिल होना नहीं पाया गया पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र ने जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस अभियुक्त की विवेचना जनपद बस्ती को स्थानान्तरित कर दी पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा अभियोग से सम्बन्धित केस डायरी व अभिलेख्य पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर से मांगा गया । जिसके आधार पर मा० न्यायालय सी०जे०एम० सिद्धार्थनगर के न्यायालय में दिनांक 24-7-99 को केस डायरी मय आरोप पत्र वापस करने के सम्बन्ध में निवेदन किया गया जिस पर विचारोपरान्त मा० सी०जे०एम० सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 27-7-99 को निरस्त कर दिया गया । पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती, परिक्षेत्र बस्ती द्वारा पुनः निर्देश दिये जाने पर विवेचना धारा 173(8) जा०फौ० के अन्तर्गत जेष्ठ अभियोजन अधिकारी से विधिक राय लेकर मा० सी०जे०एम० सिद्धार्थनगर के न्यायालय में आवेदन किया गया । विचारोपरान्त दिनांक 14-11-2000 को मा० न्यायालय सी०जे०एम० द्वारा ग्राह्य योग्य न होने के कारण आवेदन निरस्त कर दिया गया । इस प्रकार मा० न्यायालय से अनुमति न प्राप्त होने के कारण इस अभियोग में कोई अग्रिम कार्यवाही न की जा सकी । उक्त अभियोग विचाराधीन न्यायालय है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ तहसील पट्टी के ग्राम चौपाई के स्व० श्री यदुवंशी मिश्र को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करने विषयक प्रकरण पर जांच के आदेश

37–श्री संजय गर्ग–

क्या राजनैतिक पेंशन होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करके राजनैतिक पेंशन स्वीकृत की जाती है ? क्या यह सही है कि स्व० श्री यदुवंशी मिश्र ग्राम चौपाई,पो०–सरखेलपुर, तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ को श्री राम जतन पटेल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहला पट्टी जनपद–प्रतापगढ़ द्वारा लिखित-पत्र के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

होमगार्डस, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके परिवारों को दिये जाने वाले अनुदान एवं स्वतंत्रता संग्राम पेंशन संबंधी नियम के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करके राजनैतिक पेंशन स्वीकृत की जाती है । स्व० श्री यदुवंशी मिश्र को श्री राम जतन पटेल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहला पट्टी, प्रतापगढ़ स्व० श्री राम राज शुक्ल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रमाण-पत्रों के आधार पर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया गया है । उपर्युक्त दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रमाण-पत्र के आधार पर शासन द्वारा परीक्षण से यह प्रमाण-पत्र नियमानुसार नहीं पाया गया । इस प्रकरण की जांच के आदेश दिये जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण अंचलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुकानों का निर्धारित अर्हताओं एवं शर्तों के अनुसार आवंटन

38–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण अंचलों में चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं आदि के लिये आवंटित की जाने वाली दुकानों में क्या आरक्षण की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या आरक्षण नीति का पालन करने हेतु दुकान आवंटन के लिये कोई समिति बनाई गई है ? यदि हां, तो उस समिति का प्रारूप क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में राशन की दुकानों का आवंटन शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था तथा इस हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हताओं एवं शर्तों के आधार पर शासन द्वारा गठित निम्न चयन समिति के माध्यम से किया जाता है :–

1—जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2—अपर जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी	संयोजक/सचिव
3—उपसंभागीय विपणन अधिकारी	सदस्य
4—संबंधित परगना अधिकारी	सदस्य
5—अनुसूचित जाति/जनजाति में से एक नामित अधिकारी तथा पिछड़े वर्ग का अधिकारी	सदस्य
6—सहायक आयुक्त खाद्य	विशेष आमंत्री

ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकानों का आवंटन शासन द्वारा निर्धारित अनिवार्य अर्हताओं एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुये पंचायती राज व्यवस्था में निर्धारित आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार ग्रामसभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पास कर ग्रामसभा की संस्तुति पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा राशन की दुकान का आवंटन किये जाने का प्राविधान है।

लखनऊ में कतिपय संगीन अपराधों में दर्ज मामले/गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

39–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 2000 से अब तक जनपद लखनऊ में बलात्कार, हत्या, डकैती, राहजनी एवं अन्य संगीन अपराधों के कितने मामले दर्ज किये गये हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि दर्ज किये गये मामलों में कितने मामलों को फर्जी पाया गया तथा कितने मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

माह अक्टूबर, 2000 से फरवरी, 2001 तक की अवधि में जनपद लखनऊ में घटित बलात्कार, हत्या, डकैती, राहजनी तथा अन्य संगीन अपराधों में दर्ज मामलों की स्थिति निम्नवत् है :–

बलात्कार	16
हत्या	55
डकैती	10
राहजनी	27
अन्य संगीन अपराध	13

प्रश्नगत विवरण निम्नवत् हैं :–

अपराध	फर्जी पाये गये मामले	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
बलात्कार	1	16
हत्या	3	50
डकैती	3	28
राहजनी	5	14
अन्य संगीन अपराध	—	16

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी थाना बेवर अपराध सं० 523/2000 में नामित अपराधियों एवं उनकी गिरफ्तार की जानकारी

40–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 523/2000 धारा 307/504 आई०पी०सी० थाना बेवर जनपद मैनपुरी में मुकदमें में कौन-कौन अपराधी नामित किये गये हैं और उनका आपराधिक इतिहास क्या है ? क्या उक्त मुकदमें में नामित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

मु०अ०सं०–523/2000 धारा 307/504 भा०दं०वि० थाना बेवर जनपद मैनपुरी के मुकदमें में सर्वश्री विजेन्द्र सिंह उर्फ भल्लू दिनेश सिंह, बन्टू एवं जितेन्द्र यादव निवासीगण किशनपुर गढ़िया थाना बेवर जनपद मैनपुरी नामित किये गये हैं, जिनका अपराधिक इतिहास संलग्न है।

उक्त अभियोग की विवेचना से घटना सही नहीं पाई गई, जिससे विवेचना के उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट संख्या–49, दिनांक 30-12-2000 द्वारा अभियोग खारिज कर दिया गया। उक्त मुकदमें में नामित किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं की गई।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 176-177 पर।)

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड उन्नाव में विगत वर्षों में स्थानान्तरित कर्मचारियों का विवरण

41–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश ने जिला सहकारी बैंकों में स्थानान्तरण हेतु शासनादेश सं०–सी 128/अधि०/19 जनवरी, 1996 जारी किया है ? यदि हां, तो जिला सहकारी बैंक लि० उन्नाव में वर्ष 1999 से वर्ष 2001 तक वर्षवार कितने कर्मचारियों के स्थानान्तरण उक्त शासनादेश शर्तों के अनुसार किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां।

जिला सहकारी बैंक लि० उन्नाव में निबन्धक सहकारी समितियां, उ०प्र० द्वारा निर्गत नीति/शर्तों के अनुसार वर्ष 1999–2000 में वर्ग–4 के एक कर्मचारी तथा वर्ष 2000–2001 में वर्ग–2 के तीन कर्मचारियों वर्ग–3 के पांच कर्मचारियों वर्ग–4 के सात कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को वर्दी देने विषयक जानकारी

42–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में कार्यरत कर्मचारियों को वर्दी देने की नीति क्या है ? क्या उसी व्यवस्था के अनुसार वर्दी दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उद्योग अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–2293–एल/18-7-93-25(जी–1)–93 दिनांक 27-11-93 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा राजकीय वाहन चालकों को ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन वर्दी दिये जाने के संबंध में निर्देश निर्गत हैं।

निगम द्वारा अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के मुख्यालय के वर्दी के पात्र कर्मचारियों एवं जलपानगृहों के 25 प्रतिशत कर्मचारियों को प्रति वर्ष ग्रीष्म एवं शीत कालीन वर्दी दिये जाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में शासनादेश के प्राविधानों का भी अनुपालन किया जा रहा है।

निगम के डिपोज में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी नहीं दी जा रही है, क्योंकि निगम के डिपो में कार्यों में वर्दी की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

थाना कोतवाली जनपद मथुरा के श्री हरि मोहन को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित करने के निर्देश

43–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिमोहन निवासी झींगरपुरा थाना कोतवाली जनपद मथुरा को मृतक आश्रित के रूप में नियमों को शिथिल कर नियुक्त किये जाने संबंधी विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–2/38395, दिनांक 5-10-2000 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नगत पत्र में श्री हरिमोहन निवासी झींगरपुरा थाना कोतवाली जनपद मथुरा को मृतक आश्रित के रूप में नियमों को शिथिल कर नियुक्ति किये जाने का अनुरोध नहीं किया गया था, अपितु श्री हरिमोहन के पुत्र स्व० आरक्षी गिर्राज सिंह के आश्रित पुत्र श्री भूपेन्द्र कुमार को समय-सीमा में शिथिलता प्रदान करते हुये सेवायोजित किये जाने का अनुरोध था ।

शासनादेश संख्या–565/छः पु–10–2000–1200(3)/98 दिनांक 16-11-2000 द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार को मृतक आश्रित के रूप में आवेदन हेतु निर्धारित पांच वर्ष की समय सीमा में छूट प्रदान करते हुये उन्हें नियमानुसार उपयुक्त पद पर सेवायोजित करने के निर्देश पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ को दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना कोतवाली बरेली के श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री विजय कुमार सिविल लाइन रामपुर द्वारा पंजीकृत मु०अ०सं० 5/99 पर कार्यवाही की जानकारी

44–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री विजय कुमार निवासी सिविल लाइन रामपुर ने 3 जनवरी, 99 को मु०अ०सं०–5/99 थाना कोतवाली बरेली में पंजीकृत कराया है ? यदि हां, तो क्या विवेचना में उपरोक्त अभियोग असत्य पाया गया है ? यदि हां, तो क्या असत्य अभियोग पंजीकृत कराने वाले के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

विवेचना में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

विवेचना से समुचित साक्ष्य उपलब्ध न होने पर अन्तिम रिपोर्ट सं० 36 दिनांक 6-12-99 को प्रेषित की गई । वादी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु समुचित साक्ष्य नहीं पाया गया ।

जनपद बरेली थाना हाफिजगंज व नवाबगंज के जर्जर भवन के निर्माण हेतु कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश

45–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थाना हाफिजगंज व थाना नवाबगंज जनपद बरेली के भवन 50 वर्षों पूर्व के निर्मित हैं, जो जर्जर अवस्था में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नवाबगंज व हाफिजगंज थानों के नवीन भवनों का निर्माण शीघ्र करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

थाना हाफिजगंज व थाना नवाबगंज के भवन 50 वर्ष पूर्व के निर्मित हैं तथा इनकी अवस्था के विषय में आंकलन हेतु लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है।

उक्त आंकलन के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को दिये गये हैं।

जनपद बलिया थाना रसड़ा के ग्राम गोपालपुर के श्री गोपी शंकर चौबे द्वारा पंजीकृत मुकदमें में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानकारी

46–श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोपीशेखर चौबे, निवासी ग्राम गोपालपुर थाना रसड़ा, जनपद बलिया द्वारा थाना रसड़ा में अपराध संख्या–4/2000 दिनांक 2-1-2000 को पंजीकृत कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उसमें अभियुक्तगण श्री राम चन्द्र एवं उत्तीर्ण कुमार की गिरफ्तारी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में क्रान्तिकारी स्मारक समिति कार्यालय गोपालपुर बलिया के अध्यक्ष का पत्र माह जनवरी से जून, 2000 के मध्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार अभियुक्तों की गिरफ्तारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं अपितु श्री अवधेश कुमार चौबे निवासी ग्राम गोपालपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया की तहरीर के आधार पर दिनांक 2-1-2000 को अपराध संख्या 4/2000 धारा 147/148/149/308/323/325/504/506 भा०दं०वि० की अभियोग पंजीकृत हुआ।

साक्ष्य के अभाव में नामजदगी गलत पाये जाने के कारण गिरफ्तारी नहीं की गई।

जी हां।

कुल 11 अभियुक्तों में से 7 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये एवं 2 हाजिर अदालत हुये हैं। 2 की नामजदगी गलत पाई गई। अतः इन्हें गिरफ्तार किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया। अभियोग विचाराधीन न्यायालय है।

47–श्री जगदीश नारायण राय–

[1ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बिजनौर में गागन नदी पेपर मिल व अन्य फैक्ट्रियों द्वारा गन्दा पानी गिराने का प्रकरण

48–श्री मूल चन्द–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि ज़नपद बिजनौर में गागन नदी में पेपर मिल व अन्य फैक्ट्रियों का गन्दा पानी गिराने से प्रदूषण फैल रहा है ? यदि हां, तो उसको रोकने के लिये सरकार कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जनपद बिजनौर में स्थित मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज बुन्दकी, बिजनौर का शुद्धिकृत उत्प्रवाह गागन नदी में निस्तारित होता है। उक्त उद्योग में उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित हैं और उद्योग से निस्तारित उत्प्रवाह जांचोपरान्त निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है।

इसके अलावा पेपर मिल या किसी अन्य उद्योग का उत्प्रवाह जनपद बिजनौर में गागन नदी में निस्तारित नहीं होता है । अतः जनपद बिजनौर में गागन नदी में औद्योगिक उत्प्रवाह के कारण प्रदूषण की समस्या नहीं है ।

जनपद सीतापुर के ग्राम कटीली में जे०बी० दारूका पेपर्स मिल द्वारा प्रदूषण मानकों के उल्लंघन का प्रकरण

49–श्री रमेश राही–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर में ग्राम कटीली के निकट जे० बी० दारुका पेपर्स मिल के मालिक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गलत सूचनायें देकर लगातार प्रदूषण मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है ? क्या प्रदूषण से कई बीमारियां तथा पर्यावरण पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी मिल मालिक के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

उद्योग द्वारा प्रदूषण मानकों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गलत सूचना नहीं दी गई है ।

जी नहीं । मुख्य चिकित्साधिकारी सीतापुर के पत्र दिनांक 24-3-2001 के अनुसार मै० जे० बी० दारूका पेपर्स मिल द्वारा किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं किया जा रहा है और न ही आस-पास के गांवों में प्रदूषण की समस्या से पिछले तीन वर्षों से कोई बीमारी हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है तथा निस्तारित शुद्धीकरण उत्प्रवाह तथा वायु उत्सर्जन मानकों के अनुरूप पाया गया है ।

जनपद मैनपुरी थाना बेवर में अपराध संख्या 146/1991 का विचारोपरान्त वापस मुकदमा

50–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पहले सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–104 के उत्तर के संदर्भ में क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या–146/1991 धारा 2/3 गैंगेस्टर ऐक्ट थाना–बेवर, जनपद मैनपुरी का मुकदमा शासकीय निर्णय के अनुसार चार्जशीट लगने से पूर्व ही वापिस ले लिया गया था ? यदि हां, तो इसका विधिक औचित्य क्या था ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां ।

मुकदमा यथोचित विचारोपरान्त वापस लिया गया था ।

जनपद मैनपुरी थाना बेवर अपराध संख्या 172/98 में नामित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की जानकारी

51–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे सोमवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–12 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या–172/98 धारा 147/148/149/307 आई० पी० सी० एवं 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेण्ट थाना–बेवर, जनपद मैनपुरी के केस में नामित/वांछित अभियुक्तगण में से किस-किस को गनर/सुरक्षा कर्मी

शासन/स्थानीय स्तर से उपलब्ध कराये गये और उक्त अपराधियों को सुरक्षा प्रदान करने का औचित्य क्या था ?

श्री राजनाथ सिंह–

श्री शिवराज सिंह उर्फ पी०टी० आई० एवं श्री बृजेन्द्र उर्फ भल्लू को गनर की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। केस में नामित किसी अन्य व्यक्ति को सुरक्षा नहीं प्रदान की गई।

व्यक्तिगत सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुये सुरक्षा प्रदान की गई।

जनपद शाहजहाँपुर थाना जैतीपुर के ग्राम अमरेड़ी के श्री गजेन्द्र पाल सिंह पुत्र माखन सिंह ने भतीजे को अपहरण से मुक्त कराने विषयक पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली को भेजे गये पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

52–क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गजेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री माखन सिंह निवासी ग्राम–अमरेड़ी, थाना–जैतीपुर, जनपद–शाहजहांपुर ने अपने भतीजे अरुण प्रताप सिंह को अपहरण करने से मुक्त कराने के लिये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 30-5-2000 जिलाधिकारी शाहजहांपुर आई० जी० पुलिस, बरेली, डी०आई०जी० बरेली तथा डी०जी०पी० लखनऊ को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सन्दर्भगत पत्र दिनांक 30–5–2000 पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र बरेली को प्राप्त हुआ था। उपरोक्त पत्र दिनांक 30–5–2000 से पूर्व ही वादी श्री गजेन्द्र पाल सिंह की सूचना के आधार पर मु०अ०सं०–62/2000 धारा 364 भादवि थाना–जैतीपुर, जनपद शाहजाँपुर में दिनांक –16–5–2000 को पंजीकृत कराया गया था विवेचना के दौरान अरुण प्रताप सिंह दिनांक 13–6–2000 को घर वापस आ गया विवेचना में अभियुक्त राम भरोसे, श्रीपाल, दलपत एवं तिनकू का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त दलपत एवं तिनकू ने दि० 4–11–2000 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। शेष अभियुक्त राम भरोसे व श्रीपाल के विरुद्ध दिनांक 28–1–2001 को धारा 83 द०प्र०सं० की कार्यवाही की गयी तथा मफरुरी में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा, कोतवाली मलिहाबाद के श्री जितेन्द्र मोहन को मृतक आश्रित रुप में नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

श्री अजय कुमार पोइया–

53–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जितेन्द्र मोहन सिंह पुत्र स्व० श्री जगमोहन सिंह, कान्सटेबिल, कोतवाली मलिहाबाद जनपद मथुरा को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति दिये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी० एम०/वि०को०/एम-2/36325/मथुरा/2000, दिनांक 5-8-2000 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह एवं गोपन विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नगत पत्र में श्री जितेन्द्र मोहन सिंह पुत्र स्व० जगमोहन सिंह, कान्स० कोतवाली मलिहाबाद जनपद मथुरा को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति किये जाने विषयक नहीं था, अपितु श्री जितेन्द्र मोहन सिंह पुत्र स्व० जगमोहन सिंह, कान्स० कोतवाली मलिहाबाद जनपद लखनऊ को उनकी योग्यता के अनुसार मृतक आश्रित नियमावली की प्राविधानों के अन्तर्गत सेवायोजित करने के सम्बन्ध में था। शासन द्वारा इस पत्र के प्राप्त होने के पूर्व ही स्व० जगमोहन सिंह के आश्रित श्री जितेन्द्र मोहन सिंह को मृतक आश्रित के रूप में आवेदन हेतु पाँच वर्ष की समय सीमा में छूट प्रदान करते हुए उन्हें नियमानुसार उपयुक्त पद पर सेवायोजित करने हेतु शासनादेश संख्या–एमएम–379/छः–पु०–10–99, दिनांक 25–7–2000 द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ को निर्देशित कर दिया गया था। दिनांक 31–1-2001 को टंकण/आशुलिपिक दक्षता परीक्षा में श्री जितेन्द्र मोहन सिंह को सम्मिलित किया गया था, परन्तु इस परीक्षा में उनके असफल रहने के कारण उन्हें मृतक आश्रित के रूप में अभी तक नियुक्ति नहीं प्रदान की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निगम में मृतक आश्रित सभी महिला कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन दिये जाने का प्राविधान, जनपद इलाहाबाद में उपरोक्त के विवरण की जानकारी

श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

54–क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम में कार्यरत मृतक आश्रित सभी महिला कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन दिये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्षेत्रीय कार्यशाला इलाहाबाद में कार्यरत ऐसी कितनी महिला कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन नहीं दी जा रही है और क्यों ?

राजा महेन्द्र आरेदमन सिंह –

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में 14 मृतक आश्रित महिला कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। इनमें से दो महिलाओं के पतियों द्वारा पारिवारिक पेंशन योजना की सदस्यता हेतु विकल्प नहीं दिये थे। एक अविवाहित मृतक की माँ जो मृतक आश्रित के रूप में कार्यरत है, पेंशन हेतु मृतक आश्रित श्रेणी में नहीं आती है। पांच मृतक आश्रित महिला कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन प्रपत्रों में लगी आपत्तियों का निराकरण उनके द्वारा नहीं किया गया है तथा छः मृतक आश्रित महिला कर्मचारियों द्वारा पारिवारिक पेंशन प्रपत्र भर कर प्रस्तुत न किये जाने के कारण पारिवारिक पेंशन नहीं दी जा सकी है।

उ०प्र०रा०स०प०० निगम के केन्द्रीय कार्यशाल एलेन फारेस्ट के अन्य कार्यरत विभिन्न पदों की वरिष्ठता सूची में भिन्नता की जानकारी

55–श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र०रा०स०प०नि० के केन्द्रीय कार्यशाला, एलेन फारेस्ट कार्यशाला तथा निगम के अन्य क्षेत्रों में कार्यरत मैकेनिक, जूनियर फोरमैन, सीनियर फोरमैन की वरिष्ठता

सूची भिन्न-भिन्न हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त पदों पर तैनात कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची प्रदेश स्तर पर प्रकाशित करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक मैकेनिक से मैकेनिक, मैकेनिक से जूनियर फोरमैन तथा जूनियर फोरमैन से सीनियर फोरमैन–II के पद पर प्रोन्नति का अधिकार सम्बन्धित इकाई/जोन के प्रधान प्रबन्धकों में निहित है । जोन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के कार्मिकों को प्रोन्नति जोनल वरिष्ठता के आधार पर की जाती है तथा वरिष्ठ सूची प्रत्येक मण्डल/एलेन फारेस्ट/केन्द्रीय कार्यशाला स्तर पर पृथक-पृथक रखी जाती है ।

उ०प्र०रा०स०प०नि० में अनुसूचित जाति के डिप्लोमाधारियों को प्रोन्नति कर मैकेनिक बनाये जाने की जानकारी

56–श्री विजय कुमार–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र०रा०स० प०नि० में अनुसूचित जाति के डिप्लोमाधारियों को प्रोन्नति प्रदान कर मैकेनिक बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

मैकेनिक संवर्ग के रिक्त पदों को 50% निचले संवर्ग से प्रोन्नति द्वारा एवं 50% सीधी भर्ती से भरे जाने का प्राविधान है । मैकेनिक पद पर प्रोन्नति सहायक मैकेनिक पद से की जाती है । सहायक मैकेनिक संवर्ग में अनुसूचित जाति का कोई डिप्लोमा धारी तैनात नहीं है ।

जनपद इलाहाबाद के उ०प्र०रा०स०प० निगम क्षेत्रीय कार्यशाला झूंसी में चोरी की दर्ज प्राथमिकता की जांच पर कार्यवाही

57–श्री विजय कुमार–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र०रा०स०प० निगम के क्षेत्रीय कार्यशाला झूंसी, इलाहाबाद में दिनांक 13/14 सितम्बर, 2000 की अर्द्धरात्रि को दीवार के पूर्वी छोर से लगे बिजली के तार को काटकर चोर अन्दर घुस आये थे और 5 नग इंजन टेपिट कवर बाहर गांव वालों द्वारा शोर मचाने पर छोड़ कर भाग गये थे ? यदि हां, तो क्या इस चोरी की प्राथमिकी सम्बन्धित थाने में दर्ज करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सीनियर फोरमैन द्वारा दिनांक 14-9-2000 को सुबह उक्त चोरी के सम्बन्ध में लिखित रूप से सेवा प्रबन्धक को सूचित किया था ? यदि हां, तो उस पर विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार प्राथमिकी दर्ज कराने में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थानाध्यक्ष को सेवा प्रबन्धक के पत्र दिनांक 14-9-2000 के द्वारा लिखित सूचना दी गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

विभागीय जांच करायी गयी । जांच में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया और न ही निगम को कोई हानि हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

क्योंकि प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई उदासीनता नहीं बरती गयी ।

जनपद इलाहाबाद उ०प्र०रा०स०प० निगम क्षेत्रीय कार्यशाला झूंसी में व्याप्त भ्रष्टाचार के संदर्भ में अध्यक्ष परिवहन निगम को संबोधित पत्र पर जांचोपरान्त निराधार शिकायतें

58–श्री विजय कुमार–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र०रा०स०प० निगम के क्षेत्रीय कार्यशाला झूंसी, इलाहाबाद में व्याप्त गम्भीर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद् के मंत्री श्री चन्द्रबली उपाध्याय सहायक वल्कनाइजर द्वारा अध्यक्ष परिवहन निगम को सम्बोधित शिकायती-पत्र 18-7-1998 जो 27-7-1998 को क्षेत्रीय कार्यशाला में निरीक्षण के दौरान प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

शिकायती-पत्र दिनांक 18-7-98 में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच कराई गयी । जांचोपरान्त शिकायतें असत्य एवं निराधार पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य भण्डारागार निगम के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के स्थायीकरण का प्रकरण

59—श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य भण्डारागार निगम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थायी कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निगम द्वारा बढ़े हुए कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार आकस्मिक श्रमिकों को दैनिक वेतन पर रखा जाता है ।

जनपद शाहजहांपुर थाना जैतीपुर में स्व० श्री ऋषिपाल के मृत्यु के सम्बन्ध में जांच प्रकरण की जानकारी

60—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे सोमवार के अता० प्र० सं०–101 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-5-98 की जांच किस अधिकारी द्वारा किस तिथि में की गयी ? जांच के समय किन-किन व्यक्तियों के बयान लिए गये ? क्या जांच के समय

प्रश्नकर्ता/शिकायतकर्ता को भी बुलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त जांच किसी अन्य उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

दिनांक 23-5-98 के पत्र की जांच तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, नगर जनपद बदायूं द्वारा करायी गयी जो दिनांक 9-3-99 को पूर्ण हुई ।

मौके पर उपस्थित पुलिस कर्मियों एवं घटना स्थल के आस पास के व्यक्तियों के बयानों के अतिरिक्त मृतक ऋषिपाल सिंह के परिजनों की ओर से शिकायतकर्ता श्रीमती गुड्डो पत्नी ऋषिपाल सिंह, रामवीर पुत्र ऋषिपाल, रूपराम सिसोदिया आदि के बयान अंकित किये गये जांच के समय प्रश्नकर्ता/शिकायतकर्ता को नहीं बुलाया गया ।

क्योंकि शिकायत कर्ता द्वारा की गयी शिकायत के संबंध में पूर्व में ही मैजिस्ट्रीयल जांच सम्पादित की जा चुकी थी ।

चूंकि प्रकरण में मैजिस्ट्रीयल जांच सम्पादित की जा चुकी थी, अतः ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य उच्चाधिकारी से जांच कराये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

जनपद मैनपुरी, थाना बिछवा के श्री अमर सिंह पुत्र श्री परसुराम सिंह द्वारा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

61—श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि अमर सिंह पुत्र परसुराम सिंह निवासी सियरई थाना बिछवा जनपद मैनपुरी द्वारा कतिपय असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-10-99 एवं 14-12-99 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी को दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

श्री अमर सिंह पुत्र परसुराम सिंह निवासी सिमरई, थाना विछवा, जनपद मैनपुरी का प्रश्न में संदर्भगत प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-10-99 एवं 14-12-99 प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि 11-10-99 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ।

प्रार्थना-पत्र में इंगित घटना की जांच करायी गयी, जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

जनपद सीतापुर के कतिपय थानों पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

62—श्री रमेश राही–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के चौथे सोमवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–127 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक सीतापुर द्वारा थानों में दूरभाष लगाये जाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

थाना रामपुर कला पर टेलीफोन स्थापित कर दिया गया है । थाना सकरन व थानगांव पर टेलीफोन लगाये जाने हेतु टेलीफोन विभाग से अनुरोध किया गया है ।

जनपद बरेली के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक श्री राम औतार मिश्र के सेवानिवृत्ति पश्चात् उनके देयों के भुगतान की जानकारी

63—श्री रमेश राही–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम औतार मिश्र विपणन निरीक्षक दिनांक 31-7-97 को सम्भागीय खाद्य नियंत्रक बरेली के खुटार केन्द्र से सेवा निवृत्त हुए थे ? क्या उन्हें आज तक फण्ड तथा ग्रेच्युटी आदि का भुगतान उन्हें नहीं किया गया है ? क्या सरकार समस्त भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

पेंशन राशिकरण, सामूहिक बीमा अर्जित अवकाश का नकदीकरण तथा जी० पी० एफ० के 90 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा उपादान की राशि के भुगतान आदेश दिनांक 27-2-2001 को जारी किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

64—श्री अजय कुमार पोइया–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

जनपद मथुरा, थाना फरह में मु० अ० सं० 69/99 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक शिकायती-पत्र

65—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं०–69/99 थाना फरह, जिला मथुरा के मुल्जिमानों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की कार्यवाही करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/36746/मथुरा/2000, दिनांक 25-8-2000 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

मु० अ० सं०–69/99 धारा 323/324/325/504/506 भा० द० वि० थाना फरह पर वादी जग्गो पुत्र भगवान सिंह नि० नगला हरिया, फरह मथुरा द्वारा सर्वश्री वीरी पुत्र फकीरा तथा बृजलाल पुत्र फकीरा निवासीगण नगला हरिया, थाना फरह, मथुरा के विरुद्ध दि० 23-4-99 को पंजीकृत कराया गया जिसमें दोनों अभियुक्तों को दिनांक 21-5-99 को गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त अभियोग में विवेचना के बाद आरोप-पत्र सं०–54, दि० 24-5-99 को दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

जनपद औरैया, थाना आयाना में मु० अ० सं० 139/99 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र

66—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं०–139/99 थाना अयाना, जनपद औरैया के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–

2/37829/ मथुरा/2000, दिनांक 21-9-2000 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, औरैया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजनाथ सिंह–

मुकदमा अपराध संख्या 139/99 थाना आयाना, जनपद औरैया के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने विषयक विधायक कोष्ठक के पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम०/37829/मथुरा/2000, दिनांक 21 सितम्बर, 2000 पुलिस अधीक्षक, औरैया के कार्यालय में आना नहीं पाया गया है किन्तु मु०अ०सं०–139/99, थाना आयाना जनपद औरैया की विवेचना श्री श्रवण कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के उपरान्त उक्त अभियोग में अभियुक्तों की नामजदगी गलत पायी गयी तथा सही अभियुक्तों का पता न लगने के कारण अन्तिम रिपोर्ट सं०–3 दिनांक 3-4-2000 को प्रस्तुत की गयी है ।

उ० प्र० रा० स० प० निगम में तकनीकी सेवा संवर्ग पदों में भर्ती हेतु ट्रेड टेस्ट एवं तकनीकी कार्य हेतु अनिवार्य तकनीकी ज्ञान

67—श्री विजय पाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र०रा०स० प०नि० में तकनीकी सेवा सम्वर्ग के पदों पर भर्ती के समय ट्रेड टेस्ट लिया जाता है ? यदि हां, तो प्रत्येक प्रोन्नति के समय भी ट्रेड टेस्ट लेने के क्या कारण हैं ? क्या गैर तकनीकी सेवा संवर्ग में प्रोन्नति वरिष्ठता के आधार पर दी जाती है ? यदि हां, तो क्या तकनीकी सेवा सम्वर्ग में भी वरिष्ठता के आधार पर मानकर प्रोन्नति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

सम्बन्धित पद के कार्य की प्राविधिक जानकारी की आवश्यकता एवं अपरिहार्यता को देखते हुए ट्रेड टेस्ट का प्राविधान प्रत्येक प्रोन्नति के समय रखा गया है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

तकनीकी कार्य के सम्पादन के लिए तकनीकी ज्ञान अनिवार्य है ।

जनपद इलाहाबाद, उ० प्र० रा० स० प० निगम के क्षेत्रीय कार्यशाला झूंसी के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक प्राविधिक द्वारा एक साथ सम्पादन व अध्ययन के कार्य की जानकारी

68—श्री विजय पाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र०रा०स० प०नि० के क्षेत्रीय कार्यशाला झूंसी, इलाहाबाद में कार्यरत श्री अमित, हितकारी सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्राविधिक क्या किसी अन्य संस्थान में अध्ययनरत हैं ? यदि हां, तो क्या उनके द्वारा विभागीय कार्यों का सम्पादन तथा अध्ययन का कार्य दोनों एक साथ किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक ने इनकी ड्यूटी अपने पत्रांक संख्या–10025, दिनांक 19-12-2000 द्वारा दिनांक 21-12-2000 से 23-12-2000 तक विभिन्न मार्गों पर निरीक्षण करने के लिए लगायी थी ? यदि हां, तो क्या इनके द्वारा उक्त तिथियों को ड्यूटी की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री अमित हितकारी, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (प्राविधिक) उक्त अवधि में अवकाश पर थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में यहियागंज युवा व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों द्वारा श्री निर्मल तिवारी उपाध्यक्ष पर लगाये गये आरोपों की जांच

69—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-3-98 जो जनपद लखनऊ में याहियागंज युवा व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों द्वारा निर्मल तिवारी उपाध्यक्ष पर लगाये गये आरोपों की उच्च स्तरीय जांच के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र दिनांक 5-3-98 को प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त को जांच के लिए भेजा गया ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

जी नहीं ।

परन्तु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-1-1998 यहियागंज युवा व्यापार मण्डल के अध्यक्ष के दिनांक रहित शिकायती पत्र के सहित मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र, दिनांक 5-3-1998 प्राप्त हुआ था ।

जी नहीं ।

परन्तु पत्र दिनांक 21-1-1998 प्राप्त हुआ था ।

उपरोक्तानुसार प्राप्त शिकायती-पत्र पर आयुक्त, व्यापार कर के माध्यम से जांच करायी गयी, जिसमें श्री निर्मल कुमार तिवारी, उप आयुक्त, व्यापार एवं विभाग के किसी अन्य अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया । जांचोपरान्त कृत कार्यवाही की सूचना माननीय विधायक को पत्र, दिनांक 24-4-1998 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित भी की जा चुकी है ।

जनपद बिजनौर के चीफ कैशियर श्री राकेश कुमार त्रिपाठी पर सरकारी धन के गबन का प्रकरण

70—श्री सीताराम निषाद–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जगदीश प्रसाद शर्मा चीफ कैशियर बिजनौर के नाम से दिनांक 6-4-1987 से 16-3-1991 तक का वेतन लगभग मु० 1,23000/- (एक लाख तेइस हजार रुपया) श्री राकेश कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ कोषाधिकारी बिजनौर द्वारा आहरण कर सरकारी धन का गबन किया गया है ? क्या उक्त अवधि में जगदीश प्रसाद शर्मा नामक कोई व्यक्ति चीफ कैशियर बिजनौर के पद पर कार्यरत था ? यदि नहीं, तो इस वित्तीय अनियमितता के लिए क्या श्री राकेश कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ कोषाधिकारी, बिजनौर को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर, थाना हरगांव में मु०अ०सं०–183/2000 में हत्या के अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

71—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं०–183/ 2000 थाना हरगांव जनपद सीतापुर के हत्या अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/ वि०को०/ एम–2/36723/ मथुरा/2000, दिनांक 25-8-2000 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

आवेदक श्री संतोष कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, नि० नवाबगंज, थाना नवाबगंज, जनपद उन्नाव की तहरीर पर दि० 28-7-2000 को मु० अ० सं०–183/2000 धारा 498ए/304बी भा० दं० वि० व 3/4 दहेज अधि० का अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद द्वारा की गयी । नामजद अभियुक्तों में से भानु प्रताप पुत्र श्री सुभाष चन्द्र रस्तोगी (पति मृतक) दिनांक 5-9-2000 गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्तगण सुभाष चन्द्र रस्तोगी पुत्र स्व० हीरालाल व श्रीमती रानी पत्नी सुभाष चन्द्र की गिरफ्तारी के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 13-9-2000 को दिया गया है । कु० कंचन व कु० राधा की नामजदगी विवेचना से गलत पायी गयी । तीनों अभियुक्तों भानु, सुभाष व रानी के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या–22, दिनांक 24-9-2000 को न्यायालय भेजा जा चुका है ।

लखनऊ, थाना सआदतगंज में मु० अ० सं० 98/2000 के वादी की जानमाल की सुरक्षा/गिरफ्तारी विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

72—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं०–98/ 2000 थाना सआदतगंज, लखनऊ के वादी की जानमाल की सुरक्ष तथा मुल्जिमानों की गिरफ्तारी करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/ वि०को०/एम–36745/मथुरा/2000, दिनांक 25-8-2000 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

श्री केशव कुमार गुप्ता की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सआदतगंज पर मु० अ० सं० 98/2000 धारा 420/504/506 भादंवि बनाम कल्लू उर्फ शौकत अली, संतोष बाजपेयी, राकेश बाजपेयी, गुड्डू मिश्रा पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी । विवेचना के मध्य विवादित भूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी दोनों पक्षों द्वारा अपने पक्ष में कोई ठोस अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका है । उप जिलाधिकारी सदर की जांच से भी भूमि का मालिकाना हक स्पष्ट नहीं हो सका । विवादित भूमि को धारा 145 सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत कुर्क करने की कार्यवाही दिनांक 25-9-2000 को की गयी तथा विपक्षीगण के शस्त्र निलम्बन हेतु रिपोर्ट दिनांक 25-9-2000 को प्रेषित

की गयी है । प्रतिवादी गण के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण न मिलने के कारण पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं की जा सकी है एवं विवेचना प्रचलित है ।

जनपद मैनपुरी में कृषकों से धान क्रय करने हेतु खोले गये क्रय केन्द्रों का विवरण

73—श्री राम औतार शाक्य–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में दिनांक 1-10-2000 के बाद अब तक धान खरीद के लिए कितने सरकारी केन्द्र कब से कहां-कहां पर खोले गये और उनमें अब तक किसानों से कितने धान की खरीद की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त धान खरीद केन्द्रों पर किसानों का कोई धान नहीं खरीदा गया और फर्जी व गलत आंकड़े प्रस्तुत किये गये ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद मैनपुरी में मूल्य समर्थन योजना में कृषकों से धान की खरीद हेतु दिनांक 1-10-2000 से निम्नलिखित क्रय केन्द्र खोलकर उनके सम्मुख उल्लिखित मात्रा में धान की खरीद की गयी है ।

	(मात्रा मी० टन में)
1–मैनपुर (हाट शाखा)	601.15
2–भोगांव (हाटे शाखा)	256.72
3–बेवर	124.85
4–किशनी	79.01
5–कुसमरा	93.04
6–करहल	74.12
7–घिरौर	212.59
8–कुरावली	105.81
9–बरनाहल	10.12
10–कुचेला	58.37
11–अजीतगंज	77.50
12–भोगांव (पी० सी० एफ०)	128.80
13–अरमसराय	39.29
14–अलीपुर पट्टी	14.55
15–करीमगंज	33.70
16–कुरावली (पी० सी० एफ०)	126.12
17–रतीभानपुर	31.90
18–मैनपुरी (यू०पी० एस० एस०)	41.80
योग =	2109.43 मी० टन

जी नहीं, सम्पूर्ण धान खरीद कृषकों से ही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद अलीगढ़, थाना जवां के ग्राम बहादुरपुर रिपोर्टिंग चौकी कासिमपुर के कतिपय पुलिस कर्मी व एस० आई० श्री राजेश कुमार के विरुद्ध दर्ज मु०अ०सं० 351/2000 न्यायालय में विचाराधीन कथित प्रकरण

74–श्री लाल सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 22-9-2000 को थाना जवां, जनपद अलीगढ़ के ग्राम बहादुरपुर रिपोर्टिंग चौकी कासिमपुर पावर हाउस में श्री राम दास दोहरे एस०आई०, श्री राजेश कुमार पुलिस कान्सटेबिल श्री किरन पाल सिंह तथा मुकेश बाबू के विरुद्ध अपराध संख्या–351/2000 में मुकदमा दर्ज किया गया था ? क्या आगरा विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने उक्त कर्मियों के हथियार से कोई फायर न होने की रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ तथा इन्सपेक्टर थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ़ को दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्दोष कर्मियों को विभागीय कार्यवाही से मुक्त करके उसी तिथि से सेवा में बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि विवेचना के दौरान उक्त पुलिस कर्मी दोषी पाये गये जिसमें अभियुक्तगण आर० डी० दोहरे दि० 18-10-2000 को कान्स० किरन पाल सिंह एवं कान्सं० मुकेश बाबू दि० 19-10-2000 को राजेश कुमार वर्तमान में उ० नि० दि० 31-10-2000 को हाजिर अदालत होकर जेल भेजे गये ।

वादी व अन्य गवाहानों से पूछतांछ पर उपरोक्त चारों पुलिस कर्मियों के अलावा अन्य किसी को पहचानना नहीं बताया गया । विवेचना से अभियुक्तगण राजेश कुमार उ० नि०, कान्स० किरनपाल सिंह व कान्स० मुकेश बाबू के विरुद्ध अभियोग चलाये जाने हेतु उक्त तीनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आरोप पत्र सं०–18 दि० 26-1-2001 को प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय के बिचाराधीन है । उ० नि० आर० डी० दोहरे के जनपद बुलन्दशहर पर स्थानान्तरण पर जाने के कारण उनके विरुद्ध अभियोग चलाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को आख्या प्रेषित की गयी है । वर्तमान में श्री दोहरे के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है ।

जनपद अलीगढ़, थाना जवां के पुलिस कर्मी द्वारा (जी०डी०) का पन्ना फाड़ने सम्बन्धी मा० न्यायालय को प्रेषित आरोप

75–श्री लाल सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थाना जवां, जनपद अलीगढ़ के पुलिस कान्सटेबिल श्री किरन पाल सिंह तथा मुकेश बाबू के विरुद्ध दिनांक 22-9-2000 को जनरल डायरी (जी०डी०) का पन्ना फाड़ने सम्बन्धी कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, चूंकि प्रकरण में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है अतः अब उच्च स्तरीय जांच का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर, विकास खण्ड गैडास बुजुर्ग के ग्राम कुडऊबौडियार आदि के सस्ता गल्ला विक्रेता की काला बाजारी की जांच की मांग

76–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक कोष्ठक के पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम०/39031/गोण्डा/2000, दिनांक 30-10-2000 के साथ जो जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गैडास बुजुर्ग के ग्राम कुडऊ बौडियार तथा मोहम्मदपुर बजरहां के सस्ता गल्ला विक्रेता द्वारा की जा रही काला बाजारी की जांच करने के सम्बन्ध मे था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी उतरौला द्वारा कराई गई। जांच में पायी अनियमितता के आधार पर श्री लल्लूराम उचित दर विक्रेता ग्राम कुडऊबौडियार की दुकान निलम्बित कर दी गई है। श्री शफरुल्ला उचित दर विक्रेता ग्राम मोहम्मदपुर बजरहां की जांच में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर उप जिलाधिकारी, उतरौला द्वारा इन पर 1000/- रुपये के अर्थदण्ड देते हुए सम्बन्धित उचित दर विक्रेता को कड़ी चेतावनी दे दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

77–श्री हरदेव सिंह तथा श्री जय प्रकाश–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

जनपद मैनपुरी के वर्तमान जिलाधिकारी कार्यालय में लम्बित आग्नेयास्त्रों के विवरण की जानकारी

78–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी- में वर्तमान जिलाधिकारी के कार्यकाल में अब तक आग्नेयास्त्रों के कितने अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये गये ? उनमें से कितने वारिस/ट्रान्सफर एवं कितने नये लाइसेंस हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितने प्रार्थना-पत्र अब तक एस०पी०/उप जिलाधिकारी की रिपोर्टों के बाद जिलाधिकारी के कार्यालय में लम्बित हैं ? ऐसे लम्बित प्रार्थना-पत्रों को कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

वर्तमान जिलाधिकारी, मैनपुरी के कार्यकाल में प्रश्न पूछे जाने की तिथि 25-1-2001 तक आग्नेयास्त्रों के 386 अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये गये हैं।

उनमें से 45 विरासत एवं 21 स्थानान्तरण के आधार पर तथा 320 नये शस्त्र अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये गये हैं।

एस०पी०/उप जिलाधिकारी की रिपोर्टों के बाद 1316 शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्र इस समय जिलाधिकारी कार्यालय में लम्बित हैं।

चूंकि पुलिस/राजस्व विभाग की संस्तुति प्राप्त हो जाने के बाद आयुध अधिनियम की धारा–13 के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवेदक को वास्तविक जीवन भय के सही प्रमाणिक मूल्यांकन तथा शस्त्र/लाइसेंस की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किया जाना अपेक्षित होता है जिसके सम्बन्ध में लाइसेंसिंग प्राधिकारी की संतुष्टि/समाधान हेतु अन्य बिन्दुओं पर भी जांच/सूचना आदि की आवश्यकता हो सकती है और उसी परिपेक्ष्य में आवेदक के प्रार्थना-पत्र पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक से निर्णय लिया जाता है । अतः शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्र के अन्तिम निस्तारण हेतु कोई सुनिश्चित समयावधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

लखनऊ, यहियागंज के पाण्डेय का तालाब कालोनी में राशन की दुकान द्वारा नियमित वितरण न किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

79–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यहियागंज क्षेत्र पाण्डेय का तालाब कालोनी, लखनऊ स्थित कुलजीत कौर की राशन की दुकान से मिट्टी का तेल व अन्य सामग्री का नियमित वितरण न किये जाने के सम्बन्ध मे श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय व अन्य निवासीगण, मोतीझील कालोनी, लखनऊ का शिकायती-पत्र दिनांक 23-12-2000 जिलाधिकारी, लखनऊ को जांच हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

संदर्भगत शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ।

कु० कुलजीत कौर, उचित दर विक्रेता मोतीझील क्षेत्र यहियागंज के विरुद्ध चीनी/मिट्टी का तेल आदि के वितरण में अनियमितता करने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय व अन्य से प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई । जांच में वितरण में अनियमितता की शिकायत की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई, जिसके आधार पर कुलजीत कौर की दुकान को निलम्बित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, थाना खाला बाजार में श्री दुष्यन्त गुप्ता द्वारा मु०अ०सं० 315/2000 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्यवाही

80–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दुष्यन्त गुप्ता, निवासी लखनऊ व उनके परिजनों को सुश्री गीता व बबली द्वारा घर में घुसकर गाली गलौज करने, शारीरिक क्षति पहुंचाने तथा जानमाल की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना खाला बाजार, लखनऊ में मुकदमा अपराध संख्या–315/2000 अन्तर्गत धारा 452/504/506, भा०दं०सं० दिनांक 23-11-2000 दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

श्री दुष्यन्त कुमार गुप्ता की सूचना के आधार पर दिनांक 27-11-2000 को थाना बाजारखाला पर मु०अ०सं० 315/2000 धारा 452/504/506 भादंवि बनाम बबली, गीता पुत्री मनोहर सिंह पंजीकृत किया गया था ।

विवेचना से मात्र गाली देकर वादी को अपमानित करना तस्दीक हुआ है । अतः वर्तमान में धारा 504 भादंवि के अन्तर्गत अभियोग की विवेचना प्रचलित है । दोनों पक्षों के विरुद्ध 107/116 द०प्र०सं० की कार्यवाही भी की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

81–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ, अलीगंज सरकारी आवास सं० एल०के०एस०–2 पुरनियां में कु० अनुसुईया शर्मा के आवास आवंटन का प्रकरण

82–श्री उबैदुर्रहमान–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–37 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं०–36/29-8-2000–ए०क्यू०/10/99, दिनांक 8 फरवरी, 2000 के क्रम में निगम की वरिष्ठ निरीक्षिका से सरकारी आवास सं०–एल०के०एस०–2, पुरनिया अलीगंज लखनऊ के आवंटन पर उनके वेतन से मकान किराया भत्ता की वसूली के आदेशों को पुनः शासनादेश संख्या–440/29-8-2000 ए०क्यू० 19/99 दिनांक 18-10-2000 द्वारा निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो वसूली के आदेश को निरस्त करने के क्या कारण हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

कु० अनुसुईया शर्मा के प्रत्यावेदन पर, मामले में पुनर्विचार करने तथा राज्य सम्पत्ति विभाग से पुनः स्थिति स्पष्ट कराये जाने पर यह पाया गया कि कु० अनुसुईया शर्मा को जो आवास आवंटित किया गया है वह निगम कर्मी की हैसियत से नहीं किया गया है । अतः उपर्युक्त आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा उपर्युक्त आदेश दिनांक 8 फरवरी, 2000 को निरस्त कर दिया गया ।

जनपद आगरा, फतेहाबाद के ग्राम भोलापुरा में पुलिस फायरिंग में घायल युवक के प्रकरण पर कार्यवाही

83–श्री विजय पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के फतेहाबाद कस्बे से मात्र 3-4 कि०मी० की दूरी पर स्थित ग्राम भोलापुरा में माह दिसम्बर, 2000 में पुलिस द्वारा गोली चलाने से एक युवक घायल हो गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त गांव में किसी विवाद को लेकर पंचायत करते समय पुलिस द्वारा ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार भी किया गया था ? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

मुठभेड़ के दौरान दि० 19-12-99 को गगनिया व बचना गैंग से ग्राम भोलपुरा में हुई मुठभेड़ के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में उक्त ग्राम के जवाहर पुत्र राम चरन को गोली लगी जिससे वह घायल हो गया । उक्त घटना माह दिसम्बर, 2000 की न होकर दिसम्बर, 1999 की है ।

जी नहीं ।

घटना में कथित घायल जवाहर को घायल अवस्था में पुलिस द्वारा ही तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था । प्रकरण में कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में विदेशी पर्यटक द्वारा ताजमहल की छत पर जबरन चढ़ने का प्रकरण

84–श्री विजय पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा में माह दिसम्बर 2000 को ए०डी०एम० सिटी, एस०पी० सिटी, एस०डी० एम० आदि के सामने ही पुलिस द्वारा दो विदेशी पर्यटकों टोनी स्क्रेबर तथा सरोबा पर ताज महल परिसर में लाठी चार्ज किया गया था ? यदि हां, तो लाठी चार्ज करने के क्या कारण थे ? क्या विदेशी पर्यटकों पर लाठी चार्ज करने वाले तथा वहां मौजूद उक्त अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

भारत का राजपत्र शुक्रवार दि० 5 जनवरी, 2001 जो संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) का०आ० 10(अ) दि० 5 जनवरी, 2001 के अनुसार आगरा स्थित ताजमहल जो एक संरक्षित स्मारक है । प्रत्येक शुक्रवार को ताजमहल परिसर की मस्जिद में उनकी अपराह्न की नमाज के लिये 12-00 से 14-00 घण्टों के बीच पुरातत्व अधिकारी उसके एजेन्ट, अधीनस्थ कर्मचारी या ड्यूटी पर अन्य किसी सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य के लिये नहीं खुलेगा दि० 15 जनवरी 2001 से लागू किया गया है ।

उक्त आदेश के लागू होने के उपरान्त दि० 19 जनवरी, 2001 को समय लगभग 14-00 बजे तीन विदेशी पर्यटक टोनी स्क्रैबर अब्राहम एन फ्रान्सिस तथा नो ह्यंजिन एन कोरिया ने ताजमहल के पूर्वी गेट के आगे गौशाला में मरम्मत का कार्य कर रहे मजदूरों एवं चौकीदारों को धक्का देकर अवैध रूप से पीछे से प्रवेश कर ताजमहल की छत पर जबरन चढ़ गये, जिनको वहां पर उपस्थित सुरक्षा कर्मियों द्वारा पुलिस की सहायता से पकड़ लिया गया ।

विदेशी पर्यटकों पर लाठी चार्ज नहीं किया अतः वहां मौजूद उक्त अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उक्त तीनों विदेशी पर्यटकों के विरुद्ध गौशाला ताजमहल की छत पर चढ़ने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के सम्बन्ध में मु०अ०सं०–23/2001 धारा 352/353 भा०द०वि० एवं प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व अवशेष अनुरक्षण अधिनियम, 1958 (ऐक्ट नम्बर 24) की धारा 30 की उपधारा (1) के अन्तर्गत थाना ताजगंज, आगरा पर दि० 19 जनवरी, 2001 को पंजीकृत कराया गया ।

उपरोक्त तीनों अभियुक्तों का जिला अस्पताल, आगरा में डाक्टरी परीक्षण कराया गया । डाक्टरी परीक्षण में नामित दो अभियुक्तों के कोई चोट नहीं पायी गयी, एक अभियुक्त टोनी स्क्रैबर के दाहिने पैर रगड़ जाने से खरोच पायी गयी, जो सम्भवतः दीवार पर चढ़ते समय या उतरते समय आ सकती है ।

विदेशी पर्यटकों के साथ किसी प्रकार का लाठी चार्ज/दुर्व्यवहार नहीं किया गया, बल्कि उक्त विदेशी पर्यटकों द्वारा अवैधानिक रूप से ताजमहल की छत पर चढ़ने एवं सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने पर शान्ति व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यवाही की गयी है ऐसी स्थिति में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मैनपुरी, थाना बेवर में गत वर्ष हुई हत्याओं का विवरण

85–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम खजुरिया थाना–बेवर जनपद मैनपुरी में वर्ष 2000 में कितनी हत्यायें हुईं और उनका विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त गांव की संवेदनशीलता को देखते हुये कम से कम एक वर्ष के लिये सुरक्षा बल तैनात करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

ग्राम–खजुरिया थाना–बेवर, मैनपुरी में वर्ष 2000 में दो हत्यायें हुई । जिनका विवरण निम्नवत् है :–

(1) श्री गंगाराम कठेरिया की हत्या के सम्बन्ध में मु०अ०सं०–267/2000 थाना बेवर पर पंजीकृत हुआ था जिसमें आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

(2) श्री खुशीराम की हत्या के सम्बन्ध में मु०अ०सं०–516/2000 थाना–बेवर पर पंजीकृत हुआ था जिसमें आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

चूंकि वर्तमान समय में ग्राम खजुरिया थाना–बेवर की स्थित सामान्य है एवं थाना स्तर से पुलिस गश्त भेजी जा रही है अतः अतिरिक्त सुरक्षा बल की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद औरैया, थाना अजीतमल में मु० अ० सं० 686/99 की सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराने हेतु शिकायती-पत्र

86—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या–6686/99 थाना अजीतमल, जिला औरैया की सी०बी०सी० आई०डी० से जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–/34594/मथुरा/2000, दिनांक 1-5-2000 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजनाथ सिंह–

संदर्भित प्रश्न में उल्लिखित मु० अ० सं०–6686/99 थाना अजीतमल, जनपद औरैया की सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराये जाने विषयक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ । दिनांक 15-12-99 को वादी श्री शिवनाथ सिंह पुत्र श्री केशव सिंह निवासी मोहल्ला अम्बेडकर नगर, थाना अजीतमल की सूचना पर विपक्षीगण योगेन्द्र पुत्र हुला राम, महेश चन्द्र पुत्र मैकू लाल निवासी मोहला अम्बेडकरनगर, सलीम पुत्र मुकीम निवासी मोहल्ला इस्लाम नगर कस्बा बाबरपुर थाना अजीतमल तथा देवेन्द्र पुत्र रघुवीर निवासी रजपुरा के विरुद्ध मु० अ० सं०–686/99 अन्तर्गत धारा–364 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त बृजेश पुत्र लल्लू खटिक प्रकाश में आया जो कि मोहल्ला अम्बेडकर नगर का निवासी है ।

अपहृत शिवम पुत्र गुरूवेन्द्र सिंह निवासी मोहल्ला अशोक नगर उम्र करीब 03 वर्ष, को उक्त अभियुक्तों के कब्जे से थाना अजीतमल की पुलिस द्वारा दिनांक 16-12-99 को बरामद किया गया । अभियुक्त योगेन्द्र, महेश चन्द्र व सलीम को दिनांक 15-12-99 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है । अभियुक्त देवेन्द्र व बृजेश के विरुद्ध धारा 82/83 दं० प्र० सं० की कार्यवाही पूर्ण की गयी । अभियुक्त देवेन्द्र दिनांक 3-5-2000 को तथा अभियुक्त बृजेश दिनांक 11-1-2000 को हाजिर न्यायालय होकर जेल भेज दिये गये हैं । अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं०–37 दिनांक 6-3-2000 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

जनपद गोण्डा, तहसील मनकापुर में आई० टी० आई० फैक्ट्री द्वारा गन्दे जल प्रवाह को रोकने का प्रकरण

87—श्री राम विशुन [illegible]जाद–

क्या पर्यावरण [illegible] को जानकारी है कि तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा में आई०टी०आई० फैक्ट्री मनकापुर का [illegible] पानी मनवर नदी में गिराया जा रहा है ? जिससे [illegible] जल प्रदूषित हो रहा

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गन्दा पानी रोकने के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

प्रश्नगत उद्योग मेसर्स आई० टी० आई० लि०, मनकापुर, गोण्डा में उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है । उक्त उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र की मानीटरिंग भारत सरकार के संस्थान इण्डियन टाक्सीलोजिकल रिसर्च सेन्टर लखनऊ द्वारा किया गया और उद्योग से निस्तारित उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है ।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन की दुकानों से खाना पकाने की गैस धारक को प्रतिकार्ड मिट्टी के तेल के वितरण की जानकारी

88—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या खाना पकाने की गैस धारक उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन की दुकानों) से मिट्टी तेल नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त गैस धारकों को पुनः मिट्टी का तेल देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत एल० पी० जी० कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं को 3 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्र के बिना एल० पी० जी० कनेक्शन धारी राशन कार्ड धारकों एवं ग्रामीण क्षेत्र के कार्ड धारकों को 5 लीटर प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड मिट्टी तेल दिया जाता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ, पवन इण्डस्ट्रीज डालीगंज पर व्यापार कर एवं ब्याज की वसूली हेतु नीलामी की जानकारी

89—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पवन इण्डस्ट्रीज डालीगंज, लखनऊ पर बकाया रुपया 34, 16, 634.00 व्यापार कर एवं ब्याज की धनराशि की वसूली हेतु फर्म के मालिक श्री ओम प्रकाश अग्रवाल तथा भीमराज अग्रवाल के मकान की नीलामी विज्ञापन दिनांक 18 जून, 1995 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में निकाला गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त नीलामी की कार्यवाही पूर्ण करके व्यापार कर की बकाया धनराशि जमा की गयी ? यदि हां, तो कितनी और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

जी हां ।

खरीदारों के अभाव में नीलामी नहीं हो पायी । इसलिए व्यापार कर की बकाया धनराशि जमा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, पवन इण्डस्ट्रीज डालीगंज पर बकाया व्यापार कर की धनराशि व प्रकरण की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

90—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे पवन इण्डस्ट्रीज डालीगंज लखनऊ पर इस समय कितना रुपया व्यापार कर का बकाया है ? क्या यह सही है कि उक्त फर्म के मालिक द्वारा इण्डस्ट्री बन्द करके उसकी मशीनें बेच देने के बाद भी व्यापार कर की धनराशि अभी तक जमा नहीं की गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर व्यापार कर न जमा कराने के लिये दोषी जनों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

सर्वश्री पवन इण्डस्ट्रीज, डालीगंज, लखनऊ पर वर्तमान में रु० 34.20 लाख व्यापार कर एवं ब्याज बकाया है ।

जी हां ।

जांच करायी गयी, बकाया व्यापार कर न जमा करने के लिए फर्म के मालिक को गिरफ्तार करके चौदह दिन अभिरक्षा में रखा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सचिवालय में खाद्य तथा रसद सचिव शाखा में कतिपय अवर वर्ग सहायकों को प्रथम श्रेणी की यात्रा का लाभ दिये जाने की शिकायत

91—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य तथा रसद सचिव शाखा उ० प्र० सचिवालय में वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 में विशेष वेतन तथा सचिवालय भत्ता को मूल वेतन में सम्मिलित करते हुए सरकारी दौरे में प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का लाभ शाखा के अवर वर्ग सहायकों को दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त भुगतान नियमानुसार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

खाद्य तथा रसद सचिव शाखा, उ० प्र० सचिवालय में आलोच्य वर्षों में केवल सचिवालय विशेष वेतन को मूल वेतन में सम्मिलित करते हुए सरकारी दौरे में प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का लाभ कतिपय अवर वर्ग सहायकों को वित्त विभाग के परामर्शानुसार दिया गया है ।

जनपद मथुरा, पालीखेड़ा की श्रीमती द्रोपदी देवी पत्नी स्व० श्री रामहरी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आवासीय पट्टा देने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

92—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजनैतिक पेंशन, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती द्रोपदी देवी पत्नी स्व० रामहरी निवासी-पालीखेड़ा जनपद मथुरा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आवासीय पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/ वि०को०/एम-/34338/मथुरा/2000 दिनांक 24-5-2000, प्रमुख सचिव, राजनैतिक पेंशन होमगार्ड नागरिक सुरक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी हां ।

जांचोपरान्त यह पाया गया कि श्रीमती द्रोपदी देवी पत्नी स्व० रामहरी आवास विकास द्वारा बनाये गये आवासों में रह रही हैं, जो नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत है । श्रीमती द्रोपदी देवी पात्रता की श्रेणी में नहीं आती हैं । अतः इन्हें आवासीय पट्टा दिया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर में फायर ब्रिगेड सेन्टर बनवाने विषयक परीक्षण की पूर्ण कार्यवाही

93—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील मुख्यालय पाटन, तहसील बीघापुर, जनपद उन्नाव में फायर ब्रिगेड सेण्टर बनवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो फायर ब्रिगेड सेण्टर कब तक स्थापित किया जायेगा ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जनपद उन्नाव के कस्बा बीघापुर में अग्निशमन केन्द्र खोले जाने विषयक प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, उन्नाव द्वारा अग्निशमन मुख्यालय को प्रेषित किया गया है इसके परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है। स्थापना के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है । अतएव समय सीमा इंगित किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० रा० स० प० निगम लखनऊ की अवध डिपो से सेवानिवृत्त श्री राम चन्द्र के समस्त देयों का भुगतान कराने की मांग

94—श्री अब्दुल मन्नान–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2000 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 67 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामचन्द्र सेवा निवृत्त मजदूर के समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह सही है कि इनके बाद उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सेवा निवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवा निवृत्त के उपरान्त समस्त देयों का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो श्री रामचन्द्र के देयों का भुगतान न करने के क्या कारण हैं ? सरकार श्री राम चन्द्र के समस्त देयों का भुगतान ब्याज सहित कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण ।

जी नहीं ।

परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण ।

परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर नियमानुसार उनके देयों का भुगतान वरीयता क्रमानुसार करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के पूर्व सांसद कुं० आनन्द सिंह एवं श्री कीर्तिवर्धन सिंह की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक को निर्देश

95—श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के पूर्व सांसद कु० आनन्द सिंह एवं श्री कीर्तिवर्धन सिंह की शासकीय सुरक्षा व्यवस्था को हटा लिया गया है जिससे उनके जान माल का खतरा बढ़ गया है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उन्हें सुरक्षा व्यवस्था पुनः मुहैया करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

वर्तमान में कुं० आनन्द सिंह एवं श्री कीर्तिवर्धन सिंह को सुरक्षा यद्यपि प्रदत्त नहीं है परन्तु दोनों महानुभावों के जीवनभय का आंकलन करके सुरक्षा के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, मजरा मधवापुर के ग्राम जलियामऊ काकोरी की श्रीमती गोदावरी के परिवार की जानमाल की सुरक्षा विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

96—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती गोदावरी, पत्नी श्री राम कृष्ण निवासी–मजरा–मधवापुर, ग्राम–जलियामऊ काकोरी लखनऊ के परिवार की जानमाल की सुरक्षा करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०वि०को०/एम–2/34025/ मथुरा/2000, दिनांक 16-5-2000 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के माध्यम से करायी गयी एवं जांच से पाया गया कि आवेदिका के पुत्र कौशल किशोर पर हुए हमले के संबंध में थाना काकोरी पर मु० अ० सं०–150/82 धारा 307/147/148/149 भादंवि विपक्षी गुरू यादव, मेवालाल, शिवकुमार लोध, अनिल एवं शत्रोहन के विरुद्ध दिनांक 18-6-1982 को पंजीकृत किया गया था । सभी अभियुक्तों का चालान आरोप-पत्र सं० 97, दिनांक 22-7-1982 द्वारा न्यायालय किया गया । आवेदिका द्वारा क्रय की गयी भूमि/बाग पर उसी का कब्जा पाया गया । जांच से दिनांक 9-5-2000 को विपक्षीगण द्वारा आवेदिका के मजदूरों को भगा देने की बात सत्य नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हाथरस तहसील सिकन्दराराऊ में फायर ब्रिगेड केन्द्र खोलने की मांग

97—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ मुख्यालय में फायर ब्रिगेड केन्द्र खोलने की कोई योजना शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक फायर ब्रिगेड की स्थापना कर दी जायेगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रस्ताव विचारार्थ प्राप्त हुआ है। इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर, तहसील सहजनवां के ग्राम सभा घुरियापार की राशन की दुकान का निरस्त अनुबन्ध-पत्र

98—श्रीमती गौरी देवी–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला–गोरखपुर तह०–सहजनवां के ग्राम सभा घुरियापार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान शासनादेश सं०–एफ–3967/उन्तीस खाद्य–6 दिनांक 3-7-1990 के अनुसार निरस्त कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक निरस्त कर दी जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी, हां। तहसील सहजनवां के ग्राम सभा घुरियापार, न्याय पंचायत भरपही में कार्यरत उचित दर विक्रेता श्री रामदुलारे यादव की दुकान का अनुबन्ध पत्र 24-2-2001 को निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फैजाबाद, थाना इनायतनगर के ग्राम जमुआ पूरे नन्दू के श्री देवेन्द्र कुमार यादव की हत्या में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

99—श्री राम चन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना इनायत नगर, जिला फैजाबाद के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र कुमार यादव निवासी ग्राम जमुआ पूरे नन्दू, पो०–शेखनपुर, जिला–फैजाबाद को दिनांक 20-7-2000 को की गयी हत्या के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना–इनायत नगर में दर्ज की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

अभियोग में कोई नामजद अभियुक्त नहीं है। अपराध के अनावरण हेतु विवेचक को निर्देशित किया गया है।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, थाना खण्डासा के मठिया डोले सरैया की श्रीमती माना देवी की पुत्री को कथित व्यक्तियों द्वारा भगा लिये जाने विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

100—श्री राम चन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती माना देवी पत्नी श्री जय लाल, निवासी मठिया डोलोसरैया, थाना–खण्डासा, जनपद फैजाबाद का शिकायती-पत्र दिनांक 29-9-2000 जो (नाबालिग) पुत्री को गांव के कथित व्यक्तियों द्वारा भगा लिये जाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में था, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

श्रीमती माना देवी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-9-2000 के आधार मु० अ० सं० 128/2000 धारा 363/366/506 भा० दं० वि० एवं 3(2)5 एस सी/एस टी अत्याचार निवारण अधिनियम दिनांक 17-10-2000 को थाना खण्डासा में पंजीकृत हुआ ।

दिनांक 22-10-2000 को नामित अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र धर्मराज निवासी मठिया प्रकाश में आया अभियुक्त राजा राम पुत्र शिव प्रसाद निवासी कैलाशपुर थाना मुसाफिरखाना, जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार किया गया एवं इसी के यहां से अपहृता मुन्द्रा देवी भी बरामद हुई । अपहृता न्यायालय में पेश हुई जिसको धारा 164 सी० आर० पी० सी० में बयान के आधार पर मा० न्यायालय ने अभियुक्त राकेश कुमार उपरोक्त के पक्ष में जाने का आदेश कर दिये । जिसके आधार पर विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट सं० 13, दिनांक 10-11-2000 को न्यायालय में प्रेषित की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, थाना खण्डासा के ग्राम विनायकपुर के श्री शिव कुमार पुत्र स्व० श्री तुलसीराम द्वारा अपने पिता को जान से मारने की धमकी विषयक गृह सचिव को सम्बोधित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

101—श्री राम चन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवकुमार पुत्र स्व० श्री तुलसी राम, ग्राम विनायकपुर, थाना खण्डासा, जनपद–फैजाबाद का पत्र दिनांक 12–5–2000 जो उनके पिता को कथित व्यक्तियों द्वारा जान से मार डालने की धमकी के सम्बन्ध में था, गृह सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र में उल्लिखित व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं, अपितु शिव कुमार का पत्र दिनांक 12-5-2000 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को प्राप्त हुआ जो प्रार्थी के पिता की दिनांक 12-3-2000 को हुई हत्या तथा उसके परिवार जन को जान से मार डालने की धमकी के संबंध में था ।

मु० अ० सं०–23/2000 धारा 379/411/304 भा० दं० वि० तुलसी राम (मृतक) बनाम मातादीन व अन्य पंजीकृत हुआ । विवेचना से नामित अभियुक्त मातादीन पुत्र हुबलाल, शिव कुमार पुत्र मातादीन के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर आरोप पत्र सं० 39 दिनांक 3-6-2000 को न्यायालय प्रेषित किया गया । पुनः मृतक के परिजन की शिकायत पर अभियुक्त देव नरायन मिश्र व राम बहादुर तिवारी विवेचना से प्रकाश में आये अतएव उपरोक्त मुकदमा में दिनांक 5-10-2000 को धारा 3(2)5 एस सी/एस टी ऐक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी जिसमें देव नरायन मिश्र गिरफ्तार किये गये व राम बहादुर ने आत्मसमर्पण किया जिनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने पर पूरक आरोप पत्र सं० 39ए दिनांक 1-11-2000 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, थाना वृन्दावन में मु० अ० सं० 79/2000 की विवेचना सी० बी० सी० आई० डी० से कराने विषयक शिकायती-पत्र

102—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं०–79/2000 थाना वृन्दावन जनपद मथुरा की विवेचना सी० बी० सी० आई० डी० से कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–2/33586/मथुरा/2000, दिनांक 6-5-2000 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

शासन द्वारा विचारोपरान्त मु० अ० सं० 79/2000 धारा 307 भा० दं० वि०, थाना वृन्दावन, जनपद मथुरा की विवेचना सी० बी० सी० आई० डी० से कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद मथुरा, थाना गोवर्धन में मु० अ० सं० 32/99 की सी० बी० सी० आई० डी० जांच

103—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या–32/99 थाना गोवर्धन जनपद मथुरा की सी०बी०सी०आई०डी० जांच आगरा खण्ड से हटाकर किसी अन्य खण्ड से कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी०एम०/वि०को०/एम–2/33584/मथुरा/2000, दिनांक 6-5-2000 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

मु० अ० सं०–32/99 धारा 364 भा० द० वि० थाना गोवर्धन, जनपद मथुरा की सी० बी० सी० आई० डी० जांच आगरा खण्ड से हटाकर किसी अन्य से कराये जाने हेतु शासन के पत्र सं०–504-सीएम/6-12-4(32)डी/99, दिनांक 31-5-2000 द्वारा पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ० प्र०, लखनऊ को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रदेश में जिला पूर्ति अधिकारी/जिला पूर्ति निरीक्षकों के सृजित पदों का विवरण

104—श्री विजय पाल सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जिलापूर्ति अधिकारी/जिलापूर्ति निरीक्षकों के पद सृजित हैं ? क्या यह सही है कि अनेकों जिलापूर्ति निरीक्षक निदेशालय में सम्बद्ध है ? यदि हां, तो उन्हें निदेशालय में सम्बद्ध बनाये रखने का क्या औचित्य है ? क्या उन्हें मूल पद पर मूल स्थान पर स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्तमान में जिलापूर्ति अधिकारी ग्रेड–I के 31 पद तथा जिला पूर्ति अधिकारी ग्रेड–II के 50 पद सृजित हैं । जिला पूर्ति निरीक्षकों का कोई पद सृजित नहीं है । जिला पूर्ति अधिकारी के उक्त पदों में से 10 [illegible] उत्तरांचल प्रदेश के भी सम्मिलित हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर, थाना सम्मनपुर ग्राम नेवादा में मैसर्स चौधरी ईंट उद्योग पर बकाया व्यापार कर का विवरण/बकाये हेतु जारी वसूली प्रमाण-पत्र

105—श्री शिव सिंह चक–

क्या संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि मैसर्स चौधरी ईंट उद्योग ग्राम–नेवादा, पोस्ट टड़वा पहाड़पुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकर नगर में विगत लगभग 08 वर्षों से स्थापित फर्म "व्यापार कर समाधान योजना" के अन्तर्गत आता है ? यदि हां, तो कितने वर्षों से ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त फर्म से व्यापार कर के रूप में विगत वित्तीय वर्षों से कितनी-कितनी धनराशि की वसूली की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार "व्यापार कर समाधान योजना" के अन्तर्गत उक्त फर्म से व्यापार कर के रूप में दण्ड स्वरूप शासकीय वित्तीय क्षति की वसूली करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

व्यापारी दिनांक 11-3-92 से पंजीकृत है तथा केवल वर्ष 96-97 में समाधान योजना अपनायी गई है तथा निर्धारित समाधान शुल्क जमा किया गया है ।

व्यापारी द्वारा वर्ष 91-92 से लेकर अब तक (वर्ष 96-97 को छोड़कर) रु० 1,52,075.00 कर जमा किया गया है तथा रु० 3.93,911.00 व्यापारी पर बकाया है । इसके संबंध में वसूली प्रमाण-पत्र जारी है ।

ईंट भट्ठा समाधान योजना, स्वैच्छिक होती है तथा वर्ष 1996-97 के अतिरिक्त व्यापारी द्वारा समाधान योजना नहीं अपनाई गई है । अतः उसके विरुद्ध नियमित कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं । स्वीकृत कर समय से जमा न करने पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का दायित्व निर्धारित किया गया है । बकाया के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी है ।

जनपद रायबरेली, थाना मोहनगंज में थानाध्यक्ष व पुलिस कर्मियों पर दर्ज मुकदमें के पश्चात् विभागीय कार्यवाही के निदेश

106—श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध सं०–310 सं० 8/2000 धारा 211 आदि थाना–मोहनगंज जनपद–रायबरेली में थानाध्यक्ष तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नगत प्रकरण में थाना मोहनगंज, जनपद रायबरेली में मुकदमा अपराध सं०–8/2001 धारा 211/219/343/389/323/504/506 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया है ।

प्रश्नगत अभियोग अभी विवेचनाधीन है । प्रशासनिक जांच के आधार पर श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, थाना मोहनगंज को थानाध्यक्ष पद से प्रत्यावर्तित कर दिया गया है एवं उन्हें गैर जनपदीय तैनाती देकर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु भी निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

107—श्री राम चन्द्र यादव–

[3सरे सोमवार में अता० प्र० सं०–93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ, थाना सरायलसो के ग्राम शिव प्रसाद तिवारी द्वारा फैजाबाद के भट्ठा मालिक द्वारा उनके परिवार से जबरन मजदूरी कराने सम्बन्धी जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र पर कार्यवाही की मांग

108—श्री राम चन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव प्रसाद तिवारी ग्राम ताजोपुर थाना–सरायलसो जिला मऊ का पत्र दिनांक 31-7-2000 जो जिलाधिकारी, फैजाबाद को श्री शारदा बख्श सिंह, भट्ठा मालिक, थाना मवई, जनपद फैजाबाद द्वारा उनके भाई के पूरे परिवार को जबरन मजदूरी करने व बन्धक बनाये रखने एवं उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार करने आदि के विरुद्ध थाना मवई में एफ०आई०आर० दर्ज कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

बल्कि श्री शिव प्रसाद निवासी ग्राम ताजोपुर थाना सराय लखन्सी, जिला मऊ का प्रार्थना-पत्र दिनांक 7-8-2000 जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ था ।

शिव प्रसाद का उपर्युक्त पत्र दिनांक 31-7-2000 प्राप्त होना नहीं पाया गया अतः उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

इस प्रकरण में मु० अ० सं०–190/2000 अन्तर्गत धारा 342/354/376/504/506 भा० द० वि० थाना मवई पर दिनांक 8-8-2000 पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्रारम्भ में थानाध्यक्ष पटरंगा द्वारा की गयी । बाद में अभियोग की विवेचना एस० आई० एस० फैजाबाद को सौंपी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान के श्री देवकली प्रसाद शुक्ल के गुर्दा प्रत्यारोपण के मेडिकल क्लेम् विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

109—श्री राम प्रताप सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देवकली प्रसाद शुक्ल वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान फैजाबाद (से० नि०) के वर्ष 1997 में हुए गुर्दा प्रत्यारोपण के मेडिकल क्लेम के भुगतान के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-10-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या श्री शुक्ल के मेडिकल क्लेम का भुगतान उनके जायज वारिस को करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

श्री देवकली प्रसाद शुक्ल के गुर्दा प्रत्यारोपण में रु० 1,12,000/- का भुगतान अप्रैल, 1998 में ही कर दिया गया था । शेष धनराशि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी मण्डल में अवैध रूप से निवास कर विदेशी मूल के नागरिकों का विवरण

110—श्री बांके लाल सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी मण्डल में बंगलादेशी, ईरानी व पाकिस्तानी मूल के लोग निवास कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उनके पास वैध पासपोर्ट बीजा तथा नागरिकता प्रमाण-पत्र है ? यदि नहीं, तो सरकार ने इनके निष्कासन के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । वाराणसी मण्डल में बंगलादेशी, ईरानी व पाकिस्तानी मूल के कुल 103 विदेशी राष्ट्रिक निवास कर रहे हैं जिसमें 36 बंगलादेशी, 9 ईरानी तथा 58 पाकिस्तानी राष्ट्रिक हैं ।

इन 103 विदेशी राष्ट्रिकों में 72 वैध यात्रा प्रपत्रों पर निवास कर रहे हैं । शेष 31 का विवरण निम्नवत् हैं :—

11 विदेशी (6 बंगलादेशी, 5 पाकिस्तानी) राष्ट्रिक विलुप्त हैं ।

2 विदेशी (बंगलादेशी) राष्ट्रिक उद्धासन प्रक्रिया में हैं ।

12 विदेशी (8 बंगलादेशी, 4 पाक) राष्ट्रिक के मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है जिनके संबंध में न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

3 विदेशी राष्ट्रिकों (बंगलादेशी) के मामले दीर्घकालीन बीजा वृद्धि से सम्बन्धित विचाराधीन है ।

3 विदेशी (2 बंगलादेशी, 1 पाकिस्तानी) राष्ट्रिकों के नागरिकता संबंधी मामले विचाराधीन हैं ।

अवैध रूप से वास कर रहे विदेशी राष्ट्रिकों के प्रकरणों में से जो न्यायालय में विचाराधीन है, के संबंध में अभियोगों को त्वरित गति से निस्तारण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदीय प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को निर्देश निर्गत किया गया है । विलुप्त विदेशी राष्ट्रिकों को खोज निकालने के संबंध में गत वर्ष में दिनांक 15-2-2000 से 15-3-2000 एवं दिनांक 1-11-2000 से 30-11-2000 तक प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान चलाया गया । अवैध रूप से वास कर रहे बंगलादेशी राष्ट्रिकों की समस्या से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर दिनांक 16-3-2001 को विचार विमर्श के पश्चात् उ० प्र० शासन द्वारा कार्ययोजना तैयार करके सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के प्रभारी युवा उद्योग व्यापार मण्डल द्वारा ईरानी मूल के नागरिकों की जांच हेतु पुलिस अधीक्षक को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

111—श्री बांके लाल सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के श्री नीरज गुप्ता प्रभारी युवा उद्योग व्यापार मण्डल वाराणसी मण्डल निवासी रास मण्डल थाना कोतवाली जौनपुर का पत्र जो जौनपुर जनपद में निवास कर रहे ईरानी मूल के नागरिकों की जांच हेतु पुलिस अधीक्षक जौनपुर को दिनांक 1-11-2000 से 10-1-2001 के मध्य प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

श्री नीरज गुप्ता, प्रभारी युवा उद्योग व्यापार मण्डल, वाराणसी मण्डल का पत्र दिनांक 14-12-2000 पुलिस अधीक्षक, जौनपुर कार्यालय में दिनांक 14-12-2000 को प्राप्त हुआ ।

उक्त पत्र में अंकित बिन्दुओं की जांच पुलिस अधीक्षक, जौनपुर से कराई गई । उनसे प्राप्त जांच आख्या से पाया गया कि मोहल्ला बल्लोच टोला (बागे अरब) वार्ड नं० 17 सिपाह में लगभग 5-6 माह पूर्व से कुछ मुस्लिम परिवार (बन्जारे किस्म) के व्यक्ति अपना टेन्ट आदि डालकर रह रहे हैं । इनके

परिवार के मुखिया का नाम मन्जूद अली पुत्र मिर्जा अहमद बेग है । इनके 7 लड़के क्रमशः गुलाम अली उम्र 45 वर्ष, मु० यूसुफ अली उम्र 40 वर्ष, जावेद अली उम्र–38 वर्ष, कम्बर अली उम्र 35 वर्ष, अकरम अली उम्र 32 वर्ष, काबुली उम्र 30 वर्ष, पेशावरी उम्र 28 वर्ष है । इनकी पत्नी का नाम रोशन बीवी है । दूसरा परिवार जिसके मुखिया का नाम मौलाना असद अब्बास पुत्र बाबू अली है इनके 3 लड़कियां तथा 1 लड़का है जी अभी नाबालिग है । इस प्रकार कुल 70–75 व्यक्ति (औरत,मर्द, बच्चे) इनके परिवार में हैं । इनके परिवार की औरतें चश्मा एवं मर्द नग की अंगूठी बेचने का कार्य करते हैं । जांच के दौरान असद अब्बास ने बताया कि हमारे पूर्वज लगभग 150–200 वर्ष पूर्व ईरान से भारत में आये थे । भारत में खानाबदोश (घुमक्कड़) बनकर इधर-उधर घूमते हुए अपना जीवन यापन करते रहे । भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन लोगों ने अपना मकान एवं जमीन आदि बनाना शुरू कर दिया । मौलाना असद अब्बास का कहना है कि कस्बा दुल्हीपुर मोहल्ला मिल्कियाना में उनका निजी मकान एवं जमीन है तथा इनके परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में अंकित है इनके परिवार के नाम राशनकार्ड भी है ।

जनपद आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद में राशन कार्डों में अंकित फर्जी यूनिटों की जांच

112—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री विजय पाल सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद में राशन कार्डों की सात लाख फर्जी यूनिटें आडिट कमेटी द्वारा चिन्हित की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार आगरा शहर की आबादी 9 लाख के आस-पास थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि राशनकार्डों की यूनिटें इससे बहुत ज्यादा हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपदों के दोषी जिलाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद आगरा, इलाहाबाद तथा गाजियाबाद में सम्प्रेक्षक दल द्वारा चिन्हित की गई यूनिटों का विवरण निम्नवत् है :—

जनपद का नाम	चिन्हित की गई यूनिटों की संख्या	वास्तव में प्रचलित यूनिटों की संख्या
1–आगरा	39.94 लाख	36,11,233
2–इलाहाबाद	65.04 लाख	55.56 लाख
3–गाजियाबाद	40.65 लाख	38,25,020

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार आगरा शहर की जनसंख्या 9,41,545 थी ।

सम्प्रेक्षण दल ने सम्पूर्ण आगरा जनपद (नगरीय/ग्रामीण) प्रक्षेपित जनसंख्या 32.21 लाख आंकलित करते हुए उसके विरुद्ध 39.94 लाख विद्यमान यूनिटें दर्शायी हैं । आंकलन में महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं किया गया है । जनपद आगरा उ० प्र० का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है, जहां उ० प्र० व अन्य राज्यों के परिवार भी मजदूरी के लिए बड़े पैमाने पर आकर बस गये हैं । अतः आंकलन करते समय फ्लोटिंग परिवारों की संख्या का समावेश किया जाना भी आवश्यक है । जनपद आगरा में कुल 36,11,233 यूनिट प्रचलित है, जो उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधिक नहीं है ।

जनपद आगरा में ग्रामीण क्षेत्रों की यूनिटों सहित कुल 36,11,233 यूनिट प्रचलित हैं, जो अधिक नहीं है ।

जनपद इलाहाबाद में वास्तव में 62,47,000 यूनिटें प्रचलित थी, जिनमें से 6,91,000 यूनिटें निरस्त की गयी है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर 55,56,000 यूनिटें प्रचलन में हैं।

जनपद गाजियाबाद में वर्ष 1998 में बुकलेट टाइप के कार्डों के प्रभावी होने पर 40,65,222 यूनिटें प्रचलित थीं। समय-समय पर अभियान चलाकर फर्जी राशनकार्डों व बोगस यूनिटों के उन्मूलन में 2,52,382 यूनिटें निरस्त की गई हैं। वर्तमान में 38,25,020 यूनिट प्रचलित हैं। माह अप्रैल, 2001 में फर्जी राशन कार्डों/बोगस यूनिटों के उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अतः इस संबंध में जिलाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

113–श्री अजय कुमार पोइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

थाना कोतवाली मथुरा चौकी कृष्णानगर में मुस्लिमों की गिरफ्तारी विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

114–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं०–290/99 धारा 457/380 आई०पी०सी० चौकी कृष्णानगर थाना कोतवाली जनपद मथुरा के मुस्लिमों की गिरफ्तारी किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–2–2/33873/ मथुरा/2000, दिनांक 12-5-2000, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

मु०अ०सं०–290/99 धारा 457/380 आई०पी०सी० थाना–कोतवाली, मथुरा पर पंजीकृत नहीं हैं बल्कि उक्त नम्बर पर धारा 3/9 परीक्षा अधिनियम पंजीकृत हुआ है।

प्रश्नगत मामले में थाना कोतवाली, मथुरा पर मु०अ०सं०–1098/99 धारा 457/380 आई०पी०सी० में चन्द्रसेन व उनके हेल्पर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है जिसमें आरोपी चन्द्रसेन आदि दोषी नहीं पाये गये हैं विवेचना का निस्तारण अन्तिम रिपोर्ट नं०–7/2000 दि० 11-2-2000 को किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर, कस्बा स्यौहारा में पुलिस द्वारा फायरिंग एवं निर्दोष को जेल भेजे जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

115–डा० वेद प्रकाश सिंह–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा स्यौहारा जनपद बिजनौर में सितम्बर, 1999 में पुलिस द्वारा फायरिंग एवं निर्दोष लोगों को जेल भेजे जाने विषयक, प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-11-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां।

विचारोपरान्त मुकदमा वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है ।

जनहित में मुकदमा वापस लिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

प्रदेश में परिवहन निगम की अनुबन्धित बसों का राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन

116–श्री मुरलीधर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या–4784रो/98-1376रो/95 दिनांक 21-12-98 द्वारा दिनांक 13-12-98 से विजईपुर से धाता जनपद फतेहपुर 26 किलोमीटर मार्ग को अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया है, जिसमें निगम की बसें संचालित नहीं की जायेंगी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्राइवेट बसों को निगम द्वारा इस मार्ग के लिए अनुबन्धित कर जनता को सेवा उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

निजी बसों को अनुबन्ध में लेकर संचालन की अधिसूचना केवल राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्रभावी है । अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनुबन्धित बसों का संचालन अनुमन्य नहीं है ।

जनपद मथुरा की श्रीमती शुकन्तला देवी को पुलिस द्वारा अकारण उत्पीड़न की शिकायत

117–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री छोटे लाल निवासी जनपद मथुरा को पुलिस द्वारा अकारण उत्पीड़न करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०वि०को०/ एम–/31963/कुशीनगर/2000, दिनांक 10-3-2000, पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

इस संबंध में पूर्व में ही थाना नरहौली जनपद मथुरा पर वादी श्री छोटे लाल पुत्र सोहन लाल, नि०–94 ए, हनुमान नगर धौली प्याऊ, मथुरा ने अपराध अन्तर्गत धारा 498 भा०द०वि० अभियुक्त जगदीश के विरुद्ध पंजीकृत कराया था । जांच से ज्ञात हुआ कि शकुन्तला देवी अपनी मर्जी से चली गयी थीं जो बाद में स्वतः वापस आ गयी थीं । इस मामले में राजीनामा होना अंकित किया गया । पुलिस द्वारा अकारण उत्पीड़न संबंधी तथ्यों की सत्यता नहीं पायी गयी । अतः अब किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री रामदास परिहार, छटनीशुदा कर्मचारी चलचित्र निगम जालौन को मनोरंजन कर निरीक्षक पद पर नियुक्ति करने संबंधी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

118–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामदास परिहार, छटनीशुदा कर्मचारी, चलचित्र निगम, जालौन को मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड–2 के पद पर नियुक्त करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०वि०को०/एम–/33337/मथुरा/ 2000, दिनांक 28-4-2000, प्रमुख

सचिव, कर एवं निबन्धन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

चूंकि मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड–2 का पद लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आता है, इसलिए उक्त पद पर श्री परिहार को समायोजित किया जाना नियमानुसार संभव नहीं पाया गया है एवं उक्त स्थिति से मा० सदस्य, विधान सभा को प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन के अर्द्ध शा० पत्र सं०–05 विधा०/11–क०नि०–6–2000–बीस, नि० (1)/98 दिनांक 05-06-2000 द्वारा अवगत करा दिया गया है ।

जनपद रायबरेली, थाना लालगंज के ग्राम गोविन्दपुर कठोइया में गतवर्ष पाल जाति के व्यक्ति की हत्या की गिरफ्तारी के निर्देश

119–श्री शिव गणेश लोधी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली के थाना लालगंज के अन्तर्गत स्थित ग्राम गोविन्दपुर कठोइया में माह दिसम्बर, 2000 में पाल जाति के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो उसका नाम क्या है ? क्या पुलिस द्वारा अभी तक संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गयी है ? क्या सरकार तत्काल अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री राजनाथ सिंह–

जनपद रायबरेली के थाना लालगंज के अन्तर्गत ग्राम गोविन्दपुर कठोइया में दिनांक 28/29–11-2000 की रात में श्री राम बालक पाल पुत्र जागेश्वर पाल की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गयी थी ।

प्रश्नगत हत्या के संबंध में पंजीकृत मु०अ०सं०–421/2000 धारा–302/307 भा०दं०वि० बनाम दो अज्ञात व्यक्ति थाना–लालगंज में अभी विवेचनाधीन है । अभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है ।

अभियुक्तों का पता लगाकर उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, थाना नरहोली में दर्ज मु० अ० सं० 356/99 के अभियुक्तों को एन० एस० ए० लगाये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी.

120—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं०–356/ 99 थाना नरहौली, जनपद मथुरा के अन्तर्गत दर्ज मुकदमें के अभियुक्तों के विरुद्ध एन०एस०ए० लगाये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या–सी०एम०वि०को०/एम–2/31723/ मथुरा/2000, दिनांक 2-3-2000, प्रमुख सचिव गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

मु० अ० सं०–356/99 धारा 147/307/323/324/325/452/354/506 भा०द०वि० थाना नरहौली, जनपद मथुरा में वादी सलीम की सूचना पर अभियुक्त कमरुद्दीन, सफरूद्दीन, इकबाल, नजरूद्दीन तथा जुल्फा निवासीगण नगला शिवजी, थाना नरहौली, जनपद मथुरा के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । विवेचना के बाद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । साथ ही शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से स्थानीय पुलिस द्वारा दि० 4-1-2000 को धारा 107/116(3) जा० फौ० की कार्यवाही तथा दि० 30-1-2000 को धारा 110 द० प्र० सं० की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है । इस प्रकरण में चश्मदीद गवाहों के शपथ-पत्र आ जाने एवं राजीनामा हो जाने पर उस दिनांक से अब तक लोक व्यवस्था पर प्रभावित करने वाला कोई तथ्य नहीं है । अतः अब एन० एस० ए० लागू करने की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में बी० पी० एल० के फर्जी राशन कार्डों की जांच

121—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा में वी०पी०एल० के फर्जी राशन कार्ड तथा मै० विजय फिलिंग स्टेशन, सिविल लाईन, मथुरा की जांच कराने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०वि०को०/एम–/31955/मथुरा/2000,दिनांक 10-3-2000, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई गई । जांच से स्पष्ट हुआ कि गत वर्ष मथुरा शहर के तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी श्री राम पलट पाण्डेय के कार्यकाल में बी० पी० एल० के 853 राशनकार्ड जारी किये गये थे, जिनमें से किये गये सत्यापन के फलस्वरूप 110 राशनकार्ड निरस्त किये गये हैं ।

मै० विजय फिलिंग स्टेशन, सिविल लाइन, मथुरा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई । जांच में उक्त फर्म के स्वामी द्वारा बिना लाइसेंस के डीजल प्राप्त कर डीजल की बिक्री किया जाना पाया गया । यह कार्यवाही नियम विरुद्ध पाये जाने के फलस्वरूप उक्त फर्म के डीजल बिक्री का अस्थाई लाइसेन्स सं०–52 के नवीनीकरण के प्रार्थना-पत्र को जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 22-1-2001 द्वारा निरस्त करते हुए डीजल की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है तथा फर्म के टैंक व नौजिल को सील कर दिया गया है । उपरोक्त आदेश को संबंधित फर्म के प्रोप्राइटर श्री अनिल कुमार भार्गव को तामील करा दिया गया है तथा आदेश तामीली के समय साक्ष्य में उपलब्ध 10,768 लीटर डीजल को अन्य किसी अधिकृत रिटेल आउटलेट को स्थानान्तरित करने में बी० पी० सी० एल० के स्थानीय सेल्स आफिसर/टेरिटरी मैनेजर को निर्देशित कर दिया गया है ।

122—श्री हरदेव सिंह–

[2रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

123—श्री संजय गर्ग–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद रायबरेली में विगत वर्षों में अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) के अन्तर्गत दर्ज मुदकमों का पूर्ण विवरण

124—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में वर्ष 1999 एवं 2000 में कितने मुकदमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अन्तर्गत दर्ज किये गये ? उनमें से कितने में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी है और कितने मुकदमें में चार्ज शीट लगी है ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जनपद रायबरेली में वर्ष 1999 व 2000 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किये गये अभियोगों व उनके संबंध में अपेक्षित विवरण निम्नांकित है :—

क्रमांक	अवधि	अनु० जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधि० के अन्तर्गत दर्ज अभियोगों की संख्या	कितने अभि० में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी	कितने मुकदमों में आरोप पत्र प्रेषित किया गया	लम्बित
1	1999	179	17	162	—
2	2000	188	08	178	02

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में रिफाइनरी की सुरक्षा/कच्चे तेल का अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध प्रमुख सचिव गृह को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

125—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा तथा कच्चे तेल का अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०वि०को०/एम–/31380/मथुरा/2000, दिनांक 15-2-2000, प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

शासन द्वारा प्रकरण की जांच करायी गयी । जांच से ज्ञात हुआ कि दिनांक 28-12-99 को रिफाइनरी पुलिस द्वारा 175 लीटर पेट्रोल बरामद किया गया था जिसके संबंध में मु० अ० सं०–316/99 थाना रिफाइनरी में धारा 379/411 भा० द० वि० पंजीकृत हुआ । इसमें दो अभियुक्तों बहादुर एवं सीताराम को गिरफ्तार करने के बाद आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त दिनांक 9-3-2000 को एक ड्रम डीजल पुलिस द्वारा लावारिस हालत में बरामद किया गया जिसे थाना रिफाइनरी में दाखिल किया गया ।

जनपद मथुरा, थाना गोबिन्द नगर के बिड़ला पुलिस चौकी इंचार्ज के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र

126—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस चौकी बिड़ला, थाना–गोबिन्द नगर जनपद मथुरा के इंचार्ज के विरुद्ध जांच विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०वि०को०/एम–/31377/मथुरा/2000, दिनांक 15-2-2000, प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा के माध्यम से करायी गयी । प्रश्नगत पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि जांच में नहीं हुई ।

प्रदेश में पुलिस विभाग के डाग स्क्वायड (खोजीकुत्तों) के रख-रखाव एवं भोजन पर वर्तमान में व्यय विवरण की जानकारी

127–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग के डाग स्क्वायड (खोजी कुत्तों) के रख-रखाव एवं भोजन पर प्रतिदिन औसतन कितना व्यय किया जा रहा है ? सरकार द्वारा कितना धन खोजी कुत्तों के रख-रखाव एवं भोजन हेतु वर्तमान में दिया जा रहा है ? क्या उक्त धन पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या उक्त धनराशि बढ़ाने पर विचार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

शासनादेश दि० 22-12-88 द्वारा पूर्व में डाग स्क्वायड (खोजी कुत्तों) के रख-रखाव एवं भोजन हेतु प्रति श्वान प्रतिदिन की दर से रु० 21.40 स्वीकृत किया गया था ।

वर्तमान में भोजन सामग्री में हुयी मूल्य वृद्धि के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 21-3-2001 द्वारा प्रति श्वान प्रतिदिन की दर से रु० 60.70 की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली में विगत वर्षों में हुए विभिन्न प्रकार की घटनाओं का विवरण

128–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में वित्तीय वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में अब तक कितनी हत्यायें, अपहरण, डकैती, बलात्कार एवं लूट की घटनायें हुई हैं ? उनमें कितने अपराधी दिसम्बर, 2000 तक पकड़े गये हैं और कितने शेष हैं ? क्या यह सही है कि कुछ अपराधिक मामले ऐसे हैं, जिनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

वर्ष 1999-2000 में प्रश्नगत अपराधों की संख्या उनमें गिरफ्तार एवं शेष अपराधियों का विवरण निम्नांकित है :–

क्रमांक	अपराध	अपराधों की संख्या	दिसम्बर 2000 तक गिरफ्तार एवं शेष अपराधियों की संख्या	
			गिरफ्तार	शेष
1	हत्या	58	130	—
2	डकैती	01	11	—
3	लूट	30	59	4
4	बलात्कार	37	70	—
5	अपहरण	39	45	3

वर्ष 2000-2001(दिनांक 1-4-2000 से 9-3-2001 तक)

प्रश्नगत अपराधों का विवरण निम्नांकित हैं :–

क्रमांक	अपराध	अपराधों की संख्या	दिसम्बर 2000 तक गिरफ्तार एवं शेष अपराधियों की संख्या	
			गिरफ्तार	शेष
1	हत्या	72	155	10
2	डकैती	01	04	03
3	लूट	25	29	07
4	बलात्कार	39	59	05
5	अपहरण	36	42	20

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, थाना वृन्दावन में मु०आ०सं०–659/99 की वर्ष सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

129–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या 659/99, धारा 379 आई०पी०सी० थाना वृन्दावन जिला मथुरा की सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा जांच कराये जाने के सम्बन्ध में विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम० दि० को०/ एम–/30760/मथुरा/2000, दिनांक 24–1-2000, प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

इस अभियोग को वादी श्री रमन निवासी महोरा वृन्दावन मथुरा द्वारा दिनांक 10-12-99 को उसका ट्रैक्टर अभियुक्तगण चन्द्रभान, राजपाल, धर्मवीर तथा तुलाराम द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था । सभी अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया तथा दिनांक 26-12-99 को ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया गया विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सी०बी०सी०आई०डी० से प्रकरण की जांच का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद सहारनपुर में जनसंख्या आधार पर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की मांग

130–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में पुलिस कर्मियों की जनसंख्या के आधार पर कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनसंख्या के अनुपात में नागरिकों की सुरक्षा हेतु पुलिस कर्मचारियों को तैनात करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला सहकारी बैंक लि० उन्नाव में वर्गवार कर्मचारियों की संख्या का विवरण

131–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक, लि० उन्नाव में वर्ग-वार कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उनमें से वर्ग वार सेवा मण्डल से अनुमोदित कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

वर्ग–I	8
वर्ग–II	20
वर्ग–III	35
वर्ग–IV	44
सरलीकृत प्रणाली के अन्तर्गत पैक्स सचिव जो प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है–	8
वर्ग–I	शून्य
वर्ग–II	1
वर्ग–III	18
वर्ग–IV	41

जनपद उन्नाव, कैडर सचिवों की नियुक्ति की प्रचलित जांच

132–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद–उन्नाव में वर्ष 1984 तथा 1990 में की गयी कैडर सचिवों की अनियमित नियुक्तियों की जांच अपर निबन्धक (अधिकोषण) सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक–2836/अधि०/पै०के०–2/ 2000-01 दिनांक 19 जुलाई, 2000, द्वारा करायी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जांच चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में उ० प्र०रा०स०प० निगम में सीनियर का कार्य एवं वेतनमान

133–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र०रा०स०प०नि० में कितने जूनियर फोरमैनों से सीनियर फोरमैन प्रभारी का कार्य लिया जा रहा है ? क्या उन्हें सीनियर फोरमैन का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी संतोषजनक समझौता पूर्ण कर चुके जूनियर फोरमैन को सीनियर फोरमैन पद पर प्रोन्नति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

20 जूनियर फोरमैनों से प्रभारी का कार्य लिया जा रहा है ।

जी नहीं ।

जूनियर फोरमैन को सीनियर फोरमैन का वेतनमान बिना प्रोन्नति के नहीं दिया जा सकता ।

जी हां । ट्रेड टेस्ट का आयोजन कर शीघ्र प्रोन्नति की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला निर्वाचन कार्यालय बदायूं द्वारा वोटर लिस्टों की छपाई के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

134–श्री हरपाल सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के छठे सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–34 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बदायूं के दिनांक 20-9-99 के निर्देशानुसार 181 बूथों (भाग–संख्याओं) की वोटर लिस्ट के लेजर-प्रिन्ट दुबारा छपवाकर 20-25 हजार रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश फोटो एसोसियेशन का पत्र माह दिसम्बर, 2000 में निर्वाचन मुख्यालय, लखनऊ/मण्डल आयुक्त–बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मण्डल आयुक्त–बरेली द्वारा इस प्रकरण में जांच कराकर कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर, थाना घाटमपुर के ग्राम हथेरुआ के श्री विनोद कुमार अवस्थी के भाई को गांव के दबंगों द्वारा किये गये हत्या के प्रयास की जांच के आदेश पर कार्यवाही की जानकारी

135–श्री बाबू लाल कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विनोद कुमार अवस्थी पुत्र श्री राम शंकर अवस्थी निवासी ग्राम-हथेरूआ थाना–घाटमपुर, जनपद–कानपुर नगर का प्रार्थना पत्र जो श्री अवस्थी के भाई श्री प्रमोद कुमार को गांव के दबंग लोगों द्वारा मारे-पीटे जाने तथा हत्या का प्रयास किये जाने के संबंध में है ? श्री ओम प्रकाश विधायक के उपरिपत्र के साथ राज्य मंत्री गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र पर दिनांक 3-1-2001 को गृह राज्य मंत्री द्वारा जांच के साथ जाजमऊ पुलिस चौकी में तैनात सिपाही श्री शिव भगवान यादव व मुन्ना लाल को हटाने के आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर को दिये गये है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ? जांच के आधार पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

आरक्षी शिव भगवान यादव तथा मुन्ना लाल को चौकी जाजपुर व विरहर थाना घाटमपुर से हटाकर थाना बिधनू की चौकी कुरियां में नियुक्त किया गया है । दिनांक 28-8-2000 को श्री प्रमोद कुमार अवस्थी की मौखिक सूचना के आधार पर एन०सी०आर० संख्या–207/2000 धारा 323/504 भा०दं०वि० विरुद्ध नन्द लाल, निदेश व अरविन्द पंजीकृत किया गया और रोजनामचा आम की रपट संख्या 16 मजरूबी चिट्ठी देकर होमगार्ड संजय कुमार के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घाटमपुर रवाना किया गया । डाक्टरी परीक्षण कराने के बाद श्री प्रमोद कुमार थाने पर नहीं गये । एन०सी०आर० की जांच हे०का० प्रो० होरी लाल यादव को सौंपी गयी । उनके द्वारा प्रतिपक्षियों के विरुद्ध कोई निरोधात्मक कार्यवाही न करने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने एवं श्री विनोद कुमार अवस्थी की मां एवं उनके परिवार की सुरक्षा हेतु प्रभारी निरीक्षक, घाटमपुर को निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

136–श्री हरपाल सिंह–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

थाना कोतवाली मैनपुरी में पंजीकृत अपराध सं०–28/2001 में नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 28/2001 थाना कोतवाली मैनपुरी में किस धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें अब तक कौन अभियुक्त गिरफ्तार किये गये ? क्या उसमें ऐसा भी कोई अभियुक्त नामित है जिस पर 62 से अधिक आपराधिक मुकदमें कायम है ? यदि हां, तो वह कौन है और उसका अब तक का आपराधिक विवरण क्या है ?

श्री राजनाथ सिंह–

मु०अ०सं०–28/2001 थाना कोतवाली, मैनपुरी पर वादी श्री भारत सिंह चौहान की तहरीर पर धारा 147/323/504/506/427/395 भा०दं०वि० के अन्तर्गत दिनांक 15-3-2001 को अभियुक्त उपदेश सिंह चौहान एवं उनके पुत्र प्रेमपाल सिंह, कृपाल भदौरिया व उनके चार पुत्र एवं पुलिस के दो गनर व 8-10 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । अब तक की विवेचना से नामित व प्रकाश में आये

अभियुक्त उपदेश सिंह चौहान, पंकज सिंह, प्रेमपाल सिंह, कृपाल सिंह, उमेश सिंह मुनेश सिंह, प्रबल प्रताप सिंह एवं प्रताप भानु सिंह में से अभियुक्त प्रेमपाल सिंह को दिनांक 16-1-2001 तथा प्रबल प्रताप सिंह को दिनांक 7-3-2001 को गिरफ्तार किया जा चुका है । प्रताप भानु सिंह व मुनेश सिंह ने दिनांक 16-3-2001 को न्यायालय हाजिर हुए व उमेश सिंह दिनांक 22-3-2001 को न्यायालय हाजिर हुए शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दविशें दी गयीं किन्तु वे गिरफ्तार नहीं हो सके ।

जी हां ।

उक्त अभियोग में नामित अभियुक्त उपदेश सिंह चौहान पूर्व विधायक के विरुद्ध 62 से अधिक अपराधिक मुदकमें कायम हैं जिनका अपराधिक विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ. 178-180 पर ।)

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) का स्थानान्तरण कराने की मांग

138–श्री भीम प्रसाद सोनकर तथा श्री अफजाल अहमद–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर पर कितने सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) कब से तैनात हैं ? क्या यह सही है कि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी सहकारिता (सीयर) 15 वर्षों से एक ही जगह पर तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में एक सहायक विकास अधिकारी (सह०) दिनांक 20-7-95 से तैनात थे, जिनका स्थानान्तरण सहायक निबन्धक, बलिया के आदेश दिनांक 16-3-2001 द्वारा विकास खण्ड चिकलहर के लिए तात्कालिक प्रभाव से कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, थाना खण्डासा के ग्राम रौतावां में जबरन मारपीट की एफ०आई०आर० दर्ज न करने के विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

139–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुस्लिम निवासी ग्राम–रौतावां, थाना खण्डासा, जनपद फैजाबाद का पत्र दि० 15-9–2000 जो ग्राम रौतावां के उच्च वर्ग तथा अपराधियों द्वारा उन्हें जबरन मारने व उत्पीड़न किये जाने की थाना खण्डासा के वर्तमान हेड कान्स्टेबिल द्वारा एफ०आई०आर० दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में था, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? क्या इसी सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-2-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है ? दोषी पुलिस कर्मी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

15-9-2000 के प्रार्थना-पत्र के पूर्व श्री मुस्लिम के मौखिक सूचना के आधार पर अहस्तक्षेपीय अपराध सं०–77/2000 धारा 323/504 भा०दं०वि० बनाम अभियुक्तगण रामानन्द, रामानुज पुत्रगण

लखन दत्त, पारसनाथ पुत्र रामानन्द तिवारी, दीनानाथ पुत्र राम कुमार, निवासीगण रौतावां के विरुद्ध थाना खण्डासा में पंजीकृत हुआ । इस अपराध की जांच थानाध्यक्ष खण्डासा द्वारा की गयी तो मामला केवल अहस्तक्षेपीय अपराध का पाया गया ।

आवेदक द्वारा घर में घुसकर मारने व उनके बहन के दांत टूटने व जान से मार डालने की धमकी देने व उत्पीड़न आदि शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई है तथा किसी पुलिस कर्मी का इस सम्बन्ध में दोष नहीं पाया गया है । अतः किसी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के डी०ए०, टी०ए० के भुगतान की जानकारी

140–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को टी०ए०, डी०ए० का भुगतान सामान्य ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के बराबर दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को सामान्य ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों की भांति टी०ए०, डी०ए० प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । वित्त विभाग के शासनादेश सं०–सा–4–395/दस–99-600-99, दिनांक 11-6-99 द्वारा समस्त राज्य कर्मचारियों को नये वेतनमान के अनुसार टी०ए०, डी०ए० अनुमन्य है जिसमें पुलिस कर्मी भी शामिल हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला व तहसील पडरौना के संग्रह अमीन श्री देवेन्द्र प्रसाद गौड़ के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें

141–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संग्रह अमीन देवेन्द्र प्रसाद गौड़, तहसील व जिला पडरौना के विरुद्ध दिनांक 31-1-1999 को थाना कोतवाली पडरौना में मुकदमा अपराध संख्या–81/99 धारा 406, 408, 420, 468 के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 15-12-99 में उक्त तहसील कर्मी को दोषी पाया है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

दिनांक 12-2-98 को वाद विवेचना मुकदमा अपराध संख्या–81/99 अन्तर्गत धारा 406/408/420/468 द्वारा अन्तिम रिपोर्ट सं०–15 दिनांक 30-3-99 को समाप्त किया गया । इस प्रकरण में विवेचना के अतिरिक्त कोई जांच अलग से नहीं करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

142—श्री अजय कुमार पोइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मथुरा, थाना सदर में अपराध सं०–123/99 की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराने के निर्देश

143–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं०–123/99, थाना सदर बाजार मथुरा की सी०बी०सी० आई०डी० जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक– सी०एम०/वि०को०/एम–2/29946/मथुरा/2000, दिनांक 7-1-2000 प्रमुख सचिव गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

इस प्रकरण की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से कराये जाने हेतु दिनांक 23 मार्च, 2000 को निर्देश दिये जा चुके हैं।

जनपद मथुरा थान बलदेव में अपराध सं० 20/99 की सी०बी०सी०आई०डी० जाँच कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

144–श्री अजय कुमार पोइया

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं०–20/99, थाना बलदेव जनपद मथुरा की सी०बी०सी०आई०डी० जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/ 29963/ मथुरा/2000, दिनांक 7-1-2000 प्रमुख सचिव गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हाँ।

विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण की जाँच सी०बी०सी०आई०डी० से कराये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा थाना गोवर्धन के ग्राम अडींग में अपराधिक घटनाओं की बढ़ोत्तरी को नियंत्रित करने की मांग

145–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के ग्राम अडींग थाना गोवर्धन में अपराधिक घटनाओं की बढ़ोत्तरी को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/ वि०को०/एम–2/29723/ मथुरा/2000, दिनांक 1-1-2000 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हाँ

प्रश्नगत प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से स्थिति ज्ञात की गयी जिससे यह प्रकाश में आया कि दि० 17–12–99 को अपहृत श्री देवीदास बघेल के 6 वर्षीय पुत्र चन्द्रवीर को पुलिस द्वारा बरामद किया गया। इस अपहरण की घटना में लिप्त पाये गये अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र

दिनांक 27–3–2000 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । उपरोक्त बालक के अलावा अर्डीग में पूर्व में जिन–तीन व्यक्तियों के अपहरण का उल्लेख किया गया है उनमें से 02 अपहृत व्यक्तियों को मुक्त कराया गया तथा एक अपहृत श्री फतेह सिंह की हत्या हो गयी । सभी अभियोगों में विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

146–श्री अजय कुमार पोइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में "आउट आफ टर्न" प्रोन्नति दिये जाने की नीति

श्री राम औतार शाक्य–

147–क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के कर्मचारियों को "आउट आफ टर्न" प्रोन्नति दिये जाने की शासन की नीति क्या है ? 1 जनवरी, 1998 से अक्टूबर, 2000 की अवधि में शासन द्वारा प्रदेश में कुल कितने पुलिस कर्मियों को "आउट आफ टर्न" प्रोन्नति दी गयी है ? क्या ऐसे पुलिस कर्मियों की सूची प्रोन्नति के आधार/कारणों के विवरण सहित सदन के पटल पर रखेंगे ?. यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

शासनादेश सं० –665(1)/6.पु.1.24/93 दि० 3–2–94 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे पुलिस कर्मियों को जिन्होंने कुख्यात आतंकवादियों अथवा जघन्य अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराने में या गिरफ्तार करने में अदम्य साहस एवं शौर्य प्रदर्शित किया हो अथवा अपने कर्तव्य पालन के दौरान जोखिम भरा कार्य किया हो, निःसम्वर्गीय पद पर एक रैंक प्रोन्नति की व्यवस्था की गयी है । उक्त शासनादेश के तहत पुलिस महानिदेशक उ०प्र० को आउट आफ टर्न प्रोन्नति की कार्यवाही हेतु अधिकार प्रतिनिहित किये गये हैं । उक्त व्यवस्था दि० 3–2–94 से लागू हैं । उक्त अवधि में पुलिस बल के निम्नवत् कर्मियों को आउट आफ टर्न प्रोन्नति दी गयी :–

आरक्षी	69 पद
मुख्य आरक्षी	09 पद
उपनिरीक्षक	24 पद
प्लाटून कमान्डर	01 पद
कुल	103 पद

उक्त सूची और उसका विवरण काफी विस्तृत होने के कारण सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को छूट दिये जाने के निर्देश

148–श्री विश्वनाथ–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्णचन्द्र पुनेठा विधायक पिथौरागढ उत्तरांचल द्वारा अग्रसारित एवं श्री केदार सिंह नेगी एडवोकेट द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 27-2-2001 को आपको जनता दर्शन शिकायत पेटी के माध्यम से प्रेषित विकलांगों को दिनांक 23-6-98 के संशोधित शासनादेश के अनुसार परिवहन निगम की बसों में यात्रा में छूट न दिये जाने सम्बन्धी ज्ञापन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

पत्र दिनांक 27–2–2001 नहीं अपितु श्री केदार सिंह नेगी, एडवोकेट द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 27–1-2001 प्राप्त हुआ है जिसके अनुपालन हेतु समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

149–श्री राम औतार शाक्य–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के कारागारों में गतवर्ष में उच्चतर श्रेणी के कैदियों की संख्या एवं उन पर व्यय धनराशि के साथ उच्च श्रेणी दिये जाने के प्राविधान की जानकारी

150–श्री संजय गर्ग–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० के कारागारों में निरुद्ध उच्चतर श्रेणी के कैदियों की वर्ष 2000 में कितनी संख्या थी ? उनके ऊपर उक्त वर्ष में कितना धन खर्च किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उच्चतर श्रेणी की सुविधा देने का मानक क्या है ? क्या सरकार उस मानक में कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

उत्तर प्रदेश के कारागारों में वर्ष 2000 में उच्चतर श्रेणी में निरुद्ध कैदियों की संख्या 294 थी। उच्चतर श्रेणी के उक्त बंदियों पर वर्ष 2000 में कुल रुपये 3,53,538.90 व्यय किया गया है। उ०प्र० जेल मैनुअल के अध्याय–12 के प्रस्तर–279 व 280 के प्राविधानों के अन्तर्गत बंदी की शैक्षिक योग्यता, चरित्र अपराध की प्रकृति आदि को ध्यान में रखते हुए स्वयं शासन द्वारा अथवा सक्षम न्यायालय की संस्तुति पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तथा मा० उच्च न्यायालय की संस्तुति पर शासन द्वारा उच्च श्रेणी दिये जाने का प्राविधान है। जी नहीं, अपितु तिहाड़ जेल की भाँति प्रदेश की कारागारों में भी उच्च श्रेणी समाप्त किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, थाना वजीरगंज में अपराध सं० 411/99 की सी०बी०सी०आई०डी० जाँच कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

151–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या 411/99 थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ की सी०बी०सी० आई०डी० जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम-/29948/ मथुरा /2000, दिनांक 7-1-2000 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हाँ।

प्रश्नगत पत्र में अंकित मु०अ०सं०–411/99 थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग से कराये जाने हेतु शासनादेश सं० 5 सी०आई०डी०/6–4–2000 दिनांक 15–1–2000 जारी किया जा चुका है। उक्त अभियोग की विवेचना सी०बी०–45/2000 पर प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा ग्राम अड़ी में रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना

152–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के ग्राम अड़ी में रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–29725/मथुरा/2000, दिनांक 1-1-2000 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हाँ मथुरा के थाना गोवर्धन के अन्तर्गत ग्राम अड़ी में प्रस्तावित रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का निर्धारित मानक को पूरा न करने तथा प्रशासकीय व्यय में मितव्ययिता की दृष्टि से पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध के कारण स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

जनपद प्रतापगढ़ थाना महेशगंज के श्री राम नरेश पाल के घर चोरी की रिपोर्ट थानाध्यक्ष द्वारा न दर्ज करने संबंधी शिकायती-पत्र

153–सेठ किशन लाल बघेल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामनरेश पाल निवासी ग्राम/पोस्ट झींगुर थाना–महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ के घर दिनांक 28/29-9-2000 की रात्रि में हुई चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा न दर्ज करने विषयक एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-2-2001 को उन्हें "जनता दर्शन" कार्यक्रम में जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक–457 है, दिया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हाँ ।

प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना महेशगंज में दिनांक 21–2–2001 को मु०अ०सं०–7/2001 धारा 452/300 भा०द०वि० पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष महेशगंज द्वारा की जा रही है । अब तक की विवेचना से किसी ने भी संतूपासी को चोरी करते देखना नहीं बताया केवल शंका व्यक्त करते हैं । विवेचना के शीघ्र निस्तारण हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा थानाध्यक्ष को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर क्षेत्र शोहरतगढ़ में क्रय किये गये धान के विक्रय मूल्य भुगतान कराने की मांग

154–चौधरी रवीन्द्र प्रताप—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ जनपद–सिद्धार्थनगर में विगत वर्ष किसानों से कितना धान क्रय किया गया था ? क्या किसानों से क्रय किए गये धान का विक्रय मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?उक्त का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

"पटेल" राम कुमार वर्मा–

विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में विगत वर्ष किसानों से 762.15 कुन्तल धान क्रय किया गया था ।

जी हां, मु० 3,73,453.50 रु० का सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर थाना सुल्तानपुर घोष में अपराध सं० 2/2000 मे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

155–श्री मुरली धर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना–सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर में मु०अ० संख्या–2/2001 धारा–147, 148, 149, 307, 376 में दिनांक 16/17 जनवरी को पंजीकृत कराया गया ? यदि हां, तो क्या वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किये गये ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । मु०अ०सं०–2/2001 धारा 147, 148, 149,323, 504,506, 307, 376 भा० द० वि० व 3(2) 5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना–सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर में पंजीकृत हुआ ।

पुलिस के दबाव के कारण ननकऊ सिंह पुत्र वीरपाल सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्र वच्छराज सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह दिनांक 08-02-2001 को तथा अभियुक्त वीरपाल सिंह पुत्र धरमराज सिंह, छोटा सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह, राघव सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह निवासीगण जगजीवन पुर थाना सुल्तानपुर घोष दिनांक 24-02-2001 को न्यायालय में आत्मसमर्पण के उपरान्त जेल भेजे गये । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर द्वारा आरोप पत्र संख्या–4 दिनांक 16-3-2001 को चालान न्यायालय किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में आग्नेयास्त्र लाइसेन्स धारकों को निर्धारित मात्रा में कारतूस उपलब्ध कराने की जानकारी

156–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जनपद के रायफल–रिवाल्वर–पिस्टल लाइसेन्स धारकों को एक वर्ष में कितने कारतूस उपलब्ध कराये जा रहे हैं ? क्या अन्य जनपदों में लगभग 100 कारतूस दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मथुरा जनपद के उक्त शस्त्र लाइसेन्स धारकों को भी 100 कारतूस जारी किए जाने का विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नगत मामले में प्रदेश के सभी जनपदों में अधिसूचना दिनांक 31-10-1980 द्वारा किसी कलेन्डर वर्ष में अर्ध स्वचालित/रिपीटिंग रायफल के लिए 50 तथा रिवाल्वर/पिस्टल के लिए 25 कारतूस का कोटा व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेन्सों पर अनुमन्य है । जनपद मथुरा में तद्नुसार ही कारतूस उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

अधिसूचना दिनांक 31-10-80 द्वारा निर्धारित कारतूसों का कोटा लाइसेन्सधारकों की वास्तविक आवश्यकता के दृष्टिगत पर्याप्त है ।

इन्दिरा आटो मोबाइल्स हर्रैया रोड बभनान जनपद बस्ती में डुप्लीकेट पेट्रोल की बिक्री की जांच

157–श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि इन्दिरा आटो मोबाइल्स हर्रैया रोड, बभनान बस्ती द्वारा बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट पेट्रोल की बिक्री असली पेट्रोल की दर से की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी पेट्रोल विशेषज्ञ/एजेन्सी से कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रश्नगत विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले की जांच उप जिलाधिकारी, हर्रैया को सौंप दी गई है ।

158–श्री संजय गर्ग–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ नगर में चलने वाली बसों से राजस्व वसूली का विवरण

159–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में चलने वाली बसों से कर के रूप में 1 जनवरी, 2000 से 1 जनवरी, 2001 तक कितने राजस्व की वसूली की गयी है ? क्या सरकार लखनऊ नगर में परिवहन निगम की बसों को चलाये जाने की कोई योजना बनाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

लखनऊ नगर में चलने वाली बसों से कर के रूप में 01 जनवरी, 2000 से 01 जनवरी, 2001 तक रुपया 99,31,820.00 (मार्गकर एवं अतिरिक्त कर) राजस्व की वसूली की गयी ।

जी नहीं ।

शासन द्वारा लखनऊ नगर सहित प्रदेश के 10 अन्य नगरों में नगरीय बसों का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा चलाये जाने का निर्णय लेते हुए वर्ष 1994 में तत्सम्बन्धी राष्ट्रीयकरण की योजनाओं में संशोधन कर दिया गया था । अतः अब इन नगरों में (लखनऊ नगर सहित) निजी बसों का ही संचालन किया जा रहा है । नगरीय बस सेवा संचालन में निरन्तर हानि एवं निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण निगम नगर बस सेवा संचालन की स्थिति में नहीं है ।

प्रदेश ग्राम पंचायतों में खाद्यान्न एवं तेल की दुकानों के लाइसेंस में अनुसूचित जाति के कोटे की व्यवस्था अन्तर्गत जनपद चन्दौली/मिर्जापुर एवं चुनार में उपरोक्त आवंटन की जानकारी

160–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के ग्राम पंचायतों में खाद्यान्न एवं किरोसिन तेल के लाइसेन्सी दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो आरक्षण का प्रतिशत क्या है और जनपद चन्दौली के तहसील चकिया एवं मीरजापुर जनपद के चुनार तहसील में उक्त आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कितने-कितने व्यक्तियों को लाइसेन्स आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़ में कार्यरत वरिष्ठ विपणन निरीक्षक का प्रकरण

161–श्रीमती विजमा यादव–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ में कितने वरिष्ठ विपणन निरीक्षक कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि कुछ वरिष्ठ विपणन निरीक्षक जो कि जनपद प्रतापगढ़ के स्थायी निवासी हैं, वहीं तैनात हैं ? क्या यह शासनादेश के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी स्थायी रूप से निवास करने वाले वरिष्ठ विपणन निरीक्षक को जनपद प्रतापगढ़ से स्थानान्तरित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद प्रतापगढ़ में कोई वरिष्ठ विपणन निरीक्षक कार्यरत नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

162–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[3रे गुरुवार में अता० प्र० सं० 62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

163–श्री विजय पाल सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ के 6 कैपर रोड पर निर्माणाधीन व्यवसायिक बहुखण्डीय भवन

164–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6 कैपर रोड पर निर्माणाधीन व्यवसायिक बहुखण्डी भवन का निर्माण कार्य वर्ष 1996 में रोक दिया गया था ? यदि हां, तो क्या ठेकेदार द्वारा लगभग 2 (दो) करोड़ रु० की न्यायालय द्वारा डिग्री कर दी गयी है ? यदि हां, तो पी०सी०एफ० को इस भारी क्षति पहुंचाने के लिए दोषी को नियमों के विपरीत बिना पद के वर्ष 1999 में सामान्य प्रबन्धक के पद पर प्रोन्नति देने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर का जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र पर मु०अ०सं० 339/99 के थाना अदलाहाट के अभियुक्त श्री भगवानदास की पुनः मेडिकल बोर्ड के समक्ष जांच के संबंध में जानकारी

165–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर का पत्र दिनांक 13-8-99 एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर के आदेश दिनांक 19-8-99 के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, मीरजापुर के आदेश पत्रांक एम–1/मेडिकल बोर्ड–99-2000 दिनांक 23-8-99, जो मु०अ०सं० 339/99 थाना

अदलाहाट के अभियुक्त भगवानदास की पुनः मेडिकल बोर्ड के समक्ष एक्स-रे जांच हेतु उपस्थिति सुनिश्चित कराने विषयक है, वायरलेस पर प्रसारित आदेश थानाध्यक्ष अदलाहाट को प्राप्त हुआ था ? क्या उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रश्नगत पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को भी प्रेषित की गयी है ? यदि हां, तो क्या नियत तिथि को उक्त अभियुक्त को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित किया गया ? यदि नहीं, तो इसके उत्तरदायी के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । अभियुक्त भगवान दास को पुनः मेडिकल बोर्ड के समक्ष एक्सरे जांच हेतु उपस्थित किया गया था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया सीयर के ए०आर० बलिया के विरुद्ध जांच कराये जाने विषयक पत्र पर जांच के निर्गत आदेश

166–श्री अफजाल अहमद

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक श्री रामतेज यादव का पत्र समाजवादी पार्टी विधान मण्डल दल के पत्र संख्या–428/दिनांक 22-2-2001 द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है जो ए०डी०ओ० (सी०) सीयर बलिया एवं ए०आर० बलिया के विरुद्ध जांच कराये जाने के संबंध में था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

"पटेल" राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के होलीनगर मोहल्ले में दालमोठ व टाफी फैक्ट्री से स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव रोकने हेतु कार्यवाही के आदेश

167–श्री राम ललित चौधरी–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के मोहल्ला होली नगर में मन्दिर वाली गली में दालमोठ फैक्ट्री एवं जीभा रोड पर टाफी फैक्ट्री अनधिकृत रूप से घनी आवासीय क्षेत्र में चल रही है जिसके कारण क्षेत्रीय लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त घनी बस्ती में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों को बन्द कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जनपद सीतापुर के होलीनगर मोहल्ले में मे० राणीसती कन्फैक्शनरी नामक टाफी फैक्ट्री कार्यरत है तथा मे० राणीसती नमकीन भण्डार नामक दालमोठ फैक्ट्री वर्तमान में बन्द है । टाफी इकाई में डीजल का ईधन के रूप में प्रयोग होने से प्रदूषण हो रहा है जिसके संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिये गये हैं ।

जनपद गाजियाबाद शीतल भवन जटवाडा में श्रीमती खजनों देवी के मकान पर अवैध कब्जा विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

168-श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती खजनो देवी पत्नी श्री चरन सिंह निवासी शीतल भवन 167 जटवाड़ा गाजियाबाद के मकान पर से अवैध कब्जा हटाकर प्रतिपक्षी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/ एम–42159/मथुरा/ 2001, दिनांक 1-2-2001 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

आवेदिका खजनो देवी ने श्री राम शरण से मकान का बैनामा कराया था परन्तु रामशरण द्वारा आवेदिका के पक्ष में मकान रिक्त नहीं किया गया। सम्पत्ति संबंधी यह विवाद वर्तमान में न्यायालय के विचाराधीन है। अतः प्रशासनिक स्तर पर कब्जा दिलाया जाना उचित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र सोरों के गंगा कटरी क्षेत्र में डाकुओं के आतंक के विरुद्ध प्रचलित प्रभावी कार्यवाही

169–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के सोरो विधान सभा क्षेत्र के गंगा कटरी क्षेत्र में डाकुओं के आतंक से जनता को बचाने के लिए सरकार व्यापक अभियान चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

उक्त क्षेत्र में डाकुओं अपराधियों के आतंक से जनता की सुरक्षा के लिये समय-समय पर अभियान चलाये जाते हैं। वर्तमान में अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पतारसी/सुरागरसी के आधार पर व्यापक पुलिस बल सहित सघन काम्बिंग/चेकिंग कराई जा रही है। उक्त क्षेत्र को डाकुओं/अपराधियों के आतंक से शून्य करने के लिये प्रभावी कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की आर्थिक जर्जर स्थिति में पुलिस महानिदेशक के अतिरिक्त पद सृजन एवं उस पर व्यय की जानकारी

170–श्री विजय पाल सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस मैनुअल के अनुसार प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के कितने पद सृजित हैं ? क्या यह सही है कि सृजित पदों से अधिक महानिदेशक नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो मैनुअल से अधिक नियुक्त महानिदेशकों पर सरकार को अब तक कितना धन उनके वेतन भत्ते आदि में अधिक व्यय किया गया ? क्या सरकार प्रदेश की आर्थिक जर्जर स्थिति को देखते हुये पुलिस मैनुअल के अनुसार ही महानिदेशकों की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

पुलिस महानिदेशक के पद मैनुअल में नहीं वरन् कैडर रिव्यू के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा आई०पी०एस० उ०प्र० कैडर में उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम से पूर्व पुलिस महानिदेशक के 3 पद निर्धारित किये गये थे, जो अनन्तिम तौर पर उत्तरांचल बनने के बाद 2 कर दिये गये, परन्तु इसका नवीन कैडर रिव्यू किया जाना है। अतएव सम्प्रति 3 पद मानकर ही राज्य सरकार चल रही है।

कैडर में 3 संवर्गीय पदों के सापेक्ष राज्य सरकार को 3 अतिरिक्त एक्स कैडर पद सृजित करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार कुल 6 पद स्वीकृत किये जा सकते हैं। इस आधार पर 6 पद क्रियाशील है।

जी हां, उक्त 6 पदों के अतिरिक्त 1 पद दो माह की सीमित अवधि के लिये अपर पुलिस महा-निदेशक फायर का आस्थगित कर पुलिस महानिदेशक किया गया है।

उक्त अतिरिक्त पद पर 2 माह का अतिरिक्त व्यय भार लगभग रु० 3,000/– है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें शलाका के आधार पर 7 सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं।

पहली सूचना श्री बेचन राम जी की है (नाम पुकारे जाने पर) अनुपस्थित हैं। दूसरी सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र की है, उपस्थित हैं। तीसरी सूचना डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की है, उपस्थित हैं। चौथी सूचना श्री राम ललित चौधरी की है, उपस्थित हैं। पांचवीं सूचना श्री सौलत अली एडवोकेट की है, उपस्थित हैं। छठीं सूचना श्री राम बिशुन आजाद की है, उपस्थित हैं। सातवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की है। नाम पुकारे जाने पर उपस्थित हैं। प्रतीक्षा सूची में श्री गोमती यादव की सूचना है, नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित हैं। अतः पांच उपस्थित माननीय सदस्यों की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद हरदोई की मल्लावां नगर पालिका परिषद् में बिना पूर्व नोटिस के अतिक्रमण हटाये जाने से प्रभावित दुकानदारों को मुआवजा देने एवं समस्त प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् मल्लावां में दिनांक 29-4-2001 के मल्लावां में अधिकारियों द्वारा पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने की शासन द्वारा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही न करके जोर-जबरदस्ती निम्नांकित लोगों

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को क्षति पहुंचाई गई व तोड़-फोड़ करके क्षति पहुंचाई गयी तथा नीतिगत आधार पर बात करने पर उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम कराया गया। अतिक्रमण हटाने से पूर्व किसी भी दुकानदार को नोटिस नहीं दी गयी व दुकानदारों को किस प्रकार अतिक्रमण हटाना है। पुलिस बल के दम पर दुकानदारों का अतिक्रमण हटाकर लाखों रुपये का नुकसान किया गया।]

1–रज्जन लाल अग्निहोत्री, 2–विजय सब्जी वाले, 3–राधे मोहन, 4–छोटे लाल हलवाई, 5 नौशाद क्लाथ मर्चेन्ट, 6–मो० असलम ढोलिया वाले, 7–सरदार, 8–वकील, 9–नन्हंकू, 10–भल्लू, 11–इसहाक, 12–शमसुद्दीन, 13–मकसूद, 14–सुन्दर लाल, 15–बीरी, 16–बबलू, 17–नीलेश, 18–नीलेश बाबा स्वीट हाउस, 19–मौसम कोल्ड डिंक्र, 20–प्रकाश, 21–जगदीश मिष्ठान भण्डार, 22–यज्ञसैनी किराना स्टोर, 23–मो० खालिद, 24–वीरेन्द्र अग्निहोत्री, 25–राधे जनरल स्टोर, 26–अकील फल विक्रेता, 27–राम सरन, 28–कल्लू, 29–बब्बू कोल्डरिंक, 30–छोटे, 31–गोपाल कोल्डरिंक,32–राम कुमार, 33– सुभाष पान भंडार, 34–ठाकुर पान भंडार, 35–मोहन लाल पान भंडार, 36–विमलेश, 37–रमेश मिष्ठान भंडार, 38–राम गुलाम, 39–दीपू पान भंडार, 40–विकास पान भंडार, 41–राम पाल बीज भंडार, 42–यदुनाथ पाठक, 43–अकील जनरल स्टोर, 44–करुणा अग्निहोत्री, 45–दिगपाल पान भंडार, 46–राजू मिष्ठान भंडार, 47–बाबू राम मिष्ठान भंडार।

इत्यादि दुकानदारों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यदि दुकानदारों को पन्द्रह दिन पहले नोटिस दी जाती तो लाखों रु० का नुकसान न होता और सामान की लूटपाट हुई उससे जनता में भय का वातावरण बना है और जनता में आक्रोश है यह सरकार बसाने का काम तो नही कर रही है वरन् उजाड़ने का काम जरूर कर रही है नोटिस न देंकर अचानक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करना यह खुली लोकतंत्र की हत्या है गुमटी के दुकानदारों की जो तोड़–फोड़ की गई उनको बसाने के लिए व दुकान रखने की जगह की व्यवस्था तत्काल की जाये। थाने व नगरपालिका में जो सामान जमा कराया गया है उसे तत्काल वापस कराया जाये व पूरे प्रकरण की जांच सी०बी०आई० द्वारा कराई जाये जिससे दुकानदारों को राहत मिल सके। चूंकि यह एक लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है और व्यापारियों से सीधे जुड़ा है सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है सदन की सभी कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाय जिससे अनियमित ढंग से अतिक्रमण हटाओं अभियान पर अंकुश लग सके व पीड़ित दुकानदारों को उनके नुकसान का मुआवजा प्राप्त हो सके।]

मेरठ नगर के योजना सं०–10 सेक्टर एक माधवपुरम् में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए निःशुल्क भूमि का प्रस्ताव आवास विकास परिषद् मेरठ में लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, योजना सं० 10 सेक्टर एक माधवपुरम् मेरठ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये निःशुल्क भूमि देने का प्रस्ताव आवास विकास परिषद् को प्रेषित किया गया था। उनके यहां से 50 प्रतिशत मूल्य पर देने का निर्णय किया गया। प्रार्थना निःशुल्क पर देने की थी, उनसे पुनर्विचार का निवेदन किया गया था।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधायक निधि से आगणन की पूर्ण राशि 15 लाख रुपया पर भी मेरे द्वारा लिखित सहमति दी जा चुकी है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवास विकास परिषद् को निर्माण ऐजेन्सी के रूप में लिखित सहमति दी जा चुकी है।

विधान सभा में स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा इसकी स्थापना की घोषणा की जा चुकी है।

एक वर्ष पूर्व उपरोक्त औपचारिकता पूर्ण हो गई। आवास विकास परिषद् द्वारा निःशुल्क देने का निर्णय न करने के कारण यह कार्य रुक गया। प्रा०स्वा० केन्द्र की स्थापना से 3 लाख की आबादी को लाभ होने वाला है।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल निर्णय करने की मांग करता हूँ।]

जनपद सन्त कबीर नगर के विकरामीर आदि कतिपय धान क्रय केन्द्रों पर बड़े पैमाने पर की गयी कथित धांधलेबाजी की जांच कराने तथा किसानों को बकाया धान मूल्य का भुगतान कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी–

[महोदय, मैं उपरोक्त विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करं विषय की जांच तथा धान किसानों के बकाये धान मूल्य को दिलाने की तरफ दिलाना चाहता हूँ वह यह कि अभी वर्ष 2000–2001 के सीजन में जनपद संत कबीर नगर के विकरामीर तथा सेमरियावां धान क्रय केन्द्र पर धान की खरीद हुई, दोनों क्रय केन्द्रों पर लगभग 50 किसानों को फर्जी चेक इशू किया गया और उनका भुगतान नहीं किया गया दोनों क्रय केन्द्रों के अधिकारियों ने भुगतान के लिए ऐसे लोगों को सही चेक जारी करके भुगतान करा दिया था जिन्होंने अपना धान बेचा ही नहीं था।

ऐसा पता चला है कि हल्की फुल्की जांच हुई जिनमें कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मामूली कार्यवाही हुई लेकिन इससे किसानों की समस्या का कोई निदान नहीं हो पाया।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि धान किसानों के बेचे गये धान मूल्य का तुरन्त भुगतान हो और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज हो।]

रायल होटल चौराहे तथा विधान सभा मार्ग, लखनऊ पर रात को हैवी ट्रैफिक के कारण प्रदूषण एवं दुर्घटनाओं से बचाव हेतु कारगर व्यवस्था करने के संबंध में नियम –301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सौलत अली एडवोकेट–

[महोदय, विधायक निवास नं०–4 रायल होटल, लखनऊ के सामने की सड़क जिस पर विधान सभा, बापू भवन, ओ०सी०आर० का विधायक निवास आदि प्रमुख कार्यालय और मुख्य निवास भी है। इस पर रात 10 बजे के बाद " कानपुर–फैजाबाद–गोरखपुर" मार्ग का हैवी ट्रैफिक जारी कर दिया जाता है और विधान सभा, राज भवन और रायल होटल के बीच की सड़क पर रायबरेली–सुल्तानपुर–सीतापुर का हैवी ट्रैफिक खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से रायल होटल के चौराहे पर रात में आये दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं और दोनों सड़कों पर जाम भी कई–कई घंटे लग जाता है, जिसकी वजह से रात को विधान सभा की तैयारी करने में और पढ़ने में बहुत बाधा पड़ती है और रात को शोर और प्रदूषण सोने भी नहीं देता है, जिसके परिणामस्वरूप सदस्यों को विधान सभा की कार्यवाही में भलीभांति भाग लेना संभव नहीं हो पाता है।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यदि विधान सभा मार्ग का कानपुर–फैजाबाद–गोरखपुर का हैवी ट्रैफिक कैन्ट से होकर बाई पास गोमती नगर को या अन्य किसी मार्ग से तथा रायबरेली–सुल्तानपुर–सीतापुर का हैवी ट्रैफिक लो०नि०वि० कार्यालय से हजरतगंज होकर या सदर कैन्टोमेंट रोड होकर कैसरबाग को पास कर दिया जाए तो विधायक निवासों के प्रदूषण और रायल होटल चौराहे की दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है और विधायकों की नींद और चैन भी बचाया जा सकता है।

मैं लोक महत्व के इस अति महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कराते हुए तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत वजीरगंज में जू० हाई स्कूल करदा की भूमि को विद्यालय के नाम आवंटन तथा उक्त भूमि को हड़पने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, आपका ध्यान जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के तरफ लाना चाहता हूँ क्षेत्र पंचायत वजीरगंज के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल करदा लगभग 40 वर्षों से चल रहा है जो गाटा सं०–578 में स्थित है जिसका रकबा एक एकड़ 98 वें डिस्मिल है उक्त विद्यालय में क्षेत्र के आस-पास के गरीब एवं असहाय बच्चे शिक्षा अध्ययन के लिए आते हैं। कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उक्त विद्यालय की भूमि को हड़पने की साजिश की जा रही है प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि की कम मालियत 30 पैसा चकबंदी दौरान लगवा कर चक संख्या–331 गाटा संख्या–646 में फर्जी रूप से शामिल करा लिया था, इस साजिश के संबंध में जब ग्राम प्रधान करदा को जानकारी हुई तब उन्होंने एक शिकायती पत्र मुख्य राजस्व अधिकारी गोण्डा को निष्पक्ष जांच एवं कार्यवाही करने के संबंध में दिया, मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा जांच करवाया गया, जांच दौरान फर्जी पाया गया, कार्यवाही करने के संबंध में 19–12–2000 को जिलाधिकारी गोण्डा को रिपोर्ट प्रेषित किया गया। परन्तु अभी तक उक्त व्यक्तियों एवं राजस्व अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे क्षेत्रीय जनता में जनाक्रोष व्याप्त है यदि विद्यालय की भूमि को विद्यालय के नाम नहीं करवाया गया, तो क्षेत्रीय जनता में असंतोष फैल जायेगा।

अतः आपसे इस समस्या को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूँ कि जूनियर हाई स्कूल करदा शिक्षा क्षेत्र वजीरगंज जनपद गोण्डा की भूमि को सुरक्षित करने के लिए बाउण्ड्री वाल बनवायी गयी जिससे स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण न हो सकें और जिन लोगो ने जमीन को हड़पने का साजिश की है और जांच में दोषी पाये गये हैं इनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय।]

श्री अध्यक्ष–

कुछ नियम 300 की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ द्वारा सत्र के दौरान मासिक बैठक आयोजित करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन में पीठ द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसका पालन नहीं हो रहा है। इस गम्भीर स्थिति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बार–बार सदन में यह बात आयी है कि जब सदन की बैठक होगी तो जिलों में बैठकें आयोजित नहीं होंगी जिनमें मा० सदस्यों को भाग लेना होता है।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, मेरा इस प्रश्न के माध्यम से आग्रह है कि यह व्यवस्था की जाये कि सत्र के दौरान जिलों में बैठकें आयोजित न हों। इस पर आपका स्पष्ट निर्देश आ जाए।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसमें बैठक निरस्त कर दी गयी हैं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं कल रात को नौचन्दी एक्सप्रेस से मेरठ से चला हूं तब तक बैठक स्थगित नहीं हुई थी और आज प्रातः 9.30 बजे तक स्थगित नहीं हुई थी अब अगर यदि मेरी सूचना के बाद स्थगित कर दिया हो तो दूसरी बात है। मैं बताना चाहता हूं कि 21 अप्रैल, 2001 को सूचना जारी की गयी उस समय सदन का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका था और 30 अप्रैल, 2001 को बैठक रख दी जब विधान सभा चल रही थी तो उनको जानकारी कर लेनी चाहिए थी। कल रात तक भी उन्होंने सूचना निरस्त नहीं की।

श्री अध्यक्ष–

इस बैठक की सूचना आपको कब मिली ?

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, मुझे बैठक की सूचना परसों मिली।

श्री अध्यक्ष–

बैठक की सूचना मिलने के बाद आपने उनसे अनुरोध किया ?आपको उनसे अनुरोध करना चाहिए था और पीठ के द्वारा दिये गये निर्देश को उनके संज्ञान में लाना चाहिए था।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, पीठ के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है तो कम से कम सदन की जानकारी में आना चाहिए और आपके माध्यम से उनको सचेतन जारी करना चाहिए।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जब स्पष्ट निर्देश हैं तो अनुरोध करने की आवश्यकता क्यों पड़े ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जैसे यहां सदन का कार्यक्रम तय था और कार्यक्रम तय करने के बाद भी कुछ परिस्थितियां ऐसी आयीं कि हमें बीच में दो दिन स्थगित करना पड़ा। एस० एस० पी० मेरठ ने भी बैठक स्थगित कर दी और उसकी प्रतिलिपि समस्त माननीय सांसदगण/माननीय विधायकगण, माननीय विधान परिषद् सदस्यगण मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित की है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जब आपके द्वारा इस तरह के निर्देश दिये गये हैं और शासनादेश है कि ऐसी स्थिति में कहीं भी इस तरह की बैठक न रखी जाय। माननीय सदस्य को अनुरोध करने का और सदन में उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी इसमें स्पष्ट रूप से इस तरह का कोई निर्देश अवश्य जाना चाहिए कि जहां पर भी ऐसे समय में इस तरह की मीटिंगें आयोजित की जायेंगी, उस अधिकारी के खिलाफ निश्चित तौर से कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस सूचना पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी को सुना । इस संबंध में पीठ से बार-बार निर्देश दिये गये हैं कि सत्र के दौरान जिला स्तर पर कोई बैठक न बुलायी जाय जिसमें माननीय विधायकों अथवा सांसदों की उपस्थिति अपेक्षित हो । मैं समझता हूं कि शासन के द्वारा इस विषय में एक अनुस्मारक भेज दिया जाना चाहिए । इसके बाद इस सूचना को निरस्त किया जाता है।

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के गांव में अग्निकाण्ड के फलस्वरूप दी गयी सहायता के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की है अग्निकाण्ड के फलस्वरूप दी गयी सहायता के संबंध में है। यह नियम–300 में नहीं आती है । नियम–300 की सूचना सदन की कार्यवाही के संचालन के संबंध में होनी चाहिए । आप नियम–301 या नियम–51 में सूचना दे दें । शासन के संज्ञान में ले आयें ।

(श्री लालजी वर्मा द्वारा श्री राम चन्द्र यादव को सुने जाने हेतु बल देने पर)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय वर्मा जी, नियम–300 की कुछ महत्ता होनी चाहिए । कभी-कभी आप भी उस पीठ पर सुशोभित होते हैं । माननीय सदस्य नियम–301 या 51 में सूचना दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना श्री बाबू लाल कुरील की है ।

(श्री बाबू लाल कुरील जी के अनुपस्थित होने पर)

प्रदेश में बिजली की असाधारण कटौती तथा विद्युत की अनियोजित आपूर्ति के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

चौथी सूचना श्री कुंवर रेवती रमण सिंह जी की बिजली की समस्या के संबंध में है । कुंवर साहब यह नियम–300 में कैसे आयेगी ?

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, इसे नियम–300 में इसलिए लाने की आवश्यकता पड़ी कि यह बहुत आवश्यक और अपरिहार्य है । नियम–56 और 311 में इस सदन में सूचनाएं ली नहीं जायेंगी । पूरे प्रदेश में इस समय बिजली संकट से ग्रस्त है, चाहे ग्रामीण अंचल हो, चाहे शहरी इलाका हो, चाहे कवाल टाऊन हो वहां पर 3 से 4 घंटे बिजली की कटौती हो रही है और अन्य शहरों में 10 से 12 घंटे, ग्रामीण अंचलों में तो बिजली नहीं के बराबर जा रही है । वहां मड़ाई हो रही है । आप स्वयं अवगत हैं अभी बरसात हुई है और गेहूं सड़ने के कगार पर आ गया है । किसान बेहाल है । मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अभी जब माननीय मुख्य मंत्री जी राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे और अपना जो जवाब देंगे उसमें मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्नों का खुलासा करेंगे कि जो आनपारा 200 और 500 मेगावाट की मशीनें बन्द हो गयी हैं तो उन तक कोयला कब तक पहुंच जायेगा जिससे वह चल सके इस संबंध में इस सरकार ने कोई खुलासा नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह तर्क आप अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर दे दीजियेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आनपारा की 200 मेगावाट और 500 मेगावाट की मशीनें कोयला न मिल पाने के कारण बन्द हो गयी हैं उन तक कोयला कब तक पहुंच जायेगा माननीय मुख्य मंत्री जी इस संबंध में निश्चित रूप से इस बात की जानकारी दें।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज किसानों को, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि 12 घण्टे बिजली दी जा रही है लेकिन जहां तक मेरी निश्चित जानकारी है कि आज किसानों को 3, 4 घण्टे से अधिक बिजली की प्राप्ति नहीं हो रही जबकि इस समय गेहूं की मड़ाई और कटाई का सीजन चल रहा है जिसमें किसानों का अधिकाधिक बिजली की आवश्यकता है परन्तु उन्हें तीन, चार घण्टे से अधिक बिजली नहीं मिल पा रही है और मान्यवर, मुख्यमंत्री जी 12 घण्टे बिजली देने की बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि किसानों को 12 घण्टे बिजली की आपूर्ति की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है। मेरा माननीय रेवती रमण सिंह जी से अनुरोध है कि जब धन्यवाद के प्रस्ताव पर अपना भाषण दें तो इस विषय पर अपना तर्क रखें।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज सरकार की गलत नीतियों के कारण बिजली का उत्पादन ठप हो गया है और विद्युत व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गयी है जिससे किसानों की मड़ाई और कटाई नहीं हो रही है और किसी भी ग्रामीण अंचल में 2, 3 घण्टे से अधिक बिजली नहीं पहुंच पा रही है और मान्यवर, सिर्फ दो, तीन कुछ ही ऐसे विशेष जनपद हैं जहां बिजली की कटौती नहीं हो रही है बाकी सभी जगहों पर बराबर बिजली की कटौती की जा रही है और सरकार 12 घण्टे बिजली देने का दावा कर रही तो मैं चाहूंगा कि किसानों को 12 घंटे अनवरत रूप से, सुचारु रूप से बिजली देने की व्यवस्था की जाय।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है लेकिन रात भर बिजली नहीं आयी जिससे मैं तैयारी नहीं कर पाया। इसलिए मैं सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए ठीक ढंग से तैयारी नहीं कर सका।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम–300 में नहीं आती अब बहुत से लोग कहेंगे आज पेट्रोल डीजल की हड़ताल थी पेट्रोल, डीजल नहीं मिला इसलिए मैं सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सका। मैं कुंवर रेवती रमण सिंह और श्री राम विशुन आजाद जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को निरस्त करता हूं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि जिस समय धन्यवाद प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी का उत्तर आयेगा उनसे अनुरोध कर लें कि वह इस विषय पर भी प्रकाश डाल दें।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचा दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है । पोइया जी आवास विकास परिषद् में भ्रष्टाचार है यह प्रश्न नियम–300 में कहां आता है ?

आज की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न सं०–158 को न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त किये जाने पर आपत्ति

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन की गरिमा को बरकरार रखने के संबंध में आपका संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, जनमानस की समस्याओं को लेकर हम यहां पर प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर आता है । आज मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 158 का उत्तर जिस ढंग से आया है वह उचित नहीं है । उत्तर दिया गया है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त किया जाता है । मान्यवर, इस प्रश्न को लेकर निश्चित रूप से सदन को गुमराह किया गया है । सरकार अपना दोहरा चरित्र इस प्रदेश की जनता के सामने ला रही है जिसकी जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं ।

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसमें मैं समझता हूं कि कोई ईशू इस तरह का नहीं है जो न्यायालय में विचाराधीन हो । मैं परिवहन मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 18-11-96 को हुई थी जिसमें 7 मार्गों पर निजी बसों को संचालित करने का निर्णय लिया गया था । मान्यवर, मैंने 1999 के प्रथम सत्र में एक प्रश्न पूछा था और शासन ने जवाब दिया था कि 1–अलीगढ़–अतरौली–रामघाट, 2–अलीगढ़–अतरौली–बिजौली, 3–शेरगढ़–घाट–औरैया दिबियापुर–तिर्वा, 4–दिबियापुर बाबरपुर 5–सहारनपुर–लोनी वाया शामली–बड़ौत बागपत मार्जिनलबांध रोड, आई एस बी टी–दिल्ली, । 6–मेरठ–चण्डीगढ़ वाया बड़ौत–शामली–गंगोह–सहारनपुर–सरसावां–यमुनापार अम्बाला, 7–सहारनपुर–करनाल वाया जन्धेड़ा–रामपुर–गंगोह–न्यू यमुना ब्रिज मार्ग हैं । इनमें से 1 से 4 नम्बर तक के मार्गों के संबंध में शासन द्वारा वांछित प्रारम्भिक अधिसूचनाएं तथा अन्तिम सूचनाएं जारी कर दी गयी हैं। तीन अन्य जो रूट हैं जिनका जिक्र मैंने किया है इसी सदन में उनके बारे में सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत है और प्रारम्भिक अधिसूचना जारी करने के बाद अन्तिम अधिसूचना जारी की जायेगी ।

मान्यवर, यह जो जगहें मैंने बतायी हैं इन पर परिवहन निगम की बसों के खराब होने के कारण और यात्रियों को सुविधायें न मिलने के कारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी संस्तुतियां दी थीं और इस संबंध में 16-4-99 को अधिसूचना जारी की गयी थी । इस अधिसूचना के प्रस्तर–3 में कहा गया है कि इस निमित्त प्राप्त अभ्यावेदनों की सुनवाई, सुनवाई अधिकारी श्री जमीरउद्दीन, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उ० प्र० शासन को प्राधिकृत किया गया । उक्त सुनवाई अधिकारी ने समस्त अभ्यावेदनों पर विधिवत् सुनवाई करते हुए उक्त प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 11-10-99 को अनुमोदित कर दिया ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, इसमें दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस संबंध में पत्रावली मंगाकर देख लूंगा और अगर यह प्रश्न न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तो इसका उत्तर दिलवा दूंगा ।

श्री संजय गर्ग–

मा० सदन को गुमराह किया जा रहा है । मैं आपका सरक्षण चाहता हूं कि सरकार इस गम्भीर मुद्दे पर निर्णय ले और दोहरा मापदंड न अपनाये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं मंत्री जी से जानकारी प्राप्त करूंगा कि न्यायालय में विचारणीय बिन्दु क्या हैं और उसके बाद निर्णय ले लूंगा ।

श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रि-परिषद् द्वारा गठित प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में परिवहन समिति के द्वारा न्यायालय के आदेशों का अवलोकन करने के उपरान्त ही कहा था कि सहारनपुर दिल्ली एवं 38 अन्य मार्गों पर उपांतरण प्रस्ताव जारी करने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है । मान्यवर, जो प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं वह मोटर यान अधिनियम की धारा 100 के अन्तर्गत है और जिसमें शासन को उसमें निर्णय लेना है वह मोटरयान अधिनियम की धारा 102 से सम्बन्धित है । अतः न्यायालय का कोई आदेश उपांतरण प्रस्ताव जारी करने में बाधक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

पहले शासन के परिवहन मंत्री से जानकारी प्राप्त कर लें कि कौन से बिन्दु विचारणीय हैं उसके बाद इस प्रश्न के संदर्भ में निर्णय ले लिया जाएगा ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जहां तक प्रश्न की ग्राह्यता की बात है आपने कह दिया कि इसको देख लेंगे लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बातें उठाई गई.....

श्री अध्यक्ष–

उनका संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

यह सारा प्रकरण सरकार के समक्ष विचाराधीन है । इसमें मंत्रि-परिषद् की उपसमिति है । वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वह विचार कर रही है । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारी बातों पर विचार करके निर्णय कर लिया जाएगा । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा से वंचित करने की कोई बात नहीं है । यह सवाल ही नहीं है ।

श्री संजय गर्ग–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ दोहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है ।

श्री हुकुम सिंह–

यह कथन असत्य है कि कोई दोहरा मापदण्ड है । बसें पूरी की पूरी चल रही हैं । अनावश्यक रूप से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है । सरकार की तरफ से ऐसा आदेश नहीं है कि बसों को रोका जाए ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :—

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2001 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित

किया गया था और दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सूचित करता हूं कि–

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सूचित करता हूं कि–

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2001 को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को वापस प्राप्त हो गया।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मा० अध्यक्ष मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 मार्च, 2001 को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6, मद संख्या–7, मद संख्या–8, मद संख्या–9 में कुछ नहीं है।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा–10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा–10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार, विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। हम लोगों को बड़ी उम्मीदे थीं, जनता को बड़ी उम्मीदें थी कि महामहिम राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में प्रदेश की बेहतरी के लिए कुछ ऐसी नीतियों को उजागर करेंगे जिससे प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, प्रदेश का पिछड़ापन दूर होगा, प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी दूर होगी, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में प्रदेश आगे बढ़ेगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति में कुछ सुधार आयेगा और शासन प्रशासन में फैला भ्रष्टाचार समाप्त होगा लेकिन मान्यवर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बल्कि उल्टे जनता की भावनाओं के विपरीत महामहिम राज्यपाल महोदय का यह अभिभाषण इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की स्थिति बदतर होगी और यह प्रदेश पीछे ही जायगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति और ज्यादा खराब होगी। अभी धान की खरीद पर काफी चर्चा हो चुकी है, सरकार ने कहा 5.40 लाख टन धान खरीदा जा चुका है तो मान्यवर, यह कुल धान की पैदावार का कितना प्रतिशत है। 168 लाख टन पैदावार हुई और अगर इसको प्रतिशत में लगाया जाय तो यह केवल तीन प्रतिशत आता है और सरकार की ओर से बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि हमने बड़ा धान खरीदा है। 300 रुपये से ऊपर धान का मूल्य नहीं जा पाया। यदि धान की खरीद एक चौथाई भी हुई होती तो बाजार भाव 300 के ऊपर जाता। उसमें से भी इन्होंने 10 से 30 प्रतिशत तक पइया काटा तो फिर इसके बाद रेट 510 के हिसाब से 410 रुपये मिलते हैं और कहा गया कि हमने एक कुन्तल पर 100 से 150 रुपयें किसानों को लाभ दिया है तो इस प्रकार से पइया काटकर किसान को 100–200 रुपये कुन्तल की हानि पहुंचाया गया।

मान्यवर, सरकार द्वारा किसानों से जो धान खरीदा गया उसका भुगतान आज तक नहीं किया गया। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि भुगतान करा दिया जायगा परन्तु अभी तक नहीं किया गया

नोट:–†25 अप्रैल, 2001 की कार्यवाही से।

है । इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में जितना गन्ना खरीदा गया उसका 909 करोड़ रुपया किसानों का गन्ना मूल्य इस सरकार पर बकाया है ज्ञात है कि 30 प्रतिशत आज भी बकाया है लेकिन यह सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि इस बकाये का भुगतान कब तक करायेगी । अभी एक प्रश्न गन्ने पर आया था तो माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि शेष भुगतान करा दिया जायगा तो कब तक करा दिया जायगा ?

(इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठीसान हुए)

गन्ना समितियों की बात है । 19 करोड़ रुपया गन्ना समितियों ने विभिन्न वर्षों में उपयोग किया है । बहुत कोशिशों के बाद लगातार 4-5 साल तक सवाल उठाने के बाद एक तिहाई भुगतान का आश्वासन यह सरकार दे रही है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय गन्ना मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितना बकाया गन्ना समितियों का है उसको एक मुश्त सरकारी खजाने से भुगतान करें । इसी तरह से बिजली की जो दशा है । अन्य सरकारों में जैसे बी० एस० पी० की जब सरकार थी गांवों में 16 घंटे बिजली जाती रही है लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुश्किल से 4-5 घंटे भी बिजली देहातों में नहीं जा रही है । किसान मड़ाई का काम नहीं कर पा रहा है । शहरों में ही बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं हो रही है तो गांवों में तो जा ही नहीं रही है । बहुत बुरा हाल है ।

अम्बेडकर योजना के तहत आज गांवों में जो काम हो रहा है वह केवल खाना पूर्ति की जा रही है । बहुजन समाज पार्टी की सरकार में इस योजना में 11 प्वाइन्ट थे । जिस गांव का चयन इस योजना के अन्तर्गत किया जाता था उसमें नल लगते थे, स्कूल खुलते थे और बिजली लगती थी, सड़कें बनवाई जाती थीं । इस तरह से तमाम काम होते थे लेकिन आज केवल खाना पूरी हो रही है । अम्बेडकर गांव में 5–7 घर आवास के लिए दिये जा रहे हैं बाकी खाना पूरी की जा रही है । सड़कों के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है । बिजली के नाम पर एक दो मुहल्ले कर दिये और हो गया । बहुत से गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण आज भी नहीं कराया जा रहा है । उद्योगपतियों को अपना सामान पूरे देश में बेचने का अधिकार है लेकिन किसान को अपनी उपज बेचने का इस तरह का अधिकार नहीं है । गेहूं, गुड़, आलू पर रोक लगाते हैं ताकि प्रदेश में उसका दाम कम से कम हो जाय । इसी तरह से कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटा जा रहा है । मान्यवर, 9-3-2001 को मिर्जापुर में नक्सलाइट के नाम पर 16 लोगों की हत्या कर दी गई । मैं दो लोगों के बारे में बता रहा हूं । कल्लू पुत्र हरि नारायण जो कि चमार था लाल बहादुर के यहां रिश्तेदारी में आया था । लाल बहादुर के लड़के का गौना था, उसको नक्सली कह कर मार दिया । पप्पू पुत्र राम खिलावन भवानीपुर को भी नक्सली कहकर मार दिया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करा लें कि वे नक्सलाई थे कि नहीं । यदि नहीं थे तो 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाना चाहिए । 24-2-2001 को सेजराबहा अहरौरा मिर्जापुर में भूमि का विवाद था । राजा राम पाल अपने खेत पर सोते थे । राजा राम पाल की जमीन एक व्यक्ति ने कब्जा कर रखी थी वह इनको कब्जा नहीं दे रहा था तो राजा राम पाल ने वह जमीन किसी मिलेट्री वाले के हाथ बेच दी । इससे चिढ़कर जिस व्यक्ति ने उस जमीन पर कब्जा कर रखा था पुलिस से मिलकर राजा राम पाल को नक्सली कहकर उसका इनकाउन्टर करवा दिया ।

इसी तरह से सीतापुर जनपद में बिन्देश्वरी देवी पत्नी स्व० हीरा और उसकी पुत्री को बदमाश उठाकर ले गये और मार दिया आज तक उनका पता नहीं चला । इस तरह की अनेक घटनाएं हो रही हैं और इसके बाद भी सरकार कहती है कि कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त कर रखी है । मान्यवर, इस अभिभाषण से कोई सही दिशा-निर्देश इस प्रदेश को मिलने वाला नहीं है । मान्यवर, आपकी लाल बत्ती जल गई है इसलिये मैं अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूं ।

* डा० पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर डा० डंग द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का जो समय दिया, इसके लिए श्रीमन् मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। श्रीमन् धन्यवाद के प्रस्ताव पर चार-पांच दिन से बहस चल रही है। मैंने धैर्यपूर्वक विपक्ष के सभी विद्वान अनुभवी साथियों के विचारों को सुना और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि–

सरकार की उपलब्धि इन्हें भाती नहीं है,
श्री राजनाथ की छवि इन्हें सुहाती नहीं है,
ईर्ष्या में जले जा रहे हैं परेशान हैं,
यह सोच-सोच रातों में नींद आती नहीं है।

साजिश यह रच रहे हमें बदनाम करने की,
धमकी भी दे रहे जो चक्का जाम करने की,
नाकामियों से अपने यह पहले से घिरे हैं,
हमने भी ठाना है इन्हें नाकाम करने की।

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में अमन चैन का वातावरण है। माफियाओं अपराधियों के हौसले पस्त हैं फिर भी सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं जब मान्यवर, इनकी सरकारें थी उस समय प्रदेश के 50 प्रतिशत जिले दंगे की आग में जल रहे थे, चारों तरफ इनके अत्याचार, पापाचार, दुराचार, अनाचर, व्यभिचार, बलात्कार से पूरा जनमानस पीड़ित था। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया था। हल्ला बोल से लोगों का जीना हराम हो गया था

अपहरण व्यापारिन क, छटनी कर्मचारिन क,
ट्रांसफर अधिकारिन क, किये बड़े पैमाने में,
मंत्री विधायक सब अगिया बैताल बने,
संविधान की हत्या कर मस्त सब को सताने में

(मेजें थपथपाई)

चोरी, घूसखोरी, बरजोरी, सीनाजोरी कर,
अपनी कमजोरी छिपाये जाई मैखाने में,
लुच्चई, लफंगई, नंगई और गुण्डई,
बढ़ी थी दबंगई, [× × ×] के जमाने में।

पीड़ित जनता एक स्वर में कह रही थी–

हल्ला बोल तोहरे पूरे गोल क पोल खोल दिहेसि,
इहउ पता चलि ग तोहार केतनी औकात बा,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अपने पिछलग्गुन के जीयई क जुगाड़ किए,
जेइरई जे पावत बा लूटि पाट खा बा,
चमचन के बात मानि मस्त खूब होत होब,
गांव गली घूमि देख केतना गंधात बा,
इ काठे कहाड़ी अब दुबारा न चढ़ि पाये,
जबन लुटबे हय लूटिल अब इन्हीं भाते भात बा ।

श्रीमन् मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब इस प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार नहीं थी उस समय श्रीमान्–

इतना अपराधी राजनीति में घुसल रहलेनि,
जनता परेशान नेता कुलिअई उद्दण्ड होई ग,
चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार,
बढ़ा रहल धुआंधार अइसन शासन अंडबंड होई ग,
सबइ दल, दल–बदल के दलदल में अइसन फंसा
टूट-फूट मचल बल कुलियइ खंड-खंड होइ ग,
बहुजन बहुखंड होई ग, सपा सपरचंड होई ग,
कांग्रेस भरभंड होई ग, भाजपा मुस्टंड होई ग,

आज स्थिति यह है कि श्रीमान् मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि–

श्री राजनाथ ने अभियान छेड़ा जबरदस्त है,
अपराधियों के हौसले हो रहे पस्त हैं,
कानून व्यवस्था दुरुस्त चुस्त लग रही,
जनता समस्त लग रही इस समय मस्त है ।
एफ० आई० आर० दर्ज सेंट परसेंट हो रहा,
अपराधी उन्मूलन का मूवमेंट हो रहा,
चारों तरफ विकास और अमन चैन है,
पूरे प्रदेश का है डेंट पेंट हो रहा ॥

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(मेजें थपथपाई गई)

श्री रामविशुन आजाद–

मान्यवर, जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तर्जुबात, जिसमें महामहिम राज्यपाल जी ने प्रदेश के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, छात्रों के लिए/ महिलाओं के लिए, कोई भी विकास की योजना का जिक्र नहीं किया है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए हम कोई योजनायें चला रहे हैं उन्होंने किसानों की पंचायत में कहा, किसानों को बुलाकर कहा कि 12 घंटे विद्युत आपूर्ति करेंगे, लेकिन मान्यवर सरकार ने 12 घंटे विद्युत तो क्या, तीन

चार घंटे भी ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति नहीं की । ग्रामों में तीन-चार घंटे भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है । इसी तरह से मान्यवर, क्रय केन्द्रों की बात को ले लीजिए । माननीय मंत्री जी ने कहा था कि गेहूं क्रय केन्द्र प्रदेश में खोले जा रहे हैं । मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं । मैं आज ही आया हूं । मैंने वहां जाकर देखा कि मनकापुर, गोण्डा में कोई भी क्रय केन्द्र नहीं खोले गये हैं । इस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है । यह किसान विरोधी सरकार है । गन्ना किसानों की बड़ी दुदर्शा है । किसान सुबह से शाम तक खेत में काम करता है और अगर उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान न किया जाय तो उनकी समस्या बनी रहेगी । मान्यवर, पिछले दो वर्षों में तिलहन का उत्पादन 50 प्रतिशत गिरा है, आलू का उत्पादन 30 प्रतिशत गिरा है । नहरों से होने वाली सिंचाई 26.94 प्रतिशत से घटकर 25.5 प्रतिशत हो गयी है । 1994-95 में कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति 35.4 प्रतिशत थी, 1997-98 में 33.54 प्रतिशत हो गयी है । इस तरह से प्रदेश का नौजवान भूखमरी की कगार पर पहुंच गया है । अगर कानून व्यवस्था को देखा जाय तो यह कहा जाता है कि अपराधियों को छेड़ें नहीं और निर्दोषों को छोड़े नहीं । आज जो [x x x] गैंगस्टर हो गये हैं । जो निर्देश दिये गये हैं कि थानों में रिपोर्ट लिखी जाय तो वह रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है । गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है ।

मान्यवर, आज हर पचास मिनट में दलित के साथ जुर्म हो रहा है और यह सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है । वह सुनने को तैयार नहीं है । दलित वहां जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वह इन लोगों को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और होता यह है कि इसमें निर्दोष लोगों को एस०सी०/एस०टी० एक्ट का मुकदमा लगाकर फंसाया जा रहा है । मान्यवर, जिला अस्पतालों में गरीब जाता है तो 6 रुपया देकर पर्ची बनती है तब उसका इलाज होता है । मान्यवर, जिला अस्पताल गोण्डा में मैं गया था । वहां पर पांच-छः मरीज आये उनके पास पैसा नहीं था । उन्होंने कहा कि सरकार तो फ्री में इलाज करती है हमारा इलाज होना चाहिए आप हमसे 6 रुपया क्यों मांग रहे हो ? तो इस तरह से गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है । मान्यवर, इन्दिरा आवास योजना में जो पात्र व्यक्ति हैं उनको इन्दिरा आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है । जो इनके अधिकारी हैं वह तीन-तीन हजार रुपया लेकर उन व्यक्तियों को दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कहे जा रहे हैं । तो इस तरह से यह योजना पूरी तरह से विफल हो रही है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र ढाऊहा, रुदापुर आदि गांवों में आगजनी हुई लेकिन इन लोगों को इन्दिरा आवास योजना में आवास नहीं दिया गया । मान्यवर, नकल रोकने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक एस० डी० एम० और शिक्षा सचिव हैं जो नकल करा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्राइमरी पाठशालाएं हैं वहां पर बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है अगर शिक्षक का कार्य पढ़ाना है तो यह देखना होगा कि कौन से अध्यापक पढ़ा रहे हैं? सुनिश्चित रोजगार योजना में भारत सरकार ने कहा कि अधूरे कार्य को पूरा कराया जाय लेकिन आज तक अधूरे कार्य को पूरा नहीं कराया गया । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तहसील मनकापुर बनाने की बात थी लेकिन सरकार नहीं बना पायी है । 72 घण्टे में खराब ट्यूबवेल बनाने की व्यवस्था है । आज हमारे यहां 6-6 महीने हो गये ट्यूबवेल चलाये नहीं गये । सरकार की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है । यह सरकार गरीबों की दुश्मन है जितनी आत्म-हत्या गरीबों ने और किसानों ने इस सरकार में की हैं उतनी किसी सरकार में नहीं की है इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन के ऊपर बोलने का अवसर दिया । महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण किसी भी सरकार का नीतिगत दस्तावेज होता है । महामहिम ने अपने अभिभाषण में कहा है कि 75 प्रतिशत प्रदेश की जनता गांवों में निवास करती है अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में कृषि पर निर्भर है । गांव के किसानों का जीवन-स्तर उठाये बिना प्रदेश की खुशहाली का सपना साकार नहीं किया जा सकता है । लेकिन दूसरी तरफ यह सरकार किसानों की लगातार कमर तोड़ने का काम कर रही है, इनकी किसान विरोधी नीतियां हैं और किसान लगातार गरीब होता जा रहा है वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है । जब उसका उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो किसान कैसे खुशहाल होगा ? आज पानी की, बिजली की क्या हालत है ?

मान्यवर, सदन के अन्दर और बाहर ये बयान आते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति 10–12 घण्टे की जा रही है लेकिन मेरा दावा है कि पूरे प्रदेश के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में 2-3 घण्टे से ज्यादा बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है तो फिर किसान कहां तक अपनी फसल पैदा करे कहां से थ्रेसिंग करे, सिंचाई करे । मान्यवर, सरकार की गलत नीति के कारण पूरे प्रदेश के ट्यूबवेल खराब पड़े हैं राजकीय नलकूपों की देख-रेख करने वाला कोई नहीं है आपरेटर बहुउद्देशीय कर्मचारी बना दिये गये हैं, उनकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं है । 80 प्रतिशत से ज्यादा राजकीय नलकूप खराब हैं । मान्यवर, हमारे यहां अपर गंगा कैनाल से लाखों लोगों का फायदा होता है, तमाम जमीन की सिंचाई होती है लेकिन पूरे साल अपर गंगा कैनाल के अन्दर पानी नहीं छोड़ा गया । रजबहों में पानी नहीं गया, माइनरों में पानी नहीं गया । जब पानी नहीं जायेगा किसान के खेत पर तो कहां से फसल हो पायेगी ? पूर्वी यमुना नहर के पानी के सम्बन्ध में इस सदन में चिन्ता व्यक्त की गयी । ताज वाला हेड से पानी नहीं जा रहा है । हरियाणा पश्चिम नहर में पानी छोड़ता है, नहीं छोड़ा गया उसका नतीजा यह हुआ कि लाखों लोगों की जमीन जो पूर्वी यमुना नहर के माध्यम से सिंचित होती थी, सिंचाई के लिए तरस रहे हैं । जो किसान अपनी फसल पैदा करता है उसका वाजिब दाम दिलाने में सरकार असफल है, उसका वाजिब दाम किसानों को नहीं मिल रहा है । पहले यह होता था कि किसान बरबाद होता था, किसान की आर्थिक स्थिति खराब होती थी किसी दैवी आपदा के कारण कि कहीं सूखा हो गया, कहीं बाढ़ आ गयी और किसान भुखमरी की कगार पर आ गया लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार 3 साल से किसान रिकार्ड उत्पादन कर रहा है चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे गन्ना हो, चाहे आलू हो सबका रिकार्ड उत्पादन किसान कर रहा है लेकिन इस सबके बावजूद किसान भुखमरी की कगार पर है क्योंकि सरकार उसका वाजिब दाम नहीं दिलवा रही है । गन्ने की कीमत हमारे यहां हरियाणा से 30 रुपया कम है, 125 रुपया प्रति कुन्तल का भाव हरियाणा में है और 90–95 रुपया प्रति कुन्तल का भाव हमारे यहां मिल रहा है जबकि किसान को हमारे यहां बिजली कम मिल रही है हरियाणा में ज्यादा मिल रही है और आज 200 करोड़ से ज्यादा का बकाया गरीब किसानों का मिल मालिकों के ऊपर है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज मल्लापुर चीनी मिल पर 24 करोड़ रुपया किसान का बाकी है और वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है । आज किसान के सामने मजबूरी है । क्या इस सरकार ने कभी सोचने की कोशिश की कि किसान जो फसल पैदा करता है उसको वह मिल मालिकों को दे देता है तो उसका खर्च कहां से चलेगा, लड़कियों के हाथ कैसे पीले करेगा ? बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी ? उसके पास खाद और बीज का पैसा कहां से आयेगा ? यह सब सरकार नहीं सोंच रही है और किसान लगातार भुखमरी की कगार पर पहुंच रहा है । महामहिम राज्यपाल जी ने कहा है कि हम समृद्ध, सुशिक्षित एवं सुविकसित राज्य की स्थापना करेंगे तो कहां यह होगा ? हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय है 6700 रुपया जबकि दिल्ली में 22,687 रुपये, हरियाणा में 16399 रुपये और और पंजाब में 18006 रुपये है तो मान्यवर, हम सबसे नीचे हैं कहां से समृद्ध होंगे ।

साक्षरता पिछले साल हमारे यहां 42 प्रतिशत थी और इस साल घटकर 40 प्रतिशत रह गयी जबकि पूरे प्रदेश और देश की शिक्षा की दर है 54 प्रतिशत । हम लगातार गिरते चले जा रहे हैं । हमारे प्रदेश की 80 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है जो कृषि पर निर्भर है आज वह उपेक्षित है और उसको उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है । अगर हम 80 प्रतिशत जनता की उपेक्षा करेंगे तो यह प्रदेश कभी विकसित नहीं हो सकता है । मान्यवर, कानून व्यवस्था के ऊपर कहा गया है लेकिन वास्तविकता यह है कि आज पूरे प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ गयी है । प्रदेश सरकार असफल है और प्रदेश के अन्दर यह सरकार किसी भी व्यक्ति की जानमाल की हिफाजत करने में अक्षम है । यह सरकार किसान विरोधी है, जनविरोधी है और पूंजीपतियों की पोषक सरकार है । मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके साथ ही संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठांता महोदय, आपने मुझे डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में प्रयागराज में इस सहस्त्राब्दि के प्रथम महाकुम्भ की चर्चा बड़ी प्रमुखता से की गयी है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं का प्रदेश है । यहां पर अनेक धार्मिक स्थल हैं चाहे वह भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या हो, चाहे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा हो, चाहे महात्मा गौतमबुद्ध और स्वामी महावीर की कर्मस्थली और महर्षि बाल्मीकि और संत सुपंच की पुण्य स्थली हो यह प्रदेश गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी स्थल है । हर्षवर्धन के कार्यकाल से गंगा यमुना और सरस्वती के इस संगम पर हजारों वर्षों से महाकुम्भ का मेला लगता आया है और इतिहासकारों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । प्रदेश सरकार ने इस सहस्त्राब्दि के प्रथम महाकुम्भ की जो व्यवस्था की, वह निश्चित रूप से अद्वितीय व्यवस्था थी, एक भी हादसा नहीं हुआ । हिन्दू धर्म के अनेक संत-महात्मा जो आपस में वैचारिक मतभेद भले ही रखते हों, उन्होंने वहां जो एकता दिखायी और महाकुम्भ को सफल बनाया, वह भी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं । दुनिया में कहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहां विभिन्न पर्वों पर 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया हो । इस महाकुम्भ में 10 करोड़ लोगों ने, जिसमें विदेशी भी शामिल थे, विभिन्न पर्वों पर स्नान किया । यह अपने आप में पहला अवसर है, जब भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों में इस महाकुम्भ की चर्चा की और महाकुम्भ की व्यवस्था की भूरि-भूरि प्रशंसा की । मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, इसके साथ ही मेले के प्रभारी मंत्री, आवास एवं विकास मंत्री श्री लालजी टण्डन को, जिनकी देखरेख में इतना बड़ा सांस्कृतिक मेला सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं ।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बैठे-बैठे टोकाटाकी करने पर)

मैं जानता था कि जब मैं महाकुम्भ की चर्चा करूंगा तो विपक्ष के लोग बोलेंगे और अपना विरोध जाहिर करेंगे । मान्यवर, कानून व्यवस्था की बात सदन में बड़े जोर-शोर से की जाती है । मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इस प्रदेश सरकार में जब से माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्य मंत्री हुये हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था के राज को स्थापित किया है । कानपुर में दंगा हुआ, वह दंगा हिन्दू-मुस्लिम दंगा नहीं था, बल्कि एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा प्रशासन के साथ दंगा किया गया, जब प्रशासन ने दंगाइयों को कुचलने की चेष्टा की तो इसी सदन के अन्दर हमारे विपक्ष के साथियों ने नारे लगाये कि कानपुर के हत्यारों को फांसी दो । यह कानपुर के हत्यारे कौन थे, यह दंगा दो वर्गों में नहीं हुआ था, प्रशासन ने दंगाइयों को कुचला और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने रातोंरात वार्ता कर प्रशासन का फेरबदल कर प्रशासन द्वारा दंगाइयों को कुचलने तथा उनके मंसूबों को ध्वस्त करने का कार्य किया, निश्चित रूप से वह बधाई के पात्र हैं । किन्तु अफसोस इस बात का है कि जब इस सदन में कार्यवाही रोककर कानपुर के हत्यारों को फांसी दो, यह नारे लगाये गये, इसके अलावा और भी नारे लगाये गये तो ऐसा लगता था कि जैसे कानपुर के दंगे में दंगाइयों से सहानुभूति रखने वाले लोग नारा लगा रहे हों और प्रशासन का विरोध कर रहे हों, यह एक शर्मनाक घटना है ।

मैं एक दूसरी घटना बताना चाहता हूं, जब लखनऊ में तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को टास्कफोर्स द्वारा मार गिराया गया । सभी समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा । इन आतंकवादियों के पास शस्त्रों का जखीरा मिला, उनसे जो डाकूमेन्ट्स बरामद हुये, उनसे स्पष्ट हुआ है कि यह पाकिस्तानी आतंकवादी थे और अयोध्या में यह रामजन्म भूमि मंदिर को नष्ट करना चाहते थे, यह पुलिस की रिपोर्ट है, शासन की रिपोर्ट है । इन आतंकवादियों के पास से अनेक ऐसे असलहे बरामद हुये हैं जो आस्ट्रिया से पाकिस्तान आये थे और पाकिस्तान द्वारा इनके पास पहुंचे । इस प्रकार उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर अनेक आतंकवादियों को पकड़ा गया और उनके षडयंत्र का पर्दाफाश हुआ ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरे पास एक अखबार की कटिंग है जिसके अन्दर यह लिखा गया है कि जो आतंकवादी गोमती नगर में मारे गये हैं उनका संबंध कश्मीरी उग्रवादियों से था । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस्लामी मूवमेंट के कई अधिकारी वहां रहते थे । उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने, टास्कफोर्स ने और सतर्कता विभाग ने जिस प्रकार सूझबूझ से एक बहुत बड़े षडयंत्र का पर्दाफाश किया और एक बहुत बड़ा सुनियोजित दंगा जो होने वाला था उसको रोकने का काम किया इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और उत्तर प्रदेश की पुलिस इसके लिए बधाई की पात्र है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें ।

श्री वसीम अहमद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो संशोधन का प्रस्ताव माननीय नेता विपक्ष ने रखा है उस पर बल देने के लिए आपने मुझे मौका दिया । मान्यवर, इसमें बड़ी-बड़ी बातें कही गयी हैं । मैं ज्यादा न कह कर कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मान्यवर, किसानों और मजदूरों के साथ धोखा किया गया है पहले जहां अस्पतालों में उनसे एक रुपया लिया जाता था आज 6 रुपया कर दिया गया है । आज स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी अस्पतालों से दूर होती जा रही हैं । चाहे कोई भी जांच होगी उसे उसका पैसा देना होगा, एक्सरे होगा उसका पैसा देना

होगा । मान्यवर, यही नहीं मैं आजमगढ़ अस्पताल की बात कहना चाहता हूं पिछले साल वहां 39 लाख रुपया दवाओं के लिए दिया गया था और इस साल केवल 11 लाख दिया गया है । इसी तरह मैं कहना चाहूंगा, सड़कों का जाल बिछाने की बात की जाती है, प्रधान मंत्री योजना की बात आती है, बड़ी-बड़ी घोषणाएं होती हैं लेकिन यह सरकार जिला योजना का पैसा डकार जाते हैं । जिन प्रस्तावों को जिला योजना में हमने दिया है उन योजनाओं को काट कर और जिला योजना को डकार जाने का काम इस सरकार ने किया है ।

मान्यवर, यही नहीं नलकूपों की जो स्थिति है । मैं पूर्वांचल में आजमगढ़ की बात कहना चाहता हूं, वहां नहरों का जाल कम है, नलकूपों से सिंचाई होती थी, उन नलकूपों को पंचायतों को कर दिया गया है और उन्हें बहुउद्देशीय कर्मियों के हाथ में दे दिया गया है । जो नलकूप बिगड़ गये हैं आज तक उन्हें बनाने का काम इस सरकार ने नहीं किया है । मैं कहना चाहूंगा, मान्यवर, हमारी विधान सभा गोपालपुर पूरी सगड़ी तहसील में हर साल बाढ़ आती है । हर साल उस क्षेत्र को छोटी सरयू और बड़ी सरयू तबाह कर देती है लेकिन इसके लिए एक भी योजना बनाने का काम इस सरकार ने नहीं किया । मान्यवर, 40 कि०मी० का बन्धा है, 20 कि०मी० तक हमारी सरकार ने उसे पक्का कराया था, बाकी कें लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैसा नहीं दिया और जो बना है उसकी मरम्मत का काम तक नहीं किया गया है । किसान और मजदूर के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, किसान का बच्चा पढ़ाई न करे इसलिए 3 गुना, 4 गुना फीस बढ़ा दी गयी है ।

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में दो ब्लाक पड़ती है । दोनों ब्लाकों में कोई भी बालिका इण्टर कालेज, डिग्री कालेज नहीं है, खोलने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । मान्यवर, रोज कहा जाता है कि दीन दयाल उपाध्याय योजना में मार्ग के विकास के लिए पैसा मिलेगा, लेकिन 99-2000-2001 तक दीन दयाल उपाध्याय के अन्तर्गत एक भी पैसा नहीं दिया गया । मान्यवर, विद्युतीकरण के लिए जो बात कही गई है वह 1998-99 में एक भी काम नहीं किया गया । जो पैसा दिया गया योजना में वह आज तक काम पूरा नहीं हुआ । इसी तरह 99-2000, 2000-2001 का भी भारतीय जनता पार्टी के सामने विद्युतीकरण की बातों को हमने रखा था । लेकिन जब क्षेत्र में जायेंगे कि जिस तरह 1998 से एक भी विद्युतीकरण नहीं हुई, बाकी की क्या बात । हमारे क्षेत्र में मान्यवर, इस तरह से कहा गया कि नहरों को पक्का कराया गया है । मगर ध्वस्त रजबाहा सड़क से पक्की नहीं हुई । जिस पर से आज 2000 लोग निकलते हैं उस पर कोई सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है । बार-बार मांग किया रास्ते के लिए, लेकिन एक भी पैसा देने का काम नहीं किया । मैंने आगजन बनवाकर भेजा मगर पैसा कही गया । जो सड़क परशुराम पुर से कोडई 11 किलोमीटर तक क्षतिग्रस्त है अबकी वह बरसात में पूरी की पूरी बह जायेगी । मान्यवर, यह सरकार छात्र विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी है, किसान विरोधी है, मान्यवर, संशोधन का प्रस्ताव रखा है ।

श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की गठबन्धन की सरकार आयी है पहली बार लगा कि प्रदेश में किसान को खुशहाली देखने का मौका मिला । वास्तव में भाजपा की सरकार पूरी तरीके से विकास की सरकार थी । भाजपा की सरकार ने जहां प्रत्येक गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया यह अपने आपमें हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । पेयजल की दृष्टि से प्रदेश का कोई भी गांव ऐसा नहीं रहा जहां हैण्डपम्पों के माध्यम से जल न उपलब्ध कराया गया हो ।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने नये आयाम कायम किये हैं । प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया है जहां तक विद्युतीकरण की बात है प्रत्येक वर्ष 5 गांव विद्युतीकरण के लिए दिये जाते हैं जिस कारण एक विद्युतीकरण की समस्या हल हुई । पहली बार प्रदेश में धान क्रय केन्द्रों का आयोजन हुआ जिसमें सरकार को, किसान को बहुत बड़ी सफलता मिली । लेकिन इसके बाद जहां तक हमारी सरकार

में विकास के कार्य हुए एक छोटी सी समस्या मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर में देखने को मिली है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र के मध्य में एक काली नदी गुजरती है जो लगभग 60 गांवों को जोड़ती है।

वर्षा के समय में बाढ़ आ जाने के कारण 60 गांवों का जीवन बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो जाता है। मेरा आग्रह है कि एक रपटा पुल ग्राम धुधरावली बनवारीपुर से ग्राम क्रियावली बनवाया जाये जिसका प्राक्कलन माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को दे चुका हूं। इस सरकार ने बहुत सारे कार्य किये हैं और बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं माननीय डंग साहब द्वारा रखे गये महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अब्दुल सलाम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कई दिनों से विपक्ष के एवं सत्तापक्ष के बुद्धिमान नेताओं ने अपने विचार रखे हैं, किसान के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तब से न किसान खुशहाल है, न दलित, पिछड़ा खुशहाल है और खासतौर से अल्पसंख्यकों पर तो जुल्म हो रहा है। अभी एक साथी कह रहे थे कि कानपुर में दंगा हिन्दू-मुस्लिम का नहीं था और विपक्ष के सारे सदस्यों ने यही कहा है कि कानपुर में दंगा हिन्दू-मुस्लिम नहीं था। जो दंगा हुआ वह प्रशासन से हुआ, प्रशासन के लोगों ने जुल्म किया है। उसका सीधा मिसाल है जिस जगह दंगा शुरू हुआ था वहां पर 90 फीसदी मुस्लिम आबादी है और 10 फीसदी हिन्दू भाइयों की आबादी है। जहां ऐसी आबादी हो वहां पर दंगा हिन्दू-मुस्लिम का हो ही नहीं सकता।

कानून-व्यवस्था की बात महामहिम ने कही है, प्रशासन की बात कही है, सुरक्षा और अधिकार की बात कही है, अल्पसंख्यक की बात कही है। हम आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहते हैं। इलाहाबाद जिले की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय वहीं से विधान सभा के सदस्य हैं। वहां पर 11 विधान सभा क्षेत्र हैं, वहां से मुस्लिम विधायक श्री अतीक अहमद एक बार नहीं 4 बार से विधायक हैं और इस वक्त अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वह पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की बात को लेकर अपनी पार्टी चला रहे हैं, 15-2-2001 को अपने कुछ साथियों के साथ पार्टी कार्यालय में बैठे हुये थे। उसी वक्त एस०पी० सिटी श्री लालजी शुक्ल पुलिस को लेकर पहुंचे और उनको गिरफ्तार कर लिया, उस वक्त शाम को 4.00 बजे का समय था। पकड़ कर उन्हें थाने ले गये, वहां पर काफी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गये। हमें प्रतापगढ़ में मालूम हुआ, हम भी पहुंचे, वहां पहुंचने पर यह पता लगा कि 7 साल पुराना केस है, 1994 का। 120–बी का मुकदमा सी०बी०सी०आई०डी० चला रही थी, जिस समय उन्हें पकड़कर लाया गया। उस समय सी०बी०सी०आई०डी० वाले मौजूद नहीं थे। रात्रि 11.30 बजे सी०जे०एम० की अदालत में पेश किया गया और वहां से रात्रि पौने 2.00 बजे जेल भेज दिया गया। 17 तारीख को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत देकर जेल से रिहा करने का आदेश पारित कर दिया। लेकिन रिहाई का आदेश 4.00 बजे नैनी कारागार में पहुंचा।

श्री अतीक अहमद विधायक, प्रदेश अध्यक्ष अपना दल उ० प्र० को थाना खुल्लाबाद की पुलिस ने एस०पी० सिटी लालजी शुक्ला की अगुवाई में वर्ष 1994 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–207 सन् 1994 धारा 120 बी, 302 जिसकी जांच सी०बी०सी०आई०डी० कानपुर कर रही थी, के अन्तर्गत बिना किसी उचित अधिकार पत्र के गिरफ्तार करके 11.30 बजे सी०जे०एम० के आवास पर प्रस्तुत किया गया जहां से 1.40 बजे रात्रि में श्री अतीक अहमद को जेल भेज दिया गया। श्री अतीक अहमद की अवैध गिरफ्तारी/रिमाण्ड को अपर जिला जज चतुर्थ द्वारा स्थगित कर दिया गया एवं श्री अतीक अहमद को अविलम्ब जेल से रिहा करने के आदेश जारी कर दिये गये। जेल में श्री अतीक अहमद की रिहाई आदेश समय से पहुंचने के बाद भी जेल अधिकारियों द्वारा एस०एस०पी० इलाहाबाद, एस०पी० सिटी

तथा जिलाधिकारी इलाहाबाद के दबाव में रिहाई आदेश की इन्ट्री नहीं की गई तथा रिहाई आदेश समय से पहुंचने के बाद भी श्री अतीक अहमद को जेल अधिकारियों द्वारा न छोड़कर अवैध रूप से जेल में निरुद्ध रखा गया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हो गया है कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री अब्दुल सलाम–

जेल अधिकारियों द्वारा श्री अतीक अहमद को अवैध रूप से जेल में निरुद्ध रखने के कारण पुलिस अपनी मंशा में कामयाब हो गई एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से रिहाई आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। इस प्रकार श्री अतीक अहमद की जेल में विरुद्धि जारी रही।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री अब्दुल सलाम–

इलाहाबाद पुलिस ने जब अपना उक्त मुकदमा अपराध संख्या–207 सन् 1994 कमजोर होते देखा तो श्री अतीक अहमद पर एक अन्य फर्जी मुकदमा अपराध संख्या–11 सन् 2001 थाना करेली, धारा 302, 120–बी लगा दिया गया। इस मुकदमें में श्री अतीक अहमद पर हत्या का षडयंत्र लगाया गया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हो गया है कृपया आप बैठ जायं।

श्री अब्दुल सलाम–

19-2-2001 को ही एस०पी० सिटी लालजी शुक्ला ने रिमाण्ड के दौरान कचेहरी इलाहाबाद में प्रताड़ित किया और साथ ही दबाव बनाया कि वह भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लें नहीं तो उन पर एन०एस०ए० और गैंगस्टर के कई मुकदमें लगा कर जेल में सड़ा दिया जायेगा जिसकी सूचना श्री अतीक अहमद ने जेल से सी०जे०एम० महोदय को प्रेषित की थी इस बीच श्री अतीक अहमद को जेल से जितनी बार रिमाण्ड पर लाया गया उनको सुरक्षा के नाम वज्र वाहन में बन्द करके सात-सात घण्टे तक धूप में खड़ा रखा गया तथा पानी भी पीने नहीं दिया गया जिसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सी०जे०एम० महोदय ने संज्ञान ग्रहण किया तथा एस०एस०पी० इलाहाबाद को नोटिस दिया और इस अमानवीय कार्यवाई को दुबारा न करने की सख्त हिदायत दी।

मान्यवर, थाना शाहगंज में एक मुकदमा अपराध संख्या–27/2001 धारा 147, 148, 149, 352, 304, 504, 506, 323, 365 आई०पी०सी० व 2/3 उ० प्र० गिरोह बन्द अधिनियम श्री अतीक अहमद व उनके साथ 11 सहयोगी तथा भाई को फर्जी तरीके से फंसा दिया गया। मान्यवर, थाना धूमन गंज में एक मुकदमा अपराध संख्या–91/2001 धारा 147, 148, 149, 386, 504, 506, 384, 448, 427, 402, 352, 34 आई०पी०सी० व 2/3 गैंगस्टर एक्ट को लगा दिया गया जिसमें श्री अतीक अहमद, सहयोगी तथा परिवार के नौकर तक को गैंगेस्टर का अपराधी बना दिया।

श्री अधिष्ठाता–

बस बहुत हो गया अब आप समाप्त करें।

श्री अब्दुल सलाम–

मान्यवर, माननीय अतीक साहब के अल्पसंख्यक समुदाय के होने नाते उन पर जुल्म किया गया है वह 4-4 बार विधायक रह चुके हैं उन पर पुलिस जुल्म और अत्याचार कर रही है । इनके इलाहाबाद के जो कार्यकर्ता हैं उनको तंग किया जा रहा है जो 50-60 साल के बुजुर्ग हैं और जिन पर कभी कोई जुर्म नहीं लगाया गया उन पर गैंगेस्टर ऐक्ट लगाया जा रहा है । हाजी परवेज जो मण्डल के प्रभारी हैं उन पर गैंगेस्टर ऐक्ट लगाकर जुल्म किया जा रहा है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसान विरोधी है, यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है ।

श्री अधिष्ठाता–

बस बहुत हो गया अब आप बैठ जायं । समय समाप्त हो गया है ।

श्री रामतेज यादव "एडवोकेट"–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय नेता विरोधी दल द्वारा धन्यवाद के प्रस्ताव पर रखे गये संशोधनों के समर्थन में बोलने के लिये अवसर दिया । मान्यवर, आज जो कानून व्यवस्था की हालत प्रदेश की है वह किसी से छिपी नहीं है हमारे वरिष्ठ सदस्य और विद्वान सदस्य मजबूर होकर इस मगरूर सरकार की प्रशंसा मजबूरी में कर रहे हैं । मैं उनकी मजबूरी को जानता हैं और इस चीज को हमारे वरिष्ठ सदस्य डंग साहब भी जानते हैं । वह बेचारे अपना समय काट रहे हैं किसी तरह से । मान्यवर, कानून व्यवस्था की हालत यह है कि लखनऊ में रोज ही जुर्म हो रहे हैं और व्यापारियों को लूटा जा रहा है । 2-4-10 लाख रुपये रोज छीने जा रहे हैं । आज कानून व्यवस्था कहां रह गयी है । चुन-चुन कर जिलों में ऐसे अधिकारियों को भेजा जा रहा है, एस०पी० और एस०एस०पी० बनाकर जो काम करने के लायक ही नहीं हैं और जातिवाद तथा भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं । वह कानून व्यवस्था क्या ठीक करेंगे ?

आज पेट्रोल विक्रेताओं की हड़ताल हो गयी, सरकार ने इसके लिये कौन सी व्यवस्था की ? आज किसी को अस्पताल जाना है, किसी को डेड बाडी ले जानी है, दवा लानी है वहां कहां से लायेगा जब उसे सवारी ही नहीं मिलती, तो कहां पर व्यवस्था ठीक है आप बतायें । आज बुनकरों की हालत बहुत खराब है, उनको सूत नहीं मिल रहा है, उनको रंग नहीं मिल रहा है, उनका तैयार सामान बाजार में मिट्टी के भाव बिक रहा है । अभी कानपुर में जो दंगा हुआ उसको हिन्दू-मुस्लिम दंगे का रंग दे दिया गया है । [× × ×] अगर मुसलमान उसके विरोध में किसी अधिकारी को हिन्दुस्तान में या अपने प्रदेश में कोई पत्र देना चाहते हैं तो अधिकारियों को इतना निरंकुश नहीं हो जाना चाहिये कि वह कागज पत्र ही न लें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सिद्ध हो चुका है कि पवित्र पुस्तक नहीं फाड़ी गयी है । ऐसा वक्तव्य उचित नहीं है । इस तरह की बात न कहें । यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री रामतेज यादव "एडवोकेट"–

अधिकारियों को उनका कागज लेना चाहिये । आज मान्यवर, सरकार पारदर्शिता की बात करती है । माननीय नेता सदन पारदर्शिता की बात करते हैं । हमारे खाद्य मंत्री जी बेचारे पारदर्शिता में फंसे हैं । पारदर्शिता जरूर है, टी०वी० पर नोट लेते और गिनते दिखाया जा रहा क्या यही पारदर्शिता है ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पारदर्शिता तो इस माने में होनी चाहिये कि भ्रष्टाचारी, जुल्मी लोगों को हटाकर अच्छे लोगों को लाया जाय । डंग साहब का नम्बर इसलिये नहीं लगता कि वह पारदर्शी होंगे । उनके जैसे वरिष्ठ लोगों को लेना चाहिये । अधिष्ठाता जी आप वरिष्ठ हैं, विद्वान हैं आपका नम्बर भी नहीं लगा । जो घोटालेबाज हैं वह आगे आकर लाभ उठाते हैं । इसका क्या मापदण्ड है ? किसान का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है और बिचौलियों का खरीदा जा रहा है । बिचौलियों के हाथों में किसान को छोड़ दिया गया है । धान का पैसा, गेहूं का पैसा किसान को नहीं मिल रहा है, यह सरकार किसान विरोधी है ।

बिजली मंत्री श्री अग्रवाल साहब ने कहा कि नहीं हम पांच गांव विद्युतीकरण के लिए दे दिए हैं । किस गांव का विद्युतीकरण हो गया ? विद्युतीकरण का पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया गया । खम्भे नहीं लगाए गए । तार नहीं खीचें गए । विद्युतीकरण नहीं हुआ । आप अधिशासी अभियन्ता को दण्ड नहीं देंगे, किसी अधिकारी को दण्ड नहीं देंगे लेकिन एक समय जरूर आएगा जब उनको दण्डित करने का कार्य किया जाएगा । वक्त का इंतजार है, जो लोग भ्रष्टाचार में सराबोर हैं वह किसी को दण्डित नहीं कर सकते हैं । हमारे यहां अलीनगर गांव है वहां तीन साल पहले खम्भा लगा दिया गया था, तार नहीं लगाया गया लेकिन वहां पर बाकायदा लोगों के लिए रसीदें काटी जा रही हैं, पैसा लिया जा रहा है लेकिन बिजली घर में नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री रामतेज यादव "एडवोकेट"–

ऐसी ही गोडहिया नं०–2 एवं 8 वहां दो साल पहले तार खींचा गया एक साल हुए तार निकाल लिया गया इसकी पुलिस एफ०आई०आर० दर्ज नहीं कर रही है क्योंकि उसका कहना है कि विभाग वालों ने तार निकाल लिया है । आप खाली गप-शप करते रहते हैं । जो आया बक दिया । सरकार का जो वर्चस्व होना चाहिए वह खत्म हो रहा है । नल खराब हो गए दो-दो साल हो गए वह ठीक नहीं हो रहे हैं । अभी बहुत जब जोर दिया गया तो यह कहा गया कि फिर से इनको जल निगम को दे रहे हैं वह ठीक करेंगे । विकास की आप बात करते हैं केवल 100 लोगों का ही विकास हो रहा है उन्हीं को टी०ए०, डी०ए० मिलता है चाय नाश्ते पर उनके पैसा खर्च हो रहा है उन्हीं पर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च हो रहा है । आपको इस बात के लिए जवाब देना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री रामतेज यादव "एडवोकेट"-

बाढ़ के लिए आपने कोई योजना नहीं बनाई । मंत्री जी जंगल में दूर उतर गए चाय नाश्ता करके आ गए इससे इस समस्या से नहीं निपटा जा सकता है । कह रहे हैं कि बैठकें हो रही हैं कहीं बैठकें नहीं हो रही हैं । जब तमाम लोग बांध टूटने से मर जायेंगे तब मंत्री जी दौरे पर जायेंगे । सड़क की बात मैं कहना चाहता हूं । यहीं पर दारुलशफा में जो सड़के हैं वहीं ठीक नहीं है तो दूर-दराज के इलाकों में क्या होगा । डंग साहब को मजबूरी में धन्यवाद का दस्तावेज पढ़ना पड़ा । कौन सी सड़क गड्ढा मुक्त हुई है आप बताएं । आप पारदर्शिता की बात करते हैं । भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं पारदर्शिता नहीं है, कहीं ईमानदारी नहीं है । इनके सचिव, विशेष सचिव जब पैसा ले लेते हैं तब फाइल आगे बढ़ाते हैं । इतनी स्थिति खराब है । आप स्वास्थ्य की बात करते हैं स्वास्थ्य ऐसा हो गया है कि कुछ खा लें तो रंग बिरंगी उल्टी होने लगती है ।

तो मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो संशोधन हमारे नेता विरोधी दल ने रखा है मैं उसका समर्थन इसलिए करता हूं कि अब तो भारतीय जनता पार्टी पर कहीं लगाम लग जाय नहीं तो यह तो डूबेंगे ही साथ में सनम भी डूबेंगे । आज प्रदेश की जनता की स्थिति खराब होती चली जा रही है । अब नहीं चेतेंगे तो फिर कब चेतेंगे । दारू की दुकानों का बोर्ड जगह-जगह लग गया है, मस्त रहिए । मैं बाराबंकी की तरफ से निकलता हूं तो देखता हूं कि जगह-जगह बोर्ड लगे हैं । इतनी निर्लज्ज सरकार तो कहीं-नहीं देखी गई होगी । यानी कि दारू पियो और मगन रहो सरकार की परवाह मत करो । हमारे माननीय डंग साहब और जो सच्चे है, उठो और इस मगरूर सरकार की कम से कम आलोचना तो करो । यह हमारे नहीं जनता के हित में है समाज के लिए लड़ो । हमारे माननीय मंत्री जी हैं गोरखनाथ पाण्डेय जी हैं पास बैठे हैं बाराबंकी के हैं हमारे बड़े भाई है आपको दुनियां से क्या मतलब आपका तो अपना ही कारोबार है आप किसी का ध्यान क्यों रखेंगे ?

तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आइये हम सब मिलकर बैठे और जनता की बुनियादी चीजों पर तो कहीं न कहीं एकमत होकर बैठें । यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी । ऊंट पहाड़ के नीचे आयेगा जरूर एक न एक दिन । माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है क्या भारतीय जनता पार्टी की गपशप तुलसीदास जी ने कहा है "निंदक नियरे राखिये" और आगे भी है "आंगन कुटी छवाय" । मुसलमान कहीं परेशान हैं, अनुसूचित जाति के लोग, व्यापारी लोग सब परेशान हैं । मरीज परेशान हैं आपके अस्पताल में दवायें नहीं हैं, पट्टी नहीं हैं । सत्तारूढ़ दल को अब सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद और अब तो 99 छेद हैं । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

माननीय अधिष्ठाता जी आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं । अभी हमारे साथी बड़े जोर से बोल रहे थे हमारी समझ में कुछ नहीं आया । मैं इनकी एक बात का तो समर्थन अवश्य करता हूं । कि भारतीय जनता पार्टी से एक गलती तो जरूर हुई है पहली तो यह गलती हुई है कि मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया और दूसरी एक बड़ी गलती तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी ने बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाया । अभी मैं महाराजगंज में स्वास्थ्य केन्द्रों का लोकार्पण करके आया हूं । आप पी०डब्लू०डी की बात करते हैं आप हमारे साथ चलिए बनारस से चलिए आपके पेट का पानी तक नहीं हिल सकता और आप लोगों के समय में क्या हालत थी केवल गड्ढे ही गड्ढे थे । यह जो आपका डिस्को होता था हमने उसको खत्म कर दिया है । मैं अपने जनपद की बात बता रहा हूं वहां पर हमने प्राइमरी स्कूल खुलवाये । इसका मतलब है कि अब तक जो भी सरकार रही किसी ने प्राइमरी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया । कांग्रेस की सरकार रही, हमारे लोकपति जी के पिताजी रहे । किसी को यह नहीं पता था कि प्राइमरी एजूकेशन क्या होता है ? देहातों में सड़क की क्या स्थिति होती है ? 6 महीने तक लोग टापू की जैसी स्थिति में रहते हैं बरसात का पानी भरने के कारण और जगह जगह सड़कों पर पानी भर जाने के कारण । हमारी सरकार ने यह सड़कों को बनवाया है । मेरे जनपद में ही 50 सड़कें बनी हैं । आप कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है । अगर मैं इस सरकार के कामों की फेहरिस्त बनाकर दूं तो उसमें दो घंटे लग जायेंगे । आप कहते हैं कि स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये । जगह-जगह गांवों में स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं । आपके दिमाग और हृदय को ठीक करने के लिये साढ़े छः अरब रुपये मिले हैं । नगरीय क्षेत्रों में 18 सेन्टर खोले हैं । वहां पर सी०टी० स्कैन लगेगा, टी०एन०टी० होगा । आपके हार्ट की सर्जरी होगी । यह सब अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । आप न समझ सकें तो हम क्या करें ?

जहां तक आबकारी का सवाल है। हमने आपके लिये वास्तव में बहुत आराम कर दिया। बोर्ड लगवा दिये और कह दिया कि भई इधर से जाओ, रास्ता इधर से है, आप रास्ता न भूल जायं इसको आराम कर दिया। इससे हमारा राजस्व बढ़ा है। आपने कहा कि शराब का प्रचार। तो मैं तो जैन हूं शराब को छूता तक नहीं। आपसे कौन कह रहा है कि पियो ? अगर आप सही मायने में गांधीवादी हैं तो शराब छोड़ दीजिये, नहीं पीजिये। अपने ऊपर कन्ट्रोल रखें। हमने तो शराब की उपलब्धता इतनी आसान कर दी है ताकि पीने वालों को सही चीज मिल सके और मिलावटी पीकर बीमार न हों, इस वजह से यह सुविधा कर दी गई है।

इसी तरह से बताना चाहता हूं कि आप शोर कर रहे हैं कि गेहूं आपका खरीदा नहीं गया। मान्यवर, फसल कटी ही नहीं तो खरीद कहां से लेंगे। मैं गोरखपुर गया था रास्ते में देखा आधी फसल खड़ी है, आधी की मड़ाई नहीं हुई है। क्या खड़ी हुई फसल खरीदी जाती है ? 33 क्विंटल गेहूं हमने ललितपुर में बेचा है और 33 क्विंटल रख लिया है। आप देखने की कोशिश करिये। देहाती क्षेत्रों में काम हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा न होते हुए भी सरकार ने धान खरीदा है और यह कहते हैं कि खरीदा नहीं गया है। हम तो कहते हैं कि इतना अधिक उत्पादन हो कि सरकार न खरीद सके। इतना ज्यादा पैदा हो जाय कि सरकार परेशान हो जाय। मान्यवर, मैंने कहा कि सरकार के कामों की चर्चा कहां तक करूं बहुत समय लग जायेगा। माननीय डंग जी ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप समझें यह तर्क के लिए नहीं है। समीक्षा करिए और सही करिए, ऐक्ट नहीं फैक्ट जानिए।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महामहिम ने बड़ा जोर दिया है, किसान पंचायत की बात कही है मुझे अफसोस है क्या इसके पूर्व इस प्रदेश की सरकार को किसानों के, लोगों के दुख दर्द की जानकारी नहीं थी ? क्या यहां विदेश के लोग रहते हैं जो किसान के दुख दर्द को नहीं जानते हैं ? किसान पंचायत के द्वारा किसानों को छलावा दिया जा रहा है। इस अभिभाषण में कहा गया है कि 300 मेगावाट बिजली किसानों को खरीद कर दे रहे हैं। तो वह बिजली कहां गई और कब किसानों को मिलेगी। जो बड़े किसान हैं वह ट्रैक्टर और डीजल से काम चला रहे हैं। लेकिन छोटे किसान बिजली से मड़ाई करते हैं वह नहीं हो पा रही है तो ये 300 मेगावाट बिजली कब खरीदी गई और कब दी जाएगी ? इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है। शब्द जाल बहुत बढ़िया बुना गया है। प्रदेश की जनता को अच्छा सपना दिखाया है।

वर्तमान सरकार ने स्वीकार किया है इससे पूर्व की सरकार कल्याण सिंह की सरकार थी और पूर्व की सरकार ने कुछ नहीं किया है। वर्तमान में मुख्य मंत्री जी जो कुछ कर रहे हैं इनके आने से परिवर्तन आ गया है लेकिन यह छलावा है शब्दों का जाल है। किसान परेशान है पोटाश की छूट का लाभ किसानों को दिया है यह कह रहे हैं लेकिन यह लाभ कब दिया है कब किसानों को लाभ मिलेगा ? आज किसानों की इनको कोई चिन्ता नहीं है, प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि किसानों को कोई छूट नहीं मिली है किसानों ने रिकार्ड उत्पादन किया यह कहा जाता है। किसानों को क्या अच्छा बीज दिया, दवा दी गई और भी सुविधायें दीं जिससे किसानों का उत्पादन बढ़ा है। किसानों का उत्पादन बढ़ा है लेकिन यह उत्पादन किसानों का अपने बल पर बढ़ा है अपने बल पर उन्होंने रिकार्ड उत्पादन किया है एक धान खरीदने का काम इन्होंने जरूर किया। गेहूं की बात कही। किसानों के लिए क्रय

केन्द्र खुले हैं खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं गया है। हम लोग किसान हैं अगर किसानों को तुरन्त पैसा नहीं मिलेगा तो किसान क्यों बेचने जाएगा ?

चीनी की बात कही गई है चीनी मिलों की स्थिति पूर्वी क्षेत्रों में बहुत खराब है कोई चीनी मिल नहीं चल रही है। औराई, आजमगढ़, देवरिया जिलों में चीनी मिलों की बड़ी दुर्दशा है। बहुत सा गन्ना पड़ा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान बेहाल हैं। शिक्षकों के लिए आपने पंचम वेतन आयोग बना दिया यह आपने कहा लेकिन वह कब रिपोर्ट देगा, जब चुनाव हो जायेंगे ? इसमें समयबद्ध टाइम देना चाहिए पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें सुश्री मायावती जी के जमाने में हुई उन्होंने प्राविधान कर दिया इसके बाद सरकार ने क्यों रोक लगाई। इस प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि पंचम वेतन आयोग क्यों लागू नहीं किया गया।

शिक्षा की बात की जाती है माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं प्रदेश की जनता से कि अब शिक्षा में कोई उपेक्षा नहीं होगी कृष्ण और सुदामा एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। भारत का संविधान बना है उसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है प्राइमरी और मिडिल की, यह कहते हैं कि विश्व बैंक की सहायता लेकर पैसा दे रहे हैं, लेकिन स्कूलों में टाट पट्टी नहीं है। प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ावा मिल रहा है। फीस मंहगी कर रहे हैं। छात्र किस तरह से पढ़ेगा, सुदामा कितना पैसा देकर पढ़ेगा, कोई रिलीफ तो बतायें। यह आप कब लागू करेंगे जबकि आपका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। आप चन्द दिनों के मेहमान हैं। मान्यवर, यह जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं इस पर बल देता हूं और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल जी द्वारा दिये गये अभिभाषण पर माननीय डंग साहब ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, पचास वर्ष की आजादी के बाद यह पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने प्रदेश में ऐसे कार्य किये हैं, जो हम जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में छोटे-छोटे कार्यों को लेकर, जो भी विकास कार्य होते थे हम दयनीय दृष्टि से जनता के बीच में जाते थे, पहली बार विधायक निधि के माध्यम से पचास लाख से बढ़ाकर पचहत्तर लाख दिया गया है। गांव में ऐसे कार्य, जो गरीब तबके से सम्बन्धित थे, जैसे कहीं गड्ढा है, सड़कों का निर्माण है, नालियों को ठीक कराना और भी छोटे-छोटे कार्य जिनकी वजह से बीमारी फैला करती थी उन कार्यों को कराने के लिए असमर्थ थे पहली बार यह व्यवस्था मिली है जिसके माध्यम से यह कार्य करके विकास की नयी व्यवस्था की गयी है। यह सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इसमें सरकार को धन्यवाद देना चाहिए।

मान्यवर, विकास कार्यों में शिक्षा में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। गांवों में शिक्षा में सुधार आया है। किसी भी विकास का आधार, उसकी पहली कड़ी या सोपान शिक्षा होती है। गांवों में रहने वाले अशिक्षित, गांवों में चिट्ठियां पढ़ाने के लिए दूसरे घरों में जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अब दो किलोमीटर की दूरी तक जाकर अध्ययन कर रहे हैं। मान्यवर, आज हर गांव में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, हर न्याय पंचायत में जूनियर हाई स्कूल, हर ब्लाक में कन्या इण्टर कालेज और जहां-जहां जनप्रतिनिधियों ने डिग्री कालेज की मांग की है वह खुलवाये हैं। आज शिक्षा देश और प्रदेश के विकास के लिए प्रथम सोपान है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इन पचास वर्षों में अगर तुलना की जाय तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जितने विद्यालय की स्थापना की गयी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है उतनी किसी और के शासनकाल में नहीं हुई होगी । आज जो बी० टी० सी० हैं उनको विद्यालय में नियुक्त किया गया है ।

अभी हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कमियां गिना रहे थे अच्छाइयों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया है । आज सड़कों के माध्यम से पूरे प्रदेश में जाल बिछाया गया है । आप एम० पी०, बिहार में चले जायें तो आपको पता चल जायेगा । दीन दयाल उपाध्याय योजना, प्रधानमंत्री योजना, पूर्वांचल योजना, अन्य जिला योजना के माध्यम से ऐसे गांव नहीं बचे होंगे जो दो हजार की आबादी वाले हो और सड़क से न जुड़े हों जिनको सड़क से न जोड़ा गया हो । गांव के रहने वाले यहां लगभग सभी सदस्य बैठे हुए हैं वे जानते हैं कि शादी ब्याह के अवसर के लिये गर्मी के दिन चुने जाते थे ताकि गांव में जाने के लिये खेत खलिहान से होकर जाया जा सके । लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से इतनी सड़कें बन गयी हैं कि स्थिति बदली है, 2 हजार से अधिक की आबादी का लगभग ऐसा कोई गांव नहीं होगा, जो सड़क निर्माण से छोड़ दिया गया हो । अम्बेदकर योजना हो, दीनदयाल योजना हो, सड़कों का कार्य हुआ है । जो बची खुची सड़कें हैं वह प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से पूरी होंगी । अगर आप तुलना करेंगे तो पायेंगे कि 50 वर्षों में जितनी सड़कें बनी हैं वह पिछले 4-5 वर्षों में बन गयीं हैं और बन रही हैं । अब हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को कि अगर सड़क ठीक है तो गड्ढा युक्त दिखायी देती हैं और जो काम हुआ है वह उनकी समझ में कम ही आ रहा है अच्छाइयों पर उनका ध्यान नहीं जाता है लेकिन फिर भी उसका वह लाभ जरूर ले रहे हैं ।

जहां तक पुलों की व्यवस्था है, छोटी से लेकर बड़ी नदियों पर, चाहे नाले रहे हों, वे आवागमन में बाधक रहे हों, वहां हमारी सरकार द्वारा पुलों की व्यवस्था न की गयी हो । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भी तमाम समस्यायें थीं उनको हर वर्ग के लोगों की पंचायत बुलाकर सुलझाने का प्रयास किया है । प्रतिपक्ष के सदस्य कह रहे हैं कि केवल लोगों को बुलाया गया, काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है । हर वर्ग को चाहे शिक्षक हों, व्यवसायी हों, किसान हों, उनको बुलाया गया उनकी समस्यायें सुनी गयीं और उन पर कुछ करने का वादा किया गया लेकिन प्रतिपक्ष के लोगों को कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है ।

हम लोग शिक्षकों के लिए पंचम वेतनमान आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे थे । पहले गांव में कहा जाता था–"करे मास्टरी दो जन खायें, होवें बच्चे तो ननिहाल जायें" । मान्यवर, केवल अध्यापक वर्ग ही ऐसा था जो वेतन आयोगों की सिफारिशों से वंचित रह गया था हम लोग जो शिक्षक समुदाय से आये हैं उनकी उस बात को उठा रहे थे । पहली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिक्षकों की मांगों को लेकर उनको आश्वस्त किया है और माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है । इसका लाभ शिक्षकों को 6 महीने के अंदर मिलेगा यह एक बहुत बड़ा काम है । शिक्षकों का सुधार समाज का सुधार है । देश और प्रदेश का विकास शिक्षा पर निर्भर है । व्यापारियों के तमाम सारी कठिनाइयां सुन करके उनका हल किया गया और उसके परिणाम समाज को मिल रहे हैं .किसानों को पंचायत के परिणाम केन्द्र मिल रहे हैं अनाज का मूल्य मिल रहा है धान क्रय केन्द्र खोले गये । गेहूं के क्रय केन्द्र खोले गये हैं और उनके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं ।

मान्यवर, पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया और जिससे गांवों को सीधा लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया और यह एक अभूतपूर्व कम है हमारे विपक्ष के साथियों को सरकार को इसके लिए साधुवाद देना चाहिए जो हमारी आपकी मांगें हैं अगर उनकी तरफ सरकार ने ध्यान देकर उन मांगों को पूरा किया है तो उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए लेकिन आपको कमियां ही कमियां नजर आती हैं । अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से गरीब किसानों, बच्चों की व्यवस्था की जा रही है गरीब के लोग जो शिक्षा पाने के लिए स्कूलों में फीस जमा नहीं कर पाते थे उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है अनुसूचित वर्ग के छात्रों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है सरकार का प्रयास है कि सर्वांगीण विकास किया जाये ।

भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इन चार-पांच वर्षों में जो कार्य हुए हैं वह पिछले 50 वर्षों में नहीं हुए होंगे इसी के साथ मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं और प्रतिपक्ष के लोगों से आशा करता हूं कि सही वाक्यों को स्वीकार करने का वे साहस करेंगे। धन्यवाद।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संसोधन प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सबसे पहले तो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे स्वयं ही हों, आप सभी सहमत हैं कि आज प्रदेश में इस सरकार ने जो राज्यपाल के अभिभाषण की एक पुस्तिका हम लोगों को बांटी है यह पुस्तिका सरकार की नीतियों की दिग्दर्शक होती है लेकिन आद्योपान्त पढ़ने के बाद मुझे इस पुस्तिका में डंग साहब के विद्वतापूर्ण भाषण के बाद ही मेरे दिमाग में सारी बातें आयीं।

अभी मान्यवर, माननीय गोरखनाथ पाण्डेय जी जो बड़े विद्वान सदस्य हैं बड़ी प्रशंसा उन्होंने भूरि-भूरि की सरकार की लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार का आवां ही गड़बड़ है। जिस नींव पर यह सरकार खड़ी हुई है, आया राम गया राम की संस्कृति पर यह सरकार बनी है, यह सरकार इस प्रदेश का भला नहीं कर सकती। यह 93 आदमियों का जम्बूजेट लिये हुए सरकार उड़ान भर ही नहीं पा रही है। वह जहाज उड़ने के पहले ही बैठ जाता है। इसका सबूत यह है कि यह गिनीज बुक में एक रिकार्ड होगा कि चार साल में चार मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय रामप्रकाश जी और अब माननीय राजनाथ जी इसे सुशोभित कर रहे हैं। यह अपने में एक अभूतपूर्व रिकार्ड है। पिछले तीस साल के संसदीय जीवन में मैंने यह नहीं देखा कि एक पार्टी में जिनमें हर साल मुख्य मंत्री बदल जाये।

मान्यवर, यह सरकार नारा देती है लेकिन अगर देखा जाय तो इन चार, साढ़े चार साल में इस सरकार की क्या उपलब्धि रही है तो जीरो बटा जीरो, नम्बर ही इस सरकार को मिले हैं। मैंने देखा है कि शब्दों का चयन इतने अच्छे ढंग से किया गया जो पुस्तिका राज्यपाल के अभिभाषण पर है अगर उस पर गौर किया जाय तो यह जरूर है कि कोई हिन्दी का विद्वान जो अच्छी हिन्दी जानता था उसने बहुत अच्छा शब्दों का चयन किया है। लेकिन असलियत कुछ और है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा हमने सीधा संवाद लोगों से बनाया, किसानों से बनाया, शिक्षकों से बनाया, व्यापारियों से बनाया, विद्यार्थियों से बनाया लेकिन अगर रिजल्ट देखा जाए तो क्या हुआ। माननीय डंग साहब यहां पर जो आपका जहाज है वह जहाज वहीं का वहीं खड़ा रह गया।

मुझे याद है जब मान्यवर चुनाव हो रहे थे, तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह वायदा किया था कि मैं शिक्षक का बेटा हूं, मैं शिक्षक की पीड़ा जानता हूं और चुनाव के बाद पंचम वेतनमान लागू कर दिया जायेगा। चुनाव बीते सवा साल बीत गया लेकिन कहीं अता-पता नहीं चला। राजनाथ सिंह होशियार आदमी हैं, उन्होंने शिक्षक पंचायत कर एक कमेटी बना दी और कहा कि जब कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी तो पंचम वेतन आयोग लागू कर दिया जायेगा। मान्यवर, न कमेटी की रिपोर्ट आयेगी, जब तक इस सरकार का कार्यकाल है और न यह लागू हो पायेगा। मान्यवर, वैसे भी कहां से लागू होगा, यह सरकार दिवालिया है, पैसा है नहीं सरकार के पास। तनख्वाह बांटने का पैसा नहीं है, विकास की बात कौन कहे और कैसे की जाय। माननीय गोरखनाथ जी ने बता दिया कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। राज्य मंत्री पी० डब्लू०डी० बैठे हैं, राकेश धर त्रिपाठी जी। मैं जानता हूं कितना जाल बिछा है और इसे सभी माननीय सदस्य जानते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों। जी०आर०वाई० योजना खत्म कर दी गई, एस०आर०वाई योजना खत्म कर दी गई, जिला योजना खत्म कर दी गई, दीनदयाल योजना खत्म कर दी गई और नया शिगूफा यह छोड़ दिया गया कि

प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें बनेंगी और कैसे सड़कें बनेगी, 500 तक की आबादी की सड़कें 2007 तक बन जायेंगी । कैसे बन पायेंगी, गोरखनाथ जी, जरा मुझे समझा दें ?

मान्यवर, इन्होंने कपोल कल्पित बात बता दी लेकिन तथ्य जो हैं, वह यह है कि 2007 तक शायद 10 प्रतिशत सड़कें 500 की आबादी वाले गांव में बन पायें । यह सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है । वैसे भी इस सरकार को एक बहुत बड़े वर्ग का विश्वास प्राप्त नहीं है, कारण जो भी हो, यह सरकार धार्मिक उन्माद पर बनी है । धार्मिक भावनाओं को भड़काकर इन्होंने सरकार बना लिया, लेकिन वस्तुतः एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी इनसे अलगाव की भावना रखता है । उसी का नतीजा है कि कानपुर में दंगा हुआ । कानपुर में पुलिस की बर्बरता का शिकार वहां के अल्पसंख्यक लोग हुये और उसका सबूत यह है कि अभी दो दिन पहले सात पी०ए०सी० के जवानों को सरकार ने निलम्बित किया है, कम्पनी कमाण्डर को भी किया है किसलिये किया है क्योंकि वहां यह लोग अल्पसंख्यकों के घर पर लूटपाट कर रहे थे । मान्यवर, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, या विरोधी दल के माननीय सदस्य नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह स्वयं आपकी सरकार, आपका प्रशासन कह रहा है, आज इसीलिए एक बहुत बड़ा वर्ग आप में विश्यास नहीं करता ।

माननीय किसी भी प्रदेश की तरक्की वहां के औद्योगिक विकास से होती है ।

मान्यवर, मुझे जहां तक स्मरण है, तत्कालीन पूर्व मुख्य मंत्री जी जब बम्बई गये थे तब उन्होंने कहा था कि 25 हजार करोड़ का पूंजी निवेश इस प्रदेश में होगा लेकिन मान्यवर, जहां तक मुझे मालूम है कि एक भी पैसे का उद्योग हमारे प्रदेश में नहीं लगा । वह 25 हजार करोड़ केवल कागज में ही सीमित रहा और एक दिवा स्वप्न की तरह आज भी है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस प्रदेश में औद्योगिक विकास बड़ी तेजी से हो रहा है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को छोड़कर जो कि दिल्ली के करीब है, इसलिये वहां उद्योग लग रहे हैं लेकिन मान्यवर, बुन्देलखण्ड में जहां से आप जाते हैं, पूर्वांचल में, अवध में कहीं भी एक भी उद्योग नहीं लगा है । माननीय मुख्य मंत्री जी जब अपने अभिभाषण का जवाब दें तब इसे बताने का कष्ट करें कि वह उद्योग कहां लगे हैं । मैंने उनकी पुस्तिका में यह भी पढ़ा कि हमारा प्रदेश साफ्ट वेयर में नम्बर–2 पर है । मान्यवर, खाली उत्तर प्रदेश में ही लोग नहीं जानते, पूरी दुनियां में, और भारत में लोग जानते हैं कि दो ही प्रदेश हैं या तो आन्ध्र प्रदेश या हमारा कर्नाटक, हैदराबाद या बंगलौर के अलावा उन्हें पता नहीं है कि साफ्टवेयर इन्डस्ट्री कहां है । हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं हमें भी नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश में साफ्टवेयर इन्डस्ट्री कहां है । आप कपोल कल्पित बातें कह कर अपने मन को बहला सकते हैं लेकिन प्रदेश का भला नहीं कर सकते ।

आज भी 72 फीसदी लोग खेती/कृषि पर निर्भर हैं जबकि दुनियां में, जापान में, आस्ट्रेलिया में, यूरोप में, जितने भी देश हैं चाहे यूगोस्लाविया हो, बुल्गारिया हो, सभी देशों में लोग कृषि से हटकर उद्योग और व्यापार में लगे हैं तब इन देशों की तरक्की हुई है । लेकिन मान्यवर, 53 साल की आजादी के बाद भी 72 फीसदी, 75 फीसदी लोग आज भी उद्योग में नहीं हैं, खेती पर ही वह आधारित हैं । तो मान्यवर, इस प्रदेश की तरक्की हम कैसे मान लें । हां, एक चीज में इस प्रदेश ने बड़ी तरक्की की है, आबादी बढ़ाने में । मैं स्वास्थ्य मंत्रालय को बधाई दूंगा कि आज उत्तर प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान में नम्बर–1 पर है । हमारे यहां एक परिवार की बर्थ रेट, बच्चों की संख्या 5 है वहां केरल में 1.8 है । स्वास्थ्य मंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं । यदि प्रदेश की आबादी इसी तरह से बढ़ती रही तो आने वाले 5-10 सालों में प्रदेश की आबादी 21 करोड़ हो जायेगी ।

मान्यवर, आज सिंचाई के मामले में हमारा प्रदेश लगातार पिछड़ रहा है । सिंचाई मंत्री जी बड़ी सफाई दे रहे थे लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि इलाहाबाद की करछना, बारा और मेजा आदि तहसीलों रजबहों में पानी नहीं आया है । मान्यवर, जब रजबहों में पानी नहीं आया तो फिर हम क्या

बात कर सकते हैं टेल तक पानी पहुंचाने का, माइनरों तक पानी पहुंचाने का । इतना ही नहीं ट्यूबवेल गांव सभा को दिये गये उसको भगवान के भरोसे चलाया जा रहा है, कोई उनको देखने के लिए नहीं है । 70 प्रतिशत नलकूप खराब पड़े हैं, लेकिन यह सरकार कह रही है कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है । मान्यवर, मुझे याद आ रहा है । फ्रांस की क्रान्ति हुई, वहां की महारानी ने पूछा कि यह मार-काट क्यों हो रही है । लोगों ने कहा इनको रोटी नहीं मिल रही है ।

मान्यवर, यह सरकार किसानों के धान का क्रय कर नहीं पायी । लेड़ियारी में इलाहाबाद में आधा पैसा बड़ी मुश्किल से दिलाया । लेकिन यह सरकार कहती है कि बड़ी अच्छी खरीददारी हो रही है । मान्यवर, गेहूं के क्रय केन्द्र तो जरूर खुल गये हैं, लेकिन काम अभी तक प्रारम्भ नहीं हो रहा है । यह काम सरकार कर देगी तो मान्यवर, इस सरकार में यह कहावत याद आती है । यह सरकार कपोल-कल्पित बात करने में माहिर है इस सरकार को अपनी करनी का पता लग जायेगा । आज किसानों को डीजल मंहगा है, बिजली मंहगी है । जो 80 रुपये की दर थी आज 300 रुपये की हो गई । डीजल का दाम 3 गुना, 4 गुना बढ़ गया है । मिट्टी का तेल मान्यवर, जो 2 रुपया, ढाई रुपया लीटर था और वह 9 रुपया, 9.50 हो गया है और इतना ही नहीं मान्यवर, खाद, बीज हर चीज के दाम में बेतहासा वृद्धि हो रही है । डब्लू० टी० ओ० के दबाव में विदेशी गेहूं के आयात के लिए क्वांटिटी रिसट्रेक्शन भी खत्म कर दी है । उसका नतीजा क्या होगा । विदेशों के मुकाबले हमारे किसान कुछ नहीं कर पायेंगे । वहां के किसान बड़े मेहनती हैं, बल्कि इसलिए कि 45 अरब की छूट देती है । अगर अमेरिका और यूरोप का मूल्य लिया जाए तो 350 किसानों को छूट दिया जाता है हमारे यहां धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है । गेहूं का बीज साढ़े 9 रुपये, 15 रुपये किलो बिक रहा है मान्यवर, इतना मंहगा बीज किसान खरीद भी नहीं सकता है । लेकिन आप बात करते हो कि हम किसान की तरक्की कर रहे हैं, हम यहां के किसानों की बहबूदी चाहते हैं, आप बहबूदी चाहते हैं या बरबाद करने का काम कर रहे हैं ।

मान्यवर, इसी तरह से अभी इन्दिरा आवास की बात आजाद साहब ने कही । इस पुस्तिका में यह दिया हुआ है कि इन्दिरा आवास बनवाकर हमने बड़ी भारी उपलब्धि की । लेकिन मान्यवर, वह इन्दिरा आवास सही लाभार्थियों को नहीं मिल रहा है, सीधे जिले से उनका चयन किया जाता है तीन-तीन हजार रुपया लेकर । मैं आपको फेहरिस्त दे सकता हूं । जिनके पक्के मकान हैं उन्हीं को इन्दिरा आवास बनवाये गये हैं, गरीब आदमी जो झोपड़ी में रह रहा है उसको एक भी आवास नहीं दिया गया है, इलाहाबाद में ऐसा हुआ है । मैं माननीय डंग साहब को बताना चाहूंगा कि इलाहाबाद में डी०आर०डी०ए० में खुले रूप में ऐसा हुआ है । बड़े जोर-शोर से पिछले साल और इस साल भी एक बात कही गयी कि लखनऊ, इलाहाबाद, गौतमबुद्ध नगर और बनारस शहर को स्मार्ट सिटी और साइन्स सिटी बनायेंगे । मेरे दिमाग में यह बात नहीं आयी कि स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है ? आपने नया शब्दकोष निकाला है । स्मार्ट और साइन्स सिटी इस प्रदेश की धरती पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जरूर है लेकिन हकीकत में नहीं है । आपने ऐसी बात क्यों कही जो कर नहीं सकते हैं ?

आपने गंगा और गोमती के प्रदूषण को दूर करने की बात भी कही है । जबसे यह कार्यक्रम शुरू हुआ तब से गंगा और गोमती में और गन्दगी बढ़ गयी है । जितना पैसा आपने इस कार्यक्रम में खर्च किया उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं । दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए आपने क्या कार्यक्रम बनाया है । मैं यह जानना चाहता हूं । इसी तरह से प्राथमिक शिक्षा का बहुत ढिंढोरा पीटा गया । यह सरकार हर बच्चे को शिक्षित करने की बात कर रही है लेकिन बड़ी विडम्बना की बात है कि हमारे प्रदेश में पूरी दुनियां में निरक्षरों की संख्या सबसे ज्यादा है । भारत में भी हम सबसे पीछे हैं । प्राथमिक स्कूलों में जितने बी०टी०सी० टीचर्स थे उनको न रखकर आपने अन्ट्रेण्ड टीचर्स रखने का काम किया है, वह टीचर कितने दिन पढ़ायेंगे । यह संविदा के आधार पर रखा है, 6 महीने

पढ़ायेंगे । आपने बी०टी०सी० प्रशिक्षितों को न रखकर आर०एस०एस० के लोगों को रख लिया है कोई भी सेलेक्शन मेरिट के आधार पर नहीं हुआ है, इसमें बड़ी हेरा-फेरी की गयी है । आपने बड़ा ढिंढोरा पीटा कि हम शराब के माफियाओं के चंगुल से मुक्त करायेंगे ।

आप लोग शराब नीलामी को माफियाओं के चंगुल से नहीं छुड़ा पाये लेकिन आपने कई अरब रुपये रुपये का नुकसान कर दिया । कहीं भी लाटरी ईमानदारी से नहीं डाली गयी, लाटरी में ऐसी व्यवस्था की गयी, आर० एस० एस० के जो कार्यकर्ता थे उनको शराब की दुकानें मिली । इतनी अच्छी व्यवस्था लागू की कि बेचारे हाफ पैण्ट पहनकर कवायद करते थे, अब हाफ पैण्ट पहनकर शराब बेचेंगे । इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा में, 1986 के बाद कुछ माध्यमिक विद्यालय हैं उन सबको जो मान्यता मिल रही है वह मान्यता वित्त विहीन मिल रही है । आज वित्त विहीन मान्यता मिलती है । इसमें आज जो अध्यापक होंगे आज 15, 20 साल से पढ़ा रहे होंगे उन अध्यापकों को आज 200, 250, 300 रुपये मिल रहे हैं इसकी कमी पूरी की जाये । गांवों में फीस बढ़ाने की बात कहते हैं उसको कहां से पूरा करेंगे ? सरकार कहती है नकल नहीं होनी चाहिए मैं भी नकल विरोधी हूं लेकिन साइन्स के टीचर नहीं हैं, मैथ के टीचर नहीं हैं, भूगोल के टीचर नहीं हैं तो कैसे पढ़ाई पूरी हो रही है । प्राइमरी शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा को आज इस सरकार ने चौपट कर दिया है ।

मान्यवर, इसके साथ ही आज विद्युत व्यवस्था पर चर्चा करना आवश्यक हो गया है आज हमारे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है । 2600 मेगावाट तक बिजली आयात करें तब जाके कहीं हमारे प्रदेश की बिजली की कटौती पूरी की जा सकेगी । नवीं पंचवर्षीय योजना में एक भी विद्युत तापीय केन्द्र नहीं बनाया जा सका है । आज ऊंचाहार और टाण्डा बेच दिया गया जिनमें अल्ट्रा मार्डन फैसिलिटीज, अत्याधुनिक सुविधाएं थीं बेच दिया गया । आनपारा ए०, बी० बिजली केन्द्र जापान के द्वारा बनाया गया था आनपारा सी० भी जापान बना रहा था लेकिन आज हुण्डई के चक्कर में पड़कर आनपारा सी०, विद्युत केन्द्र 4.6 साल में आज तक नहीं बन पाया, डंग साहब । आज बिजली की जो कमी है उसकी कमी को पूरा करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी कोई नया बिजली घर नहीं बनवाया जा रहा है तो मान्यवर, यह बिजली की कमी कहां से पूरी होगी ? तो यह सरकार यह बिजली कटौती कहां से पूरी करेगी ?

मान्यवर, इस तरह मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि इस सरकार को अपने कार्य-कलापों पर विचार करना चाहिए यह जो आप चाय पर खर्च करते हैं उसकी बचत करें, अपने जेब खर्च पर कटौती करें । जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं वह बहुत अधिक सुविधाएं हैं । आपको जनता पर रहम करना चाहिए आज साढ़े चार साल से जनता आपको झेल रही है अब आप जनता को और झेलाने का काम न करें । मुझे उम्मीद है कि सभी सम्मानित सदस्य जो चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों उन सम्मानित नेता विरोधी दल के इस प्रस्ताव से सहमत होंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे भले ही वह इसका समर्थन न करें । इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री बिन्दु लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय डंग जी द्वारा रख गये धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं । आजादी के बाद 5 सालों को छोड़कर जिसमें भा० ज० पा० सरकार रही है उसके अलावा जितनी भी सरकारें आयीं जहां पर जिस चीज की आवश्यकता थी उसका ध्यान न देकर गलत नियोजन किया जिससे प्रदेश का विकास रुक गया । उदाहरण के तौर पर हमारे प्रदेश में 4-6 जिलों में सरयू कैनाल के नाम से एक योजना 25–30 साल पहले शुरू की गयी जिसके लिये लाखों एकड़ जमीन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

किसानों से ली गयी । अरबों रुपया इस योजना पर लगाया गया लेकिन उसका कोई फायदा न मिला और लाखों एकड़ जमीन बेकार गयी और आज तक एक पैसे का लाभ नहीं मिला । भा० ज० पा० सरकार आयी तो उसने इस योजना पर फिर से काम शुरू किया और आज हम कह सकते हैं कि काम आगे चल रहा है और उसका लाभ किसानों को मिल रहा है । मेरे क्षेत्र में एक चित्तौड़गढ़ बांध के लिए 1960 में जमीन एक्वायर की गयी । किसानों को 200 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया गया और उस पर 1977 तक काम बंद रहा । 1977 में जब मैं विधायक हुआ तो मैंने उस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया और काम शुरू हुआ और फिर ठप्प हो गया । 1997 में इसका शिलान्यास हुआ और इस योजना पर काम हुआ जिससे आज हजारों एकड़ जमीन को इसका लाभ मिल रहा है । जो लाभ इससे 30 साल पहले मिलना चाहिए वह नहीं मिला और लाखों क्विंटल जो अनाज पैदा होता वह नहीं पैदा हुआ । पिछली सरकारों के गलत नियोजन के कारण, उसका लाभ नहीं मिला था जो आज की सरकार के सही नियोजन के कारण मिल रहा है ।

मान्यवर, गन्ने की राजनीति के कारण आप देख लीजिये कि क्या स्थिति हुई । पिछली सरकारों ने जो गलत नियोजन किया उसके कारण पूंजीपतियों ने अपना काम बन्द कर दिया और सरकार को मिलों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लेना पड़ा और आज स्थिति यह है कि सरकार को करोड़ों रुपये देने पड़ रहे हैं । पिछली सरकारों के गलत नियोजन का मुआवजा इस सरकार को भरना पड़ रहा है । हमारी सरकार ने पिछले साढ़े 4 साल के अन्दर जो सही दिशा दिया और सही नियोजन किया उससे सुधार हुआ है । पहले जो प्रभावशाली लोग थे केवल उनके क्षेत्रों में विकास के कार्य होते थे । गलत योजनायें बना दी जाती थीं । जहां पर पानी नहीं है वहां पर बिजली घर की योजनायें लगा दी गयीं और केवल व्यक्तिगत लाभ के लिये ऐसी योजनायें चलायी गयीं जिसका कोई लाभ नहीं हुआ । अब भा०ज०पा० की सरकार सही ढंग से नियोजन करके प्रदेश के विकास को सही दिशा दे रही है । सरकार ने विकेन्द्रीकरण की जो योजना बनायी उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिल रहा है । जिला योजना में, विधायक निधि से, पूर्वांचल निधि से पैसा दिया जा रहा है जिससे अनेक विकास कार्य हो रहे हैं ।

भा०ज०पा० की नीति और नीयत साफ है । चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों सभी के क्षेत्रों में विकास के लिये धन की व्यवस्था की गयी है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है जिसके कारण पूरे प्रदेश का समान रूप से विकास हो रहा है । कभी हमारी सरकार ने यह नहीं सोचा कि विपक्ष के माननीय सदस्यों के क्षेत्रों के लिये धन नहीं मिलना चाहिये । हमारी सरकार ने यह पहला उदाहरण रखा है कि सभी के क्षेत्र का विकास हो । पिछले साढ़े 4 सालों में सड़कें, पुल, स्कूल बनाये गये हैं । चाहे दीन दयाल योजना से बनाये गये हों या पूर्वांचल विकास निधि से बनाने गये हों या बुन्देलखण्ड विकास निधि से बनाये गये हों । अभी माननीय रेवतीरमण सिंह जी सुनिश्चित रोजगार योजना के बारे में कह रहे थे कि उसको खत्म कर दिया गया है लेकिन ऐसा नहीं है । सुनिश्चित रोजगार योजना का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है यह योजना आज भी है ।

हमने इन्दिरा आवास के बारे में भी स्पष्ट आदेश पास कर दिया है इसका 50 प्रतिशत अम्बेडकर गांव में जाता है 50 प्रतिशत ऐसे बड़े गांवों में जहां अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है वहां दिया जाता है । इसमें पहले बी०डी०ओ० से मिलकर गलत तरीके से कार्य करा लिया जाता था अब उसको रोकने के लिए प्रयास किया । हमने फार्मूला बना दिया उस आधार पर आवास आवंटित किये जायेंगे । जहां तक चयन की बात है वह ग्राम पंचायतों पर छोड़ दिया है ग्राम पंचायत ही विचार करेगी कि किस प्रार्थना-पत्र पर आवास चयनित किया जाए । जो इसके हकदार हैं उन्हीं को देने का प्रयास किया गया । अगर ग्राम पंचायतें सही निर्णय नहीं लेती हैं तो इसका दोष व्यवस्था पर है । हमने अच्छी व्यवस्था दी है । अगर हम सभी प्रयास करेंगे तो जो लोग इसके हकदार हैं उन्हीं को मिलेगा । ट्यूबवेल की बात उठाई गई । सिंचाई बंधु की जो बैठक होती है उसमें इस समस्या

को उठाया जा सकेगा ट्यूबवेल कहां खराब है, क्यों खराब हैं, वहीं पर निर्णय होगा । हमारे यहां ट्यूबवेल खराब थे हमने इसको बैठक में उठाया तो उस समय निर्देश दिए गए कि इतने दिनों के अन्दर इनको ठीक कर दिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बिन्दु लाल–

थाना दिवस, तहसील दिवस, ऐसी व्यवस्था है जो हमारी समस्याओं के समाधान में मददगार हो सकेंगी । हमारी नीयत और नीति में जो बात है कि हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं उसी के अनुरूप यह सरकार कार्य कर रही है । अगर आप सभी का पूरा सहयोग रहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कार्य करेगी कि जनता को महसूस होगा कि आजादी के 50 साल बाद कोई सरकार आई है जिसने उसकी उम्मीदों को पूरा किया है । इन शब्दों के साथ मैं श्री सरजीत सिंह डंग द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो विचार मा० नेता विरोधी दल, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री लालजी वर्मा ने प्रकट किए हैं तथा श्री डंग ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किए हैं मैं बिन्दुवार उन तमाम प्रस्तावों पर दुबारा चर्चा न करते हुए जो बिन्दु नहीं उठाये गए हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मान्यवर, राज्य मानवाधिकार आयोग का मुद्दा संवेदनशील मुद्दा है । इस संबंध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह जो प्रस्ताव है यह तो कार्यवाही का हिस्सा है ।

श्री संजय गर्ग–

सर्वोच्च न्यायालय और मा० उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद शासन के द्वारा इस सदन में आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कई बार निर्देश के बावजूद आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का काम नहीं किया और इतना ही नहीं उनके सिर पर जूं तब भी नहीं रेंगा जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इनका ध्यान आकृष्ट कराया । वर्ष 1999-2000 में कुल राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार में दर्ज घटनाओं की संख्या थीं 1157 जिसमें से उत्तर प्रदेश की 956, वर्ष 2000-2001 में शिकायतें कुल 1840 जिसमें से केवल उत्तर प्रदेश की 1421 यानी कि इतनी बड़ी तादाद में मानवाधिकार का हनन हो रहा है । सहारनपुर में श्री निर्भयपाल शर्मा जी की हत्या उनके घर में घुस कर कुछ लोगों ने कर दी और पुलिस उन बेगुनाह चार लोगों को रिहासत में [illegible] जिनका इस घटना से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है । अभी तक जनता के सामने इस घटना के संबंध में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो पाया है ।

अपहरण की घटनायें ले लीजिए चाहे वह मुकेश जैन का अपहरण काण्ड हो या सतपाल गांधी का अपहरण काण्ड रहा हो और दूसरी तरफ सरकार कानून व्यवस्था के सुदृढ़ होने का ढोंग रच रही है कहती है हमारी पारदर्शिता हमारी नीति में ही नहीं नियति में है । सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के ही एक जिला अध्यक्ष ने एक विधवा के प्लाट पर कब्जा कर लिया क्योंकि वह सत्ता पक्ष का है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई फिर 14 अप्रैल को इस संबंध में बड़े अधिकारियों के हस्तक्षेप से रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मान्यवर, देखिये उसके बाद वहां के एस०एस०पी० को स्थानान्तरित कर दिया गया । उसी एस०एस०पी० को जिसे इसी सरकार ने पिछले एक माह पहले ही उसकी प्रशंसा करते हुए एक

लाख रुपये इनाम के रूप में देने की घोषणा की थी। पिछले बजट सत्र में विद्युत मंत्री जी द्वारा यहीं पर आश्वासन दिया गया था कि सभी विधायकों को पांच-पांच गांव विद्युतीकरण के लिए दिये जायेंगे परन्तु सदन का मखौल उड़ाया गया अपने वायदे को पूरा नहीं किया गया। राज्यपाल अभिभाषण में सरकार की इस दोहरी नीति को साफ दर्शाया गया है। सरकार 1600 धान के क्रेन्द्र खोलने की बात करती है। सत्ता पक्ष की बेंच पर बैठे हमारे साथी बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। धान किस तरह से बिचौलियों के साथ किसानों को बेचना पड़ा और क्रय केन्द्रों पर लाया गया। इन्होंने कहा कि मौसम की खराबी के कारण रजवाहों में पूरी तरह से पानी नहीं पहुंचाया जा सका अरे आप कुछ करना ही नहीं चाहते।

राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा महिला सशक्तीकरण वर्ष में महिला आयोग के गठन की दुहाई दी गई। लेकिन इस राज्यपाल के अभिभाषण में किसी भी तरह का कोई जिक्र उसका नहीं किया गया है। इतना ही नहीं हाल ही में केन्द्र सरकार ने इस बात के लिये एक कड़ा पत्र इस सरकार को लिखने का काम किया है। मैं इस बात को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष कुल मात्र जो स्वीकृत राशि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को ऋण देकर आत्म निर्भर बनाने की योजना थी, जो कार्यक्रम था उसमें उत्तर प्रदेश का क्या हाल था। महिला सशक्तीकरण के इस वर्ष में उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है। इसके बावजूद यहां पर 19 हजार 193 महिलाओं के ऋण आवेदन स्वीकृत हुए जिसमें राशि 412 लाख 650 हजार स्वीकृत की गई और जिसमें से मात्र 246 लाख 65 हजार रुपये की धनराशि वितरित की गई। केरल जो कि इतना छोटा प्रदेश है वहां इस योजना के तहत 31,155 लोगों को स्वीकृत किया गया स्वीकृत राशि उनको 609320 मिली जिसमें से 4,51120 राशि वितरित की गई। आंध्र प्रदेश में 1,87,283 महिलाओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री संजय गर्ग–

इस तरह से मान्यवर, यह केन्द्र सरकार की जो योजना है उसको ही सही तरीके से लागू नहीं कर पाये। इस तरह से यह लोगों को निर्बल और निरीह रहने के लिये मजबूर करेंगे। बेरोजगारी रोकने की बात करते हैं परन्तु क्या हो रहा है। महिलाओं के सशक्तीकरण की बात करते हैं पर इसका यह खुला उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत ही सुसज्जित भाषा में कहा गया है कि पसीने के सम्मान की बात कही गई है। मान्यवर, आज हिन्दुस्तान के तमाम शहरों में चौराहे पर लोगों की मण्डियां लगती हैं जहां पर वे 30-40 रुपये में अपनी मजदूरी को बेचने के लिये खड़े होते हैं। आज चालीस लाख से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आपने क्या योजना इनके लिये बनाई है कि इनका जीवन स्तर कुछ ऊपर हो सके। कितने लोगों को आप काम देने जा रहे हैं। इसका कोई उल्लेख अभिभाषण में नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री संजय गर्ग–

हिन्दी और उर्दू में सामन्जस्य स्थापित करने की कोई बात नहीं कही गई। यह दोनों तो सगी बहिने हैं। किस तरह से हम स्नातक स्तर पर उर्दू को बढ़ावा दे सकें। किस तरह से उर्दू अनुदेशकों की नियुक्ति की जा सके इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों का जिक्र अभिभाषण में नही किया गया है। दोहरे मापदंड बनाये जा रहे हैं। मान्यवर, इसी तरह से परिवहन में राजस्व की हानि इस सरकार के द्वारा की गई है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में उत्तर प्रदेश के नागरिक अपना रजिस्ट्रेशन

कराकर उत्तर प्रदेश के राजस्व को दूसरे प्रदेश के राजस्व में जमा करने का काम कर रहे हैं। इस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इन तमाम चीजो का उल्लेख करते हुए मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य नेताओं ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देता हूँ और निश्चित रूप से तमाम चीजों को छोड़ दिया गया है जिनका ख्याल नहीं रखा गया है अगर इनका ख्याल नहीं रखा जायेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा।

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो डा० सरजीत सिंह डंग जी ने रखा है, उस पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसलिये मैं आपका आभारी हूँ। काफी देर से इस सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। मुझे वह दिन याद है, पूरे प्रदेश की जनता को याद है कि जिस दिन महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा विपक्ष के लोगों ने किस तरह का शोर शराबा किया था। अच्छा लगता उनकी आलोचना करना यदि एक बार भी उन्होंने कहा होता कि बी०जे०पी० की सरकार ने यह काम अच्छा किया है। किसी ने लिखा है "किसी ने लिखी आँखों से कहानी और किसी ने पढ़ी सिर्फ दो बूँद पानी"। समझने की बात है इतने कम समय में जितनी बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार ने की है। गाँवों में चले जाइये बच्चे-बच्चे कह रहे हैं कि जो काम साढ़े चार वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वह काम पिछले पचास सालों में नहीं हुआ है। अभी गेहूँ क्रय केन्द्र खोलने की बात आ रही थी। गेहूँ क्रय नहीं किया जा रहा है, इस तरह की बात आ रही थी। मैंने अपने जनपद में भली भाँति देखा है कि गेहूँ की फसल खेतो में खड़ी थी उससे पहले ही यह क्रय केन्द्र खुल गये थे। मैंने अपनी आँखें से देखा धान क्रय केन्द्र की बात आई पूरे प्रदेश में धान क्रय केन्द्र खोले गए हैं और यह प्रदेश के इतिहास में उपलब्धि है।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि बिजली की आपूर्ति के संबंध में चर्चा करने की आवश्यकता है। मेरे क्षेत्र में 1991 में माननीय मुलायम सिंह जी के जमाने में एक पावर हाउस का शिलान्यास हुआ बिजली देने के लिए लेकिन 1991 के शिलान्यास के बाद उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई हमारी सरकार ने उस पावर हाउस को चालू कराया जिससे हमारे क्षेत्र को बिजली प्राप्त हो रही है। मान्यवर, अपराधों के बारे में कहना चाहूँगी, मैं मुक्त कंठ से कहना चाहती हूँ आपने अपराधों को अपराधियों को बढ़ावा दिया है आपने इतने अपराधी पाल रखे थे कि उसका सफाया करने के लिए कुछ वक्त की हमें और आवश्यकता है। आप देख रहे हैं किस तरह से अपराधियों का सफाया हो रहा है। सरकार खोज–खोज कर पारदर्शी होकर अपराधियों का सफाया कर रही है।

(शोर)

मेरी सरकार ने जिस तरह से चिन्ता की है, कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ मूलभूत समस्याओं का अभाव हो। हमारी सरकार ने गाँव–गाँव में किसान पंचायत बनाई हैं। गाँव–गाँव में विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। पहले विद्यालयों में अध्यापक नहीं आते थे उन विद्यालयों में अब अध्यापक आने लगे हैं मैं बताना चाहूँगी कि मेरी सरकार ने बहुत कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और यह उपलब्धि किसी से छिपी नहीं है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप भले ही कह लें कि सरकार कुछ नहीं कर रही है लेकिन इस सदन से बाहर जाते हैं तो आप भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है।

विधायक निधि के माध्यम से 75–75 लाख रुपया विधायकों को दिया गया। प्रत्येक गाँव में इण्डिया मार्क टू हैण्ड पम्प की स्थापना की गई। हम तो पहली बार चुनकर आए हैं सीनियर लोग बैठे हैं मैं समझती हूँ जो 75 लाख रुपया विधायक निधि का प्राप्त हुआ है उससे हम अपने क्षेत्र का अच्छी तरह से विकास कर सकते हैं। एक बात कहना चाहती हूँ एस०आर०वाई० योजना के तहत संचार व्यवस्था के तहत 70 प्रतिशत पैसा दिया है उससे विकास हो सकता है। सरकार ने इतनी उपलब्धियां

हासिल की है आप यह नहीं कह सकते हैं कि इस सरकार ने कार्य नहीं किया है। दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत सड़कों को बनवाया है। मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि कोई गॉव मुश्किल से आपको मिलेगा जहां सड़क न पहुँची हो, पेयजल उपलब्ध न हो। किसानों के गन्ने का भुगतान नही हो रहा है यह कहा गया लेकिन आप देखें कितने बड़े पैमाने पर भुगतान किया गया है। ट्रैक्टर और ट्राली पर जो कर लेते थे उसको हमारी सरकार ने कर मुक्त कर दिया है।

मैं बताना चाहूँगी कि मेरी सरकार ने एक सबसे बड़ी उपलब्धि की है कि यह सरकार चल रही है यह कहा जा रहा था कि मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे इस सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग नहीं होने दिया है। पूरे प्रदेश में चर्चा होती है सारे विपक्ष के लोग बोलते हैं चुनाव करा दिए जाएं माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगी कि हम चुनाव के लिए तैयार बैठे हैं चुनाव कभी भी करा लिए जाएं। हमने साढ़े चार वर्षों में बहुत कुछ किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय सबसे पहली उपलब्धि हमारी सरकार की है कि कभी पक्ष और विपक्ष में विभेद नहीं मानती है। जितना भी धन आता है समान रूप से बंटवारा होता है। जिले में देखिये कभी यह महसूस नहीं होता है कि यह पक्ष और विपक्ष के लोग हैं। अन्त में मैं अपनी बात को दो लाइनों में कहकर समाप्त करना चाहूंगी–

"दुनिया के गुलिस्तां में सब सोच समझकर रखना है,
फूलों की मुहब्बत करनी है, कांटों की हिफाजत करनी है।"

अन्त में मैं माननीय डंग जी द्वारा रखे धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और अपनी वाणी को विराम देती हूं।

श्री रामचन्द्र यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं मान्यवर आपने मुझे संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत सारी बातें रखी गयी हैं। इनमें खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विद्युत और सिंचाई के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार की बातें कहीं गयीं हैं। हम अपने जनपद फैजाबाद में विगत चार माह में कानून व्यवस्था के नाम पर जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वस्त किया था, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि विगत चार माह में 29 हत्याएं, 99 लूट और डकैती, 6 दहेज हत्याएं, 56 दलित उत्पीड़न, इस प्रकार से चार माह में ही हमारे जनपद में कानून व्यवस्था चरमरा गयी है। अभी 26 अप्रैल को मेरे जिले के अयोध्या उदया पब्लिक स्कूल के सामने 20 बीघा जो अति कीमती जमीन थी उसके मालिक अजीत को घर से बुलाकर हत्या कर दी गयी। उसकी मां के प्रार्थना-पत्र का मुकदमा न दर्ज करके दूसरे से तहरीर लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया। आज आलम यह है कि जो मुख्य तहरीर थी उसको अलग करके दूसरे लोगों को फंसाया जा रहा है।

मान्यवर, रमेश जो ईंट भट्ठे का व्यवसायी था उसकी हत्या की गयी। मान्यवर, आज जनपद फैजाबाद में कानून व्यवस्था के नाम पर जिस तरीके से हमारी पुलिस अपराधियों को पूरी तरह से निरंकुश किए हुए है उनके ऊपर कोई भय नहीं है फैजाबाद में जिस तरीके से माफियाओं की पहुंच बढ़ी है जो अपराधी है उनके अड्डे बनते जा रहे हैं। मान्यवर, रोमी कपूर फैजाबाद के बहुत बड़े दवा व्यापारी हैं उनके ऊपर हुआ हमला इस बात का सबूत है कि फैजाबाद के सारे के सारे दवा व्यापारी आज भयालत हैं दवा व्यापार मण्डल के लोगों ने वहां अपनी दुकानें बन्द रखीं। मिल्कीपुर में, इनायतपुर थाने में चार-चार लोगों की हत्यायें हुई हैं एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है जबकि सरकार द्वारा अभिभाषण में कहा गया है कि कानून व्यवस्था के द्वारा प्रदेश को भय से मुक्त किया जा रहा है। मान्यवर, लगता है कि फैजाबाद की पुलिस अपराधियों के नियंत्रण में काम कर रही है इसलिए मैं खास तौर से

कानून व्यवस्था के सवाल पर जो हमारे महामहिम के अभिभाषण में जिक्र किया गया है मैं उससे सहमत नहीं हूं।

मान्यवर, आप सिंचाई के क्षेत्र में जिस तरीके से ट्यूबवेल के रख-रखाव का कार्य पंचायतों के अधीन किया गया है उससे किसानों की लूट हो रही है तीन साल पहले जो सिंचाई हुई थी उसी आधार पर आज सिंचाई का शुल्क वसूल किया जा रहा है जो सींच पाल थे उनको दूसरे कार्यों में लगाया गया है इसी तरह से पांच-पांच गांवों की विद्युतीकरण की बात थी हमारा जो पिछले वित्तीय वर्ष का प्रस्ताव था उसमें एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है सड़कों के निर्माण की जो बात है कहा गया कि अम्बेदकर ग्राम विकास योजना, दीनदयाल योजना, जिला योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना–इन योजनाओं से सड़कों के निर्माण की व्यवस्था की गयी है, निश्चित रूप से यह योजनाएं कागजों में हैं उसका क्षेत्रों में कहीं भी परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है हमारे यहां अग्निकाण्ड में लगभग 200 घर जले और उनको पूरी तरह से राहत नहीं दी गयी है जो नुकसान हुआ है उसमें कटौती की गयी है। जो किसानों की इसमें बात कही गयी है यह निराधार है आज पूरे प्रदेश में मिट्टी के तेल की कटौती की गयी है। मिट्टी के तेल से घरों को रोशनी मिलती है आज हमारे फैजाबाद में मिट्टी के तेल की भारी अनुपलब्धता के कारण लोग परेशान हैं।

हमारे यहां नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में पिछले दिनों लाठीचार्ज किया गया लेकिन आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आज बिजली मंहगी है, खाद मंहगी है यह सब किसानों और कृषि से जुड़ी हुई चीजें हैं इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज इस शासन से सभी लोग पीड़ित हैं। ड्रेनों की सफाई के नाम पर जो बात है फैजाबाद में ड्रेनों की सफाई नहीं हुई है पिछले तीन सालों से वहां समस्यायें बनी हुई हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र यादव–

शहीदों के नाम पर माननीय कृषि मंत्री ने घोषणा की थी कि शहीद गांव चयन करेंगे की मेरे क्षेत्र में शहीद गांव का चयन होना था। मान्यवर, राम सूरत यादव डेहरिया गांव के कारगिल की लड़ाई में मारे गये लेकिन उनके गांव का चयन नहीं किया गया। मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि के राजाज्ञा से हमारे विधान सभा क्षेत्र को एक भी योजना नहीं दी गयी। इस प्रकार हम समझते हैं कि महामहिम के अभिभाषण पर तमाम विकास की योजनाएं जो हमारी जनता से जुड़ी हुई आवश्यकताएं थी उनकी उपेक्षा हुई है इसलिए मैं राज्यपाल के इस अभिभाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव जिसे हमारे विद्वान और योग्य नेता विरोधी दल ने रखा है उसके समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, मैं यह कह सकता हूं, मैं यह कोशिश कर रहा था कि महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण में कोई अच्छी चीज मिल जाय तो मैं थोड़ा सरकार की भी तारीफ कर दूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला तो मैं निराश हुआ। इस अभिभाषण में मुझे भाषा शैली ऐसी लग रही थी कि जैसे अभिभाषण नहीं कविता का पाठ हो रहा हो। कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है जैसे बहुत बड़ी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमियां हों तो बहुत बड़ा आवरण चढ़ाना पड़ता है । इस अभिभाषण की कोई दिशा नहीं है, कोई सरकार के कार्य की उपलब्धि नहीं है, इसमें सिर्फ शब्दों का सहारा लेने का काम किया गया है । मुझे एक बात अच्छी लगी माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें हैं एक सुबह नहीं सुबह होगी नया आवरण होगा, सब कुछ नया होगा मान्यवर, मुख्य मंत्री जी का एक तकिया कलाम मुझे बहुत अच्छा लगता है वह जब जोश में आते हैं तो कहते हैं कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, सड़क पर लूट नहीं होगी, अपहरण नहीं होगा, अब तक जो हुआ सो हुआ तो मुख्य मंत्री जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया । आज से पहले क्या था क्या यही न इनकी सरकार थी न हमारी सरकार थी, सरकार तो आपकी ही थी । आज के पहले यह होता रहा है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है । आप भी वही कह रहे जो मैं कह रहा हूं आप भारी मन से वहां बैठे हुए हैं और मैं यहां बैठा हुआ हूं । आपका वही तो मंत्रि परिषद है जिसमें एक से एक महान योद्धा हैं केवल इनका मुखिया बदल गया है अगर मुखिया बदल जाने से परिवर्तन होना है तो मेरी शुभकामनाएं । लेकिन मैं समझता हूं कि जिस टीम के साथ आप चल रहे हैं अगर वह पहले ही खराब थी तो अब वह ठीक नहीं होने वाली है ।

मान्यवर, आप ही ने तो भाजपा के अध्यक्ष के रूप में इस सरकार को बनाया था आपका वह जवाब मुझे याद है । जब पत्रकारों ने बहुत सवाल पूछे कि इसमें बड़े-बड़े लोग हैं, 30–35 मुकदमें वाले लोग हैं, विभिन्न दलों के लोग हैं तो आपने कहा था कि आपात धर्म का निर्वाह किया है । तो यह आपात धर्म आप कब तक चलायेंगे ? आप भी मानते हैं कभी-कभी जब संघर्ष होता है तो बहुत कुछ जायज होता है । आपने जो कुछ कहा है वह जायज था या नाजायज था । एक तरफ मैं देख रहा हूं राज्यपाल जी का अभिभाषण मानवाधिकार का दूसरी तरफ समाचार मिल रहा है । मानवाधिकार में उत्तर प्रदेश अव्वल मानवाधिकार के मामले 7600 में से 4000 सिर्फ उत्तर प्रदेश में यानि पूरे भारत आधे में और आधे में आप । अगर यही सब कुछ ठीक है तो कोई बात नहीं । 7200 मामलों में 4200 उत्तर प्रदेश के हैं । उच्च न्यायालय का निर्णय भी यही है कि आप मानवाधिकार आयोग का गठन करें उनके निर्देश भी हैं परन्तु निर्देश का पालन आपने नहीं किया उच्च न्यायालय ने कह दिया और केन्द्र सरकार की भी यही नीति है । मानवाधिकार की उत्तर प्रदेश में इकाई बन गई तो यह 4000 की जगह 6000 मामले हो जायेंगे । किस मामले में आप अपने आपको संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, बिजली तो नहीं, सड़कों की हालत खराब है, विकास रुका हुआ है । गेहूं अभी खरीदा नहीं जा रहा है, धान दलालों के माध्यम से खरीदा गया । किस-किस मोरचे पर अपनी सरकार को आप सफल कह रहे हैं, वह कौन सा मोर्चा है, जिस पर आप सफल हैं । आप भले ही कह लें, बिजली की स्थिति बहुत अच्छी है । मैं आपसे आग्रह करूंगा । आप चले जाइये, किसी गली में, किसी शहर में, किसी मोहल्ले में, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, लेकिन उर्जा मंत्रालय में आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में बैठे लोग दिल की बात कहें या न कहें, लेकिन जिलों में हाहाकार मचा हुआ है । कहीं चार घण्टे, कहीं पांच घन्टे तो कहीं सात घण्टे बिजली कटौती हो रही है । आपकी मजबूरी है, आप आपात धर्म का पालन करिये, लेकिन सच्चाई यह है कि आप केवल विधान सभा में कह सकते हैं कि बिजली आ रही है, लेकिन किसी गली में, किसी कस्बे में, किसी मोहल्ले में चले जाइये, बिजली की स्थिति क्या है, पता चल जायेगा, आपकी मजबूरी है क्योंकि आप बिजली मंत्रालय चला रहे हैं, आपको सरकार चलानी है ।

आज आप सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिना आगे बढ़े हुये कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसकी शुरूआत कैसे हुई है । आपने सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये साइबर पार्क निर्माण हेतु 25 एकड़ जमीन दे दी, ठीक किया, सही कदम था आपका, लेकिन इसके लगाने वाले कौन थे, कौन हैं मिस्टर माथुर और कौन हैं मिस्टर जौहरी । 26 जनवरी को गुजरात में भूकम्प आया और माननीय आ[illegible] प्रधानमंत्री उस त्रासदी को छोड़कर यहां [illegible] और अपने कर-कमलों से समर्पित किया, लेकिन यह [illegible] सिस्टर कम्प [illegible] सिर्फ 400 कर[illegible] गयी । साइबर पार्क ही बनवाना था तो

आपने क्यों नहीं उन संस्थाओं को दिया, जिनको टाटा कंस्लटेन्सी देना चाह रही है, आपने उनको दे दिया जो 10 रुपये का शेयर 14 रुपये करके चले गये ।

आपने बुनकरों की लम्बी-चौड़ी बात की है, लेकिन निदान क्या दिया है ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे विनतीपूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो लखनऊ के पूरब का हिस्सा है, इसे बुनकर पट्टी घोषित कर दीजिये, जैसे आजमगढ़, मऊ, टाण्डा, बनारस, भदोही आदि हैं । इसको आप बुनकर पट्टी घोषित कर दीजिये और इसको पोषित करने के लिये योजना चलाइये, वरना बुनकर की हालत और खराब हो जायेगी ।

आप जब अपनी सफलताओं की बात करते हैं तो उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर का दंगा जिस प्रकार हुआ और शुरू में ठीक नियंत्रण न होने के कारण उसे रोका नहीं जा सका, जिस प्रकार ए०डी०एम० की हत्या हुई और बेगुनाहों पर ज्यादतियां हुई, वह सबको मालूम है । ए०के०–47 से एक अधिकारी की हत्या हुई, उस पर कार्यवाही होनी चाहिये लेकिन उनके नाम पर बेगुनाहों के साथ नहीं । जब आप कुम्भ मेले की बात करते हैं, आपने बड़ा अच्छा कराया, लेकिन क्या हुआ, जहां पत्रकारों पर लाठीचार्ज हुआ, मैं उस समय इलाहाबाद में मौजूद था, उसका परिणाम क्या निकला, क्या दोषियों को सजा मिली, सजा तो दूर रही, हां उनको पारितोषिक जरूर दिया गया ।

मान्यवर, महिला आयोग का गठन हुआ था, लेकिन कहां गया वह और पुनः वह क्यों गठित नहीं हो रहा है ? बात होती है 33 प्रतिशत रिजर्वेशन की और महिला आयोग का गठन तक नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, मैं सम्पूर्ण विपक्ष की तरफ से बधाई देना चाहूंगा कि एक मामले में आप अवश्य खरे उतरे हैं, पारदर्शिता है आपमें । जो काम करते हैं, पारदर्शी ढंग से करते हैं । आज आपके बहुत से ऐसे मंत्री हैं, जहां जो कुछ भी होता है, पारदर्शी ढंग से होता है, कुछ छिपा नहीं है । यह अलग बात है कि भ्रष्टाचार होता है वह भी पारदर्शी ढंग से होता है । आदत पड़ गयी है । माननीय मुख्य मंत्री जी, आपकी नीयत पर हमें शक नहीं है । हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ लेकिन क्या करें । मुझे तो दया आती है । [× × ×] आप कह रहे हैं कि हम मितव्ययिता करेंगे । 9 महीने के अन्दर आपके मंत्री 24 लाख रुपये जेब खर्च के रूप में लेते हैं । एक मंत्री 9 महीनों में 24 लाख रुपये लेते हैं यानि एक दिन में 9 हजार रुपये आपके एक राज्य मंत्री कुशवाहा साहब, मैं नाम नहीं लूंगा । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 9 हजार रुपये प्रतिदिन किस साधारण परिवार में जेब खर्च आता है । अगर एक मंत्री 9 हजार रुपया प्रतिदिन जेब खर्च के रूप में ले रहा है तो वह सीधे-सीधे जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहा है । मुख्य मंत्री जी इन मंत्रियों के सहारे आप क्या उम्मीद रखते हैं । एक मंत्री 18 लाख 52 हजार की चाय पी जाते हैं, दूसरे 17 लाख 70 हजार की और तीसरे 16 लाख 50 हजार की चाय पी जाते हैं । एक मंत्री 17 लाख की, एक 14 लाख 63 हजार रुपये की, एक अन्य मंत्री 13 लाख 38 हजार की और एक अन्य मंत्री 11 लाख रुपये की चाय पी जाते हैं । गाड़ी फ्री, मकान फ्री, सिक्योरिटी फ्री और जहां जाते होंगे विभाग वाले कुछ खिला-पिला तो देते ही होंगे, मान्यवर, फिर ये कहां कर रहे हैं जेब खर्च ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय प्रमोद जी आदर्श की बात तो बहुत दमदारी से कर रहे हैं लेकिन मैं एक तथ्य इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिस आवास में यह रह रहे हैं वह एक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की आड़ में । जिस मकान में वह रह रहे हैं क्या उसके ये पात्र हैं या नहीं यदि नहीं तो यह माननीय मंत्रियों के लिए आदर्श की बात कैसे कर रहे हैं । क्या इस सदन में उस आवास को छोड़ने की घोषणा करेंगे ?

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं तो हाईकोर्ट की आड़ में मकान् लिए पड़ा हूं लेकिन यह तो उसकी आड़ में सरकार लिए पड़े हैं । मैंने जो मकान ले रखा है, दल के नेता को इस प्रकार के एक मकान को रखने का अधिकार है ।

मान्यवर, मैं समझ सकता हूं कि जब यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे होते हैं तो कुछ लोग अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहते हैं । लेकिन जब भाग्य में हल्दी लगना नहीं है तो कैसे लग सकती है । मुख्य मंत्री जी यदि आप इनको यहां कैबिनेट मंत्री बनाने की घोषणा कर दें तो मैं मकान छोड़कर चला जाऊंगा । मैं मुख्य मंत्री जी से आपकी सिफारिश कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षेप करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, विश्व व्यापार संगठन के साथ मुख्य मंत्रियों की बैठक होने वाली है । मान्यवर, विश्व व्यापार संगठन में जो खुली अर्थ व्यवस्था की नीति शुरू में चली थी उससे मौजूदा सरकार भटक गयी है । आज बेंचा-बेंची की परम्परा आ गयी है, आज सब कुछ खरीदने के लिए विवश किया जा रहा है ।

मान्यवर, किसान भी प्रभावित हैं । यहां 90 प्रतिशत कृषक हैं । मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव पर जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जब प्रधान मंत्री के समक्ष जायेंगे तो उत्तर प्रदेश का कौन सा पक्ष रखने जा रहे हैं । उससे भी अवगत कराने की कृपा करेंगे । एक बार सभी दलों के नेताओं की बात रखे । कानून व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जिस सरकार के कार्यकाल में हमारे एक साथी निर्भय पाल शर्मा की निर्मम हत्या हुई । यहां के मंत्री सरेआम मकान कब्जा कर लिये उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं मुझे सिर्फ यह कहना है लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया क्या कारण है ? जबसे आपकी सरकार आयी, स्वीकार करना पड़ेगा चाहे राज्य सभा का चुनाव हो, विधान परिषद् का चुनाव हो इसमें दोष क्यों आ गया है । राज्य सभा चुनाव और विधान परिषद् के चुनाव को छोड़ दीजिए, पंचायतों के चुनाव लाठियों के सहारे, पैसों के सहारे जीता है, इसे मैं रखना चाहता हूं । मान्यवर, गंगा निर्माणीकरण की योजना प्रारम्भ की गई, लेकिन मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि स्वीडन के तत्कालीन प्रधानमंत्री आये थे । 1986 में काम शुरू किया था कितनी गंगा पवित्र हुई । प्रदूषण की मात्रा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । वाराणसी और इलाहाबाद में इस योजना को शुरू किया गया । पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड में भी शुरू किया गया, लेकिन उसका क्या परिणाम रहा ?

मान्यवर, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार हर बात के लिए अमेरिका की तरफ देखती है उसका इतिहास आप देख लें बहुत समझौता हुआ कानून व्यवस्था की बात हुई । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भविष्य में कोई कठिनाई आये । मुख्य मंत्री जी आपकी नीति पर शक है, नियति पर नहीं । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि नेता विरोधी दल के एक-एक सुझाव का मैं समर्थन करता हूं और डंग साहब जो डंग है । मान्यवर, रखे गये प्रस्ताव पर कुछ ऐसा है ही नहीं जो समर्थन करूं । मान्यवर, फिर भी दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जो आपकी छवि है, जिम्मेदारी है उसका प्रयास कर रहे हैं हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उसी के आधार पर काम लीजिए । मान्यवर, जो मंत्री हैं 9 हजार से 9 रुपये पर आ जायें और जो अपराधी हैं जिन पर 35-35,

40-40 मुकदमें दर्ज हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें तो अपने आप कानून व्यवस्था सुधर सकती है। मान्यवर, वहां तो [× × ×] राजनाथ सिंह कैसे सरकार चलायेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने सारगर्भित अभिभाषण में उत्तर प्रदेश को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं उसका लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों ने इस अभिभाषण का अध्ययन किया होगा। उसी अभिभाषण के आधार पर इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार भी व्यक्त किये हैं। इस सदन में मैं विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं उस प्रस्ताव पर जो माननीय डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

इस सदन के सम्मानित नेता, नेता प्रतिपक्ष, धनीराम वर्मा, कौकब हमीद, प्रमोद कुमार, लालजी वर्मा, कुंवर रेवती रमण सिंह जी सहित कई सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार यहां पर व्यक्त किये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो विचार व्यक्त किये गये हैं केवल आलोचना के लिए नहीं बल्कि कुछ सोच-समझकर विचार व्यक्त किये गये हैं। जो भी सुझाव अपने विचार व्यक्त करते समय उन्होंने दिये हैं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं इस सदन को कि उसे गंभीरता पूर्वक लूंगा और उसे अमलीजामा पहनाने की भी भरपूर कोशिश करूंगा। लेकिन कई बातें जो इस सदन के समक्ष आयी है मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केवल आलोचना के लिए आलोचना की जा रही है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिपक्ष की आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए लेकिन केवल आलोचना के लिए आलोचना नहीं किया जाना चाहिए। इस यथार्थ को भी समझना चाहिए कि राजनीति साध्य नहीं है साधन है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का यह राजनीति एक साधन है। मैं स्वतंत्र भारत की यह विडम्बना मानता हूं कि राजनीति को हमने साध्य मान लिया है, साधन नहीं माना। राजनीति को ही हमने सब कुछ मान लिया। चाहे जो कुछ भी करना पड़े, राजनीति के माध्यम से सत्ता हासिल करनी है। मूल्यों की प्रतिबद्धता समाप्त होती जा रही है।

मान्यवर, हम सभी जानते हैं कि राजनीति का चरित्र ऐसा होता है कि जैसे लोगों के हाथों में जाती है, वैसी बन जाती है। रामायण काल की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, त्रेता, द्वापर के युग में राम ने राजनीति की थी राम-राज्य की स्थापना करने के लिए, कृष्ण ने राजनीति की थी धर्म की स्थापना करने के लिए। यह राजनीति राम और कृष्ण के हाथों में जाती है तो युक्ति बन जाती है वह जैसे लोगों के हाथों में जाती है वैसी बन जाती है। राम और कृष्ण के हाथों में जाती है तो युक्ति बन जाती है, पैगम्बर हजरत मुहम्मद साहब के हाथ में जाती है तो भक्ति बन जाती है, ईसा-मसीह के हाथों में जाती है तो मुक्ति बन जाती है परन्तु प्रमोद जी जब यह आपके यहां जाती है तो सम्पत्ति बन जाती है। यह व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, मैं पार्टी की बात कह रहा हूं। लेकिन कहीं पर राजनीति जाती है, नाम नहीं लेना चाहता हूं श्रीमन्, यह राजनीति विपत्ति बन जाती है और कहीं पर राजनीति जाती है तो विभक्त बन जाती है। यह राजनीति का चरित्र है। यह राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और नीति। नीति, नथ धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है लेना जाना। इस प्रकार राजनीति शब्द का अर्थ है सन्मार्ग की ओर ले जाना। जो सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे उसी व्यवस्था को राजनीति कहते हैं। आज राजनीति सस्ती बन गयी है।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

आज विश्वसनीयता का प्रश्न दिनो-दिन गहराता चला जा रहा है आज आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ भारत की जनता के सामने अपनी विश्वसनीयता साबित कर सकें जब वह अपनी नजर उठाकर नेताओं की तरफ देखते हैं तो मेरी समझ में आता है कि भारत के राजनीतिज्ञों में विश्वसनीयता का अभाव है । लेकिन हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम विश्वसनीयता को कायम रखेंगे मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हमारे नेताओं पर अनेकों आरोप लगे, बंगारू लक्ष्मण का मामला सामने आया हमने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाय । सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप की गंभीरता को समझा होता तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा इस मामले की जांच का आदेश दिया गया होता लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है । इससे आरोप की गंभीरता को अहसास आप स्वयं कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना ।

श्री अम्बिका चौधरी–

वाकई इतने बदबूदार मामले की जांच सिटिंग जज से कराना ठीक नहीं था ।

श्री राजनाथ सिंह–

लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने जांच का आदेश दिया । परिणाम आपके सामने आ जायेगा । श्रीमन्, दूसरी तरफ ऐसे भी कम लोग नहीं हैं जिनका दामन दागदार है और वह जेल की सींखचों के पीछे भी जा चुके हैं लेकिन उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी कम से कम यह स्थिति हमारी सरकार और हमारी पार्टी की नहीं रही ।

श्रीमन्, जयललिता जी इस सदन की सदस्य नहीं हैं । मैं सदन की मर्यादा को जानता हूं कि नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन कुछ नाम चर्चा में आ गये हैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपको स्मरण होगा कि केन्द्र में हमारी सरकार थी और बहुमत का संकट हमारे सामने था एक-एक सांसद के लाले पड़े थे फिर भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा सरकार रहे या जाये मैं भ्रष्टाचार से किसी सूरत में समझौता नहीं करूंगा ।

श्रीमन्, दो मंत्री ऐसे थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे । अभियोजन अदालत में दाखिल हुआ हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि आपको मंत्रि-परिषद् से त्याग-पत्र दे देना चाहिए । एक मंत्री ने त्याग-पत्र दे दिया दूसरे ने कहा नहीं देंगे । आपने देखा होगा कि एक कलम से, एक बूंद स्याही से चटपट प्रधान मंत्री जी ने उस मंत्री को मंत्रि-मण्डल से बर्खास्त कर दिया । हमारे ऊपर जब आरोप लगते हैं तब सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं और जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता यानि जब तक निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाते तब तक यह संकल्प लेते हैं कि संसद में कदम नहीं रखेंगे । माननीय लालकृष्ण आडवाणी जिनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगे थे, उन्होंने कहा कि आरोप आरोप होता है मैं संसद की सदस्यता से त्याग-पत्र देता हूं और संसद में तब तक कदम नहीं रखूंगा जब तक आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा । लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जिनके ऊपर आरोप लगे भले ही जेल के सींखचों में चले गये लेकिन प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बने रहे ।

जब कभी भ्रष्टाचार के मामले हमारे सामने आये हमारी सरकार ने उस पर गंभीरता से निर्णय लिया है । मैं सदन को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर, हमारी मंत्रि-परिषद् के सदस्य के ऊपर यदि भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया तो वह मंत्रिमण्डल का सदस्य नहीं रह पायेगा और केवल मंत्रि-मण्डल की सदस्यता की ही बात नहीं है, मैं कहता हूं कि उसका स्थान उसका घर नहीं होगा बल्कि जेल होगी । हिम्मत है किसी सरकार की जो इतनी कठोर कदम उठा सके । मान्यवर, यह सदन जानता है कि जब मैंने मुख्य मंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली सबसे पहले

मैं प्रेस वार्ता में घोषणा की थी कि मैं सभी वर्गों के साथ सीधा संवाद स्थापित करूंगा । मैं जाति और मजहब के आधार पर संवाद स्थापित नहीं करूंगा बल्कि व्यवसाय के आधार पर संवाद स्थापित किया जायगा ।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी मुख्य मंत्री ने अपने आवास पर उत्तर प्रदेश के हर जनपद से किसानों को आमंत्रित किया और 5-6 घण्टे किसान भाइयों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया । किसानों ने अपनी समस्यायें हमारे सामने रखीं, बहुत सारी उनकी कठिनाइयां थीं । सरकार ने उनको संज्ञान में लिये और अधिकारियों के साथ बैठकर पंचायत की गयी और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुये हैं । मान्यवर, इसके बाद व्यापारियों की पंचायत की गयी । कुछ हमारे विपक्ष के लोगों ने कहा कि यह पार्टी व्यापारियों की पार्टी है किसान पंचायत यह क्यों करती है लेकिन पूरा सदन परिचित है कि मुख्य मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही नहीं बल्कि उसके पहले हमने कहा कि हमारी सोच का आधार गरीब किसान होगा और हमने उसको अपनी सोच का केन्द्र बनाया । मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था तब तक नहीं सुधरेगी जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, किसान का उत्थान नहीं होगा । हिन्दुस्तान या उत्तर प्रदेश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक किसान और गांव का विकास, उत्थान न हो ।

आज सारी दुनियां इस बात को स्वीकार कर रही है कि जिस रास्ते पर भारत के प्रधान मंत्री भारत को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उससे 21वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा धनवान यदि कोई देश होगा तो उस देश का नाम भारत होगा ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें ।)

मैं कहना चाहता हूं कि विश्व का सबसे धनाढ्य देश अमेरिका माना जाता है । 20 वर्षों से किसी अमेरिका राष्ट्रपति ने भारत आने की इच्छा व्यक्त नहीं की । वह यह मानकर चलते थे कि भारत एक कमजोर देश है, गरीबों का देश है, निर्बल देश है लेकिन आपने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साहब ने भारत आने की इच्छा व्यक्त की और 1-2 दिन नहीं बल्कि 5 दिन की यात्रा पर वह भारत आये और भारत से वापस जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की सराहना उन्होंने की । चाहे कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, विपक्ष ने चाहे जो आरोप लगाये हों लेकिन इस बात को कहीं भी नकारा नहीं जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के मस्तक को ऊंचा करने का काम जिस प्रधान मंत्री ने किया उस प्रधान मंत्री का नाम अटल बिहारी बाजपेयी है ।

(मेजों की थपथपाहट)

आज परमाणु दल का सदस्य भारत बन चुका है । ताकतवर देशों की कतार में आकर भारत खड़ा हो गया है । उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिये केन्द्र सरकार ने अनेक उपाय किये हैं । अभी यहां पर वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन की बात यहां पर आयी । किसानों के हितों पर किसने चोट किया था यह किसी से छिपा नहीं है । आपने उदारीकरण, भूमण्डलीकरण किया । आपके सिद्धान्त को व्यवहारिक रूप से हमने स्वीकार किया है । अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सबके साथ खड़ा होना पड़ेगा ।

आज विश्व एक ग्लोबल विलेज बन चुका है । देश इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से अलग नहीं हो सकता है । आपने देखा होगा कि दिसम्बर, 99 में सियेटल में वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन की बैठक हुयी उसके चेयरमैन माइकमूर थे । उन्होंने अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को पारित होने के लिये बहुत सारे सदस्यों को सहमत भी करा लिया लेकिन भारत ने देखा कि भारत के किसान, भारत के गरीबों के हितों पर चोट पहुंच रही है । भारत ने अपनी टांग अड़ा दी उसके कारण डब्लू०टी०ओ० में अमेरिका का वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका । फिर माइक मूर दौड़े-दौड़े भारत आए प्रधान मंत्री कार्यालय में पहुंचकर

माइक मूर ने कहा मैं इसे स्वीकार करता हूं कि आज तीसरी दुनियां में अगर कोई देश नेतृत्व कर रहा है तो वह भारत नेतृत्व कर रहा है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस पार्टी और जिन सहयोगी दलों की यहां सरकार है लगभग उसी पार्टी और उन्हीं सहयोगी दलों की केन्द्र में सरकार है। वहां अन्य सहयोगी दल भी हैं वहां पर भी किसी भी सूरत में भारत की स्वायत्तता पर आंच नहीं आने दी जायेगी। भारत की सम्प्रभुता पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने दी जायेगी। यह मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं, व्यापारियों के साथ भी हमने संवाद स्थापित किया उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया अपने शिक्षक बंधुओं की समस्याओं का समाधान किया।

श्रमिक मित्रों की पंचायत बुलाई और आगे भी पंचायत बुलाने जा रहे हैं। पंचायतों का सिलसिला समाप्त नहीं होगा तथा पंचायतें मुख्य मंत्री आवास में होंगी क्योंकि मैं मानता हूं कि सभी मनुष्यों के अन्दर मान और सम्मान की भावना बलवती होती है। पंचायत में सारे अधिकारी मौजूद रहते हैं। हमने जब किसानों की पंचायत बुलाई तो उसमें से कई लोग भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे कल्पना नहीं थी इस तरह से हमारा सम्मान किया जाएगा और उन्हें खरी खोटी सुनाने का अवसर मिलेगा। यह संवाद हीनता का संकट किसने पैदा किया जनता से दूरी किसने बनाई। बहुत से नेता तो ऐसे-ऐसे हैं जो अपनी ही पार्टी के किसी दूसरे नेता को अपने अगल-बगल नहीं बैठने देते हैं। वह अपने को गरीबों का मसीहा कहते हैं वह कहां से करीबों के मसीहा हो गए। हमारे यहां जाति और मजहब के आधार पर राजनीति करने की कोशिश किसने की। इसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं है। यथार्थ यह है कि हम अपने निहित राजनीति व स्वार्थ की पूर्ति के लिए सामाजिक समरसता को तार-तार कर देना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों को स्मरण दिलाना चाहता हूं मैंने शपथ लेने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में कहा था कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाना चाहते हैं जाति और मजहब के आधार पर प्रदेश को नहीं चलाना चाहते हैं बल्कि इंसाफ और इंसानियत के आधार पर प्रदेश सरकार को चलाना चाहते हैं। हम आगे भी पंचायत करने जा रहे हैं।

शिक्षकों की फिर से पंचायत कर रहे हैं। संस्कृत अध्यापकों, संस्कृत विद्वानों की पंचायत बुलाने जा रहे हैं। अरबी मदरसों के विद्यालयों में पढ़ाने वालों की पंचायत बुलाने वाले हैं। मैं अपनी सरकार को जाति और मजहब के आधार पर नहीं चलाना चाहता जैसा हमने कहा था वैसा ही करेंगे। अगर कहा था कि इंसाफ और इंसानियत के आधार पर सरकार चलायेंगे तो उसी आधार पर सरकार चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझसे यदि कहीं पर चूक हो जाती है तो मैं इसी सदन के अन्दर क्षमा मांग लूंगा और अगर कोई त्रुटि होगी तो उसको सुधार लूंगा। मैं जिद नहीं पकडूंगा कि जो कह दिया वही सच है श्रीमन् वैसे तो उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास की दृष्टि से भी हमारी सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाये हैं। इस प्रदेश के विकास की दृष्टि से भी हमने कई कदम उठाये लेकिन विडम्बना यह रही कि जिन लोगों ने इससे पूर्व में शासन की बागडोर संभाली उन्होंने देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति को जर्जर कर दिया। कभी भारत को मनहूस बनायेंगे कहा तो कभी भारत की अर्थव्यवस्था की जगह नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने की कोशिश की। जब 25 वर्षों तक इस प्रयोग में सफल नहीं हुए तब यह कहना शुरू कर दिया कि अब हम रूस के रास्ते पर चल कर भारत को ताकतवर नहीं बना सकते क्योंकि अब तो अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर देश है इसलिए अमेरिका के रास्ते पर चलेंगे। नियोजित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलते रहे। मैं, नियोजन होना चाहिए इससे इंकार नही करता। फिर खुली अर्थव्यवस्था आधुनिकीकरण भूमण्डलीकरण, उदारीकरण का दौर चला। कभी यह कहा जाता था कि हम भारत को रूस और अमेरिका बनाकर ही दम लेंगे लेकिन श्रीमन् भारत की प्रकृति को भारत के स्वभाव को पहचाना नहीं गया। मैं कहता हूँ कि हमारी पार्टी से कोई पूछे कि आप क्या चाहते हैं तो मैं विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि हम भारत को रूस और अमेरिका जर्मनी या जापान नहीं बल्कि भारत को

भारत बनाना चाहते हैं। जो आने वाले समय में महान भारत कहा जायेगा, वह भारत जो धनवान; ज्ञान विज्ञान में विश्व का नेतृत्व करने वाला होगा।

अभी इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी की बात हमारे प्रमोद जी ने की है तो आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए साफ्टवेयर के मामले में हमारा प्रदेश दूसरा राज्य है। दावा चाहे जो करे आंध्र प्रदेश दूसरा नहीं है वह तो नम्बर एक पर भी नहीं है यह तो लोगों की धारणा बन गई है कि उत्तर प्रदेश टेक्नोलोजी के मामले में बहुत पीछे है। हमें तीन वर्ष का समय चाहिए, भारत इन तीन वर्षों में विश्व का पहला देश होगा इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी के मामले में। यदि आज हमारी साख न होती तो मा० बिल क्लिंटन अमेरिका से चलकर भारत नहीं आते। मि० बिलगेट्स चलकर नहीं आते। विश्व में हमारे देश के लोगों ने अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। 5–10 वर्षों में ही भारत दुनियाँ का इन्फारर्मेशन टेक्नोलोजी के मामले में अग्रणी देश बनने जा रहा है। तो श्रीमन्, हम भारत को भारत बनाना चाहते हैं। आज 52 वर्ष हमें आजाद हुये हो गये हैं। हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर है अब तक हमें फेसिलिटी होनी चाहिए क्यों नहीं हुई ? जापान इतने बड़े विनाश के बाद ही कुछ वर्षों में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया है तो फिर जनसंख्या की दृष्टि से और योग्यता, प्रतिभा, क्षमता अंथवा ज्ञान–विज्ञान की हमारे पास क्या कमी है क्यों नहीं हम दुनियाँ की सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़े हो सके। क्यों नहीं हम अब तक अवस्थापना सुविधायें जनता को मुहइया नहीं करा सके ? हम अभी तक पक्की तो क्या कच्ची सड़कों को भी गाँव तक से नहीं जोड़ पाये हैं। जो कुछ प्रगति हुई है वह पिछले 10–12 वर्षों में हुई है। मैं अभी जिस विधान सभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आया हूँ वहाँ पर एक गाँव है "चकौरा" वहाँ पर आप बरसात में तो क्या कभी भी किसी भी गाड़ी में बैठकर नहीं पहुंच सकते। बरसात के दिनों में तो कोई जा ही नहीं सकता। अवस्थापना सुविधाओं में हमारी सरकार ने काफी प्रभावी कदम उठाये हैं।

खर्चों में कटौती की बात आ रही थी। हम खर्चों में कटौती करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि गनर की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किसने शुरू किया ? हमने नहीं शुरू किया। यह सिलसिला जारी रहा है। 9 हजार की संख्या में पुलिस कर्मी केवल लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। आज हमने इसमें 7 हजार की कमी कर दी है। हमने परिवर्तन कर दिया है। आज केवल 2 हजार की संख्या में लगे हुए हैं। इस तरह से श्रीमन्, 110 करोड़ रुपये की बचत हुई है और यह हम करने जा रहे हैं कि 50–100 की संख्या में पुलिस कान्स्टेबिल हर जनपद में भेजेंगे। खर्च में कटौती की बात कही जाती है कि सरकार में फिजूलखर्ची हो रही है। मंत्रिमण्डल की बैठक हुई थी। समिति मैंने बना दी है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री उसके संयोजक हैं। मैंने इनसे कहा था कि 30 तारीख के पहले मीटिंग हो जाय। चार दिन की छुट्टी हो गई इसलिये नही हो पाई। आज शाम को हो रही है।

श्रीमन्, हम किसी भी सूरत में फिजूलखर्ची नहीं होने देंगे। शासन और प्रशासन के खर्चों को हम कम करेंगे। हमने इस वर्ष इन खर्चों में कटौती करके 250–300 करोड़ की बचत करी। 110 करोड़ की बचत कर दी सुरक्षा नीति में परिवर्तन करके। फिजूलखर्ची को रोकने के लिये हम हर प्रभावी कदम उठाने के लिये तैयार हैं और यही हमने फैसला किया है। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय संकट की स्थिति में था लेकिन उसको उबारने में इस वित्तीय वर्ष में काफी हद तक हमको सफलता प्राप्त हुई है। मैं कुछ आंकड़े भी देना चाहता हूँ। हालाँकि मुझे आँकड़ों पर विश्वास नहीं रहा है फिर भी आँकड़े देना चाहता हूँ। 1999–2000 में राजस्व घाटा 7253 करोड़ था वह वर्ष 2000–2001 में 5891 करोड़ रह गया। पुनरीक्षित घाटा यदि हम देखें 5100–5200 करोड़ के आसपास है। हमारी कोशिश है कि इस वित्तीय वर्ष 2001–2002 में यह 4032 करोड़ तक पहुँचे और हमारी यह कोशिश है कि 2005 तक इस राजस्व घाटे में और भी अधिक हम कमी कर सकें। यह कह सकते हैं सभी सम्मानित सदस्य जो प्रतिपक्ष की बेंच पर बैठे हैं कि हम 2004–2005 तक की बात क्यों कर रहे हैं ? मैं 2004–2005 की

बात इसलिये कर रहा हूँ कि यह तो विधान सभा के कार्य काल का अंतिम वर्ष है । मैं आश्वस्त हूँ और आप सब को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगली बार भी किसी की सरकार बनी तो वह हमारी ही बनेगी । इसलिये इस राजस्व के घाटे को आगे आने वाले समय में कम करने की चिन्ता करना हमारा कर्तव्य है, हमारी चिन्ता है । सरकार अगर किसी की बनेगी तो वह हम ही बनायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह अंतिम वर्ष है या अंतिम वित्तीय वर्ष है ?

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, यह अंतिम वित्तीय वर्ष है । संशोधन कर सकते हैं तो अध्यक्ष महोदय कर सकते हैं । मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है । उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये व्यापार भार की दरों को सुधारने का भी उत्तरदायित्व हम सुनिश्चित करेंगे । जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त किया अथवा नहीं किया । जहां तक विकास दर का प्रश्न है 1999–2000 में 6.5 प्रतिशत विकास की दर रही है । राष्ट्रीय औसत विकास दर के बराबर है । गरीबी दूर करने के लिए भी हमारी सरकार ने प्रयास किया है और इसमें भी सफलता प्राप्त हुई है । 1994–95 में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का प्रतिशत 41.3 था वह घटकर 31.5 हो गया है । कठोर वित्तीय अनुशासन लागू करने की हम कोशिश कर रहे हैं ।

श्रीमन्, हम उत्तर प्रदेश वासियों को निश्चित रूप से इस बात का गर्व होना चाहिए कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में इस हिन्दुस्तान में हमारे राज्य की जो स्थिति है वह है हमारा राज्य खाद्यान्न में नम्बर एक पर है । गेहूँ में हमारा राज्य नम्बर एक पर है, गन्ने में हमारा राज्य नम्बर एक पर है । आलू, दूध और चीनी में भी नम्बर एक पर है। श्रीमन्, इस सम्मानित सदन के सदस्य सहमत होंगे किसी देश और प्रदेश के विकास के लिए पहली शर्त होती है उस प्रदेश में अमन चैन का राज्य होना चाहिए । जिस समय कई माननीय सदस्य विचार व्यक्त कर रहे थे उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, चरमरा गई है कानपुर के दंगो का उल्लेख किया, कानपुर में दंगे नहीं हुए, जो घटना घटित हुई उस पर चटपट काबू पाने में हमारी सरकार सफल रही है । पीड़ित परिवारों के साथ जो कुछ भी किया जा सकता था वह न्यायसंगत हमने किया है । प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन सत्तापक्ष की जिम्मेदारी है या प्रतिपक्ष जिम्मेदार है कानपुर की रिपोर्ट आने दीजिए उसके बाद सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा कि वहां के दंगों के लिए कौन जिम्मेदार था । वहां की घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार था । सचमुच कानून व्यवस्था को हम आदर्श की स्थिति बनाना चाहते हैं । यह काम एक–दो दिन या एक दो साल में नहीं हो सकता है । लोगों के चिन्तन सोच, विचारों में परिवर्तन होना चाहिए । मैं यह मानकर चलता हूँ । राजनीति जैसा मैंने कहा कि यह साध्य नहीं होना चाहिए साधन होना चाहिए सामाजिक, सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए । राजनीति से सत्ता प्राप्त करनी है यह नहीं होना चाहिए । सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समाज को आगे बढ़ाना चाहिए ।

इसी तरह से कहना चाहूँगा कि लालबत्ती और नीली बत्ती का सिलसिला चला । लालबत्ती और नीली बत्ती का बहुत दुरुपयोग हो रहा है लेकिन अब पहली मई के बाद इसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा । लाल बत्ती और नीली बत्ती के लिए जो अधिकृत हैं वही उसको जला पाएँगे चाहे वह कोई नेता हो चाहे कोई अधिकारी हो अगर वह अधिकृत न होते हुए भी इसका दुरुपयोग करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी । हूटर लगाकर चलाते हैं और यह भी जानकारी मिली है कि कुछ शरारती तत्व सायरन बजाते हुए निकलते हैं लेकिन अब यह नहीं होने दिया जायेगा ।

श्रीमन्, हमारा प्रशासन किस रूप में चल रहा है इसके कई उदाहरण मैं नहीं देना चाहता हूं । एक उदाहरण पर्याप्त है । जिस इलाहाबाद से आप आते हैं वहां पर महाकुम्भ का आयोजन हुआ । दुनिया में

इससे बड़ा एकत्रीकरण कभी नहीं हुआ होगा । भगवान आगे भी महाकुम्भ में संख्या बढ़ाये । तरह-तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं कि वहां पर निश्चित रूप से घटना घटित होगी । आई० एस० आई० गतिविधियों से सारा देश चिन्तित है । संसद में मैं रह चुका हूं वहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही चिन्तित हैं । लेकिन ऐसी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था थी कि एक भी घटना घटित नहीं हो पायी ।

मान्यवर, लगभग 113 देशों से लोग वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे और बहुत से लोग तो सिर्फ देखने के लिए पहुंचे । हमारे विदेशी मित्रों ने बताया कि यहां पर इतना कवरेज नहीं था जितना कि दूसरे देशों में था । दो-दो पेज का कवरेज था पूरे चित्रों के साथ वर्णन था । सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में इसकी सराहना हुई । इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ऐसा हुआ होगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में महामहिम राष्ट्रपति ने इस महाकुम्भ के सराहनीय कार्य के लिए महामहिम राज्यपाल जी को बधाई दी । अब कैसे और आप आंकलन करना चाहते हैं । हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के काम करने के बारे में चर्चा हुई । मान लीजिये खराब हुआ, गिरावट हर क्षेत्र में हुई है, लेकिन इसके लिए एक संस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है । इसके लिए उत्तरदायितव हम सबका है और इस सिस्टम का जो फ्ल्योर है इसको हम कैसे सुधार सकते हैं इसको हमको मिलजुलकर रचनात्मक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए । जो डिटोरियेशन आया है, हमारे पंडित जी वाराणसी के बैठे हैं, वह भी चिन्ता व्यक्त करते रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं । हमारी पूरी कोशिश है कि हम आम आदमी की सुरक्षा करें और इसके लिए आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहिए । हमने कई प्रभावी कदम उठाये हैं । अभी आप लोगों की जानकारी में भी आया होगा कि कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गये और उनके पास से हथियार बरामद हुए ।

उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है । आई०एस०आई० गतिविधियों में लिप्त कई लोग पाये गये । आम आदमी को सुरक्षा मिले । लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए कभी-कभी भड़काने की कोशिश की जाती है कि हम लोक सभा या विधान सभा का चुनाव जीत जायें, हमारी पार्टी की सरकार बननी चाहिए यदि यह लक्ष्य रहेगा तो वह रास्ते से भटक जायेगा । अल्पसंख्यक और माइनारटीज के बारे में यह कहा जाता है कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यह निगल जायेगी, सरेआम कत्ल कर देगी । कई बार दंगा भी हुआ । श्रीमन्, इसी उत्तर प्रदेश में हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं उनको भी जानकारी होगी कि कोई भी ऐसा प्रदेश शेष न बचा था जहां दंगा न हो । हमारा कहना है कि निहित राजनीतिक लक्ष्यों के स्वार्थ की बात मैं नहीं कहता हूं । केवल सत्ता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माइनारटीज के अन्दर सेन्स आफ फियर पैदा करने की कोशिश की जाती है । भयभीत किया जाता है कि डकार जायेगी सरेआम कत्ल कर देगी । हम केन्द्र में भी हैं यहां भी हैं । हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए उन्होंने बस में बैठकर यात्रा शुरू कर दी ।

(विपक्ष के कई सदस्य कहने लगे कि बांग्लादेश राइफल्स ने हमारे जवानों की आंखे निकाल दी)

हमारी सरकार ने कहा है कि उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा । हमारे बहादुर सैनिक चुप नहीं बैठेंगे आप लोग क्या बात करते हैं कश्मीर की स्थिति देखिये कौन उत्तरदायी है ?

तो मैं कह रहा था कि आज माइनारटीज के अन्दर भय पैदा किया जाता है । यहां जहां तक हमारी सरकार का सवाल है मैं पूरे माइनारटीज को अल्पसंख्यक समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आपका विश्वास अर्जित करना चाहते हैं । हम आपके अन्दर सेंस आफ फियर पैदा करके विश्वास अर्जित नहीं करना चाहते बल्कि सेंस आफ कांन्फिडेंस पैदा करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहटें) । मान्यवर, कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए हमने अपने पुलिस एडमिस्ट्रेशन को स्ट्रेन्थन करने की भरपूर कोशिश की और प्रभावी

कदम उठाये हैं । पांच वर्ष की एक योजना तैयार भी की है एक हजार करोड़ रुपये की आधुनिकीकरण योजना ।

हेड कांस्टेबिल को विवेचना का अधिकार हम दे रहे हैं ताकि मामलों की शीघ्रातिशीघ्र विवेचना हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आरोप-पत्र दाखिल होते हैं उनकी पैरवी भी ठीक तरह से होनी चाहिए ताकि अपराधी फिर जेल से बाहर न आने पाये और अपराध उसने किया है तो वह दण्डित किया जाये ।

(विपक्षी सदस्यों की टोका-टाकी के बीच)

मान्यवर, कई घटनायें देखी होंगी कि कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं पर गड़बड़ हो जाती है तो उसमें शराब का करिश्मा भी रहता है । हमारे आबकारी मंत्री जी ने बहुत प्रभावी कदम उठाया अच्छा प्रस्ताव मंत्रिमण्डल के सामने लेकर आये वे बाधई के पात्र हैं । लम्बे समय तक केवल 12-13 लोगों का वर्चस्व बना हुआ था कोई दूसरा चाहता भी था तो नहीं ले पाता था । जिनका वर्चस्व था जो कीमतें निर्धारित होती थीं वह उनकी शर्तों पर होती थीं । हमने आबकारी नीति में परिवर्तन कर दिया सबको जानकारी है । पहले किसी सरकार ने वर्चस्व समाप्त नहीं किया था हमारी सरकार ने इसे किया है । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) । इसके पहले भी विचार होता था कि आबकारी नीति में परिवर्तन होना चाहिए लेकिन जब इधर ध्यान जाता था तो यह जेब करने नहीं देती थी जो गत वर्ष शराब की नीलामी हुई पुरानी आबकारी नीति के तहत उसमें 1839 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई । जो नीति अब लागू की है उसमें हमारी कोशिश होगी कि यह राजस्व बढ़कर 2406 करोड़ रुपये तक पहुंच जाये । लाइसेन्सिंग व्यवस्था हमने लागू की है मैं जब आबकारी के ऊपर चर्चा करता हूं तो लगता है कि कहीं हमारे मित्रों के मुंह में पानी न आ जाये ।

श्रीमन्, प्रारम्भ ही में मैंने कहा था कि सरकार का काम काज का केन्द्र बिन्दु, गांव-गरीब-किसान है । इस सत्य को कोई नहीं नकार सकता कि उत्तर प्रदेश अथवा इस देश की अर्थ-व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो गांवों के किसानों की आर्थिक हालत में हमको परिवर्तन करना होगा । उस दृष्टि से हमने कई प्रभावी कदम उठाये हैं हमारी यह कोशिश जरूर रहती है कि हमको सफलता कहां तक मिल पाई इसे स्वीकार करते हैं कि जितनी चाहते थे उतनी सफलता नहीं मिली है । किसानों को उनके उत्पाद की उचित कीमत मिल जाय क्या इसके पहले कभी भी 1500, 1600 की संख्या में धान क्रय केन्द्र इस उत्तर प्रदेश में खुले थे । कोई यह कह सकता है कि आपकी गलत नीतियों के कारण धान क्रय केन्द्र खोलने की बात आ गयी नहीं तो यह स्थिति पैदा नहीं होती कोई कहता है कि बिचौलिये आ गये लेकिन, मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमने पूरी कोशिश की है कि यह स्थिति न पैदा होने पाये, हो सकता है हो गयी हो फिर भी 36 ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध हमने दंडात्मक कार्रवाई की है ।

आलू श्रीमन्, जब पैदा हुआ था 80-90 रुपये प्रति कुन्तल बिक रहा था मैं तो गांव का रहने वाला हूं और उस गांव का रहने वाला पंडित जी, अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकपति त्रिपाठी के स्वर्गीय पिता पंडित कमला पति त्रिपाठी, मैं बच्चा था तो मुझे याद है कि वह हमारे गांव जाते थे, घर जाते थे और मैं अपने हाथ से उन्हें पानी पिलाता था । वह अच्छी तरह से हमारे परिवार से परिचित हैं । मैं आलू का किसान हूं, मैं जानता हूं कि आलू के किसान का दर्द क्या होता है । हमने देखा कि 80-90 रुपया कुन्तल आलू बिक रहा है हमने कहा कि भारी मात्रा में आलू उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर भेजा जाना चाहिए लगभग 10 लाख मीट्रिक टन आलू बाहर भेजा । आलू के बाहर जाने के साथ ही आलू की कीमत बढ़ना प्रारम्भ हो गयी दो सौ, ढ़ाई सौ, तीन सौ और साढ़े तीन सौ आई । अब प्रतिपक्ष इसमें भी और धन में भी दोष निकाल रहा है जो कमी आलू में भी रह गयी तो उसमें भी दोष निकाल रहा है तो क्या

आलोचना के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, क्या आंख बन्द करके आलोचना के लिए ही आलोचना की जानी चाहिए ।

गेहूं के मामले में में वित्तीय कठिनाइयां हैं लेकिन यह वित्तीय प्रबन्ध करने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है । यहां 4000 से अधिक लगभग 4100 गेहूं क्रय केन्द्र खुले । मैं समझता हूं कि इसकी संख्या बढ़ गयी होगी पिछले वर्ष कितने अधिक गेहूं क्रय केन्द्र खोले गये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि कहीं पर एक, दो, तीन दिन खरीद में विलम्ब हुआ हो, हो सकता है कि और भी क्रय केन्द्र हों जहां पर विलम्ब हो रहा हो । मैं किसानों से कहना चाहता हूं कि वह धैर्य से काम लें, हमारी कोशिश होगी कि तब तक गेहूं का क्रय इन क्रय केन्द्रों के माध्यम से होता रहेगा जब तक गेहूं की कीमत समर्थन मूल्य 6.10 रु० से ऊपर न पहुंच जाय, तब तक हम गेहूं की खरीद करते रहेंगे । उत्तर प्रदेश के इतिहास में बाजार को नियंत्रित करने की दिशा में किसी सरकार ने इस प्रकार के प्रभावी कदम नहीं उठाये जितने हमारी सरकार ने उठाये हैं ।

जहां तक धान का प्रश्न है यदि धान की खरीद हमने न करायी होती तो 270–280 और ज्यादा से ज्यादा 300 से अधिक धान की कीमत न बढ़ने पाती । लेकिन यदि न्यूनतम किसी को प्राप्त होगा 4 सवा 4 सौ और पश्चिम में तो समर्थन मूल्य के बराबर प्राप्त हुआ है नहीं तो 5 सवा 5 सौ में किसान ने अपना धान बेचा है । श्रीमन्, गन्ना किसानों के बारे में कहना चाहता हूं कई गन्ना मिलें वर्षों से बन्द पड़ी हैं, हमने प्रभावी कदम उठाये हैं । गन्ना उद्योग सचमुच हमारे उत्तर प्रदेश का प्रमुख ही नहीं बल्कि प्रमुखतम उद्योग है । हम इस गन्ना उद्योग को मरने नहीं देंगे । जब तक गन्ना उद्योग चलता रहेगा उससे हमारे गन्ना किसानों का भी कल्याण होगा ।

हमने यह फैसला किया है, वैसे तो 31 दिसम्बर, 2000 गत वर्ष की अपेक्षा 2000 करोड़ का अधिक गन्ना भुगतान किया है और गत वर्ष की तुलना में वर्तमान पेराई सत्र में 28 से 32 लाख टन अधिक गन्ना पेरा गया है और चीनी मिलों को चालू करने के लिए हम निजी पूंजी निवेश पर बल दे रहे हैं, कई निजी पूंजीनिवेश करने वाले लोगों से बातचीत हो चुकी है, उनकी सहमति है, वह कार्य प्रारम्भ करने जा रहे हैं । किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पिछले साल 17 लाख की संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये थे, इस वर्ष और अधिक संख्या में हम क्रेडिट कार्ड वितरित कराने जा रहे हैं । इसी प्रकार 30 जून तक हम किसान के पास खतौनी की नकल उसके दरवाजे तक पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे । पहली बार यह कदम उठाया गया है । किसानों के साथ वैसे निरन्तर हमारा संवाद बना हुआ है और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कृषि नीति के बारे में कहा था कि कोई कृषि नीति नहीं है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कृषि नीति प्रदेश सरकार की भी है और कृषि नीति केन्द्र सरकार की भी है।

सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश में नहरों की लम्बाई 52 हजार किमी० से अधिक है और वर्षों बाद हमारी सरकार ने नहरों की सफाई का अभियान चलाया और इस दिशा में सिंचाई मंत्री ने प्रभावी कदम उठाया है । अब तक 26 हजार किमी० नहरों की सफाई हुई है और केवल माइनर की ही नहीं, बल्कि रजबहों की भी सफाई हुई है । हमारा लक्ष्य है कि जितनी भी शेष नहरें बची हैं, जहां पानी की निकासी में बाधा है, उनकी सफाई करा सकें, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं । श्रीमन्, इस वर्ष 13 परियोजनाओं को पूरा करके हमने 7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता बढ़ाई है और सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि यह है कि इस साल किसानों के बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए, खेती के कामकाज में नई तकनीक का प्रयोग हो सके, नई तकनीक विकसित की जा सके, इस दिशा में मेरठ में सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है ।

एक प्रश्न कई सम्मानित सदस्यों द्वारा खड़ा किया गया था कि बहुउद्देशीय कर्मी की व्यवस्था हो जाने के कारण सिंचाई की जमाबन्दी ठीक तरह से नहीं हो पाई है, इसे मैं स्वीकार कर लेता हूं, मैं इसे पूरी तरह से नकारता नहीं हूं, लेकिन वह जो पूरानी व्यवस्था थी, उसमें हम संशोधन करने का विचार गम्भीरतापूर्वक कर रहे हैं। आगामी 15 दिन में हम इस संबंध में निर्णय ले लेंगे। कोशिश यही है कि सींचपाल को पुनः सींचपाल के पद पर स्थापित कर दिया जाये। हमारी सरकार ने एक और फैसला किया है, 2-3 महीने पहले की बात है। जमीन बंधक रखकर एक लाख रुपये ऋण के दस्तावेज पर अभी कोई भी एक कौड़ी स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा।

मान्यवर, सभी जानते हैं कि रोजगार का बड़ा संकट है, वैसे केन्द्र सरकार का भी फैसला है और बहुत पुराने समय से वर्ल्ड बैंक का सहयोग प्राप्त करके, जिसमें पिछली कांग्रेस सरकार भी थी, यह कहा था कि हम रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने तमाम कंडीशंस इम्पोज कर दी हैं, कुछ शर्तें थोपने की कोशिश की है। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने कुछ रोजगार के अवसर सृजित किया है, इस वित्तीय वर्ष में भी हम और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। लगभग 13 लाख भिन्न-भिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किये हैं और आगे भी हम करेंगे। लोग यह कह सकते हैं कि बहुत सारी रिक्तियां पड़ी हैं। यह सच है कि रिक्तियां हैं लेकिन चाहते हुए भी कुछ रिक्तियों पर नियुक्तियां नहीं हो सकतीं। हमने केन्द्र सरकार के साथ भी, अन्य राज्यों के भी समझौता पत्र, एम० ओ० यू० पर हस्ताक्षर हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ भी समझौते हुए हैं फिर भी हमारी सरकार ने फैसला किया है और कुछ ही महीनों में हम भारी संख्या में पदों का विज्ञापन करने जा रहे हैं ताकि नौजवानों को सेवा का अवसर मिल सके। आंकड़े भी सामने आ गये हैं। आवास की व्यवस्था, गांव में यह भी एक संकट है इन्दिरा आवास एवं अन्य लाभार्थियों को हम यह मुहैया करा रहे हैं और ग्राम सभा की खुली बैठक में यह फैसला किया जाता है और आवास आवंटन में कुछ गड़बड़ियां जो हुई हैं, मैंने अपनी समीक्षा बैठकों में भी इस पर विचार किया है। इस वर्ष एक लाख 40 हजार आवास बनकर तैयार हो जायेंगे यह प्रयास है, केवल बन कर तैयार ही नहीं आवंटित भी कर दिये जायें यह प्रयास है।

मैं इस सदन के माध्यम से भारत के प्रधान मंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी बाजपेयी को बधाई देना चाहता हूं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उन्होंने फैसला किया है कि 2003 तक अब हिन्दुस्तान का एक भी गांव ऐसा शेष नहीं बचेगा जिसकी आबादी एक हजार की हो और वह प्रमुख मार्गों के साथ, पक्की सड़कों के साथ न जुड़ जाए। इतना ही नहीं केवल हमने एक हजार की आबादी वाले गांवों की ही चिन्ता नहीं की बल्कि सारे पुरबे जिनकी आबादी 500, 300, 400 या 200 है, 2007 तक इन सारे गांवों को भी पक्की सड़क के द्वारा प्रमुख मार्गों से जोड़ दिया जायेगा। पेयजल की जो बात है, मेरी समझ में यह बात नहीं है, सचमुच आजादी के 15 वर्षों के अन्दर पेयजल की सुविधा मिल पायी। यह बहुत बड़ा संकट है लेकिन प्यास से हमें निजाद नहीं मिल पायी। हमने प्यास बुझाने का फैसला किया है। इसके लिए हमने लक्ष्य भी निर्धारित किया है। 61453 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। इस वर्ष पेयजल की व्यवस्था, हैण्डपम्प और उसके सुदृढ़ीकरण पर 416 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे, यह फैसला हमने किया है। गत वर्ष पंचायतों को 2900 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये। हमारे पंचायती राज मंत्री ने अच्छा कदम उठाया है और उन्होंने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश की एक भी पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जिसमें कि न्याय पंचायत भवन बनकर तैयार न हो जाए।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, विधान सभा के सदस्य को जो 50 हैण्ड पम्प लगवाने की व्यवस्था थी और जिला योजना के अतिरिक्त माननीय सदस्यों को हैण्ड पम्प दिये जाने का प्राविधान था, इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं कि 50 हैण्डपम्प के बजाय 100 कर दिये जायें।

श्री राजनाथ सिंह–

मैं इसको देखूंगा ।

एक प्रश्न और जिस पर विचार आया जो हमारे ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, ग्राम प्रधान आम मतदाता द्वारा चुने जाते हैं लेकिन 10–15 लोग बैठकर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं और प्रधान जी की छुट्टी हो जाती है । हम इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं कि यदि ग्राम प्रधान आम मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है तो आम मतदाताओं के द्वारा ही उसे हटाया भी जाना चाहिए । इस संबंध में हम विचार कर रहे हैं । शहरी विकास की दृष्टि से भी हमने कई प्रभावी कदम उठाये हैं और हमारे शहरी विकास मंत्री ने इसमें विशेष रुचि ली है और सराहनीय कार्य किये हैं । अब तेजी से नगरीकरण बढ़ रहा है । राजमार्गों और सेतुओं को बनाने का निर्णय किया है 6 राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है । जब मैं भूतल परिवहन मंत्री के रूप में कार्य कर रहा था उस समय जो प्रस्ताव आये थे मैंने उन्हें स्वीकृति दी थी ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, लखनऊ–हरदोई मार्ग का क्या हुआ ?

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार ने भेजा है उसको परशू करने की कोशिश करूंगा । संभागीय और उपसंभागीय करण के लिए कम्प्यूटर भी दिया जाता था जो चल रहा है । इसमें 305 लाख रुपये की व्यवस्था कर दी है आश्रय योजना चलायी गयी है जो निम्न आय वर्ग के लिए है । 5319 आश्रय रहने की व्यवस्था की जा चुकी है । भाऊराव देवरस के 29288 भवन आवंटित किये जा चुके हैं । मलिन बस्तियों के सुधार के लिए कार्यक्रम चलाया जाना था वह चल रहा है । भू-माफियाओं द्वारा सार्वजनिक भूमि पर कब्जा आम बात है, लेकिन अब सार्वजनिक भूमि पर भू-माफियाओं का कब्जा नहीं रहने पायेगा । उनको हटाने के लिए प्रभावी कदम उठा लिये हैं । श्रीमन् मैं रघुवर दयाल वर्मा के मन की बात को जानता हूं । यह सरकार काम कर रही है कोई भी हो चाहे भाजपा या सपा या बसपा या कांग्रेस का होगा सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने के लिए दोषी पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री संजय गर्ग जो हमारे सदन के प्रतिभा सम्पन्न ऐसे सम्मानित सदस्य हैं सचमुच संजय जी के मान में सम्मान की बात कैसे कहूं इनके प्रति स्नेह रहा है । इन्होंने एक शिकायत की है उस पर मैंने ध्यान दिया है । जो दोषी पाये जायेंगे कोई किसी पार्टी का हो हर फैसले दलगत नहीं होने चाहिए । काम को राजनीतिक नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए ।

उद्योग और व्यापार की दृष्टि से हमारी सरकार ने प्रभावी कदम उठाये हैं ।

* श्री आर्य रामसरन–

सम्पत्ति की घोषणा करा दें ।

श्री राजनाथ सिंह–

शायद जो उप चुनाव हुआ है उस पर हमारे सम्मानित सदस्य जीत कर आये हैं । मैं सामान्य शिष्टाचार का निर्वाह नहीं कर पाया हूं तो मैं लोकदल के सम्मानित सदस्य का स्वागत करता हूं । यह अच्छा हुआ आपने इतना न कहा होता तो हमारा ध्यान ही न जाता ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, औद्योगिक क्षेत्र में 8 प्रतिशत ग्रोथ रेट है जबकि नेशनल औसत 6.7 का है। ग्रोथ रेट को और बढ़ाना चाहते हैं। जैसा मैंने बतलाया 3500 करोड़ रुपये का साफ्टवेयर निर्यात कर रहे हैं। साफ्टवेयर निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश इस हिन्दुस्तान का दूसरा राज्य है। उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, चुर्क, डाला, चुनार सीमेन्ट फैक्ट्रियां हैं। हमारी सरकार नहीं थी, उनके 9 मजदूरों को गोलियों से भून दिया गया। उस उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन को चलाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाया है और मेरा विश्वास है कि उसमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। श्रमिकों, मजदूरों के जिस्म से जो खून गिरा है आज भी वहां पर शहीद स्मारक बना हुआ है, मजदूर भूले नहीं हैं। चुनार, डाला और चुर्क के सीमेन्ट मजदूर ही नहीं दस हजार से बड़ी संख्या में मजदूर वहां काम कर रहा है। एक पूंजीपति को प्रवेश दिलाने के लिए नौ मजदूरों पर गोली चला दी गयी। आज भी उनके खून के धब्बे मिटे नहीं हैं इसीलिए यह दायित्व संभालते हुए यह फैसला किया कि उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन चलना चाहिए मजदूरों के पेट पर लात नहीं मारी जानी चाहिए। उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रस्ताव तैयार हो गया है।

श्री अम्बिका चौधरी–

इसी विधान सभा के सामने एक मजदूर को तड़पते हुए, मरते देखा था इस प्रदेश की जनता ने।

श्री राजनाथ सिंह–

गोली किसने चलवायी ? गोली नहीं चलनी चाहिए, ठीक नहीं हुआ। इंस्पेक्टर राज के कारण बहुत सारे औद्योगिक इकाई बिल्कुल काम नहीं कर पाती हैं इंस्पेक्टर राज के भय से। हमारी सरकार ने फैसला कर लिया है कि इंस्पेक्टर राज उत्तर प्रदेश में नहीं चलने पायेगा। कोई इंस्पेक्टर किसी औद्योगिक इकाई का निरीक्षण करने तभी जायेगा जब वह जिलाधिकारी और मण्डलायुक्त की परमीशन ले ले। कुछ प्रतिपक्ष के मित्रों ने समाचार-पत्रों में बयान देकर यह प्रचारित करने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में पुनः इंस्पेक्टर राज कायम हो गया है इतनी भ्रम नहीं फैलानी चाहिए।

पूंजी निवेश की दिशा में हमको अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जनवरी, 2001 तक चार हजार इक्यावन इच्छा पत्र जिसमें 78,790 करोड़ रुपये का निवेश निहित है, प्राप्त हुए। इनमें 45,770 करोड़ रुपये के 2183 प्रस्तावों का क्रियान्वयन पूर्ण हो चुका है। 198 प्रस्तावों पर सक्रियता के साथ क्रियान्वयन करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। 12,668 करोड़ रुपये का निवेश निहित है। अवस्थापना सुविधाओं में निरन्तर वृद्धि कर रहे हैं। कई प्रभावी कदम उठाये हैं। नोयडा और ग्रेटर नोयडा को दिल्ली से जोड़ने के लिए एक ब्रिज का उद्घाटन अभी कुछ महीने पहले किया है। अब दिल्ली से नोयडा 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है। दिल्ली प्रदेश सरकार ने अपने यहां से भारी संख्या में उद्योगों को बाहर कर दिया है।

उद्योग चलाने वाले दिल्ली से बाहर कर दिये गये मैंने स्वयं वहां के मुख्य मंत्री से बात की और मैंने कहा कि मैं आपका सहयोग करना चाहता हूं जो भी उद्योगपति दिल्ली से बाहर निकाला जा रहा है वह नोयडा, गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में अपनी इकाई लगाना चाहता है तो हम तैयार हैं हम उसका पंजीकरण करेंगे और उसको भूमि देने के लिए तैयार हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलीटीज देने के लिए तैयार हैं।

श्रीमन् इसका परिणाम यह हुआ कि उद्योगपतियों के साथ हमारी बैठक हुई जिसमें 900 उद्योगपति उपस्थित हुए और हमारी अपील का असर यह रहा कि 3000 से अधिक उद्योग उत्तर प्रदेश में आये। उनके लिए भूमि अधिग्रहण करने का काम प्रारम्भ हो गया है और काफी हद तक पूरा हो चुका है अगर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक न होती तो कैसे उद्योगपति दिल्ली से चलकर हमारे यहां आते। मान्यवर, खाद्यान्न जो पैदा हो रहा है उसकी उचित कीमत मिलनी चाहिए केवल क्रय केन्द्र खोलकर उसकी उचित कीमत नहीं दी जा सकती खाद्यान्न के प्रोसेसिंग की व्यवस्था, प्रसंस्करण की व्यवस्था होनी

चाहिए इसलिए फूड प्रोसेस प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने की दिशा में योजना बनाई है और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इससे बहुत सारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा ।

इसी तरह से प्रदेश में गैस ग्रिड की योजना तैयार हो चुकी और उस पर कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है । श्रीमन् बवासी आयल कम्पनी से तथा शेल आयल कम्पनी से 1500 करोड़ और यूकाल कम्पनी से 2500 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर हुए जो हमारे उद्यमी हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके इसलिए 60 दिन में समस्त स्वीकृतियां एक ही स्थान से प्रदान की जायेंगी यह व्यवस्था की गई है । पूंजी निवेश की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है कई लोग आ चुके हैं और उनके साथ समझौते हो चुके हैं और पूंजीनिवेश की संभावनाएं बलवती होती चली जा रही हैं

मान्यवर, ऊर्जा का संकट है इसको हम स्वीकार करते हैं लेकिन यह ऊर्जा संकट एक दो दिन में नहीं पैदा हो गया है, इस सरकार के आने के बाद नहीं पैदा हो गया है । मुझे स्मरण है कि रेवतीरमण सिंह जी और प्रमोद कुमार जी ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं वह सारी कठिनाइयों से परिचित हैं । आज जो संकट पैदा हुआ है उसका कारण है कि आनपारा की 500 यूनिट की मशीन का ब्वायलर ट्यूब में रिसाव होने के कारण वह बन्द हो गयी उसके ठीक होने में 4 दिन का समय लगेगा तब स्थिति में कुछ सुधार आयेगा इतना ही नहीं मैंने कोयले के बारे में समाचार-पत्रों में पढ़ा मैंने इसका संज्ञान लिया मैं समाचार-पत्रों को बहुत गंभीरता से पढ़ता हूं मैं देखूंगा कि कोयले की किल्लत कैसे पैदा हुई और क्यों हुई अगर आवश्यक हुआ तो जवाबदेही सुनिश्चित करूंगा कि कोयले की किल्लत कैसे पैदा हुई ?

श्रीमन् राज्य विद्युत परिषद् के सुधार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है मैं इस पर सार्वजनिक सभाओं में जनता के बीच खुलकर बोलता हूं । जितनी बिजली की आवश्यकता है मैं चाहकर भी उत्तर प्रदेश को 4 वर्ष में भी उतनी बिजली नहीं दे सकता ।

मैं प्रदेश की जनता को फरेब नहीं देना चाहता हूं, धोखा नहीं देना चाहता हूं । मैंने कहा है कि हमारी सरकार पारदर्शी है और हम इस पारदर्शिता को कायम रखना चाहते हैं । मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ घण्टे बिजली की आपूर्ति और बढ़ायी जाय चाहे केन्द्र से लेना पड़े । किसी भी जनरेटिंग इकाई को 2-4-6 महीने में प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है । एक यूनिट स्थापित करने में कई वर्षों का समय लगता है । विष्णुप्रयाग में इकाई की स्थापना के लिये हम सतत प्रयत्नशील हैं । विद्युत नियामक आयोग विद्युत दरें तय करता है । लेकिन आयोग ने कोई दर तय की और उससे यदि किसान के हितों को चोट पहुंच रही होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी देकर किसानों को बिजली मुहैय्या करायेगी और किसानों तथा गरीबों के हितों की रक्षा करेगी । किसानों को इस सरकार ने सुविधायें दी हैं । पहले यदि किसान एक महीने तक बिजली का बिल नहीं जमा करता था तो उस पर सरचार्ज लग जाता था मैंने कहा है कि जब तक किसान की दूसरी फसल पैदा न हो, लगभग 6 महीने में किसान यदि बिल जमा करता है तो उस पर सरचार्ज नहीं लगेगा । (मेजों की थपथपाहट) हमारे पश्चिम में किसानों को जुगाड़ लगाना पड़ता था । हमने इसको खत्म किया है और ट्राली पर से रजिस्ट्रेशन शुल्क को माफ कर दिया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय मुख्य मंत्री जी जुगाड़ करके सरकार भी चला रहे हैं ।

श्री राजनाथ सिंह–

चाहे जैसे बने, अगली सरकार भी हमारी बनेगी । श्रीमन्, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में मैं सदन को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं जिससे सरकार की संवेदनशीलता का अहसास किया जा सकता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, एक आग्रह मैं करना चाहता हूं कि माननीय प्रमोद कुमार जो जुगाड़ फिट न होने के कारण बड़े परेशान हैं। उनको भी आमंत्रित करना चाहिये कि जुगाड़ में फिट हो जायं। हम सब उनका स्वागत करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बहुत सोच समझकर उनका नाम डंग रखा गया है सरजीत सिंह डंग की जगह काऊ डंग, बफैलों डंग उनका नाम हो जाय, क्योंकि बात वह वैसी करते हैं।

श्री राजनाथ सिंह–

माननीय डंग जी ने जो इच्छा व्यक्त की है, आप चिन्ता मत करिये, फिट हो जायेंगे।

मान्यवर, मैं चर्चा कर रहा था कि इस सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किसानों के हित में लिया है। यदि किसान पर कहीं पर 10-15 रुपये बकाया होता था तो नायब तहसीलदार आदि पहुंच कर उसको पकड़ लेते थे और जेल के भीतर बन्द कर देते थे भले ही किसान का गेहूं का, धान का पैसा सरकार पर या किसी सरकारी अथवा अर्धसरकारी संस्थाओं पर बकाया हो। तो शासन ने एक आदेश जारी कर दिया है कि यदि किसान का किसी सरकारी या अर्धसरकारी संस्था पर कोई बकाया है तो किसान पर बकाये की वसूली के लिये उसको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। यह हिन्दुस्तान में पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, इससे हमारी संवेदनशीलता का अहसास किया जा सकता है।

ऊर्जा सुधार की दृष्टि से कई प्रभावी कदम उठाए गये हैं। बिजली की चोरी बहुत बड़ा संकट है इसके लिए औचक निरीक्षण का सिलसिला प्रारम्भ करने जा रहे हैं मा० ऊर्जा मंत्री और अधिकारियों से भी मैंने कहा। किस फीडर पर कितनी चोरी हो रही है इसीलिए औचक निरीक्षण का सिलसिला प्रारम्भ किया है इस बारे में समाचार-पत्रों में पहले से ही सारी जानकारी आ चुकी है जो इसमें दोषी पाए जायेंगे उनको दण्डित किया जाएगा। पहले से ही इतनी मांग पड़ी है क्या करें।

पर्यटन की दृष्टि से भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है। श्रीमन्, पिछली सरकारों की गलत नीतियों का परिणाम रहा है कि आर्थिक विषमता और क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। आर्थिक दृष्टि से जब मैं बुन्देलखण्ड की हालत देखता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत देखता हूं तो मुझे रोना आता है। क्या किया गया है। किसी भी कल्याणकारी राज्य का प्राथमिक दायित्व होता है कि वह विकास करे लेकिन विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय असुंतलन नहीं पैदा होना चाहिए लेकिन बुन्देलखण्ड को देखते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो लगता है दोनों में जमीन आसमान का अन्तर है। बुन्देलखण्ड की जनता को विशेष सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया है। वहां पर्यटन केन्द्र विकसित किये जायेंगे, खेलों को प्रोत्साहन के लिए नौजवानों के लिए व्यायामशालाएं स्थापित की जा रही हैं खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी भाग ले सकें इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। सिविल सेवाओं को सुधारने के लिए भी कुछ फैसले किये हैं। करों की प्रक्रिया में भी सुधार कर रहे हैं। व्यापार कर की 17 दरों को कम करके 11 कर दिया है। साथ ही करों के दायरे को बढ़ा दिया है। इस संबंध में सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है इससे हमारा राजस्व बढ़ेगा और ईमानदार व्यापारी पूरी निष्ठा के साथ व्यापार कर सकेंगे। व्यापारी मित्रों को भामाशाह पुरस्कार प्रदान किये जाने की घोषणा की है। पारदर्शिता की जो हम बात करते हैं उसका अहसास किया जा सकता है।

श्री प्रमोद कुमार–

इसे टेलीविजन पर देखा जा सकता है।

श्री राजनाथ सिंह–

राजस्व प्रशासन में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रदेश के 48 जिलों में 59,669 गांवों की खतौनियों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। प्रशासन जवाबदेही के प्रति सचेष्ट हो सके इस दिशा में भी कई कदम उठाए हैं। मण्डलीय बैठकों में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह गांवों में जाकर जनता के दुख दर्द समझे मंत्रियों से भी अनुरोध करूंगा कि वह भी गांवों में जाएं तथा जनता के बीच जाकर जनता की कठिनाइयों को हल करने का प्रयास करें। हमारे पत्रकार बन्धुओं के बारे में कहना है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इनको पेंशन दे दीजिए।

सदन में दीर्घा का संज्ञान लिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजनाथ सिंह–

हम और वह बैठकर वार्ता कर लेंगे और तय कर लेंगे। आप इनकी चिन्ता न करें। हमारी सरकार के रहते किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा और यदि कहीं ऐसी शिकायत होती है तो वहां पर कार्यवाही भी की जायगी। राज्य सरकार द्वारा पहली बार डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों को मान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की भांति सुविधायें मुहइया कराई जायेंगी। मान्यता प्राप्त पत्रकारों की चिकित्सा सुविधा फिर से बहाल कर दी गयी है। हमारे सामने प्रेस दीर्घा में बैठे पत्रकार मुस्करा रहे हैं और इस बहाल सुविधा के लिए एक करोड़ रुपये दे भी दिये गये हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि यहां सदन में प्रेस दीर्घा का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रेस दीर्घा, अधिकारी दीर्घा या दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों का संज्ञान नहीं लिया जा सकता।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

मैं इसे स्वीकार करता हूं और क्षमा चाहता हूं। अनभिज्ञता में यह कार्य हुआ है। मैं यह समझता था कि चूंकि संसद में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है इसलिए यहां भी होता होगा। मान्यवर, रचनात्मक लेखन, उत्कृष्ट फोटोग्राफी, कार्टून तथा मीडिया सम्बन्धी प्रतिभाओं के धनी लोगों के लिये राज्य सरकार ने 6 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिये जाने का निर्णय लिया है। गुजरात में जो भूकम्प आया था उसके लिए साढ़े नौ करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई तथा व्यक्तिगत स्तर पर भी भूकम्प पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है। मुझे यह खुशी है कि हमारे सम्मानित सदन के सदस्य डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है इस संबंध में जिन सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उनका मैं निश्चित रूप से संज्ञान लूंगा। अपनी वित्तीय सीमाओं को देखते हुए जहां तक जो कुछ हो सकता है मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। चाहे हम पक्ष में हों या विपक्ष में हम सबकी मिलजुलकर जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश कल्याणकारी राज्य बने और इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भविष्य में भी विपक्ष का हमें प्रेम और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं आप सभी को धन्यवाद।

(सत्तापक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गई)

श्री अब्दुल सलाम–

मान्यवर, अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर फर्जी मुकदमें लगाये जा रहे हैं रासुका लगाई जा रही है गैंगस्टर लगाई जा रही है। अगर कोई न्यायसंगत मुकदमें हों तो ठीक भी है।

श्री अध्यक्ष–

मा० नेता विरोधी दल कुछ कहना चाह रहे हैं।

* नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

मान्यवर, मैं कुछ स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने सम्पूर्ण भाषण में श्रीमन्, शब्दों के जाल के अलावा सारी बातें सत्य से परे कही हैं।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

नाचिये, खड़े होकर नाचने लगिये। हमने सुना है, हमारी बात नहीं सुन सकते हैं। [× × ×] माननीय अध्यक्ष जी, यह सब [× × ×] का पर्दाफाश हम दो तीन स्पष्टीकरण लेकर करेंगे। यह जो एक घंटे से ज्यादा [× × ×] बोलने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। मैं 3/4 बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वह स्पष्ट हो जायं, सारा सदन उससे अवगत हो जायेगा।

(डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

(सत्तापक्ष और विपक्ष के कुछ सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलनें लगे जिससे व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त हो जायं।

श्री धनी राम वर्मा–

हम सुन रहे थे चुपचाप जब मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे। अब यह सुनना नहीं चाहते हैं और व्यवधान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, कृपया शान्त हो जायं। सदन की बड़ी स्वस्थ परम्परा रही है। कुछ शब्दों के प्रयोग से हम लोग बचते आये हैं। जो शब्द किसी की भावनाओं को आहत कर दें, जो शब्द संसदीय नहीं हैं, अथवा वे शब्द जो किसी प्रकार से चोट पहुंचाने वाले हैं। हिन्दी भाषा बड़ी प्रचुर है। विकल्प के रूप में अनेकों शब्द उपलब्ध हैं इसमें जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। वाक्यों का प्रयोग इस प्रकार से हो इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए। मेरा अनुरोध है दोनों पक्ष के लोगों से कि अच्छी और शिष्ट भाषा जिससे आपके मन की अभिव्यक्ति भी हो जाय और प्रभाव भी दूसरे पर पड़ जाय। इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो अच्छा वातावरण बना रहेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, पहला स्पष्टीकरण मैं पूछना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी एक ढिंढोरा पीट रहे थे कि माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने हालांकि उनका नाम इस तरह से सदन में नहीं आना चाहिए लेकिन आया इसलिए मैं कह रहा हूं। अभी कहा गया कि अटल जी ने आणविक विस्फोट करके देश का मान मर्यादा और सम्मान को बढ़ाया है। कारगिल में हजारों सैनिकों को मरवाकर, भारत की जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है उससे मान सम्मान बढ़ा है आपका। क्या बंगला देश जिसका निर्माण भारत द्वारा ही हुआ है। अभी हमारे जवानों की आंखें निकालकर निर्मम हत्या हुई है, उससे मान सम्मान बढ़ा है। .....

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, यह सुनना नहीं चाहते हैं। [× × ×]

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री जी ने जो बातें कही हैं वह सारी बातें [×××] कहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी का जो [×××] भाषण है उस पर यह पर्दा डालना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

यह लोग इस तरह से टोका टाकी कर रहे हैं यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

शान्त हो जाएं।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही है उसको आप नियमानुसार देंखे इस तरह से व्यवधान किया जाए यह परम्परानुसार नहीं है। [× × ×] [× × ×] का समर्थन मांगकर नेता विरोधी दल के साथ टोका-टोकी होगी तो नहीं चल सकता है।

(घोर व्यवधान)

[×××] हम नहीं जानते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाएं। माननीय नेता विरोधी दल जो पूछना चाहते हैं पूछने दें माननीय मुख्य मंत्री जी सक्षम हैं जवाब देने के लिए। आप लोग कृपया शान्त रहें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

एक व्यवस्था का प्रश्न है मैं करबद्धता के साथ कहना चाहता हूं। नेता सदन को शान्ति के साथ सुना गया अब माननीय नेता विपक्ष कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो इनको सुना जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब सब शान्त हो गए हैं अभी तक इतने अच्छे वातावरण में बात हो रही थी, विचार व्यक्त हो रहे थे।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री धनीराम वर्मा–

स्पष्टीकरण नम्बर-दो मैं जानना चाहता हूं। संशोधन प्रस्ताव जो मैंने रखा था उसमें मैंने कहा था कि इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं उनको इंगित करके कहा था आप कृपया यह बताने का कष्ट करें कि प्रदेश की विकास दर 1999-2000, 2000-2001 में क्या है ? 2001-2002 में आप क्या उपलब्धि करेंगे ? श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी जबाब दिया तो हमने पूछा था कि विकास दर के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश का क्या प्रतिशत रहा और उन्होंने जबाब दिया कि राष्ट्रीय विकास दर 6.5 प्रतिशत की रही है। जो [× × ×] भाषण होगा उसको आप प्रस्तुत कर दोगे.....।

(व्यवधान)

श्रीमन्, अगला स्पष्टीकरण यह है कि आपने बार-बार यह कहा है कि किसानों के हित के लिए मैंने बहुत सी योजनाएं तैयार की हैं, किसानों को लाभकारी मूल्य मिल रहा है। श्रीमन्, जो पिछले गेहूं और धान की बकायेदारी थी उसके आकड़े रखे तो माननीय खाद्य तथा रसद मंत्री जी ने कहा कि बकायेदारी नहीं है। मैंने उसी समय विशेषाधिकार हनन की सूचना भी आपको दे दी थी और उसका प्रमाण भी आपके पास दिया है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि गेहूं का समर्थन मूल्य, इसमें पहली बात तो यह है कि समर्थन मूल्य किस आधार पर तय होता है और गेहूं का लागत मूल्य इस वर्ष क्या आया है ? मैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार और तमाम विदेशी आकड़ों के आधार पर जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से इस सदन को श्रीमन्, दो सौ अमरीकी डालर पर मीट्रिक टन आया है और यहां जो कीमत दी जा रही है वह 610/- रुपया मीट्रिक टन है। दो सौ अमरीकी डालर का मूल्य आया 910/- रुपया और विदेशों में उत्पादन मूल्य आ रहा है 750/- रुपया तो क्या यह किसानों का समर्थन मूल्य लागत मूल्य के बराबर है की नहीं ?

चौथा स्पष्टीकरण मेरा यह है कि मैंने यह कहा था कि सदन को अवगत कराया जाय कि आलू निर्यात के लिए जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अफ्रीका भेजेंगे, श्रीलंका भेजेंगे तो क्या वह भेजा गया और कितना भेजा गया ? और, दूसरा यह कि जो आलू बिक रहा है क्या इससे किसानों को कोई लाभ होने वाला है। बिचौलियों ने खरीदकर उसे कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया है यह मैं जानकारी देना चाहता हूं। उसने अपनी कच्ची फसल बेच दी है। पैदावार कम होने की वजह से आलू महंगा बिक रहा है और यह आपकी नीति की वजह से हो रहा है। पांचवां स्पष्टीकरण मेरा यह है कि आपने यह कहा कि टीचर्स वैलफेयर के लिए पंचायत की । आपने कहा कि पंचम वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे और उलझा दिया कि कमेटी गठित की जायेगी जब उसकी रिपोर्ट आयेगी तभी वह देंगे। क्या कोई निश्चित अवधि की घोषणा आप कर रहे हैं कि पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट अमुक तारीख तक लागू कर दी जायेगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा है उसमें एक तो उन्होंने विकास दर के बारे में जानना चाहा है कि 99-2000 में क्या है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत में ग्रोथ रेट थी 6.6 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश की 6.5 प्रतिशत रही।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह 5.6 प्रतिशत है।

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, 94-95 में जो विकास दर थी.....

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, सरकारी आंकड़ों में विगत वर्ष में 2.9 प्रतिशत थी।

नोट :–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्रीमन्, वह भी आंकड़े आपके पास हैं।

श्री राजनाथ सिंह–

मेरी बात पर यकीन करना चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष को जो जानकारी, जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं सरकारी दस्तावेजों के आधार पर होते हैं। 1999-2000 में 6.6 यह ग्रोथ रेट रही है भारत के स्तर पर और उत्तर प्रदेश में 6.5 लेकिन हमारी सरकार का लक्ष्य 2001-2002 में 7 प्रतिशत तक ये विकास दर को ले जाने का है। आपने आलू के किसानों के बारे में जानना चाहा है आलू के किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त हुआ है. आप लोग सुन लें हम जैसे ही आये हम लोगों ने कदम उठाये। हमने कहा था कि आलू को प्रदेश की सीमा के बाहर भेजेंगे। हम 10 लाख मीट्रिक टन यह प्रदेश की सीमा के बाहर भेज चुके हैं। जहां तक भण्डारण की क्षमता का सवाल है आज की स्थिति में जो हमारे उत्तर प्रदेश में आलू भण्डारण की क्षमता है वह 7 प्रतिशत भंडारण क्षमता का उपयोग हो चुका है यानि अनुमानतः 36.20 लाख मीट्रिक टन को भण्डारित किया जा सकता है।

शिक्षकों के लिए पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कही। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि जो हमारी सरकार कहती है वह करती भी है। हमने पंचायत का आयोजन किया था। मुख्य मंत्री आवास में और एक लिखित रूप से जो समझौता हुआ था जिसकी मैंने घोषणा भी की थी उसके अनुसार पंचम वेतन आयोग पर जो भी लिखित रूप से समझौता हुआ उसे लागू करने के बारे में कहा था कि 30 जून से पहले हम कदम उठा लेंगे और यह व्यवस्था मुहैया करा दी जायेगी। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)। शिक्षक संगठनों ने 30 जून तक का समय दिया था हमारी कोशिश होगी कि मई में ही कर दें। 30 जून से पहले होना ही होना है।

मान्यवर, कारगिल में हमारे सैनिकों ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया भारत भूमि को बचाने के लिए और पूरे देश में मन से मन की गहराइयों से सम्मान दिया। यह पहला अवसर था जब सैनिकों के शव को सम्मान के साथ उनके आश्रितों के पास पहुंचाने का काम किया गया है। स्वतंत्र भारत में पहली बार यह कार्य मा० अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार ने किया है। आप सुन लें बांगलादेश के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष का यह कहना है कि भारत का कारगिल और बांगलादेश की घटना के बाद, मान-सम्मान बढ़ा है या घटा है।

श्री राजनाथ सिंह–

इसका फैसला माननीय नेता प्रतिपक्ष करें। बांगलादेश की जो घटना है चुनौती के रूप में हमने उसे स्वीकार किया है हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे। चीन ने हमारी भूमि पर कब्जा किया, भारत की संसद ने संकल्प लिया, पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि जब तक एक-एक इंच भूमि वापस हम नहीं ले लेंगे चैन की नींद नहीं सोयेंगे। कारगिल में आपने देख लिया। आज दुनिया में किसी भी देश की ताकत नहीं है कि भारत के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कर दें अगर करेगा तो गुपचुप तरीके से करेगा चोरी छिपे करेगा और अगर चोरी छिपे भी करेगा तो उसका मुंहतोड़ जबाब देगी हमारी सरकार।

श्रीमन् एक अनुरोध आपकी अनुमति से करना चाहता हूं। श्रीमन्, एक तो मैं जानकारी देना चाहता हूं सदन को मेरे मन की यह पीड़ा है जब मैं यह देखता हूं कि आलीशान महलों में रहने वाले बड़े

लोगों के बच्चे, बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले बड़े लोगों के बच्चे जो बड़े बड़े अच्छे भवन के विद्यालय बने हैं जहां के बच्चे और गांव के खुले आसमान में पढ़ने वाले बच्चे, हमारी सरकार यह भी गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है, प्रस्ताव तैयार कर लिया है, हम यह चाहते हैं कि कृष्ण और सुदामा अलग-अलग न पढ़ने जाय। कृष्ण सुदामा को कक्षा एक से पांच तक की पढ़ाई एक साथ पढ़ाना चाहते हैं। हम सामाजिक समरसता को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे विपक्ष के अनेक विद्वान साथी कहते हैं कि इसमें अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, विधिक कठिनाइयां हैं, यह हो सकता है, हम उसका परीक्षण करा रहे हैं लेकिन इतना जरूर करने के बारे में मन पक्का कर लिया है कि कक्षा एक से लेकर कक्षा पांच तक कृष्ण सुदामा एक साथ न पढ़ सके तो कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़े, समान पाठ्यक्रम होना चाहिये शिक्षा के माध्यम से केवल, जन्म से तो सभी समान होते हैं लेकिन यदि शिक्षा भेद पैदा करती है, समाज को बांटती है तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये इस पर हमारी सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में वह सारी बातें जो नीतिगत आनी चाहिये थीं जो लाई जा सकती थीं और लानी चाहिए थीं वह नहीं आई। एक मुख्य बिन्दु जो सारे देश और प्रदेश में विश्व में खड़ा हुआ है वह है पर्यावरण। श्रीमन् पर्यावरण को रोकने में सबसे बड़ा प्रभावी वन ही होता है और बार-बार वनीकरण पर प्रयास किया गया है और प्रयास किया गया है कि वनीकरण ज्यादा से ज्यादा हो। श्रीमन्, आप स्वयं जानकार हैं, जानते होंगे कि जब से उत्तरांचल अलग हो गया तब से हमारे प्रदेश में वनों का जो रकबा है, क्षेत्रफल है वह घटकर ढाई प्रतिशत रह गया है साढ़े 17 प्रतिशत था। श्रीमन्, 10 प्रतिशत से कम नहीं नहीं होना चाहिये। तो जो एक नीतिगत अभिभाषण तैयार किया गया है इस सरकार द्वारा उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया तो इस 10 प्रतिशत को कैसे पूरा करेंगे इसका स्पष्टीकरण दे दें।

श्री राजनाथ सिंह–

श्रीमन्, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा है कि वनीकरण का क्षेत्र जितना पहले था आज उतना नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष ने जानबूझकर यह बात कही है इन्हें यह जानकारी होगी कि उत्तरांचल अब उत्तर प्रदेश से अलग हो चुका है उसके कारण प्रतिशत अधिक हुआ करता था लेकिन पिछले कैबिनेट में उत्तर प्रदेश में वनीकरण कैसे बढ़ाया जाय इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसले किये हैं और तब से वनीकरण का क्षेत्र बढ़ाने जा रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने इस देश की बहादुरी के बारे में बहुत बाते कहीं। एक कहावत सुना दें। एक आदमी था उसको एक आदमी ने झापड़ मारा तो उसने कहा कि अबकी मारा तो मारा दुबारा मारा तो ठीक नहीं है उसने दुबारा फिर मारा और बार-बार वह वही कहता रहा। श्रीमन्, कारगिल में हमने अपनी भूमि कब्जा करा दी और हजारों सैनिकों को मरवा दिया और फिर बड़ी बहादुरी हमने करी कि कब्जा खाली करा लिया। बांगला देश एक छोटा सा मुल्क जिसको बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है, उसके द्वारा हमारे 17 सैनिकों को जिस बर्बरतापूर्वक मार दिया गया, उस पर सरकार ने केवल चेतावनी दी है। आप केवल चेतावनी ही देते रहेंगे, कहीं एक्शन भी लेंगे। आपने यह भी कहा हम सुपर पावर हैं, हमने बम विस्फोट किया है, ऐसी पावर का क्या मतलब है। मैं आपसे यह भी

जानना चाहता हूं कि आपकी औद्योगिक नीति क्या है, आपने अभी बताया कि इतना-इतना पूंजीनिवेश हुआ है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को छोड़कर क्या पूर्वांचल में, बुन्देलखण्ड में, अवध में एक पैसे का भी पूंजी निवेश हुआ है ? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि चीनी मिलें जो पूर्वांचल में बन्द हो गई हैं, जो कताई मिलें बन्द हो गई हैं, नये कारखाने तो आप खोल नहीं रहे हैं, तो उन बन्द मिलों को चालू करने के लिये सरकार क्या प्रयास करेगी । आपने चुर्क की बात बताई, डाला की बात बताई, इसमें आपकी सरकार क्या कहना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष–

बांगलादेश और कारगिल तो केन्द्र का विषय है । चूंकि भाषण में उल्लेख आया था, इसलिये आपने उल्लेख कर दिया । औद्योगिक नीति के बारे में बता दें ।

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं कारगिल और बांगलादेश पर नहीं बोल रहा हूं । मैं औद्योगिक नीति के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति पहले से बनी है और मैं पूरी औद्योगिक नीति का दस्तावेज रेवती रमण सिंह जी को उपलब्ध करा दूंगा । उन्हें जानकारी है, पूछने के लिये पूछ दिया । पूर्वांचल के औद्योगिक विकास का जहां तक प्रश्न है, मैंने अपने भाषण के दौरान यह बात कही है कि हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को अधिक संख्या में लगा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलें । आपकी अनुमति हो तो विस्तृत जानकारी रेवती रमण सिंह जी उपलब्ध करा दूंगा । चीनी मिलें जो बन्द पड़ी हुई हैं, वह चालू होनी चाहिये । हमारा विश्वास है कि जो चीनी मिलें बन्द बड़ी हुई हैं, उसमें से एक-दो अथवा तीन भी हो सकती हैं, अगले पेराई सत्र में प्रारम्भ हो जायेंगी । सभी चीनी मिलों को प्रारम्भ करने की दिशा में हमारा प्रयत्न चल रहा है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने [x x x] भाषण किया है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(स्पष्टीकरण से असन्तुष्ट होकर नेता, विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

श्री विनोदमणि–

मान्यवर, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का पूरा भाषण ध्यान से सुना । पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैदा होने के नाते मुझे इस बात की तकलीफ है, वहां हर साल नैपाल से आने वाली नदियों की बाढ़ के कारण बड़ी तबाही होती है और किसानों की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है, गोरखपुर, बलरामपुर से देवरिया तक बाढ़ से बड़ी तबाही होती है । इस संबंध में आपने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा । मैं निवेदन करूंगा कि इस संबंध में अपने स्तर से यथासंभव प्रयास कराने का कष्ट करें ।

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय विनोद मणि जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, वह अपनी जगह सही है । पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा प्रायः बाढ़ से प्रभावित हो जाया करता है । बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कुछ कदम उठाये हैं और कुछ धनराशि भी स्वीकृत की जा चुकी है । वैसे बाढ़

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

को नियंत्रित करने के लिये, बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिये कोई एक स्थायी व्यवस्था करनी पड़ेगी । और इसमें केन्द्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता होगी । इस संबंध में हम विचार करेंगे ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गत वर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये एक पैकेज, विशेष पैकेज दिया गया था लेकिन इसमें मात्र एक कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के अलावा कोई काम नहीं हुआ । 11 सौ करोड़ का पैकेज था उसमें कहीं कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ । मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री जी पूर्वांचल विकास निधि की तर्ज पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये पश्चिमांचल निधि की घोषणा करेंगे ?

श्री राजनाथ सिंह–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये पैकेज की घोषणा हुई थी और उसको क्रियान्वित किया जा रहा है । जैसा एक विश्वविद्यालय की स्थापना का शिलान्यास करके मैं आया हूं, वह भी इसी पैकेज का हिस्सा था । इस संबंध में विस्तृत जानकारी समरपाल जी को यदि मान्यवर, आपकी अनुमति होगी तो उपलब्ध करा दूंगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मा० मैं कृतज्ञ हूँ, नेता प्रतिपक्ष का, माननीय लालजी वर्मा का, नेता कांग्रेस प्रमोद कुमार का, श्री कौकब हमीद, श्री अजय कुमार पोइया का, श्री जय प्रकाश निषाद, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री लोकपति त्रिपाठी, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री वसीम अहमद, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि जी, श्री रामतेज यादव और अन्य सदस्यों तथा माननीय नेता सदन का कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव मैंने सदन के समक्ष रखा था उसके पक्ष और विपक्ष में उन्होने अपने विचार प्रकट किये । मान्यवर, मैं अपेक्षा रखता था कि सार्थक अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव रखते समय कुछ सार्थक सुझाव आयेंगे मगर विद्वान नेता प्रतिपक्ष किन्हीं कारणों से, जिस संशोधन की अपेक्षा मैं रखता था जिस प्रकार की प्रत्यालोचना की अपेक्षा थी, सारा सदन उससे निराश है । मान्यवर, आलोचना सभी करना जानते हैं, बड़ा आसान कार्य है मगर ऐसा नहीं कि आज प्रतिपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी को तत्कालीन महामहिम के धन्यवाद के अभिभाषण पर पक्ष में न बोलना पड़ा हो, धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर सबको प्राप्त हुआ है । नेता प्रतिपक्ष के दल ने अपहरण, हत्याकाण्ड, गुण्डागर्दी, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, पूरे प्रदेश में हल्ला बोल, नकल पर से नियंत्रण हटा लिया जाये, एक ऐसा वातावरण बनाया था कि दो बार अवसर देने के बाद तीसरी बार उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उन्हें अवसर नहीं दिया कि वह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को रख सकते, रिजेक्ट कर दिया जनता ने । इसी प्रकार से मान्यवर, दो बार एक अन्य दल को भी अवसर मिला । एक बार उनके सहयोग से जिनकी चर्चा मैं कर चुका हूं और एक बार उनसे पिट गये थे, प्रताड़ित हुए थे, अपमानित हुए थे और हमारे दल ने उनके स्वाभिमान की रक्षा की थी और अवसर दिया था कि वह प्रदेश को चलायें । घोर जातिवाद का वातावरण उन्होंने प्रदेश में बना दिया ।

मान्यवर, इसके पहले एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल नहीं लगभग 35-40 साल तक कांग्रेस ने अबाध शासन किया है और आज जो देश के सामने कठिनाई है, दुर्दशा है उसके लिये

जिम्मेदार हैं। जो इस पार्टी के लोग हैं, निराश होकर बैठे हैं। चुनाव में जीतकर आये थे रोज टूट रहे हैं। अभी इससे पहले 3 महीने, 2 महीने पहले टूटे। एक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ निराश होकर आ रहे हैं। भयंकर रूप से निराश हैं। इसके पहले तीन उप चुनाव हुए और तीन के तीनों में जमानत जब्त हो गई, यह उनकी निराशा है जो उनको नजर आ रही है। मा० मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल पुनः शासन में आ रहे हैं। अभी जो रेवती रमण सिंह की जो भाषा थी। मुझे विश्वास था कि बैठकर हमारे उत्तर को सुनेंगे।

मान्यवर, मैं रेवती रमण सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अनुभव है उनको राजनीति का। वे कांग्रेस में भी मंत्री रहे, जनता दल में भी मंत्री रहे और समाजवादी पार्टी में भी मंत्री रहे। बहुत लम्बा अनुभव है उनको राजनीति का, मगर कठिनाई क्या है जो सदन को छोड़कर चले गये ? आज ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता में बहुत दिन तक नहीं बने रहें चूंकि यह पार्टी नकल कराने वालों की पार्टी है। ये कहते हैं नकल कराने वालों के विरोधी हैं। मेरी इच्छा थी वे सामने होते। आज इनके बारे में बहुत अच्छा शब्द कह ना सकें लोग नम्रता के विरोधी समाजवादी पार्टी में नहीं रह पायेंगे।

श्रीमन् लाल जी वर्मा व प्रमोद कुमार कुछ वाक्य मेरे लिये प्रशंसा के कहे हैं। यह कहते थे कि मैं सीने पर पत्थर रखकर इस सरकार की प्रशंसा करता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा ईश्वर की कृपा है। अब आप अन्तरयामी हो गये हैं तो मैं समझता हूं। बहुत जल्द जीवन मुक्त हो जायेंगे। मान्यवर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना विचार रखने से इस प्रदेश की जनता पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। अगर सरकार को जो आंकलन होगा वह हमारी क्रियाकलापों से होगा और आज ये भी स्वीकार करते हैं। जो सरकार आज उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस नेतृत्व के साथ चल रही है उस नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता ने नयी आशा और नये विश्वास का सृजन किया है।

श्री लाल जी वर्मा–

आज ही चुनाव करा लीजिये आप तीसरे नम्बर पर होंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

आपकी अपने बारे में की गई भविष्यवाणी सार्थक सिद्ध होगी मुझे विश्वास है। मान्यवर, मैं दो-तीन बातें जरूर कहना चाहूंगा। गेहूं की खरीद के बारे में बड़ी चिन्ता व्यक्त की गयी कि कहां भंडारण किया जायेगा, कैसे भण्डारण किया जायेगा ?.....

श्री लालजी वर्मा–

इतना ओवर कान्फीडेंस है तो असेम्बली भंग करके चुनाव करा लीजिए।

* ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

सर्वेक्षण रिपोर्ट आ चुकी है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

हैदरगढ़ में जब उप चुनाव चल रहा था तो बहुजन समाज पार्टी के माननीय नेताओं ने बहुत बड़बोलापन दिखाया था। वह चुनाव के बाद सामने आ गया। मान्यवर, जिस पार्टी में मेयर के टिकट के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

5 लाख रुपये, नगर पालिका/परिषद् के अध्यक्ष पद के लिए एक लाख रुपये और सभासद के लिए 50 हजार रुपये लिये जाते हों, उनकी सरकार आने पर क्या अपेक्षा करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा–

मानयवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा रक्षा सौदों में [x x x] ली जाये और दूरदर्शन पर उसका साक्षात्कार आये, वह पार्टी दूसरों पर आरोप लगाने लायक नहीं है हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता से पार्टी चलाने के लिए चंदा लेते हैं, और खुले आम लेते हैं इसमें कोई छिपी बात नहीं है, हम किसी पूंजीपति से नहीं लेते ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

सरदार जी की दाढ़ी में तिनका हो सकता है, लेकिन क्लीन शेव में तिनका नहीं होना चाहिए । गेहूं की खरीद और भण्डारण के बारे में चिन्ता व्यक्त की गयी । चर्चा में इस प्रस्ताव के संशोधन के रूप में भी बात की गयी । मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भण्डारागार निगम ने अपनी शत-प्रतिशत क्षमता का इस्तेमाल किया और 5 लाख टन भण्डारण की क्षमता को बढ़ाया । इस वर्ष फिर योजना है कि जब गेहूं की खरीद होगी तो जितने अधिक भण्डारण की आवश्यकता है उतने का इंतजाम भण्डारागार निगम ने कर लिया है । मैं सरकार को साधुवाद और माननीय खाद्य मंत्री जी और भण्डारागार निगम के अधिकारियों को भी बधाई । चिन्ता का विषय कोई नहीं है ।

इसी प्रकार से कुछ कानपुर के बारे में चर्चा चली । मान्यवर, पिछले 3 दिनों से समाचार-पत्र सभी माननीय सदस्य पढ़ रहे होंगे कि किस प्रकार से हथियारों का जखीरा मिल रहा है और अगर आज भी इस पक्ष में बैठे हुये या उस पक्ष में बैठे हुये माननीय सदस्य के दिमाग में कोई गलतफहमी हो तो उसे निकाल देना चाहिए । किसी जाति, मजहब, राष्ट्रद्रोही, सम्प्रदायवादी को चाहे वह कोई भी हो, यह सरकार नहीं बख्सेगी, उसका सिर कुचल कर रख देगी ।

मान्यवर, एक चिन्ता बार-बार माननीय प्रमोद कुमार जी की रही कि जुगाड़ से सरकार चल रही है । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि 1989 में विधान सभा चुनाव हुये, सरकार डेढ़ साल चली, 1991 में चुनाव हुये सरकार डेढ़ साल चली, 1993 में चुनाव हुये, डेढ़ साल सरकार चली । 1996 में यह उम्मीद की जा रही थी कि 13वीं विधान सभा की तेरहवीं हो जायेगी और 13 दिन भी नहीं चलेगी । हमने प्रदेश की जनता के हित को देखते हुये और प्रतिपक्ष में बैठे लोगों में भी जिनके मन में प्रदेश के प्रति चिन्ता थी कि रोज-रोज चुनाव ठीक नहीं है, इस पर करोड़ों का खर्च आता है । मैं साधुवाद देता हूं उन साथियों को जिन्होंने प्रदेश की जनता को फिर चुनाव से बचा लिया और मैं आशा करता हूं कि अब विधान सभा के चुनाव पूरे 5 साल में होने की नयी परम्परा इस विधान सभा में हमने डाली है ।

माननीय रेवती रमण सिंह जी ने अपने भाषण में एक बात कही कि साफ्टवेयर इण्डस्ट्री नजर ही नहीं आ रही है । बंगलौर और हैदराबाद का नाम सुना है, वह उपस्थित नहीं है उनको सन्देश पहुंचा दिया जाये कि कभी नोयडा जाकर देख लें यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश आज नम्बर-दो पर भारत में है । मैं दो वाक्यों में अपनी बात समाप्त करूंगा । प्रतिपक्ष न बैठा हो तो आनन्द नहीं आता है बात करने में ।

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण अपने आप में सम्पूर्ण था । उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियों, कार्यकलापों की दिग्दर्शन और प्रतिबिम्बित करने वाला भाषण था ।

मान्यवर, प्रदेश की दिशा क्या होगी, आने वाले समय में प्रदेश की दशा क्या होगी, कार्यप्रणाली क्या होगी, मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष को चिन्ता तो यह हो गयी है कि अगर जनता के विश्वास का अर्जन 6 माह में हो सकता है तो इसी प्रकार यदि फिर 5 साल तक माननीय राजनाथ सिंह जी अपनी सरकार चला लेंगे तो फिर यह बेचारे पुनः कैसे लौटेंगे ? इसलिए मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार प्रकट किये हैं, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूं इसके साथ-साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल से और इस सदन के सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करता हूं जिन्होने इस प्रस्ताव पर संशोधन रखे हैं कृपया वह अपने इन प्रस्ताव को वापस ले लें सर्वसम्मति से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का समर्थन करें ।

श्री अध्यक्ष–

विपक्ष के माननीय सदस्य जिन्होंने इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर अपने संशोधन दिये हैं क्या वह अपने संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं पिछले सत्र से संशोधन दे रहा हूं । सरकार की ओर से प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के बारे में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है । जिला योजना 2000-2001 में किसी धन का आवंटन नहीं किया गया है । इसलिये मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जिला योजना में मेरे जिले में सड़कें बनी हैं । वह अपनी सूचना को वापस लेना चाहें तो ले लें ।

श्री लालजी वर्मा–

मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि 2000-2001 में नये स्वीकृत कार्यों पर एक भी पैसे का धन आवंटित नहीं किया गया है । इस तरह से पूरे प्रदेश को पीछे ले जाने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया है । इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सबसे पहले संशोधन प्रस्ताव को मतदान के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश की निम्नलिखित ज्वलन्त समस्याओं के समाधान हेतु कोई प्रभावी योजना के बारे में उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त किए जाने हेतु किसी प्रभावी रूपरेखा की घोषणा किये जाने के संबंध में,

2–प्रदेश के अवरुद्ध विकास को पुनः चालू करने की प्रभावी घोषणा किये जाने के संबंध में,

3–कृषि, नीति की घोषणा किये जाने के संबंध में,

4–बेरोजगारों को रोजगार देने और रोजगार न दे पाने पर रोजगार भत्ता देने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

5–औद्योगिक विकास के लिये किसी प्रभावी रूपरेखा का उल्लेख किये जाने के संबंध में,

6– मण्डी समिति और ऊसर भूमि सुधार निगम द्वारा बनाई गयी सड़कों की मरम्मत और रखरखाव किये जाने के संबंध में,

7–प्रदेश की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण को रोकने हेतु किसी कार्य योजना की घोषणा किये जाने के संबंध में,

8–औरैया और नवसृजित जनपदों में प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु घोषणा किये जाने के संबंध में,

9–नवसृजित जनपदों के पत्रकारों को नियमानुसार पत्रकारिता की मान्यता देने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

10–भवन रहित राजकीय अस्पतालों के अधूरे पड़े भवन पूर्ण कराने एवं भवनहीन अस्पतालों के भवन बनवाकर डाक्टरों की नियुक्ति करने तथा दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर प्रदेश की गरीब जनता को चिकित्सीय सुविधा दिलाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

11–प्रदेश में शत प्रतिशत लोगों को साक्षर बनाये जाने की प्रभावी घोषणा किये जाने के संबंध में,

12–बाढ़ और वर्षा तथा आग आदि दैवी आपदाओं में धन–जन की हानि पर पर्याप्त और अविलम्ब सहायता देने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

13–बेसहारा वृद्ध तथा विकलांग और विधवाओं को अनिदार्य रूप से पेंशन देने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

14–प्रदेश के खानाबदोश लोगों को बसाकर और उन्हें रोजगार दिलाकर उनके और उनके बच्चों के उज्जवल भावी जीवन बनाये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

15–चकबन्दी प्रक्रिया समयबद्ध कराये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

16–समान शिक्षा नीति की घोषणा किये जाने के संबंध में,

17–हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देने की घोषणा किये जाने के संबंध में;

18–आलू किसानों की बरबादी रोकने हेतु आलू को 300/– रुपये कुन्तल समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

19–यूरिया की बढ़ी हुई दरों को प्रदेश स्तर पर वापस लेने की घोषणा किये जाने संबंध में,

20–स्थाई मान्यता प्राप्त असहायित विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

21–सरकारी और अर्द्धसरकारी सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश प्राप्त करने के दिन ही उनके प्राविडेन्ट फण्ड और अन्य देयों की धनराशि दिलवाए जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में ,

22–धर्म स्थल विधेयक को वापस लेने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

23–प्रदेश के छात्रों से बढ़ी दरों पर शिक्षा शुल्क वसूलने का आदेश वापस लेने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

24–यूरिया और डीजल व विद्युत की बढ़ी हुई कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए गेहूं का समर्थन मूल्य 750/– रुपया और धान का समर्थन मूल्य 600/– रुपया तथा इसी अनुपात में अन्य खाद्यानों और तिलहन तथा दलहन के समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की घोषणा किये जाने के संबंध में,

25–प्रदेश के हर गांव में पेयजल उपलब्ध करवाए जाने हेतु किसी प्रभावी कार्य योजना की घोषणा किये जाने के संबंध में,

26–पुलिस द्वारा जुल्म और उत्पीड़न की जांच, की प्रक्रिया को बदलकर पुलिस उत्पीड़न की जांच पुलिस द्वारा ही न कराकर किसी अन्य विभाग से कराये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

27–नहरों/रजबहों पर लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा सड़कें बनायी गयी हैं, परन्तु उनमें नहरों से सिंचाई हेतु कुलाबों की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है । नहर की पटरी के आखिरी किनारे तक कुलाबे रखवाकर पटरियों की कटान तथा मार्ग दुर्घटना रोकने के संबंध में कोई घोषणा किये जाने के संबंध में,

28–अधूरी सड़कों जिन पर मिट्टी पड़ चुकी है अथवा मिट्टी और मोटी मिट्टी डाली जा चुकी है या मोटी गिट्टी डालकर डामरयुक्त गिट्टी सड़कों के किनारे लगा दी गयी है, उसे सड़कों पर डलवाकर डामरीकरण करने के संबंध में कोई घोषणा किये जाने के संबंध में,

29–प्रदेश में विद्युत व्यवस्था पूर्णतया ध्वस्त हो गयी है । किसानों को कृषि कार्य हेतु बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है । कुटीर उद्योग भी विद्युत अभाव में अधिकांशतः बंद है और जो बचे हैं वह भी बंद होने की कगार पर हैं, विद्युत व्यवस्था सुधार हेतु कोई घोषणा किये जाने के संबंध में ,

30–घाटे में चल रहे निगमों को बेचने अथवा समाप्त करने की सरकार बार–बार घोषणा कर रही है परन्तु उनकी प्रशासनिक कमियों को दूर करके संचालित करने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

31–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिये कोई प्रभावी घोषणा किये जाने के संबंध में,

32–वेतन वितरण के अंतर्गत जो विद्यालय हैं उनमें अतिरिक्त विषय की मान्यता कोई विद्यालय लेता है तो उस विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक को विद्यालय के अन्य अध्यापकों की भांति वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत वेतन दिये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में ,

33–जिन विषयों के अध्यापकों के पद चाहे अवकाश ग्रहण के कारण, प्रोन्नति के कारण अथवा स्वर्गवासी होने के कारण रिक्त हुये हों, उन्हें विषयों के आधार पर भरे जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

34–गड्ढा मुक्त सड़कों की जांच टी०ए०सी० से कराये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

35–बी०एड० ट्रेनिंग प्राप्त बेरोजगार अध्यापकों की नियुक्तियों हेतु घोषणा किये जाने के संबंध में.

36–प्रदेश की बदतर आर्थिक स्थिति के सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

37–जिन खेतों की सिंचाई नहीं होती है, उनकी सिंचाई महसूल न वसूलने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

38–प्रदेश पर लगभग 81 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ रुपया बढ़ता जा रहा है। इस समस्या का समाधान कैसे हो, इसकी कोई प्रभावकारी घोषणा किये जाने के संबंध में,

39–प्रदेश के 44 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, उन्हें ऊपर उठाने के लिए कोई प्रभावकारी घोषणा किये जाने के संबंध में,

40–प्रदेश की आर्थिक विकास दर गत वर्ष क्या रही है और इस वर्ष क्या होगी, इसकी घोषणा किये जाने के संबंध में ,

41–प्रदेश के औद्योगिक विकास दर विगत वर्ष क्या रही है और इस वर्ष क्या रहेगी, इसकी घोषणा किये जाने के संबंध में,

42–प्रदेश में कृषि सिंचित क्षेत्र बढ़ाये जाने की कोई प्रभावकारी घोषणा किये जाने के संबंध में,

43–बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप कृषि उत्पादन बढ़ाने और रोजगारपरक योजनाओं की घोषणा किये जाने के संबंध में,

44-कृषकों के उत्पादों का मूल्य उत्पादन लागत मूल्य के अनुरूप यदि केन्द्र सरकार निर्धारित नहीं करती है और खरीददारी नहीं करती है तो प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश स्तर से बोनस देकर खरीदने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

45–दैवी आपदाओं से जैसे ओला, पाला, बाढ़ और सूखा से फसल नष्ट होने पर औसत उत्पादन लागत का कम से कम 50 प्रतिशत मूल्य देने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

46–तिलहन,दलहन और गन्ने की उपज बढ़ाने हेतु किसी प्रभावी योजना की घोषणा किये जाने के संबंध में, तथा

47–जल भराव से कृषि क्षेत्र की लाखों हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में ।

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन नेता विरोधी दाल ने प्रस्तुत किया है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन भी जो उपस्थित किये हुए माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे ।

प्रश्न यह है कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 20 मार्च, 2001 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 30-4-2001 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री संजय गर्ग की प्रदेश में सीमान्त राज्यों से अधिक पंजीयन एवं पथकर शुल्क होने से राजस्व की लगातार हो रही क्षति के सम्बन्ध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है ।

दूसरी सूचना श्री गोरखनाथ पाण्डेय की है जनपद संत रविदास नगर भदोही में ज्ञानपुर पम्प कैनाल से सम्बन्धित ईनार गांव एवं डीघ राजबहों के निर्माण कार्य को पूरा करके समुचित जलापूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तीसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड छपिया के राजकीय कन्या हाई स्कूल को इण्टरमीडिएट तक की मान्यता शीघ्र दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश में दूषित पेयजल की आपूर्ति के जनस्वास्थ्य के लिए उत्पन्न गम्भीर संकट के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पांचवीं सूचना श्री श्रीराम यादव की थाना जलालपुर जनपद जौनपुर की पुलिस द्वारा सम्भ्रान्त नागरिकों को उत्पीड़ित किये जाने एवं फर्जी मुकदमा कायम किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

छठीं सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र की जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत माधौगंज में बस स्टाप चौराहा से नजहाई तक की सड़क का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप पुनः कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार की जनपद बाराबंकी में संचालित बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं एवं मुख्य सेविकाओं के समस्त बकाया वेतन एवं मानदेय आदि का भुगतान शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

आठवीं सूचना श्री गोमती यादव की उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के अन्तर्गत कार्यरत सहायक लेखाकारों को लभ्य पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान आदि सुविधाओं को शीघ्र दिलाए जाने के सम्बन्ध में है। यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत की गई उनके नाम इस प्रकार हैं। 1–श्री शिव सिंह चक 2–श्री सीताराम निषाद 3–श्री उदय राज यादव।'

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–13, मद संख्या–14, मद संख्या–15. मद संख्या–16 पर अंकित संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गये।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक, चिकित्सा महाविद्यालयों की ज्वलन्त समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

[सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।]

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्यों द्वारा उक्त वक्तव्य के माध्यम से प्रदेश में संचालित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों की निम्नलिखित समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है :—

(1) इन चिकित्सा महाविद्यालयों में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप चिकित्सा शिक्षा, भवन, प्रयोगशालाएं आदि नहीं हैं।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(2) परिषद् द्वारा इन महाविद्यालयों में प्रवेश पर रोक लगाई जा रही है एवं डिग्री अमान्य की जा रही है।

(3) इन महाविद्यालयों में शिक्षकों का लम्बे अन्तराल से चयन नहीं हो पाया है एवं पी० जी० कोर्स की अनुमति नहीं दी जा रही है।

(4) अध्यादेश/शासनादेश द्वारा तीन महाविद्यालयों को बन्द करके अस्थाई स्टाफ को सेवा से पृथक किया जा रहा है।

उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा भारत सरकार को इस आशय की संस्तुति की गयी है कि यदि प्रदेश में संचालित राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों को केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के मानकों के अनुसार सुसज्जित/सुदृढ़ नहीं किया जाता है तो इन महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश व डिग्री की मान्यता रोकी जा सकती है। इन महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा के स्तर के उन्नयन हेतु एवं छात्र हित में कम व्यवस्थित राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों को अधिक व्यवस्थित होम्योपैथिक महाविद्यालयों में संविलयन करके केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के मानकों के अनुरूप शिक्षकों, भवन तथा प्रयोगशालाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रक्रिया में छात्रों की सीटों/शैया में कोई कमी नहीं हुई है। इसी प्रकार इन महाविद्यालयों में नियमित/पूर्णकालिक पदों पर तैनात नियमित शिक्षकों/कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इन महाविद्यालयों में प्रवक्ता एवं इससे उच्चतर शिक्षकों के पद लोक सेवा आयोग की परिधि में है। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजे गये हैं, जिन पर शीघ्र कार्यवाही कराकर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध कराने हेतु आयोग से अनुरोध किया गया है। राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में आगामी सत्र से पी० जी० कोर्स प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् से सहमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है। इससे प्रदेश की होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।

प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के मानकों तथा दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ को राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में तथा राजकीय टी० डी० होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर को राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में और राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज तिगरी मनकावाला, बिजनौर को राजकीय के० जी० के० होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद में संविलयन का निर्णय चिकित्सा शिक्षा एवं छात्र हित में है। इस निर्णय से किसी भी छात्र व महाविद्यालय में कार्यरत नियमित शैक्षिक व शिक्षणेत्तर स्टाफ का हित प्रभावित नहीं हुआ है।]

प्रदेश के महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विनियमितीकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पेंशियन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य ने प्रदेश के महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से लगे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–7174 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अन्य बनाम एम० रंगारेड्डी व अन्य में दिये गये निर्णय दिनांक 29-9-2000 के अनुसार विनियमित किये जाने की मांग की है तथा प्रदेश के अन्य जिलों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ-साथ मैनपुरी जिले के श्री चित्रगुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय के आठ कर्मचारियों जिनके विनियमितीकरण/समायोजन का प्रस्ताव निदेशक, उच्च शिक्षा तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा को भेजा गया है, को विनियमित/समायोजित करने की मांग की है ।

उक्त के संबंध में मा० सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स एक कम्पनी है तथा इसके कार्मिकों के संबंध में अलग नियम लागू होते हैं जबकि महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई परिनियमावलियों से अच्छादित होते हैं । विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विनियमितीकरण का कोई प्राविधान नहीं है अतः महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विनियमित नहीं किया जा सकता ।

चित्रगुप्त महाविद्यालय, मैनपुरी के आठ कर्मचारियों को विनियमित करने के संबंध में यह अवगत कराना चाहता हूं कि महाविद्यालय को बी० एस० सी० पाठ्यक्रम हेतु अस्थायी सम्बद्धता वर्ष 1990-91 में तथा स्थायी सम्बद्धता 1-7-95 से प्राप्त हुई । महाविद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा 23-8-91 को चार प्रयोगशाला सहायक तथा 4-12-92 को एक प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति अपने स्तर से बिना किसी पद/निर्देश/नियमों के ही की गई । इसी प्रकार प्रबन्ध तंत्र द्वारा तीन प्रयोगशाला परिचर 23-8-91 को तथा दो प्रयोगशाला परिचर 22-10-94 को रखे गये । उक्त सभी कर्मचारियों का वेतन भुगतान प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने स्रोतों से किया जा रहा है । प्रबन्ध तंत्र द्वारा उक्त कर्मचारियों को दिनांक 21-5-94 को सेवा से हटाये जाने के आदेश दिये गये । उक्त कर्मचारियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में वाद योजित किये गये जिस पर मा० न्यायालय ने प्रबन्ध तंत्र के आदेश को स्थगित कर दिया है । प्रकरण अभी भी मा० न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रश्नगत महाविद्यालय में प्रयोगशाला सहायक के चार पद तथा प्रयोगशाला परिचर के चार पद सृजित करने की अनुज्ञा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा 30-3-99 को दी गयी । प्रबन्ध तंत्र को विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति की कार्यवाही विहित प्रक्रिया के अनुसार करनी होती है । साथ ही आरक्षण अधिनियम, 1994 का भी अनुपालन सुनिश्चित करना होता है । प्रश्नगत कर्मचारियों को विनियमित करने का कोई प्राविधान नहीं है अतः महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विनियमित/समायोजित नहीं किया जा सकता है ।]

प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था तथा सरकार द्वारा श्री अतीक अहमद, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अब्दुल सलाम, द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अन्तर्गत मा० विधान सभा सदस्य श्री अब्दुल सलाम द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मा० विधान सभा सदस्य श्री अतीक अहमद के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही बदले की भावना से की गयी है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2—मा० विधान सभा सदस्य श्री अतीक अहमद के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही कुम्भ मेले में बसन्त पंचमी के मुख्य स्नान के दिन दिनांक 29-1-2001 को थाना करैली, इलाहाबाद के क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थान पर दिन दहाड़े श्री जावेद इकबाल पर हुई फायरिंग और उनके अंगरक्षक श्री शहजादे की मृत्यु से लॉक व्यवस्था भंग होने से रोकने के उद्देश्य से की गयी है । यह सही नहीं है कि यह कार्यवाही किसी बदले की भावना से की गयी है ।

3—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अनुसार राज्य सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध हुई रासुका की समस्त कार्यवाही समाप्त कर दी गयी हैं । वह रासुका के अन्तर्गत निरुद्धि से दिनांक 10-4-2001 को मुक्त हो चुके हैं ।]

जनपद रामपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री कांशीराम, सदस्य, विधान सभा से दुर्व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत श्री कांशी राम मा० सदस्य विधान सभा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर विपक्ष के विधायकों का उत्पीड़न और उन्हें अपमानित किया जा रहा है । इसके उदाहरण स्वरूप सूचित किया गया है कि पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा मा० विधायक जी को दिनांक 23-2-2001 को अपमानित किया गया । उनके चालक को जीप से खींचकर बुरी तरह मारा पीटा गया, उनके पुत्र के साथ भी हाथापाई की गयी और घटनास्थल पर मा० विधायक के पहुंचने पर उन्हें अपमानित करते हुए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया । इसके साथ ही मा० विधायक के साथ दुर्व्यवहार करने वाले दरोगा जिसे निलम्बित कर दिया गया था को पुनः ढकिया पुलिस चौकी प्रभारी बनाकर वहां भेज दिया गया जिससे मा० विधायक और उनके कार्यकर्ताओं को अपनी जानमाल का खतरा पैदा हो गया है ।

2—पुलिस उप महानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 24-2-2001 की रात्रि 00.30 बजे वाहन चेकिंग के मध्य पुलिस अधीक्षक, रामपुर की स्कोर्ट जिप्सी संख्या–यू० पी०–22 बी 8333 में बैठे उप निरीक्षक श्री गोवर्धन राज द्वारा मय हमराही कर्मचारीगण के राहे मुर्तजा रोड पर एक हूटर बजाती हुई गाड़ी संख्या–यू०पी०–25 जेड 2289 आर्मदा जीप को हाथ देकर रोकना चाहा और गाड़ी के ड्राईवर जहीर बेग द्वारा गाड़ी न रोकने पर आगे बढ़कर रोका गया । उक्त गाड़ी में बैठे ड्राइवर जहीर बेग के साथ अमित कुमार, डब्बू, संजीव, वेद प्रकाश व भोले यादव द्वारा सरकारी कार्य में सहयोग करने के बजाय पुलिस कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी । गाड़ी में बैठे भोला यादव के अलावा सभी उक्त पांचों लोग शराब के नशे में थे । गाड़ी के ड्राइवर व अन्य को गाड़ी से उतारने से मा० विधायक श्री कांशी राम के पुत्र डब्बू द्वारा अपने पिता मा० विधायक को भी बुला लिया गया । मा० विधायक द्वारा पुलिस अधीक्षक से सभी को छोड़ देने को कहा गया तथा हाईवे जाम करने की धमकी दी गयी । इस पर सभी छः व्यक्तियों के विरुद्ध मु०अ०सं०–264/2001, धारा 353 भा०द०वि० व 261/2001 धारा 3/18/146/196/39/192/177 एम० बी० ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत करके सभी का डाक्टरी परीक्षण कराये जाने

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पर भोला यादव को छोड़ कर अन्य पांचों व्यक्ति शराब के नशे में लिप्त पाये गये । मा० विधायक जी द्वारा तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक, आवास पर आकर अपने पुत्र एवं अन्य पांचों व्यक्तियों को छोड़ देने को कहा गया जिस पर ड्राइवर जहीर बेग व अन्य पांचों व्यक्तियों को मा० श्री कांशी राम विधायक जी के अनुरोध पर थाना–सिविल लाइन से मुचलके पर छोड़ दिया गया है ।

3–उप निदेशक ए० के० दीक्षित, चौकी ढकिया को मा० श्री कांशीराम विधायक से दुर्व्यवहार करने के आरोप में निलम्बित किया गया था परन्तु जांच कोर्ट में उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में न आने तथा चौकी ढ़किया खाली होने और मोहर्रम त्योहार निकट होने के कारण श्री दीक्षित को सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत चौकी ढकिया पर नियुक्त किया गया था तथा मोहर्रम का त्योहार समाप्त होने के पश्चात् उप निरीक्षक श्री दीक्षित को चौकी ढ़किया से दिनांक 7-4-2001 को स्थानान्तरित कर थाना–विलासपुर पर नियुक्त किया गया है । प्रश्नगत विषयक में भाजपा सरकार के इशारे पर विपक्ष के विधायकों को उत्पीड़न एवं अपमान किये जाने का आरोप निराधार एवं तथ्यहीन पाया गया है और उक्त वर्णित से स्पष्ट है कि मा० विधायक जी का किसी प्रकार का अपमान नहीं किया गया है, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ समान व्यवहार एवं पर्याप्त सम्मान दिया जाता है । मा० विधायक जी के जीप चालक व उनके पुत्र के साथ कोई मारपीट नहीं की गयी है । आरोप बढ़ा-चढ़ा कर महज पंजीकृत अभियोग की पेशबन्दी में लगाया जाना पाया गया ।]

जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत पिपरी चन्दौली मार्ग का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में श्री लालजी वर्मा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, बेशक इसे आप पढ़ी हुई मान लीजिए लेकिन मैं एक स्पष्टीकरण पूँछना चाहता हूँ । इस सड़क पर 10 लाख रुपये खर्च किये गये हैं । सारी गिट्टी एकत्र करके वहां डाल दी गई है तो इस गिट्टी को बर्बाद होने से बचाने के लिए क्या सड़क का निर्माण पूरा किया जायगा ?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एंवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसका उल्लेख मूल उत्तर में दिया हुआ है ।

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)–

मान्यवर, बेशक इसमें विलम्ब हुआ है । फैजाबाद के जो चीफ इंजीनियर है उनसे रिपोर्ट मांगी गई है आते ही निर्माण करा दिया जायगा ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हुकुम सिंह–

[पिपरी–चन्दौली सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई 2 कि०मी० है नव निर्माण के लिये राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–3160ई/23–लो०नि०–11–86/94, दिनांक 19-9-94 द्वारा रु० 10.73 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत जारी की गई थी । उक्त स्वीकृति के सापेक्ष वर्ष 1994-95 में कार्य को प्रारम्भ करने हेतु रु० 1.00 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी । उक्त धनराशि से कि०मी० एक एवं दो में मिट्टी का कार्य आंशिक रूप से कराया गया । कि०मी० 1 में 500 मीटर क्षेत्र में तटबन्ध को 0.50 मीटर ऊंचा किया जाना है ।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि में वित्तीय संसाधन की अनुपलब्धता के कारण धनराशि का आवंटन नहीं किया जा सका । वर्ष 1998-99 में रु० 1.50 लाख तथा वर्ष 1999-2000 में रु० 9.25 लाख की धनराशि आवंटित की गई है । वर्ष 1994-95 में आवंटित रु० 1.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष रु० 1.28 लाख से मिट्टी का आंशिक कार्य कराया गया । वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में आवंटित की गई । धनराशि से दोनों किलो मीटरों पर कुटाई हेतु दो कोट पत्थर का एकत्रीकरण का कार्य किया गया जिसे मिट्टी के कार्य के पश्चात् कुटाई में प्रयोग किया जाना है । इस कार्य पर अब तक रु० 9.39 लाख का व्यय किया जा चुका है ।

इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि निर्माण सामग्री एवं मजदूरी की दरों में काफी वृद्धि के कारण स्वीकृत लागत में कार्य संभव न हो पाने पर मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, फैजाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश योजना संरचना एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा अनुमोदित वर्ष 1990-91 को आधार वर्ष मानते हुए मूल्य सूचकांक के अधीन कार्य का पुनरीक्षित आगणन रु० 16.10 लाख का तैयार कर प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को दिनांक 29-3-2001 को भेजा गया था जिस पर प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा विचार कर निम्नानुसार आगणन तैयार करने का निर्देश मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद को दिनांक 13-4-2001 को दिया गया :–

1—आगणन कास्ट इन्डेक्स के आधार पर बनाया गया था जिसे कृत कार्य एवं किए जाने वाले कार्य का विवरण देकर बनाया जाय ।

2—आगणन में लगे दर विषलेषण पर अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन कराया जाय ।

पुनरीक्षित आगणन पर स्वीकृत प्रदान किए जाने के पश्चात् प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर मार्ग का निर्माण संभव है ।]

जनपद मथुरा में जयगुरूदेव और उनके समर्थकों द्वारा की जा रही अवैधानिक गतिविधियों तथा जमीनों पर अवैध कब्जेदारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा ...

श्री अध्यक्ष–

यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री हुकुम सिंह–

[कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा यह सूचना दी गयी थी कि जनपद मथुरा में तुलसीदास चेला घूरेलाल उर्फ जयगुरूदेव द्वारा गैरकानूनी तथा गैर सामाजिक कार्यवाही करके भय एवं आतंक व्याप्त किये हुए हैं । पुरातत्व विभाग द्वारा दिनांक 24-9-2000 को की गई अवैध खुदाई तथा मूर्ति चोरी के संबंध में मु०अ०सं०–184/2000 थाना–नरहौली पर पंजीकृत हुआ, जिसमें अन्तिम रिपोर्ट जय गुरूदेव द्वारा लगवा दी गयी । इसके अतिरिक्त जय गुरूदेव धर्म प्रचारक संस्था के नाम अभिलेखों में कुल भूमि 57.733

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उनके कहे पर दज है, परन्तु महोली के खाता सं०–865, 870,881 अ के अनुसार कुल 17.992 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किये हुए हैं। उक्त के विरुद्ध मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की बिना अनुमति, बिना नक्शे के स्वीकृत के मन्दिर, आश्रम एवं आवास आदि का निर्माण कराया जाना भोली-भाली जनता के आवासीय पट्टों बैनामा द्वारा खरीदी गयी भूमि पर खेती आदि कराना, चकबन्दी विभाग के अधिकारियों द्वारा 19-5-92 को संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में घोषित कराना, मु०अ०सं०–56/2001 थाना–नरहौली में झूठा कायम कराना तथा पीड़ित जनता की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत मु०अ०सं०–56ए/2001 थाना–नरहौली में वाद में करना एवं अपराधिक लोगों का आश्रम में शरण देना आदि सम्मिलित है। अतः मा० सदस्य ने इस लोक महत्व के विषय पर शासन से वक्तव्य दिये जाने की मांग की।

2–इस संबंध में जिलाधिकारी, मथुरा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार जय गुरूदेव धर्म प्रचारक संस्था के नाम अभिलेखों में 45.060 हेक्टेयर भूमि एवं उनके शिष्यों के नाम 11.600 हेक्टेयर भूमि दर्ज है। इस संस्था द्वारा ग्राम समाज की भूमि व उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम की भूमि पर अवैध कब्जा करने की शिकायतें प्राप्त हुई, जिस पर जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा उप जिलाधिकारी, मथुरा से जांच करायी गयी। जांच में यह पाया गया कि उक्त संस्था द्वारा ग्राम समाज की भूमि, मेला मैदान, परती भूमि, हरिजन आबादी एवं उ० प्र० औद्योगिक विकास निगम आदि की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। इस संस्था द्वारा ग्राम समाज महोली के खाता सं०–865 में कुल 4 किता रकबा 0.472 है०, चक मार्ग व खाता सं०–867 में कुल 3 किता रकबा 1.461 है०, रास्ता व खाता सं० 870, सड़क खत्ती व खाता सं०–881 अ में कुल 6 किता रकबा 4.490 है०, जय गुरूदेव मैदान श्रेणी 6 (4) ग्राम सभा खाता सं०–856 बंजर व खाता सं०–854 परती भूमि कुल रकबा 6.757 है० भूमि तथा ग्राम पन्नापुर स्थित उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम की भूमि 11.235 है० पर अवैध कब्जा है। इसके अतिरिक्त महोली ग्राम में यू०पी०एस०आई०डी०एस० की जो भूमि थी,उस पर चकबन्दी अधिकारी न्यायालय द्वारा वर्ष 1996-97 में यू०पी०एस०आई०डी०एस० का नाम खारिज करके, जय गुरूदेव धर्म प्रचारक संस्था का नाम दर्ज कर दिया गया। वर्तमान में यू०पी०एस०आई०डी०एस० द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध पुनर्स्थापना पत्र दिये जाने पर दिनांक 30-3-2001 को पुनर्स्थापित किया जा चुका है। वाद साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु न्यायालय में विचाराधीन है।

3–मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जय गुरूदेव के प्रबन्धक द्वारा जय गुरूदेव मदनगोपाल खण्डेलवाल के नाम से एक बहुत बड़े अस्पताल का निर्माण उ० प्र० नगर योजना एवं अधिनियम की धारा 27(1), 28(1) व 28(2) के अन्तर्गत अवैध निर्माण के संबंध में चालानी कार्यवाही की गयी, जिसके विरुद्ध जय गुरूदेव द्वारा आयुक्त, आगरा मण्डल में अपील की गयी, जो बाद सुनवाई के 21-8-96 को निरस्त कर दी गयी। इस आदेश के विरुद्ध उक्त संस्था द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं०–38647/96 योजित की गयी, जिसमें ध्वस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर दिया गया है। यह याचिका अभी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है।

4—थाना नरहौली मथुरा पर मु०अ०सं० 184/2000 धारा 147/148/452/447/427/506 भा०दं०वि० एवं 7(20) दफीना अधिनियम पंजीकृत हुआ। इस अभियोग में विवेचना के बाद अन्तिम रिपोर्ट साक्ष्य के अभाव में प्रेषित की गई।

5—यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 12-3-2001 को जय गुरुदेव धर्म प्रचारक के समर्थकों एवं गांव महोली के निवासियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों पक्षों के आमने-सामने खड़े हो जाने के

कारण टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई जिसे जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप करके नियंत्रित किया गया । इस संबंध में मु०अ०सं०–56/2001 धारा 395/397 भा०दं०वि० बनाम समालिया आदि वादी प्रदमन प्रताप सिंह जो जय गुरुदेव आश्रम से संबंधित हैं के द्वारा पंजीकृत कराया गया है इस अभियोग की विवेचना के दौरान धारा 147/148/149/307/504 भा०दं०वि० तरमीम किया गया है और उक्त अभियोग की विवेचना प्रचलित है । इसी विवाद के संबंध में मु०अ०सं० 56ए/2001 धारा 395/397 भा०दं०वि० बनाम तुलसीदास चेला घूरे लाल आदि सात नफर के विरुद्ध वादी राजवीर सिंह पुत्र गोपाल निवासी महोली, थाना नरहौली द्वारा पंजीकृत कराया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है । जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था से संबंधित विभिन्न विवादों के स्थायी समाधान हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट व अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में सभी पक्षों को बुलाकर वार्ता की जा रही है ताकि आपसी सहमति के आधार पर समस्या का स्थायी समाधान निकल सके ।]

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय मंत्री जी के उत्तर में प्रभावी कार्यवाही का उल्लेख नहीं है । रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वक्तव्य की अंतिम पंक्ति पढ़ लें कि "स्थाई समाधान हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट व अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में सभी पक्षों को बुलाकर वार्ता की जा रही है ।"

थाना कोतवाली मेरठ क्षेत्र के मकानों में अज्ञात कारणों से पड़ रही दरारों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 22-3-2001 कोदी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

[डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना दिनांक 22-3-2001 में थाना कोतवाली मेरठ क्षेत्र में अज्ञात कारणों से मकानों में आ रही दरारें, मकान की दीवारें फटने व जोड़ छोड़ने तथा रुड़की विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से वर्ष 1988 में जांच के उपरान्त भी उसके निष्कर्ष को सार्वजनिक न करने एवं सुझावों पर प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा कार्यवाही न किये जाने व देश तथा प्रदेश में भूकम्पों की बढ़ती संख्या का बिन्दु उठाते हुये वक्तव्य की मांग की गई है ।

मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, मेरठ की सूचना के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि संदर्भित क्षेत्र में भवनों में दरार पड़ने की घटना वर्ष 1988 में भी हुई थी । जांच रिपोर्ट के अनुसार दीवारों के फटने के कारण निम्नवत् हैं :–

1—थाना कोतवाली क्षेत्र जहां दीवार फटने की शिकायत है यह मोहल्ला पुराने समय में एक खाई थी जिसे लखौरी ईंटों के टुकड़ों पुराने मिट्टी के बर्तन एवं जानवरों की हड्डियों आदि आर्गेनिक वस्तुओं से भरा गया है । इस प्रकार इस भूमि की भार धारक क्षमता काफी निम्न है तथा स्थायी भवन निर्माण के उपयुक्त नहीं थी ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2—कच्चे फर्श, नालियों एवं टूटी हुई पाइपों के कारण इसमें पानी रिसते रहने से इसकी आर्द्रता बढ़ गई जिससे यह क्षमता और भी घट गई ।

3—प्रतिबन्ध के बावजूद इस पर बिना उचित नींव के भवन निर्माण किया गया । पहले थोड़ी नींव भरवाकर एक मंजिले भवन बनाये गये और बाद में इन्हीं भवनों पर बहुमंजिला बना दिया गया ।

उपरोक्त तीनों कारणों से नींव का सैंटलमेंट होना स्वाभाविक है । इनका निराकरण भवनों को धराशायी करके समुचित नींव देते हुए भवनों का निर्माण किया जाना है । इस क्षेत्र के भवनों की संरचना में कोई परिवर्तन न किये जाने के निर्देश उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ को दे दिये गये हैं]

बुन्देलखण्ड में कम वर्षा व नहरों से फसलों को पानी न मिलने तथा ओलावृष्टि से फसलें बरबाद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री श्रीराम पाल द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2001को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य ने अपनी सूचना में बुन्देलखण्ड के जनपद जालौन, झांसी व ललितपुर में इस वर्ष कम वर्षा होने से तथा नहरों में कम पानी मिलने के कारण रबी की फसल पूरी तरह बरबाद होने तथा जनपद जालौन के कालपी तहसील के महैवा, कदौरा, कोंच, माधौगढ़ एवं रामपुरा विकास खण्ड क्षेत्रों में फसलों का बरबाद होने,कुठौंद व हमीरपुर शाखा में राजघाट से पानी पर्याप्त न मिलने से गेहूं की फ़सल का सूखना दिनांक 14-15 तारीख को भयंकर ओलावृष्टि से दर्जनों ग्रामों की फसल पूरी तरह नष्ट होने तथा बहुत सी जमीन बिना बोये पड़ी रहने व अकाल की स्थिति के कारण लोगों द्वारा गांव छोड़कर पलायन करने का उल्लेख किया गया है ।

2—उक्त संबंध में अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड के जनपद ललितपुर झांसी एवं जालौन में वर्षाकाल में वर्ष 1999 में हुई क्रमशः 1120, 832 एवं 983 मिलीमीटर वर्षा के सापेक्ष वर्ष 2000 में क्रमशः 578, 512 एवं 534 मिलीमीटर वर्षा हुई जो लगभग 50 से 60 प्रतिशत के मध्य है ।

वर्ष 2000 में अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के कारण बांधों में कम पानी एकत्र हो सका जबकि वातावरण में नमी की कमी तथा जमीन में शुष्कता के कारण पानी की अधिक मांग रही । शरद ऋतु में भी वर्षा नहीं हुई इसके पानी की और अधिक मांग रही । नहरों का समुचित संचालन करके निरंतर चौकसी रखकर नहरों की टेलों तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया । जनपद ललितपुर, झांसी एवं जालौन में रबी में क्रमशः 48600 हेक्टेयर, 71240 हेक्टेयर एवं 119310 हेक्टेयर अर्थात कुल 239150 हेक्टेयर सींच लक्ष्य के सापेक्ष रबी 1408 में क्रमशः 65480 हेक्टेयर, 101530 हेक्टेयर एवं 205500 हेक्टेयर अर्थात कुल 372510 हेक्टेयर सींच कराई गई । स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड के जनपद ललितपुर में बेतवा मुख्य नहर की हमीरपुर शाखा एवं कुंठौद शाखा से सिंचाई होती है । हमीरपुर एवं कुंठौद शाखा में पलेवा एवं कोर सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया गया तथा इनसे निकली समस्त नहरों की टेलों तक पानी पहुंचाकर भरपूर सिंचाई कराई गई । हमीरपुर एवं कुठौंद शाखा रोस्टर के अनुसार

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

औसतन 122 दिवस चलनी थी जबकि यह नहरें वास्तविक रूप से औसतन 127 दिवस चलाई गई । जहां तक पानी की मात्रा का प्रश्न है, हमीरपुर व कुर्रीद शाखा में रोस्टर के अनुसार 4.51 लाख क्यूसेक दिवस पानी दिया जाना प्रस्तावित था जिसके विरुद्ध लगभग 4.66 लाख क्यूसेक दिवस पानी दिया । इसके अतिरिक्त कृषक लक्षित क्षेत्र से भी अधिक क्षेत्र में सींच हेतु पानी की अपेक्षा करते हैं । फलस्वरूप जनपद जालौन के महेवा एवं कदौरा विकास खण्डों में जहां टेल क्षेत्र की नहरें हैं, पानी की कमी महसूस की गई ।

पाला पड़ने से अरहर व चने की फसल नष्ट होने की कोई सूचना नहीं है । ओलावृष्टि के कारण जालौन तहसील के गांव की फसलों के हुए नुकसान का विवरण जो जिला प्रशासन से प्राप्त हुआ है, के अनुसार 536.59 है० प्रभावित क्षेत्र के विरुद्ध 98,639 हे० की फसल को नुकसान हुआ है । जनपद में हाहाकार मचने जैसी कोई स्थिति नहीं है क्योंकि नहरों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया गया है तथा प्रस्तावित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में सींच सुविधा उपलब्ध कराई गई । अकाल जैसी कोई स्थिति नहीं है लोगों द्वारा गांव छोड़कर अन्य प्रदेशों में पलायन करने तथा किसानों द्वारा आत्महत्या पर आमादा होने की कोई सूचना नहीं है ।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

दिनांक 30 अप्रैल, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (क)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

प्रदेश के व्यापार कर के 20 सबसे बड़े बकायेदार की सूची

क्र० सं०	करदाता का नाम	धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1	सर्वश्री फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया, हजरतगंज, लखनऊ ।	10393.20
2	सर्वश्री दी यू०पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि० चुर्क, सोनभद्र ।	8074.76
3	सर्वश्री कमिश्नर फूड एण्ड सिविल सप्लाई जवाहर भवन, लखनऊ ।	6955.56
4	सर्वश्री अपट्रान इण्डिया लि० अशोक मार्ग, लखनऊ ।	4080.03
5	सर्वश्री प्रीमियर विनायल फ्लोरिंग लि० सिकन्दराबाद, नोएडा ।	4061.09
6	सर्वश्री पाम फार्मास्यिूटिकल्स लि० सिकन्दराबाद, नोएडा ।	3806.73
7	सर्वश्री मोदी इण्डस्ट्रीज लि०, मोदीनगर, गाजियाबाद ।	3667.09
8	सर्वश्री आत्मा स्टील्स प्रा० लि० बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद ।	1829.00
9	सर्वश्री फोरमोस्ट इण्ड० इण्डिया लि० कैलाशपुर, सहारनपुर ।	1809.47
10	सर्वश्री धामपुर सुगर मिल लि० धामपुर, बिजनौर ।	1590.51
11	सर्वश्री भारत पम्प एण्ड कम्प्रेशर लि० नैनी, इलाहाबाद ।	1576.94
12	सर्वश्री महाराष्ट्रा स्टील्स लि० गाजियाबाद ।	1480.00
13	सर्वश्री वेस्टाविजन इले० लि० डी०–180/10 नोएडा ।	1127.05
14	सर्वश्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, गुलसराय झांसी ।	1121.61
15	सर्वश्री सकूरा सैमत्यु लि० नोएडा ।	1104.36
16	सर्वश्री यूटीलिटी इन्जीनियर्स इण्डिया लि० लखनऊ ।	1096.75
17	सर्वश्री इण्डोगल्फ फर्टी० एण्ड कैमि० कारपो० लि०, पार्क रोड, लखनऊ	1085.00
18	सर्वश्री गणेश एजेन्सी, बटलर प्लाजा, बरेली ।	998.65
19	सर्वश्री राजेन्द्रा स्टील इण्डिया लि० 80/86, लाटूश रोड, कानपुर ।	897.03
20	सर्वश्री विलाई स्टोरेज बैट्री लि० सिकन्दराबाद, नोएडा ।	858.53

नत्थी (ख)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

अपराधिक इतिहास बिजेन्द्र उर्फ मल्लू पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी किशनपुर गढ़िया थाना बेवर, जनपद मैनपुरी

क्र०सं०	अपराध सं०	धारा	थाना	जनपद
1	224/90	504/506 भा०दं०वि०	बेवर	मैनपुरी
2	353/95	392 भा०दं०वि०	कोत०	,,
3	450/95	गुण्डा ऐक्ट	बेवर	,,
4	42/95	395 भा०दं०वि०	,,	,,
5	444ए/95	147/148/149/307 भा०दं०वि०	,,	,,
6	153ए/96	147/148/149/302 भा०दं०वि०	भोगांव	,,
7	139/96	435 भा०दं०वि०	बेवर	,,
8	479/94	436 भा०दं०वि०	भोगांव	,,
9	172/98	147/148/149/307/353/224/225 भा०दं०वि० एवं 7 क्रि०ला० एमेंण्डमेंट ऐक्ट	बेवर	,,
10	325/98	147/148/149/504/506/323/326 भा०दं०वि०	,,	,,
11	155/2000	188 भा०दं०वि०	कोत०	,,
12	251/2000	30 आर्म्स ऐक्ट	बेवर	,,
13	238/2000	3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट	,,	,,
14	429/2000	110 दं० प्र० सं०	,,	,,
15	523/2000	307 भा०दं०वि०	,,	,,

2—अपराधिक इतिहास दिनेश पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि० कस्बा किशनपुर गढ़िया थाना बेवर, मैनपुरी

1	42/95	395 भा०दं०वि०	बेवर	मैनपुरी
2	172/98	147/148/149/307/353/224/225 भा०दं०वि० एवं 7 क्रि०ला० एमेंण्डमेंट ऐक्ट	,,	,,
3	523/2000	307 भा०दं०वि०	,,	,,

अपराधिक इतिहास बन्दू पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि० किशनपुर गढ़िया थाना बेवर, मैनपुरी

क्र०सं०	अपराध सं०	धारा	थाना	जनपद
1	2	3	4	5
1	523/2000	307 भा०दं०वि०	बेवर	मैनपुरी

अपराधिक इतिहास जितेन्द्र यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह नि० किशनपुर गढ़िया थाना बेवर, मैनपुरी

क्र०सं०	अपराध सं०	धारा	थाना	जनपद
1	2	3	4	5
1	523/2000	307 भा०दं०वि०	बेवर	मैनपुरी
2	529/2000	352/504 भा०दं०वि०	बेवर	मैनपुरी

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी (ग)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–137 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

अपराधिक इतिहास उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा पुत्र बाबू सिंह निवासी किशनपुर गढ़िया थाना बेवर, जनपद मैनपुरी

क्र०सं०	अपराध सं०	धारा	थाना	जनपद
1	2	3	4	5
1	62/75	147/148/307 भा०दं०वि०	बेवर	मैनपुरी
2	125/75	392 भा०दं०वि०	,,	,,
3	135/75	394 भा०दं०वि०	,,	,,
4	13/77	307 भा०दं०वि०	,,	,,
5	57/80	302 भा०दं०वि०	,,	,,
6	58/80	279/337/429 भा०दं०वि०	,,	,,
7	335/81	353/504/506 भा०दं०वि०	,,	,,
8	169/82	147/323/342 भा०दं०वि०	,,	,,
9	179/82	25 आर्म्स ऐक्ट	,,	,,
10	183/82	188 भा०दं०वि०	,,	,,
11	262/82	394 भा०दं०वि०	,,	,,
12	187/74	307 भा०दं०वि०	,,	,,
13	133/75	147/148/323 भा०दं०वि०	,,	,,
14	139/84	420/467/468 भा०दं०वि०	,,	,,
15	149/84	420/467/468 भा०दं०वि०	,,	,,
16	69/84	394 भा०दं०वि०	,,	,,
17	114/84	3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट	,,	,,
18	298/84	135 लो०प्रति०अधि०	,,	,,
19	184/84	394 भा०दं०वि०	,,	,,
20	297/84	136(2) लो०प्रति०अधि०	,,	,,
21	248/84	136(2) लो०प्रति०अधि०	,,	,,
22	35/85	420/406 भा०दं०वि०	,,	,,
23	24/86	गैंगस्टर ऐक्ट	,,	,,

1	2	3	4	5
24	211/86	एन०एस०ए०	बेवर	मैनपुरी
25	304/86	147/148/149/307 भा०दं०वि०	,,	,,
26	305/86	25/27 आर्म्स ऐक्ट	,,	,,
27	4/87	3/2 भा०दं०वि०	,,	,,
28	312/80	147/352/504/506 भा०दं०वि०	,,	,,
29	24/87	एन०एस०ए०	,,	,,
30	210/87	3/4 जी०ऐक्ट	,,	,,
31	211/87	25 आर्म्स ऐक्ट	,,	,,
32	34/88	147/148/149/427/307 भा०दं०वि०	भोगांव	,,
33	252/89	135/136(2) लो०प्रति०अधि०	बेवर	,,
34	154/90	3/4 जी०ऐक्ट	,,	,,
35	253/89	135/136(2) लो०प्रति०अधि०	,,	,,
36	155/90	25 आर्म्स ऐक्ट	,,	,,
37	153/90	393 भा०दं०वि०	,,	,,
38	128/90	394 भा०दं०वि०	भोगांव	,,
39	123/90	364 भा०दं०वि०	कोत०	,,
40	184/91	352/504/506 भा०दं०वि०	बेवर	,,
41	195/92	147/323/504/506 भा०दं०वि०	,,	,,
42	146/91	2/3 गैंगेस्टर ऐक्ट	,,	,,
43	211/91	110 सी०आर०पी०सी०	,,	,,
44	505/93	3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट	,,	,,
45	72/94	506 भा०दं०वि०	,,	,,
46	42/95	395 भा०दं०वि०	,,	,,
47	479/94	147/148/149/302 भा०दं०वि०	भोगांव	,,
48	70ए/96	147/148/149/302 भा०दं०वि०	कुर्रा	,,
49	153ए/96	147/148/149/302 भा०दं०वि०	भोगांव	,,
50	457/95	3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट	बेवर	,,

1	2	3	4	5
51	378/96	2/3 गैंगेस्टर ऐक्ट	बेवर	मैनपुरी
52	109/77	302/307/120 बी भा०दं०वि०	कोत०	फर्रूखाबाद
53	139/96	135 भा०दं०वि०	बेवर	मैनपुरी
54	343/97	392/342/506 भा०दं०वि०	,,	,,
55	393/97	3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट	,,	,,
56	199/97	147/148/149/307 भा०दं०वि०	स्वरूपनगर	कानपुर नगर
57	200/97	25 आर्म्स ऐक्ट	,,	,,
58	282/97	364 भा०दं०वि०	कोत०	,,
59	566/97	110 सी०आर०पी०सी०	बेवर	मैनपुरी
60	212/97	3(1) गैंगस्टर ऐक्ट	स्वरूपनगर	कानपुर नगर
61	673/97	2/3 गैंगस्टर ऐक्ट	बेवर	मैनपुरी
62	59/98	एन०एस०ए०	,,	,,
63	87/98	420 भा०दं०वि०	अलीगंज	लखनऊ
64	600/99	188/171 जी भा०दं०वि०	बेवर	मैनपुरी
65	427/2000	110 जी० सी०आर०पी०सी०	,,	,,
66	28/2001	147/323/504/506/427/395 भा०दं०वि०	कोत०	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा